लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated On 31-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 44, सोमवार, 21 अप्रैल, 1969/1 वैसाख, 1891 (शक)
No. 44, Monday, April 21, 1969/Vaisakha 1, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1202. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में पड़ा जस्ते का बिन बिका स्टाक	Unsold stock of Zinc lying at Hidustan Zinc Ltd. Udaipur ..	1—3
1203. अलोह धातुओं का उत्पादन	Production of Non-Ferrous Metals ..	3—9
1206. दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालय	C. G. H. S. Aurvedic Dispensaries in Delhi ..	9—11
1208. हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी	Hindustan Antibiotics Ltd. Pimpuri ..	11—15
1209. "एल्कोहल" का उत्पादन, निर्यात तथा आयात	Production, Export and Import of Alcohol ..	15—17
1211. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सम्बन्धी जांच डिवीजन का प्रतिवेदन	Report of Investigation Division on Drinking Water in Rural Areas of U. P. ..	18—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1201. गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex in Gujarat	19
1204. नगरों का दरजा बढ़ाया जाना	Upgradation of cities ..	19—21
1205. गुजरात में "श्वेत-पत्र" जारी किये जाने की आवश्यकता	Need of White Paper in Gujarat ..	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1207. मानव स्वास्थ्य पर धूम्रपान के प्रभाव	Effects of smoking on Human Health	21
1210. दिल्ली में "इंडियन आयल" के पेट्रोल पम्प तथा सर्विस स्टेशन एजेंसियां	Agencies of Petrol Pumps and Service Stations of Indian Oil in Delhi ..	22
1212. लद्दाख में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities in Ladakh ..	22
1213. निश्चेतकों (अनेस्थेटिक्स) की कमी	Shortage of Anaesthetics ..	23
1214. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बच्चों का कुपोषण तथा अपर्याप्त पोषण	Malnutrition and Uuder nutrition among children in Rural and Urban Areas ..	23—24
1215. बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों तथा निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Managing Directors and Directors of Banks ..	24—25
1216. यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय द्वारा वातानुकूलकों का आयात	Import of Air Conditioners by UNESCO, New Delhi ..	25—26
1217. नई दिल्ली तथा दिल्ली का माडलिंग	Modeling of New Delhi and Delhi ..	26—27
1218. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा कानपुर में बल्ब फैक्टरियों के मालिकों को तंग किया जाना	Harassment of Bulb Factories owners in Kanpur by Officers of Central Excise Department ..	27
1219. आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कर की कटौती	Tax Deductions under section 194 of Income, Tax Act	27—28
1220. बम्बई में राली पहाड़ी पर खुदाई	Excavating of Rawli Hills in Bombay ..	28
1221. भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने के महाप्रबंधक का निवास स्थान	Residence of General Manager of Trombay Unit of Fertilizer Corporntion of India ..	28—29
1222. जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोजन	L. I. C. Investments ..	29—30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1223. शिशुओं के भार तथा जीवन-काल के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए सफदरजंग हस्पताल में अनुसंधान परियोजना	Research Project at Safdarjung Hospital for studying Weight and Life Span on Infant ..	30
1224. चावल मिलों को ऋण दिये जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाया जाना	Lifting of Restrictions on Advancing loans to rice Mills ..	31
1225. 1969-70 के लिए पावर सेक्टर के लिये धन का नियतन	Allocation for power sector for 1969-70 ..	31
1226. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घ-कालिक तथा मध्यकालिक धन देने सम्बन्धी नीति	Policy re. long term and medium term Financing by Commercial Banks	31—34
1227. कमला नदी के तट-बन्धों का विस्तार	Extension of Embankments on River Kamala ..	34
1228. भारत में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits in India ..	34
1229. उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक कारखानों की चुंगी कर और सीमा कर से छूट	Exemption of Industrial Units in U. P. from Octroi and Terminal Taxes ..	35
1230. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में पंखों की व्यवस्था	Provision of Fans in Quarters of Class IV Government Employees ..	35—36
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6942. पन्ना की खानें	Panna Mines ..	36
6943. चम्बल सिंचाई परियोजना	Chambal Irrigation Project ..	37
6944. मध्य प्रदेश की तवा तथा हासदी सिंचाई परियोजना	Tawa and Hasdee Irrigation Projects in Madhya Pradesh ..	37
6945. गुजरात के धुवारण बिजली घर में भारी तेल की कमी	Shortage of Heavy Oil in Dhuvaran Power Station, Gujarat ..	38
6946. गुजरात में भारतीय तेल के वितरण के लिए एजेंसियां	Agencies for distribution of Indian Oil in Gujarat ..	38—39
6947. मंत्रालयों में आयातित कारें	Imported cars in the Ministries ..	39—40
6948. उकाई बांध की पानी रुक सकने की क्षमता को बढ़ाना	Raising storage capacity of Ukai Dam ..	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6949. बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं की स्वीकृति देना ।	Clearance to Major and Medium Projects ..	40—41
6950. पाकिस्तान को चोरी छिपे मांस का भेजा जाना	Smuggling of meat to Pakistan ..	41
6951. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में महिला डाक्टर	Lady doctors in C. G. H. S. Dispensaries ..	42
6952. विभिन्न मूल्य के सिक्कों में चांदी और मिश्रित धातु	Silver and Alloy in Different Denominations of Coins ..	42—43
6953. कार्टिजोन एसीटेट का निर्माण	Manufacture of Cortisone Acetate ..	43
6954. राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ के निदेशक के पद पर नियुक्ति का न किया जाना	Unfilled post of the Director of N. B. O. ..	43
6956. संगीत निदेशकों तथा पार्श्व गायकों द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears due from Music Directors and Play Back singers ..	44
6957. नई दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं	Facilities in Government Hospitals in New Delhi ..	44
6958. टोलीन और बेनजीन का उत्पादन	Production of Toluene and Benzene ..	45
6959. गुजरात में एरोमेटिक उद्योग समूह	Aromatic complex in Gujarat ..	45
6960. नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद	Shri Sreeram Durga Prasad of Nagpur ..	46
6961. दस अधिकतम आयकर दाता	Top ten income tax payers ..	46—47
6962. सेंट जान मेडिकल कालेज, बंगलौर को सहायता	Aid to St. John Medical College, Bangalore ..	47—48
6963. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	Hindustan Zinc Ltd. ..	48—49
6964. वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ उद्योग समूहों में लगाई गई पूंजी	Investments by Financial institutions in certain groups of Industries ..	49—50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6965. नई दिल्ली में परफोरेटेड प्रकाश का लगाया जाना	Installation of perforated lights in New Delhi ..	51
6966. मेरठ डिवीजन की चीनी मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क की अदायगी	Payment of Excise duty by Sugar Mills in Meerut Division	51
6967. वर्ष 1968-69 में पार्टी से बाहर क्वार्टरों का दिया जाना	Out of turn Allotment in 1968-69 ..	52
6968. उत्तरी बंगाल में बाढ़ों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Reports on floods in North Bengal ..	52
6969. प्रतिजीवाणु औषधियों, अफीम तथा सल्फा औषधियों का मूल्य	Prices of antibiotics, Opium and Sulpha ..	53
6970. उत्तर प्रदेश में नलकूपों से बिजली की मोटरों की चोरी	Theft of Electric Motors for Tubewells in U. P.	53—54
6971. जीवन बीमा निगम में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Life Insurance Corporation ..	54—55
6972. जीवन बीमा निगम में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in LIC ..	55
6973. दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें	Study Group's recommendations on Jhuggi Jhompari Problem in Delhi ..	55—56
6974. सफदरजंग अस्पताल में मानसिक रोगियों की चिकित्सा करने के लिए गैस का प्रयोग	Gas used in Safdarjung Hospital for treating mental patients ..	56
6975. दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की कमी	Shortage of Medicine in Ayurvedic Dispensaries in Delhi ..	56—57
6976. बृहद बम्बई में कर्मचारियों को मकानों का आवंटन	Allotment of Houses to Central Government employees working in Greater Bombay ..	57—58
6977. गुजरात में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के लिए धन का नियतन	Allocation of funds for various housing scheme in Gujarat ..	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6978.	आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति	Appointment of non-scheduled castes/scheduled tribes to reserved Posts ..	58—59
6979.	गुजरात राज्य में तेल की खोज ।	Exploration of Oil in Gujarat State	59
6980.	गुजरात में पेट्रो-केमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट	Petrol Chemical Research Institute in Gujarat ..	60
6981.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning programmes ..	60—61
6982.	विदेश यात्राओं पर जाने वाले लोगों पर कर	Tax on persons going on foreign tours	61
6983.	दिम्बार हाइडल परियोजा तथा बारगी परियोजना	Dimba Hydel and Bargi Projects	61
6984.	गोलियों (पिल्स) का प्रभाव	Effect of Pills	62
6985.	रिवाल्विंग निधि का निर्माण	Creation of revolving fund	62
6986.	पारे से सोना बनाना	Making of Gold from Mercury ..	62—63
6987.	दिल्ली के आस-पास उपनगर	Satellite towns around Delhi ..	63
6988.	स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू की समाधि के निकट धातु का पाया जाना	Recovery of Metal near the Samadhi of late Jawaharlal Nehru ..	63
6989.	राज्यों की अधिक धनराशि के लिये मांग	States' Demand for larger funds ..	64
6990.	प्रधान मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों के निवास स्थानों के रखरखाव पर होने वाला व्यय	Expenditure on maintenance of residences of Ministers other than the Prime Minister	64
6991.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुएं खोदना	Well drilling by ONGC	64
6992.	विदेश को उपहार के रूप में ब्रिटिश शासकों की मूर्तियां	Statues of British Rulers as a gift to foreign countries ..	65
6993.	पीने के पानी के कुएं	Wells for drinking water	65
6994.	देहाती क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था	Sanitary arrangements in rural areas	65—66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6995. बम्बई में मुद्रा की चोर बाजारी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगना	International currency Racket unearthed in Bombay ..	66—67
6996. नेफा में तेल की खोज	Oils Exploration in NEFA ..	67
6997. थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in Wholesale Price Index ..	68
6998. लोह अयस्क पर स्वामित्व की दर में वृद्धि	Increase in rate of Royalty on Iron Ore ..	68
7000. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ करार	Agreement with World Health Organisation for Malaria Eradication Programme ..	68—69
7001. कोयले की रायल्टी के बकाया में छूट	Remission of arrears of royalty on coal ..	69—70
7002. बांदा (उत्तर प्रदेश) में खनिज	Minerals in Banda (U. P.) ..	70
7003. अफगानिस्तान के एक राष्ट्रिक से भारतीय मुद्रा और घड़ियों का पकड़ा जाना	Recovery of rupees and watches from an Afghan National ..	70—71
7004. कोयले का उत्पादन	Production of coal ..	71—72
7005. गर्भनिरोधक गोलियां	Birth control pills ..	72
7006. आमवातिक (रयूमेटिक) हृदय रोग के मामले	Incidence of Rheumatic Heart Disease ..	73
7007. जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यवसाय	Business transacted by LIC ..	73
7008. सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of officers in public undertakings ..	74
7009. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers in Ministry of Irrigation and Power ..	74—75
7010. स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotions to Hindi Officials of Ministry of Health and Family Planning works, Housing and Urban Development ..	75
7011. मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई गयी आयकर सम्बन्धी अपीलें	Income tax appeals decided by Madhya Pradesh High Court ..	75—76

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7012. मध्य प्रदेश में हीरा कुंड परियोजना से बिजली की सप्लाई	Supply of Power from Hirakud Project to Madhya Pradesh ..	76
7013. सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग सिस्टर	Vacant posts of Nursing sisters in Safdarjung Hospitals ..	77
7014. यमुना पार खुरेजी खास बस्तियां	Khureji Khas colonies across Jamuna	77—78
7015. निर्यात के लिये प्राथमिकता प्राप्त उद्योग	Priority industries for Export Purposes	78
7016. सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का उत्पादन और आयात	Production and import of Soda Ash and Caustic Soda ..	79
7017. बिहार में ग्राम आवास योजना	Rural Housing Scheme in Bihar	79—80
7018. अमझोर गन्धक कारखाने का डालमियां नगर से फरीजाबाद को स्थानान्तरण	Shifting of Amjhore Sulphur Factory from Dalmia City to Faridabad ..	80
7019. ब्ल्यू फिल्मों की तस्करी	Smuggling of Blue Films ..	80—81
7020. राजस्थान में देहात विद्युतीकरण योजना	Rural Electrification Scheme in Rajasthan..	81
7021. विदेशी विनियोजन में कमी	Fall in foreign investments ..	81—82
7022. बिड़ला कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Birla Concerns ..	82—83
7023. उत्तर बिहार में उद्योगों में उत्पादन और उससे प्राप्त लाभ	Production and Profit from Industries in North Bihar ..	83—84
7024. सब्जी मंडी दिल्ली के व्यापारियों से सरकारी बकाया राशि का वसूल न किया जाना	Non-realization of Government dues from Shopkeepers of Vegetable Market, Delhi..	84
7025. राजस्थान में आलीशान इमारत	Palatial Building in Rajasthan	84—85
7026. सरोजनी नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की सीढ़ियों में सफेदी	White Washing in Stair cases of Government Quarters in Sarojini Nagar, New Delhi ..	85

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7027.	बम्बई के सर्जन द्वारा बन्ध्यीकरण के नये तरीकों का प्रदर्शन	New Sterilization Technique Demonstration by Bombay Surgeon ..	86
7028.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal ..	86
7029.	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Promotions to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development ..	87
7030.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को आयकर में रियायत	Income Tax concession to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	87
7031.	मुद्रा स्फीति	Inflation of currency ..	88
7032.	बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा जुर्माना लौटाना	Return of Fines by Central Board of Revenue in Bird and Co. case	88—89
7033.	किसानों पर कृषि आयकर	Agricultural Income Tax on Farmers ..	89
7034.	दुर्गापुर कारखाने की कोक भट्ठी	Durgapur Coke Oven Project ..	89—90
7035.	तीसरी योजना में उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य	Target for Production of Fertilizers during Third Plan ..	90
7036.	सरकारी खर्च और काराधान के ढांचे का अध्ययन करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति	Appointment of Enquiry Commission to study Structure of Public Expenditure and Taxation ..	90—91
7037.	सरकारी क्वार्टरों का दोषपूर्ण निर्माण	Faulty Construction of Government Quarters ..	91
7038.	बिहार में तस्करी का माल पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Bihar ..	91—92
7039.	भारत में सस्ते मकानों का निर्माण	Construction of Low Cost Houses in India ..	92—93
7040.	सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Government Accommodation..	93—94

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7041. उर्वरक बनाने के लिये कोयले का प्रयोग	Utilisation of coal as a Fertilizer Base	94—95
7042. अदीस अबाबा में बालरोग क्लिनिक का नाम जी० डी० बिड़ला के नाम पर रखना	Paediatric Clinic to be Named after Shri G. D. Birla in Addis Ababas ..	95
7043. मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भेजा गया धन	Money Remitted by M/s Birla Brothers (P) Ltd. Calcutta ..	95—96
7044. ईथोपिया जाने के लिये श्री जी० डी० बिड़ला और उनके दल को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Shri D. Birla and his party for going to Ethopia ..	96
7045. क्षयरोग उन्मूलन	Eradication of T. B. ..	97
7046. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अनधिकृत बस्तियों और इमारतों का अर्जन	Acquisition of unauthorised colonies and Building by DDA in Delhi ..	98
7047. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि	Annual Increments of Central Government Employees ..	98
7048. सिडनी में एशियाई विकास बैंक की बैठक	Asian Development Bank's Meeting held in Sydney ..	98—99
7049. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से बकाया धनराशि	Amount outstanding against National Coal Development Corporation and National Mineral Development Corporation ..	100
7050. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा बिल बनाने के आधार पर विचार करने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट	Report of Committee Re. basis of Billing by Geological Survey of India and Indian Bureau of Mines ..	100—101
7051. विकास कार्यों के लिये पी० एल० 480 निधि	P.L. 480 Fund for Development Works ..	101—102
7053. सर्कस कलाकारों के लिये बीमा सुविधाएं	Insurance Facilities to Circus Artistes ..	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7054.	लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में सहायक इंजीनियरों की छटनी	Retrenchment of Assistant Engineers in PWD. Manipur	102
7055.	मनीपुर में जल सप्लाई	Water Supply in Manipur ..	103
7056.	मनीपुर में पन-बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई दुर्घटनाएं	Accidents to Hydro Electric Department Employees in Manipnr ..	103
7057.	दामोदर घाटी निगम का ताप बिजली घर	Thermal power station of Damodar Valley Corpotation ..	103—104
7058.	साउथ इंडिया वाइकोस कम्पनी द्वारा विकास छूट का विनियोग	Appropriation of Development Rebate by South India Viscose Company ..	104—105
7059.	पश्चिम बंगाल के सिनेमा मलिकों द्वारा देय आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax Arrears due from Cinema owners in West Bengal ..	105
7060.	फिल्म वितरकों और फिल्म वित्त कम्पनियों द्वारा देय आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax arrears due from Film Distributors and Film Finance Companies	105—106
7062.	मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता से आयकर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Income Tax arrears from M/s Serajuddin and Co. Calcutta ..	106
7063.	कर निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व करदाताओं का विदेशों में चले जाना	Migration of assessees to foreign countries whose assessments have not been completed ..	107
7064.	जाली मुद्रा	Counterfeit currency ..	107
7065.	रीवा में चचाई जल प्रपात	Chachai Waterfall in Rewa ..	107—108
7066.	वित्तीय विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए अमरीकी सहायता	US Help for Financial Development ..	108—109
7067.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड लिमिटेड द्वारा उत्पादन सुपरवाइजरों की नियुक्ति	Appointment of production supervisors by Hindustan Insecticides Ltd. ..	110—111

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

7068. पंजाब में पोलिस्टर तथा नाईलोन कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up a Polyster and Nylon Factory in Punjab	..	111
7069. नासिक राष्ट्रीय प्रेस कामगार संघ की मांगें	Demands of Rashtriya Press Camgar Union of Nasik	..	111—112
7070. आयकर की सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम की बकाया धनराशि	Payment of reward due to Income-tax Informer	..	112
7071. राज्यों को कृषि ऋण	Irrigation loans to States	..	112—113
7072. बंगला नम्बर 10 जनपथ, नई दिल्ली	Bungalow No. 10 Janpath, New Delhi	..	113
7073. चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लक्ष्य	Targets for Public Sector Undertakings in Fourth Plan	..	113—114
7074. हल्दिया के तेल शोधक कारखाना उर्वरक पैट्रो-रसायन	Construction of Refinery/Fertilizer Petro-Chemical Complex at Haldia	..	114
7075. पूर्वी क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग	Oil Drilling in Eastern Region	..	114—115
7076. आसाम, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, नागालैंड और राजस्थान के साथ विशेष व्यवहार	Special Treatment of Assam, Jammu and Kashmir, Orissa, Nagaland and Rajasthan	..	115
7077. ट्राम्बे भारतीय उर्वरक निगम मैथेनोल संयंत्र	Methanol Plant of Fertilizer Corporation of India at Trombay	..	115—116
7078. मलेरिया उन्मूलन राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली नगर की सहायता बन्द करना	Stoppage of Aid to DMC under National Malaria Eradication Programme	..	116
7079. रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike notice by Reserve Bank Employees	..	116—117
7080. शेख अब्दुल्ला तथा अन्य काश्मीरी नेताओं द्वारा सम्पत्ति खरीदना	Purchase of property by Sheikh Abdullah and other Kashmiri Leaders	..	117
7081. सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Government Employees	..	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7082.	जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में शिक्षा समिति के लिए भूमि का नियतन	Allotment of plot of land to Educational Society in Jangpura Extension, New Delhi	119—120
7083.	उत्तर प्रदेश के थियेटर स्वामियों द्वारा दिया गया धन-कर	Wealth Tax paid by theatre owners of Uttar Pradesh	120
7084.	उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्ति	Fifty individual in U. P. paying Highest income-tax ..	120
7085.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by Employees of Trombay Fertilizer Factory ..	120—121
7086.	परिवार नियोजन केन्द्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of doctors in Family Planning Centres ..	121—122
7087.	विदेशी बैंकों के चैक जब्त करना	Seizure of Foreign Bank Cheques ..	122
7088.	नफ्थेलीन के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Naphthalene ..	122—123
7089.	बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिए पेट्रोलियम कोक केलकीनेशन संयंत्र	Petroleum coke Calcination Plant for Barauni Oil Refinery ..	123—124
7090.	आदर्श नेत्र हास्पिटल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Adarsh Netra Hospital Lajpat Nagar, New Delhi ..	124—125
7091.	आदर्श नेत्र अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Adarsha Netra Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi ..	125
7092.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में लोकुला की सप्लाई	Supply of Locula in C. G. H. S. Dispensaries ..	125—126
7093.	संसद् सदस्यों को केन्द्रीय पूल से बंगलों का आवंटन	Allotment of Bungalows to M. Ps from Central Pool ..	126—127
7094.	परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंधी प्रगति	Progress of family planning Programme ..	127—128
7095.	सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति करने की नीति	Policy for appointments in Public Undertakings ..	128
7096.	गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के महाप्रबन्धक द्वारा दौरे	Tours by General Manager of Fertilizer Factory, Gorakhpur ..	129

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7097.	भारतीय तेल निगम के निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Directors of Indian Oil Corporation ..	129—130
7098.	भारत में विनियोजित अमरीकी पूंजी	US Investments in India ..	130—131
7099.	बिजनौर सिंचाई परियोजना	Bijnaur Irrigation Project ..	131
7100.	कामनवेल्थ डिवेलपमेंट फाइनेंस कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनियों को ऋण	Loans by Commonwealth Development Finance Company to Indian Companies ..	131—132
7101.	तमिलनाडु में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Tamil Nadu ..	132
7102.	लोगों द्वारा गैर-सरकारी बैंकों में जमा की गई राशि सम्बन्धी नियम	Rules Re : money deposited by Individuals with Private Banks ..	132—134
7103.	पंजाब एण्ड काश्मीर बैंक का परिसमापन	Liquidation of Punjab and Kashmir Bank ..	134
7104.	जीवन बीमा निगम का कारोबार	Business Transacted by Life Insurance Corporation ..	134—135
7105.	विनियोजित पूंजी से विदेशी समवायों को हुई आय	Earnings made by Foreign Oil Companies out of invested capital ..	135—136
7106.	जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का अस्वीकार किया जाना	Repudiation of LIC claims ..	136
7107.	निर्माताओं द्वारा सुपर फास्फेट का लिये जाने वाला मूल्य	Price of Super Phosphate by Manufactures ..	136—137
7108.	बम्बई के उच्च क्षेत्र में अशोधित तेल	Existence of crude oil in Bombay High Region ..	137—138
7109.	आसाम में अशोधित तेल की शोधन क्षमता के बारे में एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a committee Re. Refining Capacity of Crude Oil in Assam ..	138
7110.	दीर्घकालिक आधार पर विदेशी सहायता	Foreign Aid on Long Term Basis ..	139
7111.	आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया गया लाभांश	Dividends paid by oil India Limited ..	140

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7112. एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण का दिया जाना	Grant of loan by Asian Development Bank ..	140
7113. नगरीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्मित मकानों का खाली रहना	Vacant houses constructed by Government in Urban Areas ..	140—141
7114. मकानों सम्बन्धी आवश्यकता	Housing Requirements ..	141—142
7115. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का स्थानान्तरण	Transfer of C. G. H. S. Doctors ..	142—143
7116. घाघरा ताप्ती-नारायणी परि योजना का निर्माण	Construction of Ghagara Rapti Narayani Project ..	143
7117. उत्तर प्रदेश की पेय जल प्रदाय योजनायें	Drinking water supply schemes of U.P . ..	143—144
7118. उत्तर प्रदेश को परियोजना के आप्रेशनों और उपायों के लिए सहायता	Aid for family planning operating and devices to U. P.	144
7119. उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	Shortage of doctors in U. P. Hospitals ..	144
7120. मैजेस्टिक सिनेमा के समीप निवासियों को वहां से हटाना	Shifting of Residents living in neighbourhood of Majestic Cinema, Delhi ..	145
7121. तमिलनाडू में फिल्मी उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों द्वारा आयकर नियमों का उल्लंघन	Violation of Income tax rules by Film people in Tamil Nadu ..	145—146
7122. पश्चिम निमाड़ जिला में खरगोन में टी० बी० अस्पताल	T. B. Hospital in Khagraon West Nimad District ..	146
7123. फिल्म कलाकारों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	Payment to Film Stars ..	146—147
7124. फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन	Income tax Evasion by film people ..	147—148
7125. डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, लाजपत नगर नई दिल्ली	Dr. Bhagwandas Memorial Trust, Lajpatnagar, New Delhi ..	148
7126. केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को समाप्त किया जाना	Scrapping of C. G. H. S. ..	148—149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of Urgent Public Importance	
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में दुर्घटना	Mishap in Durgapur Steel Plant	.. 149—156
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	.. 149—151
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	.. 151—155
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 156—158
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter Under Rule 377—	
औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति	Announcement Re. Industrial Licencing Policy	.. 158—159
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	.. 160—214
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	160—163
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha	.. 160—163
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	.. 164—214
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	.. 164—167
डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju	.. 191—193
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	.. 193—197
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	.. 197—199
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	.. 199—201
श्री जय सिंह	Shri Jai Singh	.. 202—206
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 206—210
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	.. 210—212
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 212—213
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatray Kunte	.. 213—214
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
पेंशन नियमों में संशोधन	Revision of Pension Rules	.. 214—217
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	.. 214—215
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	.. 215—217

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 अप्रैल, 1969/1 वैशाख, 1891 (शक)
Monday, April 21, 1969/Vaisakha 1, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में पड़ा जस्ते का बिना बिका स्टाक

+

*1202. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री शशि भूषण :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर" में जस्ते का काफी बड़ा स्टाक जमा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण उद्योगों द्वारा विभिन्न कारणों से आयातित जस्ते को प्राथमिकता दिया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो उद्योगों को देश में उपलब्ध जस्ते के आयात के लिये सहयोग करार करने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री वेदव्रत बरुआ : यह ठीक है कि जस्ते का जमा हुआ स्टाक अब बेच दिया गया है, परन्तु क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान जिंक आरम्भ में माल न उठाये जाने के कारण कई मास बन्द रहा था जिसके परिणामस्वरूप काफी हानि हुई थी ? क्या इसका कारण जस्ते का अधिक मूल्य नहीं था लगभग 400 रुपये प्रति मीटर टन अतिरिक्त और क्या अधिक मूल्य का कारण बिजली की अधिक दर नहीं था अन्य जगहों पर $2\frac{1}{2}$ पैसे की बजाय 10 पैसे प्रति यूनिट—? यदि ये बातें सही हैं, तो इस स्वदेशी उद्योग को आयातित जस्ते पर आयात शुल्क लगा करके संरक्षण क्यों नहीं दिया गया जिससे इन खानों के बन्द रहने से जो हानि हुई है वह न हो पाती ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि एक समय जस्ते का स्टाक जमा हो गया था परन्तु मिल बन्द रहने या उसकी क्षमता में कमी करने का कारण यह नहीं था कि जस्ता बेचा नहीं जा सका अपितु इसका कारण यह था कि सुपर-फास्फेट जो इसका एक उप-उत्पाद है किसानों में लोकप्रिय नहीं है । इसलिये उत्पादन घटाकर निर्धारित क्षमता का 70 प्रतिशत कर दिया गया था ।

एक कारण यह भी था कि वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत काफी बड़ी मात्रा में आयातित जस्ता उपलब्ध था । परन्तु अब स्थिति ठीक कर दी गई है । इस समय 600 मीटरी टन स्टाक है और इस यूनिट को उपलब्ध स्टाक से अधिक जस्ते के लिए क्रयादेश मिले हुए हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या हिन्दुस्तान जिंक के चेयरमैन ने शिकायत की थी कि सरकार तथा अन्य उपक्रम यह जस्ता खरीदने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि उनका कहना यह था कि जस्ता उतना बढ़िया नहीं था जितना वे चाहते थे ? क्या इस आरोप की कोई जांच कराई गई थी ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि आयातित जस्ता बहुत बढ़िया किस्म का है, परन्तु इस कारखाने में तैयार होने वाला जस्ता भी अच्छा है । क्रयादेश देने वाले कुछ कारखानों ने कहा है कि वे इस किस्म का जस्ता ही चाहते हैं क्योंकि उन्हें आयातित जस्ते जैसा बढ़िया जस्ता नहीं चाहिये । अब जो आयात प्रतिबन्ध लगे हुए हैं, यह जस्ता खूब बिक रहा है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : राजस्थान एक अल्प-विकसित राज्य है । वहां पर बहुत कम नये उद्योग स्थापित किये जाते हैं । यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में अयस्क उपलब्ध है जिससे उदयपुर के जस्ता पिघलाने के कारखाने का विस्तार किया जा सकता है । परन्तु इसकी बजाय सरकार विशाखापत्तनम में, एक अन्य स्मेल्टर स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है जिसके लिये जस्ते का आयात करना पड़ेगा या राजस्थान से उसे जस्ता उपलब्ध किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर के वर्तमान कारखाने की क्षमता क्यों नहीं बढ़ा दी जाती ताकि निक्षेपों का वहीं पर अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके ?

श्री जगन्नाथ राव : चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस कारखाने की क्षमता 18,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 30,000 मीटरी टन कर दी जायेगी। परन्तु 1973-74 तक देश में इसकी मांग 1,40,000 मीटरी टन हो जायेगी जबकि उदयपुर की 36,000 और अल्वाए की 40,000 मीटरी टन की क्षमता को शामिल करके भी 65,000 मीटरी टन की कमी रहेगी। विशाखापत्तनम में जो कारखाना स्थापित किया जायेगा उसके लिये काफी बाद में जाकर जस्ता आयात किया जायेगा; उसके लिये राजस्थान का अयस्क प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। राजस्थान के अयस्क का केवल राजस्थान में ही उपयोग किया जायेगा।

श्री जयपाल सिंह : जमशेदपुर से लगभग 22 मील दूर जस्ते की खानें गत 30 वर्षों से काम नहीं कर रही हैं। इन खानों को पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से पता लगाना होगा कि क्या इन निक्षेपों का व्यापारिक आधार पर प्रयोग किया जा सकता है।

अलौह धातुओं का उत्पादन

*1303. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अलौह-धातुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनायें सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) अलौह-धातुओं के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है ; और

(घ) अलौह-धातुओं के उत्पादन के मामले में सरकार कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) अलौह-धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने के हेतु चौथी योजना की अवधि के दौरान

कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित योजनायें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं :

क्रम संख्या योजना	क्षमता (मैट्रिक टन प्रति वर्ष)	टिप्पण
1—एल्यूमिनियम		
(क) गैर-सरकारी क्षेत्र		
1. बेलगाम (मैसूर) एल्यूमिनियम प्रद्रावक - नई	30,000	कार्य प्रगति पर है और प्रायोजना के 1969 के अंत तक चालू किये जाने की संभावना है ।
2. रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) एल्यूमिनियम प्रद्रावक - नई	60,000	इस में से केवल 20,000 मैट्रिक टन के 1970 के दौरान प्राप्त किये जाने की संभावना है । बाकी क्षमता के प्रावस्था-भाजित करने का निश्चय अभी किया जाना है।
3. मेट्टूर (मद्रास) एल्यूमिनियम प्रद्रावक - विस्तार	12,500	चौथी योजना के दौरान प्राप्त किये जाने की संभावना है ।
(ख) सरकारी क्षेत्र		
1. कोरवा (मध्य प्रदेश) एल्यूमिनियम प्रायोजना-नई	100,000	प्रायोजना के मई 1973 तक चालू किये जाने के लिये तैयार हो जाने तथा पांचवीं योजना के दौरान निर्धारित क्षमता करने की संभावना है ।
2. कोयना (महाराष्ट्र) एल्यूमिनियम प्रायोजना - नई	50,000	प्रायोजना चौथी योजना में सम्मिलित कर ली गई है । प्रायोजना के चौथी योजना के अंत तक चालू किये जाने के लिये तैयार हो जाने तथा पांचवीं योजना के दौरान पूरा उत्पादन प्राप्त कर लेने की संभावना है ।

टिप्पण : इसके अतिरिक्त, बेलगाम (मैसूर) एल्यूमिनियम प्रद्रावक के 70,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष विस्तार, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के वर्तमान प्रद्रावक के 3,800 मैट्रिक टन प्रति वर्ष विस्तार के लिये तथा उड़ीसा राज्य में 30,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता के एक नये प्रद्रावक की स्थापना के लिये "अभिप्राय-पत्र" जारी

किये गये हैं। इन प्रायोजनाओं के उत्पादन को प्रावस्थानुसार करने के सम्बन्ध में विचार उचित समय पर अनुज्ञप्त योजनाओं द्वारा प्राप्त की गई प्रगति, मांग की प्रवृति आदि के आधार पर किया जायेगा।

2. **तांबा**

(क) **गैर-सरकारी क्षेत्र**		
घटसीला (बिहार) नया स्फुरण प्रद्रावक	16,500	1970 तक पूरा किये जाने की संभावना है।
(ख) **गैर-सरकारी क्षेत्र**		
खेतड़ी (राजस्थान) तांबा प्रद्रावक - नया	31,000	1971 में प्रारम्भिक उत्पादन प्रारम्भ करने की संभावना है।

3. **जस्ता**

सरकारी क्षेत्र		
उदयपुर (राजस्थान) जस्ता प्रद्रावक - विस्तार	18,000	चौथी योजना के दौरान प्राप्त किये जाने की संभावना है।

टिप्पण : अलवेइ (केरल) स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान जस्ता प्रद्रावक के, 20,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष प्रत्येक को दो अवस्थाओं में, 40,000 मैट्रिक टन के विस्तार के लिये प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। विशाखापत्तनम स्थान पर सरकारी क्षेत्र में आयतित संकेन्द्रकों पर आधारित 30,000 मैट्रिक टन क्षमता के एक नये जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य अलौह-धातुओं के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

वर्ष	**खर्च की गई विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में)**
1966-67	79.49
1967-68	86.66
1968-69 (केवल अक्तूबर 1968 तक)	51.10

यह भी बताया जाये की भविष्य में वास्तविक आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर तथा कार्यान्वियन अधीन नई योजनाओं द्वारा प्राप्त प्रगति पर निर्भर करेंगे।

(घ) इस समय एल्यूमिनियम ही एक इस प्रकार की अलौह-धातु है जिसके विकास के लिए पर्याप्त अयस्क निक्षेप देश में विद्यमान हैं। इस धातु के संबंध में चौथी योजना के अंत तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है। जस्ते के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता पांचवी योजना के दौरान प्राप्त हो सकेगी। देश में अलौह-धातु खनिज अयस्कों की खोज में तीव्रता लाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि उनका संभव उत्पादन बढ़ाया जा सके।

Shri Sitaram Kesri: I want to know whether any scheme has been prepared to exploit non-ferrous deposits in the country especially in Singhbhoom District of Bihar? Government has been spending foreign exchange worth Rs. 50 crores for these non-ferrous metals. We can save foreign exchange if we exploit these deposits.

श्री जगन्नाथ राव: चौथी योजना के अन्त तक हमारा देश एल्युमिनियम के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्युमिनियम के कारखाने स्थायी हैं और चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में दो और कारखाने लगाये जायेंगे। उपलब्ध अयस्क के भण्डार का उपयोग किया जा रहा है। चौथी योजना की अवधि के बाद एल्युमीनियम के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sitaram Kesri: It is observed from the statement that copper is available in Rakhas in our region in sufficient quantity. I want to know whether there is any proposal to set up a factory there? The statement also indicates that there are copper deposits in Rakha in Bihar and Agrikandla in Andhra Pradesh. Is there any scheme to exploit the deposits in both these regions so that copper could be produced and foreign exchange is also saved and consequently our industry may prosper?

श्री जगन्नाथ राव: मैं इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि बिहार और आन्ध्र प्रदेश में हमें तांबे के भण्डारों का पता चला है। राखा के भण्डार बहुत अच्छे हैं और चौथी योजना में हम उनका विकास करेंगे। यही स्थिति आन्ध्र प्रदेश के अगरीकोंडला की भी है।

Shri Beni Shankar Sharma: Will the Hon. Minister be pleased to state the amount of production of copper in the country and the quantity of copper being imported from abroad? Whether Khetri Copper Project was required to be completed in 1967, then 1970 was fixed as target and now it has been stated that it will be completed in 1971? Whether he is aware that foreign exchange worth Rs. 16 lakhs will be saved per day after completion of this project? Whether he is also aware that in addition to copper the country will get 60 thousand ounces of silver and 10 thousand ounces of gold? May I know the reasons of delay in completion of this project?

श्री जगन्नाथ राव: खेतड़ी परियोजना 1971 में चालू हो जायेगी। खनिजों के विकास के लिये सलाहकार के रूप में एक अमरीकी फर्म और मशीनरी तथा उपकरण लगाने के लिये सलाहकार के रूप में एक फ्रांसीसी फर्म कार्य कर रही है। यह सच है कि विलम्ब हुआ है परन्तु खान के विकास में 5-6 वर्ष का समय लग जाया करता है।

श्री वेणी शंकर शर्मा: क्या परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय इन सब बातों पर विचार नहीं किया गया था?

श्री जगन्नाथ राव: हमारे अनुमान गलत निकले हैं क्योंकि इन खानों में अधिक समय लगता है। अतः इस मामले में समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। इसका यथासम्भव शीघ्र विकास करने की हमें चिन्ता है क्योंकि तांबे की कमी है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: यह विचार ठीक है कि अलौह धातुओं की प्रगति बहुत धीमी है। विदेशी मुद्रा की कमी और इन खानों से लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन खानों को चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जगन्नाथ राव : इन खानों को चलाने में अधिक समय लगता है। ये खानें गहरी एवं टेढ़ी-मेढ़ी हैं और हमारे पास तकनीकी जानकारी नहीं है। अतः हमें विदेशों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। हमने करार कर लिया है और हम उन्हें यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये उत्सुक हैं ?

श्री प० गोपालन : मुझे पता है कि अलवाय स्थित कारखाने के विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट और बाधा यह है कि परियोजनाओं से कच्चा माल निर्यात किया जाता है, जिस पर 27.5 प्रतिशत यथामूल्य सीमाशुल्क लगता है। परिशोधित सामग्री पर 500 रुपये प्रतिटन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगता है जबकि उसी माल को विदेशों में तैयार किया जाता है और परिशोधन माल निःशुल्क आयात किया जाता है केवल 500 रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क अधिक दिया जा रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष पहलू पर विचार किया गया है और इससे देशी फर्मों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे देश आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : अलवाय कारखाने की निर्धारित क्षमता 20,000 टन प्रति वर्ष है परन्तु यह क्षमता आयातित ढले हुए माल के आधार पर केवल 10,000 टन बनती है। विस्तार की स्वीकृति दे दी गई है और हमें आशा है कि चौथी योजना में यह विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा।

उत्पादन शुल्क का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री प० गोपालन : मैंने यह पूछा था कि क्या इस बात की जानकारी मंत्री महोदय को दी गई थी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री जगन्नाथ राव : यह स्थिति उद्योगपतियों को मालूम है और उन्हें भी पता है जो कारखाने खोलते हैं। उन्हें पता है कि 500 रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क है (**व्यवधान**)

श्री एस० आर० दामानी : 25 फरवरी के मेरे प्रश्न संख्या 118 के उत्तर में सरकार ने एक विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें 1969-70 से 1973-74 तक देश में उत्पादन तथा आयात की मांग का उल्लेख था। परन्तु उसमें यह नहीं बताया गया कि देशी संसाधनों का कितना उपयोग किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वप्रथम 1973-74 तक हमारे अपने संसाधनों का कितना उपयोग किया जायेगा।

विवरण में, यह भी कहा गया है कि कमी को पूरा करने के लिये 800 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात की आवश्यकता है। क्या सरकार देशी संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति गैर-सरकारी क्षेत्र को देगी जैसा कि उन्होंने एल्यूमीनियम के सम्बन्ध में किया है जिससे देश आत्मनिर्भर हो जाये ?

श्री जगन्नाथ राव : अलौह धातुओं का विकास मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिये, गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ धातु है और हमारे पास इसका अधिक भण्डार नहीं हैं । बहुत पहले गैर-सरकारी क्षेत्र को अलवाय में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी और उसे 20,000 टन की क्षमता को बढ़ा कर 40,000 टन कर देने की अनुमति दी गई है । उदयपुर स्थिति कारखाने की क्षमता 36,000 टन कर दी जायगी । मेरे विचार में चौथी योजना के अन्त तक इससे अधिक विस्तार करना सम्भव होगा । हमें आयात करना ही पड़ेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether it is a fact that non-ferrous metals are scarce in the entire world ? Will the Hon. Minister also state whether non-ferrous metals have been found on large scale as a result of operation Hard Rock ? If so, the reason for not formulating a comprehensive scheme for the development of non-ferrous metals so that our country may become self-sufficient and rather we may be in a position to export on large scale ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि 'हार्ड रॉक आपरेशन' से हमें सारे देश में भण्डारों का पता चला है । परन्तु विमान द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के बाद भूमि पर अन्य परीक्षण भी करने पड़ते हैं जैसे भूभौतिक परीक्षण आदि । इस कार्य में समय लगता है ।

श्री महाराज सिंह भारती : कितना समय लगता है ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं ठीक समय बता नहीं सकता । यह बात भूगर्भीय सर्वेक्षण और तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर करती है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्यूमीनियम के तीन बड़े निर्माता सरकारी क्षेत्र में कोयला एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना को स्थगित करने का षड़यंत्र करते रहते हैं और दो सरकारी अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं जिससे उपयुक्त कारखाने की स्थापना न हो । क्या यह साजिश समाप्त हो जायेगी और कारखाना चालू हो जायेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने बहुत पहले से चल रहे हैं जबकि सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के कारखाने कोरबा और कोयना में वर्ष 1970-71 तक लगेंगे । इनमें विदेशी सहयोग भी होगा । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यह कारखाना 1971 में लग जायेगा ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : 'आपरेशन हार्ड रॉक' आरम्भ में अमरीका तथा अन्य देशों के सहयोग से किया गया था । भारत सरकार ने कहा था कि इस कार्य को करने के लिये भारतीय तकनीशनों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और 'आपरेशन हार्ड राक' का भारतीयकरण कर दिया जायेगा । क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री जगन्नाथ राव : इस कार्य में अभी अधिक प्रगति नहीं हुई है और हम विदेशी सहयोग का पूर्णरूप से परित्याग नहीं कर सकते ।

Shri Rabi Ray : Will the Hon. Minister assure this House that in future Aluminium factory will be established in Public Sector only ? I would also like to know whether Aluminium Factory, Hirakud will be expanded or some new unit will be set-up in order to produce 30,000 tons of aluminium per annum ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता कि कारखानों के विस्तार के लिये कोई आवेदन-पत्र भेजे गये हैं या नहीं । यदि कोई ऐसा आवेदन-पत्र भेजा गया है तो उस पर विचार किया जायेगा । उड़ीसा में एक अल्यूमीनियम कारखाना लगाने के लिये जे० के० इंडस्ट्रीज को आशय-पत्र जारी किया गया है । परन्तु अब तक कुछ कार्य नहीं किया गया है । कोरबा और कोयना में सरकारी क्षेत्र में कारखाने लगाये जा रहे हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र को और कुछ देने का हमारा विचार नहीं है क्योंकि चौथी योजना के अन्त तक हम एल्यूमीनियम के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालय

\+

1206. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम चरण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिये चलाये गये आयुर्वेदिक औषधालयों से रोगियों को औषधियां प्राप्त करने में बहुत समय लगता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छुट्टी पर जाने वाले डाक्टरों/वैद्यों के स्थान पर उन औषधालयों में कोई वैद्य नियुक्त नहीं किये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). गत कुछ महीनों में कठिनाई अनुभव की गई थी क्योंकि गोल मार्कीट तथा किदवई नगर आयुर्वेदिक औषधालयों में से प्रत्येक औषधालय से एक-एक वैद्य को अन्यत्र वापिस बुलाना पड़ा था जिससे उन्हें नये खोले गये आयुर्वेदिक औषधालयों में भेजा जा सके । इसके अतिरिक्त एक महिला डाक्टर लम्बी छुट्टी पर थी और उसके स्थान पर किसी अन्य डाक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी । महिला डाक्टर अब ड्यूटी पर आ गई हैं और अतिरिक्त डाक्टरों की नियुक्ति की जा रही है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I had asked in part (a) of my question whether it is fact that patients have to spend a lot of time for taking medicines from the Ayurvedic Dispensaries run by the Central Government for their employees. The Hon. Minister has not replied to it.

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरे उत्तर से स्पष्ट है कि देर लगती है और मैंने देर लगने के कारण भी बता दिये हैं ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The fact is that neither medicines nor the doctors are available in Ayurvedic Dispensaries. The patients, who do not feel any relief by allopathic treatment, go for Ayurvedic treatment. But they find out dated medicines there. I request the Hon. Minister to encourage Ayurvedic Dispensaries and run them efficiently ?

श्री ब० सू० मूर्ति : आयुर्वेदिक औषधालयों को सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1963 में गोलमार्केट में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था और उसके तत्काल बाद किदवई नगर में एक और औषधालय खोल दिया गया था। इस वर्ष दो और औषधालय खोले गये हैं और अब एक और औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। अतः हम कोई भेदभाव-पूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम आयुर्वेदिक औषधालय में जाने के लिये कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं। सभी पुराने रोगों की चिकित्सा आयुर्वेदिक डाक्टरों द्वारा की जाती है। इसलिये जांच करने और औषधि देने में काफी समय लग जाता है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : May I know whether Vaidyas are available in the existing as well as new Ayurvedic Dispensaries in the required strength ? Will the Hon. Minister ensure that no new dispensary is opened without sufficient staff ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जनवरी 1969 में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निर्णय किया गया था। फिर तत्काल हमने नार्थ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के क्लब के लिये स्थान प्राप्त करना था और वह भी सम्पदा निदेशक से प्राप्त करना था। जब तक पूरी व्यवस्था न हो जाये तब तक हम भर्ती नहीं कर सकते थे। यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी थी। यदि हम स्वयं भी भर्ती करते तब भी रोजगार निदेशालय से उपयुक्त नाम पूछते। इन बातों में समय लगा है। इसलिये भर्ती की प्रतीक्षा करने के बजाय हमने दोनों औषधालयों से कुछ समय के लिये एक-एक वैद्य को बुलाकर नये औषधालयों में नियुक्त करने का निर्णय किया था। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब भर्ती कर ली गई है और उपयुक्त उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है ।

Shri Molahu Prasad : Will the Hon. Minister be pleased to state whether there is any scheme to popularise Ayurvedic and Homeopathic medicines in rural areas as they are more suitable for rural environment than urban environments ? May I also know whether the report of committee appointed for bringing improvement in the hospitals of New Delhi has submitted its report and if so, the main feature thereof ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा देहाती लोगों के लिये अच्छी है, नगरों में रहने वालों के लिये नहीं। यह प्रणाली नगरों तथा देहातों दोनों में रहने के लिये उपयुक्त है तथा लाभदायक है। जो समिति नियुक्त की गई थी उसने भी अस्पतालों के अच्छे कार्यसंचालन के लिये सुविधाएं देने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मंत्रालय उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है।

Shri Molahu Prasad : Whether the Committee has submitted its report and if so, the main features thereof ?

Shri Rabi Ray : What are the recommendations of the Committee ?

श्री ब० सू० मूर्ति : प्रतिवेदन की एक प्रति पुस्तकालय में रखी गई है।

Shri Ram Charan : Most of the officers believe in Allopathic treatment and no attention is paid towards Ayurvedic system. However two or three Ayurvedic dispensaries are working without medicines and doctors. In view of this may I know whether Hon. Minister would see that if no patent medicines are available in the Ayurvedic Dispensaries, the patient may be asked to purchase the medicine from local market and produce the bills in the dispensary and the doctors may reimburse the amount ?

श्री ब० सू० मूर्ति : ऐलोपेथिक डाक्टरों और औषधियों के आधार पर ही रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियां सप्लाई की जा रही हैं। जहां तक लोगों के एलोपेथिक इलाज करवाने का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि ये सभी औषधालय कर्मचारियों की मांग के कारण खोले गये हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : In 1963 a hospital was established in Gola Post Office but there is shortage of accommodation even after six years and as a result thereof the employees have to stand in the sun as well as in the rain. May I know the steps taken to meet this shortage ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैंने प्रश्न नहीं समझा।

Shri Onkar Lal Berwa : I can repeat it.

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न।

हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी

*1208. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण का कभी सामान्य मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कमियों का पता लगाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) सरकार हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण पर, अन्य सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों की तरह, नियतकालिक रिपोर्टों, निदेशकों के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों तथा इनके अतिरिक्त कम्पनी के लेखा-परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तैयार की गई रिपोर्टों द्वाराकड़ी निगरानी रखती है ।

(ख) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण में कोई गम्भीर अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Prem Chand Verma : Will the Hon. Minister be pleased to state the capacity of the Hindustan Antibiotics in respect of penicillin and streptomycin and whether they are being prepared according to that capacity and if so, whether they are sufficient to meet the requirements of the country as a whole ? In case tne requirements are not being met fully , will the Government propose to increase its capacity ?

श्री द० रा० चह्वाण : हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी की स्थापना 1954 में हुई थी । वहां पर कई संयंत्र हैं । एक संयंत्र पेंसिलिन बनाने का है । दूसरा संयंत्र स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने का है । फिर कुछ नये एन्टीबायटिक्स बनाने का एक प्रयोगात्मक संयंत्र भी है ।

पेंसिलिन बनाने की निर्धारित क्षमता लगभग 84 एम० एम० यू० है और गत तीन वर्षों में उसका उत्पादन 1966-67 में 68.33 एम० एम० यू०, 1967-68 में 53.07 एम० एम० यू० और 1968-69 में लगभग 56 एम० एम० यू० (जो एक यूनिट है) था । इसलिये हालांकि क्षमता 84 एम० एम० यू० है परन्तु यह कारखाना निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि मांग कम है ।

स्ट्रेप्टोमाइसिन की क्षमता लगभग 80 टन है और गत तीन वर्षों में उसका उत्पादन क्रमशः 60 टन, 66 टन और 67 टन था । बिजली कट जाने तथा अन्य कठिनाइयों के कारण उत्पादन कम है ।

परन्तु कुल मिलाकर हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड ने अच्छा कार्य किया है । यह बात इसके वित्तीय परिणामों से स्पष्ट हो जाती है जो सभा-पटल पर रखे गये प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं ।

Shri Prem Chand Verma : I. D. P. L., Rishikesh is running at a loss and the production is also not upto the mark. In view of this whether Government would consider to bring Hindustan Antibiotics, Pimpri and I. D. P. L., Rishikesh under one administration ? In case this matter is under cunsideration of the Government, the details thereof and if not, the reasons thereof ?

श्री द० रा० चह्वाण : आई० डी० पी० एल० का प्रश्न भिन्न है । यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता पर चूंकि प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश तथा अन्य

दो यूनिट जो हिन्दुस्तान फार्मेसियूटिकल्स एण्ड ड्रग्स लिमिटेड के अन्तर्गत है, को विलय किया जा सकता है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उनमें से एक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और दूसरे के बारे में कठिनाइयां हैं। अतः दोनों का विलय करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन दोनों के विलय करने का कोई भी प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Shri George Fernandes : I want to know whether it is not correct that though, Hindustan Antibiotics had got a licence to produce vitamin-C several years back, yet it did not start production till now. Although this plant is in public sector ?

I want to know how far it is correct that the former Minister had been hand-in-glove with Sarabhai Group in postponding the manufacturing of Vitamin-C. So that the manopoly of Sarabhai Group may be maintained.

श्री द० रा० चह्वाण : मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये इस आरोप का खंडन करता हूं कि भूतपूर्व मंत्री की सारभाई सार्थसमूह से सांठगांठ थी और इसी कारण हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स ने उसके प्रभाव में आकर विटामिन-सी का उत्पादन आरम्भ नहीं किया था। वास्तव में विटामिन-सी का उत्पादन दो-तीन वर्षों में आरम्भ किया जायेगा और इसकी क्षमता 125 टन होगी **(अन्तर्बाधायें)** प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसकी क्षमता 125 टन होगी और इस परियोजना पर 118 लाख रुपये खर्च होंगे जिसे कम्पनी द्वारा चलाये गये कोष से पूरा किया जायेगा।

Shri George Fernandes : My question has not been replied. The licence to manufacture Vitamin-C was given to the Hindustan Antibiotic, Pimpri six years ago. Now the Hon. Minister has stated that it will start its work within two to three years. The Sarabhai Group will earn crores of rupees during this period. In my view the former Minister had a hand in this matter and he submitted his resignation on some other ground.

श्री द० रा० चह्वाण : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह आरोप नहीं है यह तथ्य है **(अन्तर्बाधायें)**।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल का प्रयोग जानकारी एकत्रित करने के लिये किया जाना चाहिये।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिये। आप इस बात का निर्णय करने के लिये कि क्या आरोप सच हैं अथवा नहीं इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते। मंत्री महोदय ने इसका स्पष्ट रूप से खण्डन किया है।

Shri Rabi Ray : Why this is being delayed for the last six years ?

Shri George Fernandes : Why it has not been implemented for the last six years ?

श्री द० रा० चह्वाण : मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि यह परियोजना स्थापित की जा रही है और इसको शीघ्र स्थापित किया जायेगा और किसी को भी दबाव डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Shri George Fernandes : Why it has not been implemented for the last six years ? Why this licence had not been utilised for the last six years ? Hon. Minister has not stated anything correct. Sarabhai Group has earned crores of rupees.

I will appeal the Hon. Minister, Shri Triguna Sen to do something. Hindustan Antibiotics has got the funds. Government is doing this to save Sarabhai Group.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बारे में उत्तर दे चुके हैं ।

Shri George Fernandes : I have got the proofs. This matter should be referred to the Public undertakings Committee. I will prove it. **(interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठें । मंत्री महोदय इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खण्डन कर चुके हैं । वे कह चुके हैं कि यह सब झूठ और बेबुनियाद है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह दुःख की बात है कि सभा का बहुत-सा समय इस प्रकार नष्ट किया जाता है । मंत्री महोदय अपना बचाव करने में समर्थ हैं । उन्हें दूसरे सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है । मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीज ने एक विशेष प्रश्न पूछा था । उनका प्रश्न यह था कि क्या एक विशेष कम्पनी साराभाई के दबाव में आकर इस कार्य को छः वर्ष के लिये स्थगित किया गया है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि एक भूतपूर्व मंत्री, जिन्होंने अपने त्याग-पत्र का कोई और कारण बताया था, ने इसमें 6 वर्ष तक विलम्ब करने में सहायता की थी । माननीय मंत्री के विरुद्ध यह गम्भीर आरोप है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री स० मो० बनर्जी : वह भूतपूर्व मंत्री की ओर से कैसे उत्तर दे सकते हैं । श्री अशोक मेहता को उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर सरकार की ओर से है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इस मामले को लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति को सौंप दें । माननीय सदस्य या जनता के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि इस मामले में माननीय मंत्री या साराभाई सार्थसमूह का हाथ है । **(अन्तर्बाधायें)**

Shri S. M. Banerji : I want to know whether any enquiry Commission will be appointed in this regard ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि भूतपूर्व मंत्री ने इस मामले में छः वर्ष की देरी की है । भूतपूर्व मंत्री केवल 1 वर्ष और कुछ महीने के लिये इसके प्रभारी थे । उन्होंने इसमें 6 वर्ष का विलम्ब कैसे किया यह बात समझ में नहीं आती ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे किसी समिति को सौंप रही है ?

अध्यक्ष महोदय : तथ्य के बारे में ही प्रश्न बना हुआ है । समिति कैसे नियुक्त की जा सकती है ?

श्री रा० ढो० भण्डारे : प्रश्न जानकारी के लिये पूछे जाते हैं आरोप लगाने के लिये नहीं। सदस्य सब प्रकार के आरोप लगाकर प्रश्नकाल में शोर का वातावरण पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। ये सदस्य विरोधी पक्ष के हैं। यदि वे नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें और अधिक मान प्राप्त होगा और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा की जा सकेगी।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं था कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पूना ने जिसे इस विशेष विटामिन का उत्पादन करने का कार्य सौंपा गया था, इसका उत्पादन वर्ष 1966 तक नहीं किया था और इससे विटामिन-सी के उत्पादन में विलम्ब होने का पता लगता है।

श्री द० रा० चह्वाण : यदि इस मामले में कोई विलम्ब हुआ है, तो हम इस मामले की जांच करेंगे।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि विटामिन-सी के उत्पादन का लाइसेंस प्रोफेसर हुमायूं कबिर को जब दिया गया था जब वह मंत्री थे और क्या यह भी सच है कि इसमें विलम्ब पूना की प्रयोगशाला में प्रक्रम की असफलता के कारण हुआ ? क्या माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है ?

श्री द० रा० चह्वाण : मैं विलम्ब के कारणों की जांच करूंगा कि यदि कुछ विलम्ब हुई थी, तो वह कब हुई और कम्पनी को कब लाइसेंस आदि दिये गये ;

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री को जानकारी न होने के कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है।

"अल्कोहल" का उत्पादन, निर्यात तथा आयात

*1209. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में देश में "अल्कोहल" का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि "अल्कोहल" की मांग तेजी से बढ़ रही है जब कि उसका उत्पादन घट रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

(क) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात
		(दस लाख गैलनों में)	
1966	43	2.795	शून्य
1967	30	4.115	11.3
1968	30	शून्य	10.0

(ख) जी, हां । वर्ष 1967 और 1968 में चीनी के उत्पादन में कमी हुई और इसके परिणामस्वरूप सीरे और 'अल्कोहल' के उत्पादन में कमी हुई है । दूसरी ओर 'अल्कोहल' पर आधारित नये उद्योगों के चालू होने और वर्तमान एककों के विस्तार किये जाने और पेय प्रयोजन के लिये मांग होने के कारण गत कुछ वर्षों में "अल्कोहल" की मांग धीमी गति से वृद्धि हुई है ।

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) अल्कोहल और सीरे के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(2) राज्य सरकारों को उपभोक्ताओं को अल्कोहल वितरित करने में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है ।

(3) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि आवश्यकता से अधिक अल्कोहल और सीरे वाले राज्य कमी वाले राज्यों को अन्तर्राज्यों में अल्कोहल और सीरे का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ।

(4) राज्य सरकारों के अनुरोध पर कुछ राज्यों में केन्द्रीय सीरा नियंत्रण आदेश को खांडसारी सीरे पर लागू कर दिया गया है ।

(5) "अल्कोहल" की खपत करने वाले कुछ उद्योगों को कुछ मात्रा में आयात की अनुमति दी गई है ।

स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने के लिये सरकार ने "अल्कोहल" का अध्ययन करने के बारे में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है । इसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharti : The production of alcohol is also increasing with industrialisation and it will increase in future also. In the above statement it is stated that in the year 1966, 43 million gallon of alcohol was produced whereas 23 million gallons of alcohol was exported. In the year 1967 when the Government was aware that the production of Sugar molasses was less, the reasons for exporting 4 million gallons, even when the Government could estimate in advance about its production? I want to know why an estimate is not made in this regard before hand so that there may not be any difficulties to the industries.

श्री द० रा० चह्वाण : अनुमान हमेशा लगाया जाता है। इस वर्ष भी यह अनुमान लगाया गया था कि चीनी का उत्पादन 29 लाख टन होगा। चीनी का 35 प्रतिशत भाग सीरा का होगा। सीरे से औद्योगिक "एल्कोहल" था निर्माण होगा (**अन्तर्बाधाएं**) वर्ष 1966 में एल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 300 लाख गैलन था और 40.1115 लाख गैलन का निर्यात किया गया। आयात इस लिए किया गया था कि यह अनुमान था कि चीनी का उत्पादन अधिक होगा यदि चीनी का उत्पादन अधिक होगा तो सीरे का भी उत्पादन अधिक होगा और औद्योगिक "एल्कोहल" के लिये सीरा कच्चे माल का काम करता है। यह अनुमान लगाया गया था कि चीनी का उत्पादन अधिक होगा उसका अधिक निर्यात किया गया और जब चीनी का उत्पादन कम हुआ तो उसका आयात निर्यात देश की आवश्यकता के लिये किया गया।

Shri Maharaj Singh Bharati: The estimate of the Sugar production is made in the month of March and molasses is produced after that. From your reply it appears that the production of sugar and molasses goes on side by side throughout the year and there is not difficulty in it.

I want to know the reasons for not increasing the prices of molasses whereas the prices of Sugar have increased several times? Its prices have not increased because the Sugar Mills constructed it in raw form. Good quality of molasses is being sold at the rate of 66 paise per quintal whereas bad quality of molasses is being sold at the rate of 1.00 rupee per quintal. Thus there is a lot of difference. The steps Government propose to take to improve the quality of the molasses and to fulfil the increasing the demand of the sugar industry?

श्री द० रा० चह्वाण : सरकार ने सीरा और एल्कोहल आदि बनाने से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है।

Shri Maharaj Singh Bharati: When will it submit its report?

श्री द० रा० चह्वाण : तीन महीनों के भीतर।

Shri A. S. Saigal: Can you give an estimate of the production of molasses for the last three years?.

श्री द० रा० चह्वाण : गत तीन वर्षों में सीरे का उत्पादन इस प्रकार हुआ — 1965-66 में लगभग 15.30 लाख, टन, 1966-67 में 8.38 लाख टन, 1967-68 में 9.20 लाख टन और 1968-69 में 12.02 लाख टन उत्पादन होने की सम्भावना है।

चीनी वर्ष के बारे में भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। चीनी वर्ष वास्तव में 1 नवम्बर से आरम्भ होता है और अक्तूबर के अन्त में समाप्त होता है। यह मार्च में अन्त में समाप्त नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सम्बन्धी जांच डिवीजन का प्रतिवेदन

*1211. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आवश्यकता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किये गये विशेष जांच डिवीजन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये हैं । इस प्रतिवेदन में जलाभाव से पीड़ित आबादी का उन ग्रामों की संख्या जहां सुरक्षित पीने के पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है अथवा यदि है तो वह पानी खराब और असुरक्षित है या नहीं और ग्राम क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करने में क्या खर्च आयेगा आदि बातों का मूल्यांकन किया गया है । विशेष जांच डिवीजन द्वारा अलग-अलग ग्रामों के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, योजनायें और प्राक्कलन अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

Shrimati Savitri Shyam : There are 248 cities and 1 lakh and some thousands villages in Uttar Pradesh. During the Third Five Year Plan a target of supplying drinking water to all the people in the State was fixed. But the Central assistance was not received accordingly and therefore, this target has not been fulfilled even two years after the Third Five Year Plan. The target of Rupees 310 crores of Central assistance for the Fourth Plan has been fixed. Out of this 50 crores of rupees should be spent for providing drinking water to the people of the State through water works, well etc.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि इस बारे में पिछले कुछ वर्षों से जांच की जा रही है । ग्राम परियोजना उपलब्ध नहीं हैं अतः यह कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है कि इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी जा सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ।

Srimati Savitri Shyam : I want to know the time when it will be possible ro find out the money that will be required for the construction of water works and wells etc. and the time during which these will be constructed ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, शत प्रतिशत जांच के लिए केन्द्रीय सरकार ने 6.11 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस समय जांच हो रही है। मैं जांच पूरी होने की तिथि नहीं बता सकता।

Shri K. N. Tiwari : I want to know the amount sanctioned to different States for drinking water and what percentage the State Governments have to spend in this matter. I also want to know the amount spent by the State Government out of the sanctioned amount ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस समय मेरे पास पूरा विवरण नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

* 1201. **श्री द० रा० परमार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के विकास में सहायता देने हेतु जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में गुजरात आया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना

* 1204. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ जिलों को, जिनको वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार ऊंचे दरजे में रखे जाने के उपयुक्त नहीं पाया गया था, अब सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उनमें नगरपालिका के कुछ ऐसे क्षेत्रों को जो इसमें शामिल नहीं थे, शामिल करके ऊंचा दरजा दे दिया गया है जिससे वहां पर सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्ता मिल सकें ;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के क्या नाम हैं और उनको ऊंचा दरजा देने के क्या कारण हैं ?

(ग) वर्ष 1961 में छेहरटा नगरपालिका तथा अमृतसर छावनी को मिलाकर अमृतसर की जनसंख्या कितनी थी और उन क्षेत्रों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ; और

(घ) यदि वे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या सरकार अमृतसर की वर्तमान जनसंख्या का पता लगाने का प्रयास करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पिछली दसवर्षीय जनगणना से प्रकट जनसंख्या के आधार पर नगरों एवं कस्बों के मकान किराया और नगर-निवास प्रतिपूर्ति भत्ता देने के प्रयोजन के लिये ए, बी-1, बी-2 और सी श्रेणी में वर्गीकरण के लिये वर्तमान नीति के अनुसार, मुख्य नगरपालिका/नगर-निगम और ऐसी अन्य नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों एवं छावनियों की जनसंख्या को भी जो मुख्य नगरपालिका/नगर-निगम के साथ लगी हों, शामिल कर लिया जाता है। उपर्युक्त श्रेणियों के लिए जनसंख्या की निर्धारित सीमा क्रमशः 16 लाख, 8 लाख, 4 लाख और 50 हजार है। ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें ऐसी सूचना उपलब्ध न होने के कारण ऐसे कुछ नगरों और कस्बों का भी वर्गीकरण नहीं किया जा सका था जो वर्गीकरण की उक्त शर्तों को पूरा करते थे। कुछ नगरपालिकाएं/नगर-निगम 1961 की जनगणना के बाद बनाए गये थे। ऐसे सभी मामलों में जब भी सरकार के नोटिस में यह लाया गया कि अमुक नगर और कस्बा स्वीकृत फार्मूला के अनुसार वर्गीकरण की शर्तों को पूरा करता है तो उसका वर्गीकरण किया गया। उन नगरों/कस्बों के उदाहरण नीचे दिये अनुसार हैं जिनका वर्गीकरण मुख्य नगरपालिका में साथ लगे नगर-क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों और छावनी-क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है अथवा जिनका वर्गीकरण 1961 की जनगणना के पश्चात् नई नगर-पालिकाएं बनाकर किया गया है ;

सांगली मिरज	फरीदाबाद
धनवाद	पठानकोट
पाण्डिचेरी	उत्तरपाड़ा-कोटरंग
वेरावल	अचलपुर
फिरोजपुर	दोनापुर
तेल्लीचेरी	सिंगनाल्लुर सुरिन्दर नगर

(ग) और (घ). 1961 की जनगणना के अनुसार छेहरटा नगरपालिका और अमृतसर छावनी को मिलाकर अमृतसर की जनसंख्या निम्नानुसार थी :

अमृतसर नगरपालिका	3,76,295
छेहरटा नगरपालिका	13,760
अमृतसर छावनी	7,992
	3,98,047

चूंकि, जनगणना प्रति दस वर्ष बाद की जाती है इसलिये जनसंख्या के अद्यतन आंकड़े 1971 की जनगणना के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

गुजरात में 'श्वेत-पत्र' जारी किए जाने की आवश्यकता

* 1205. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के उद्योगपति केन्द्रीय सरकार द्वारा एक श्वेत-पत्र जारी किये जाने की व्यापक आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं जिसमें विशिष्ट विवरण, स्थान, टेक्नालाजी आदि सहित 'फीड स्टाक', कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार के पास कहीं से भी कोई विशेष प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि प्रश्न में कही गई बातों पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाये । तथापि, सरकार को पता है कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन तथा गुजरात उद्योग विभाग ने गुजरात समूह के एक भाग के रूप में स्थापित किये जाने वाले पेट्रो-रसायनों में रुचि रखने वाले उद्यमकर्ताओं की बैठकें बुलाई हैं और मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐसी बैठकों में भाग लिया तथा कच्चे माल, संभरण स्टाक आदि के बारे में विशेष सूचना दी ।

Effects of Smoking on Human Health

*1207. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the studies conducted in certain foreign countries which reveal that smoking of cigarettes causes dangerous diseases like cancer ;

(b) the steps taken by Government to stop the habit of smoking cigarettes which has been increasing and to make the people aware of the ill-effects of smoking on human health ; and

(c) whether Government propose to make it obligatory to write on the cigarette packets that smoking is injurious to health, as has been done in U. S. A. ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes. Sir.

(b) The Government publicises the harmful effects of cigarette smoking as a part of its health education activities. Most State Governments have imposed a ban on smoking in cinema houses, theatre halls and auditoria. Legal provisions have also been made against juvenile smoking in some of the States

(c) There is no such proposal under consideration at present.

Agencies of Petrol Pumps and Service Stations of Indian Oil in Delhi

*1210. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of certain irregularities being committed in regard to giving of agencies of petrol pumps and service stations of Indian Oil in Delhi ;

(b) if so, the nature of these irregularitees ; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

लद्दाख में सिंचाई की सुविधाएं

* 1212. **श्री प० मु० सईद :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचारार्थ लद्दाख सम्बन्धी जांच डिवीजन ने सर्वेक्षण किया है तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इस योजना के सम्बन्ध में कितना व्यय होने का अनुमान है और उससे कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो वह प्रतिवेदन कब तक तैयार होगा और स्वीकृत होगा ; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	जिस क्षेत्र की हर साल सिंचाई की जानी है
1.	स्तक्ना सिंचाई परियोजना, लेह	36·14 लाख रुपये	3566 एकड़
2.	ससोभा सिंचाई स्कीम (बायीं ओर की नहर)	20·64 लाख रुपये	750 एकड़
3.	मालालियंग सिंचाई परियोजना, नोबरा	28·81 लाख रुपये	2400 एकड़
4.	खरवशंग सिंचाई परियोजना, कार्गिल	35·13 लाख रुपये	2850 एकड़

निश्चेतकों (अनेस्थैटिक्स) की कमी

* 1213. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निश्चेतकों (अनेस्थैटिक्स) की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कमी को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

Malnutrition and Undernutrition among Children in Rural and Urban Areas

*1214. **Shri Ranjit Singh : Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the percentage of children in urban and rural areas who suffer from malnutrition and undernutrition, separately ; and

(b) the steps taken so far in this regard and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Data regarding incidence of malnutrition among children in the urban and rural areas separately are not available. However, on the basis of surveys carried out in different parts of the country, it is estimated that about 50% of the children in the country suffer from some form of malnutrition or undernutrition.

(b) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

A co-ordinated approach towards the problem of mal-nutrition is being undertaken by the various Departments of the Government. This comprises supplementary feeding programmes amongst the vulnerable sections of the population, production of nutritions processed food and its distribution, increased production of food in every possible manner, nutrition education and extension, applied nurition programmes, and treatment and screening of early cases. The following measures are adopted to improve the level of nutrition among children :—

1. Supplementary feeding is provided through the following programmes which are run with the aid of various agencies :

(a) Feeding under the Applied Nutrition Programme ;

(b) Feeding through Balwadis ;

(c) School feeding programme ; and

(d) M.C.H. milk feeding programme.

2. Imparting nurition education to the mothers to enable them to utilise commonly available cheap foods for providing nutritious diet to their children.

3. Treatment of early cases of mal-nutrition through M.G.H. Centres.

4. The Department of Food have taken steps to combat protein mal-nutrition among children and other vulnerable groups by starting projccts for the manufacture of high-protein foods such as 'BALAHAR', MULTIPURPOSE FOOD AND WEANING FOOD.

5. Production of adequate quantity of food of right quality to the extent possible.

6. Provision of adequate distribution machinery to ensure adequate amount of food to all segments of population.

7. Control of environmental sanitation in order to reduce infection which precipitates mal-nutrition ; and

8. Specific ameliorative measures against certain mal-nutrition conditions like anaemia, goetre, keratomalacia etc.

Since nutrition programmes take considerable time to yield measurable effects, it is too early to indicate the outcome of the above steps.

Complaints Against Managing Directors and Directors of Banks

*1215. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the banks as also their Managing Directors and Directors against whom complaints have been received by the Reserve Bank of India during the last two years ;

(b) the details of such complaints ;

(c) the action taken by the Reserve Bank of India thereon ; and

(d) the names of the Managing Directors and Directors dismissed or asked to resign during the same pcriod ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). It is understood from the Reserve Bank that since 1st January, 1967 it received 42 complaint against Managing Directors or Directors of 22 banks. It will not be in public interest to disclose the details of the complaints and the specific findings of the Reserve Bank as this would involve giving the names of the banks and their transactions with individual constituents. A note giving the nature of allegations and action taken by the Reserve Bank is laid on the table of the House.

(d) No Managing Director or Director has been dismissed by the Reserve Bank or asked to resign on the basis of complaints received.

Statement

The complaints received by the Reserve Bank were of varying nature such as allegations of undue facilities to certain parties in which the Managing Director/Director is interested, not taking adequate steps in the recovery of advances, not observing the usual safeguards in the

grant of certain advances, undue interference in the bank's affairs by them, acceptance of illegal gratification from constituents, favouritism in employment/promotion of staff, ill-treating of staff and constituents, etc. Where prima facie grounds for investigation existed, the allegations were looked into. The investigations revealed that several of the allegations, particularly those relating to acceptance of illegal gratification/favouritism in employment/promotion of staff and ill-treatment of staff, could not be substantiated from the records of the bank. Regarding the allegations relating to advances to certain parties, the facts disclosed in a number of cases did not indicate that any action on the Reserve Bank's part was warranted ; where such investigation showed the existence of any irregularity calling for action, the Reserve Bank has advised the bank concerned to rectify the irregularities. However, such cases have not been many. There has been no instance evidencing personal considerations or extraneous factors reflecting on the conduct of any director or managing director in regard to the grant of advances.

यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय द्वारा वातानुकूलकों का आयात

* 1216. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अमरीका से ऐसे दो वातानुकूलक आयात करने में, जिनके लिये प्रमाण-पत्र तो यह दिया गया था कि वे सरकारी प्रयोग के लिये हैं परन्तु वास्तव में वे यूनेस्को के भूतपूर्व डिप्टी चीफ के निजी प्रयोग के लिये थे, यूनेस्को के प्रशासनिक अधिकारी श्री एस० पी० दीवान का हाथ था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों वातानुकूलकों के सम्बन्ध में मेसर्स जी० ई० न्यूयार्क तथा मेसर्स जीना एण्ड कम्पनी बम्बई को भुगतान श्री दीवान द्वारा किया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्री दीवान ने उस धन राशि के कुछ हिस्से को श्री डनिंघम के खाते में जमा करा दिया था और यह प्रमाणित किया था कि उनकी बचत की राशि को विदेशी मुद्रा में बदल लिया गया है और वर्ष 1967 के आरम्भ में उन्होंने इस राशि को न्यूजीलैण्ड में श्री डनिंघम के पास भेजने की व्यवस्था की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो श्री दीवान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि 1966 में आयात किये गये दो वातानुकूलकों को शुल्क-छूट प्रमाण-पत्र के अधीन शुल्क अदा किये बिना ही छोड़ दिया गया था । यह शुल्क-छूट प्रमाण-पत्र इस आधार पर जारी किया गया था कि उक्त माल दिल्ली स्थित यूनेस्को मिशन में सरकारी उपयोग के लिए है । इन दोनों वातानुकूलकों के लिए रकम की अदायगी दिल्ली स्थित यूनेस्को मिशन के तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख श्री डनिंघम के निजी खाते से की गई थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दोनों वातानुकूलक श्री डनिंघम के निजी उपयोग के

लिए मंगाए गए थे। समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली ने श्री दीवान से एक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि इस माल के आयात में उनके द्वारा अदा पार्ट के लिए क्यों न उन पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अन्तर्गत दण्ड लगाया जाय ? इस नोटिस का उत्तर प्राप्त हो चुका है और श्री दीवान की प्रार्थना के अनुसार समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली द्वारा रुबरू सुनवाई की तारीख भी नियत की जा चुकी है। 21 अप्रैल, 1969 को सुनवाई हो जाने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

(ग) उक्त वातानुकूलकों की जो अदायगी मेसर्स जीना एण्ड कम्पनी को की गई थी, वह श्री डनिंघम के एक चेक के जरिये की गई थी। इस चेक को श्री दीवान ने अपने एक उपरिपत्र के साथ भेजा था। तथापि इन दो वातानुकूलकों की सप्लाई करने वाली कम्पनी को जो अदायगी की गई थी वह श्री डनिंघम के निजी खाते से ही की गई थी। अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि उक्त दो वातानुकूलकों की अदायगी विषयक चेक भी श्री दीवान द्वारा भेजा गया था।

(घ) अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिलता हो कि श्री डनिंघम के बचत खाते में श्री दीवान द्वारा जमा कराई गई और विदेश को भेजी गई रकम में इन दो वातानुकूलकों की बिक्री से प्राप्त हुई रकम भी शामिल थी।

(ङ) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत श्री दीवान के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

नई दिल्ली तथा दिल्ली कामार्डलिंग

*1217. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली जैसे नगरों में एक महीने अथवा लगभग इतनी अवधि में किसी स्थान का नक्शा (माडल) बनाने, पुनः नक्शा बनाने (रीमार्डलिंग) और पुनः बनाये गये नक्शे को फिर से बनाने पर होने वाला व्यय नगरीय विकास में शामिल किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उल्लिखित किस्म के अथवा इस प्रकार के अनेक अन्य कार्यों पर धन के अपव्यय के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया जाता है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं के लिये विकास हेतु धन दिया जाता है अथवा क्या केवल राशि मंजूर की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) जब मामले में समुचित कार्यवाई आरम्भ की जाती है तो खर्च के लिए उत्तरदायी निकाय की लेखा परीक्षा के दौरान प्रायः फिजूल खर्ची का पता चलता है।

(ग) विशिष्ट योजना तथा विकास-शीर्ष के अनुसार राज्यों को पहिले केन्द्रीय सहायता दी गयी है। 1969-70 से यह 'खंड ऋण' (ब्लाक लोन) तथा 'खण्ड अनुदान' (ब्लाक ग्रान्ट) के रूप में दी जायेगी।

Harassment of Bulb Factories Owners in Kanpur by Officers of Central Excise Department

*1218. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in **Vir Arjun** of the 8th January, 1969 to the effect that the owners of one dozen bulb factories in Kanpur have closed down their factories on being harassed by the officers of the Central Excise Department ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been ascertained that no harassment was caused to any manufacturer of electric bulbs. As a result of a seizure of tungsten and dumet wire fitted filaments some mis-apprehension did arise and the bulb manufacturers went on a day's strike on the 3rd January, 1969. They subsequently met the Assistant Collector who explained the position to them and the manufactures have thereafter resumed normal work.

आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कर की कटौती

* 1219. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वित्त-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1968 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के अन्तर्गत ब्याजों पर से स्रोत पर कर के रूप में कितनी राशि काट ली गयी और खजाने में जमा करायी गई ;

(ख) क्या ब्याजों पर इस प्रकार करों के लिये जाने पर व्यापारियों ने कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) इस संबंध में जो कठिनाइयां अनुभव में आई हैं, उन्हें समाप्त करने अथवा उनसे राहत दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जहां तक मेरा अनुमान है, इस प्रश्न का संकेत आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के उपबन्धों की ओर है, जो वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 द्वारा लागू की गयी थी।

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अधीन 1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक स्रोत पर काटी गयी और राज-कोष में जमा की गयी ब्याज पर कर की रकम 4.88 करोड़ रुपये है (ये आंकड़े अनन्तिम हैं)।

(ख) जी, हां । व्याज पर कर की कटौती से सम्बन्धित धारा 194-ए के उपबन्धों के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) (1) कठिनाइयां कम करने के लिए धारा 194-ए में निम्न प्रकार की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है :

(i) धारा 194-ए (3) (iii) में, व्याज की कतिपय विशिष्ट श्रेणियों के सम्बन्ध में कर की कटौती से छूट की व्यवस्था है और सामान्य खण्ड (एफ) के अधीन सरकार, उपयुक्त मामलों में अथवा संस्थाओं, संघों अथवा निकायों के मामलों की श्रेणी में छूट मंजूर कर सकती है ।

(ii) धारा 194-ए के अधीन कर-निर्धारिती अपने हलफनामों अथवा लिखित बयानों के आधार पर कर की कटौती से छूट की मांग भी कर सकते हैं । इन हलफनामों या लिखित बयानों की तसदीक अधिनियम में निर्दिष्ट कतिपय श्रेणियों के उत्तरदायी व्यक्तियों, जैसे-संसद् सदस्यों, राजपत्रित अधिकारियों आदि द्वारा आवश्यक होती है ।

(2) जब कभी भी कठिनाइयां सरकार के नोटिस में लायी जाती हैं, सरकार भी उन्हें दूर करने के लिए विधि-सम्मत उपाय करती है ।

बम्बई में रॉली पहाड़ी की खुदाई

*1220. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगर में रॉली पहाड़ी की खुदाई करते समय ज्वालामुखी राख और गहरे तथा खुरदुरे दरार पाये गये हैं, जिनसे नगर के नीचे ज्वालामुखी की परत होने का आभास मिलता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन भू-वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया था ; और

(ग) उनके प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने के महाप्रबन्धक का निवास स्थान

*1221. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने के महाप्रबन्धक को बम्बई में निवास-स्थान मिला हुआ है ;

(ख) क्या उन्हें कोई मकान किराया भत्ता दिया जाता है ?

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान महाप्रबन्धक इस निगम के अतिथि गृह को $2\frac{1}{2}$ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देकर अपने निवास स्थान के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार महाप्रबन्धक के इस आचरण को ठीक समझती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) ट्राम्बे कारखाने के महाप्रबन्धक के लिये एक निवास स्थान की व्यवस्था है। किन्तु निगम के प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से इसे अतिथि गृह में बदल दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से, एफ० आर० 45 (ए) के अन्तर्गत सामान्य प्रभार की अदायगी पर ना कि 2.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोजन

*1222. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा निगम के कुल 150 करोड़ रुपये के पूंजी विनियोजन में से लगभग 45 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में विनियोजित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1968 को इसके कुल पूंजी विनियोजन के आंकड़े क्या थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). ग्राम-क्षेत्रों के निमित्त जीवन बीमा निगम निवेशों के ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

	1968-69	1-4-68 से 31-12-68 तक
	(करोड़ रुपयों में)	
1. सहकारी भू-बन्धक डिबेंचर	7.99	3.41
2. सहकारी चीनी कारखानों को ऋण	0.20	—
3. औद्योगिक सम्पदाओं को ऋण	0.34	0.34
4. जलपूर्ति और जल-निकास योजनाओं के लिए छोटे कस्बों की नगरपालिका समितियों को ऋण	4.17	1.68
जोड़	12.70	5.43

टिप्पणी : उपयुक्त सारणी में राज्य विद्युत बोर्डों को उनकी योजनाओं के लिए जिनमें ग्राम-विद्युतीकरण भी शामिल है, दिये गये ऋणों की रकम शामिल नहीं है। 1968-69 के पूरे वर्ष के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को दिये गये ऋणों की रकम 35 करोड़ रुपये है और 1-4-1968 से 31-12-1968 तक की अवधि के लिए दिये गये ऋणों की रकम 7 करोड़ रुपये है। ग्राम आवास योजना और बागान, श्रम आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दिए गये ऋणों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिए उन्हें इस सारणी में शामिल नहीं किया गया है, तथापि ऐसे ऋण थोड़े ही हैं।

शिशुओं के भार तथा जीवन काल के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए सफदरजंग हस्पताल में अनुसंधान परियोजना

*1223. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिशुओं के भार तथा उनके जीवनकाल के आपसी सम्बन्ध की जांच करने के लिए सफदरजंग हस्पताल में एक अनुसंधान परियोजना आरम्भ करने के लिए अमरीका वित्त देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सरकार द्वारा कुल कितना धन मंजूर किया गया है ; और

(ग) शिशुओं की समयपूर्व मृत्यु को रोकने में यह परियोजना किस हद तक सहायक होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) 6,84,200 रुपये।

(ग) इस अध्ययन से जन्म के समय शिशुओं के कम भार और अपूर्ण गर्भावधि के कारण जाने जा सकेंगे। इससे विशेष जन्म भार वर्ग के ऐसे शिशुओं और ऐसी गर्भावधि को पहचानने में भी सहायता मिलेगी जिन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हो।

चावल मिलों को ऋण दिये जाने पर लगे प्रतिबन्धों का हटाया जाना

*1224. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खुले बाजार से धान खरीदने के लिये चावल की मिलों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों पर लगे सभी प्रतिबन्धों को रिजर्व बैंक ने हाल ही में समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में धान की फसल अच्छी होने और चावल की कीमतें बहुत गिर जाने के कारण रिजर्व बैंक ने, पश्चिम बंगाल की चावल मिलों को धान और चावल की जमानत पर दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर से मार्जिन और अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिए हैं।

1969-70 के लिये पावर सेक्टर के लिये धन का नियतन

*1225. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 दिसम्बर, 1968 को मध्य प्रदेश सरकार तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में हुई बैठक में 1969-70 में पावर सेक्टर के लिये प्रस्तावित धन नियतन घटाकर 10.95 करोड़ रुपये कर दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस कटौती के कारण मध्य प्रदेश के ग्रामों में विद्युतीकरण तथा उठाऊ सिंचाई कार्यों के लिए नियतन चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम विद्युतीकरण योजना तथा उठाऊ सिंचाई योजना के लिये 5.34 करोड़ रुपये के नियतन की तुलना में घटाकर 4.50 करोड़ रुपये किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). योजना आयोग में 24 दिसम्बर, 1968 को हुई बैठक में, बिजली सेक्टर से सम्बन्धित 1969-70 की वार्षिक योजना पर भी विचार किया गया था। बिजली सेक्टर समेत राज्य की 1969-70 के वर्ष के लिए, वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक धन देने संबंधी नीति

*1226. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में रुपया तथा विदेशी मुद्रा में वित्त का लेन-देन करने हेतु समन्वय करने के लिए कोई प्रबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक बैंकों और इन संस्थाओं के ऋण देने की प्रक्रिया में समन्वय करने के बारे में कोई उपाय करने का है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लम्बी अवधि तथा मध्यम अवधि के लिए वित्त दिये जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जहां तक विदेशी मुद्रा में वित्त-व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, लम्बी अवधि के लिये ऋण देने वाली केवल दो संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, के पास विदेशी मुद्रा में ऋण देने की व्यवस्था है। इन संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले उप-ऋणों का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के आयात की वित्त-व्यवस्था करना है। इन वस्तुओं के आयात के लिये सम्बद्ध फर्मों को पूंजीगत माल सम्बन्धी समिति से आवश्यक स्वीकृति और इसके लिये आयात लाइसेंस लेना पड़ता है। सामान्यतः, स्वीकृति/आयात लाइसेंस में ही इस बात का उल्लेख होता है कि सरकार ने जितनी विदेशी मुद्रा दिये जाने की सहमति दी है क्या वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और/या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के पास उपलब्ध ऋणों में से मंजूर की गयी है। यदि किसी एक विशेष संस्था के नाम का उल्लेख होता है तो वह फर्म सहायता के लिये उस विशेष संस्था से सम्पर्क स्थापित करती है, यदि दोनों संस्थाओं के नाम का उल्लेख होता है तो फर्म को इस बात की छूट होती है कि इन दोनों में चाहे किसी एक के साथ सम्पर्क स्थापित करे या दोनों ही संस्थाओं के साथ। ऐसे मामले मिलना कोई असामान्य बात नहीं है जिनमें किसी फर्म की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम दोनों ने मिलकर पूरी की हों। ऐसे मामलों में दोनों संस्थाओं की मिली जुली बैठकों में बातचीत के द्वारा, पत्र-व्यवहार द्वारा, और मूल्यांकन और निरीक्षण रिपोर्टों के आदान-प्रदान द्वारा ताल-मेल आदि रखा जाता है।

जहां तक रुपयों में वित्त-व्यवस्था करने का सम्बन्ध है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लम्बी अवधि के ऋण देने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं के काम का समन्वय करता है। यह समन्वय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की मासिक संयुक्त बैठकों के जरिये रखा जाता है। इन बैठकों में, जो अनौपचारिक होती हैं, बहुत सी विशेष प्रायोजनाओं पर विचार किये जाने के अलावा समान हित की कई आम समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। यद्यपि इन बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त सहायता के लिये आये आवेदनों पर तेजी से विचार करना है परन्तु इन बैठकों से, स्वीकृत सहायता के शीघ्र वितरण के लिये कार्य प्रणाली निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। जहां तक शेयरों की खरीद

का बड़े पैमाने पर जिम्मा लेने का सम्बन्ध है, यद्यपि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया उस परामर्श तन्त्र का अंग नहीं है जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम नियमित रूप से भाग लेते हैं, फिर भी यह अन्य वित्तीय संस्थाओं से अनौपचारिक संपर्क बनाये रखता है और उनसे मिलकर काम करता है।

(ग) और (घ). छोटे और मध्यम दर्जे की अधिकतर प्रायोजनाओं की लम्बी अवधि की आवश्यकताएं, राज्यों के वित्त निगमों, राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों जैसी प्रादेशिक संस्थाएं और वाणिज्यिक बैंक पूरी करते हैं। एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उन वाणिज्यिक बैंकों और राज्यों के वित्तीय निगमों से सक्रिय सम्पर्क बनाये रखता है जो उन प्रायोजनाओं में रुचि रखते हैं जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता की जरूरत होती है। यह बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगमों को, इसके सामने ऐसी प्रायोजनाएं लाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है, जिन्हें वे सहायता देना चाहते हों और जिनके लिये आंशिक रूप से वित्त-व्यवस्था करना चाहते हों। भारी खर्च वाली महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं के लिये ऋण की व्यवस्था करने, गारण्टियां देने और शेयरों की खरीद का जिम्मा लेने के मामलों में बैंकों का सहयोग भी लिया जाता है। ऐसी प्रायोजनाओं के वित्त-प्रबन्ध में भाग लेने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में बहुत से वाणिज्यिक बैंकों का संघ बनाया गया है। वाणिज्यिक बैंकों और राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा मध्यम अवधि के लिये दिये गये बहुत से औद्योगिक ऋणों के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त देता है और इससे इस बैंक का इन संस्थाओं के लम्बी अवधि के ऋण देने के कार्यों से सम्पर्क बना रहता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्यातकों और बैंकरों को मध्यम अवधि के लिये दिये जाने वाले ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था करने की एक योजना भी चला रहा है और विलम्बित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों की बिक्री संबंधी हुण्डियों को फिर से भुनाता है। चूंकि वाणिज्यिक बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त दिये जाने पर भी, हमेशा सारा जोखिम उठाने, और निर्यातकों की लम्बी अवधि के ऋणों की कुल आवश्यकताएं पूरी करने और उनके लिये आवश्यक गारण्टियों की सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर, पूंजीगत और इंजीनियरी संबंधी माल और सेवाओं का निर्यात करने वालों को लम्बी अवधि के लिये सहायता और गारण्टी की सुविधाएं देने के लिये, हाल ही में एक नयी योजना शुरू की है। राज्यों के वित्तीय निगमों के मामले में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक ऋणों के लिये पुनर्वित्त देने के अलावा, इन निगमों द्वारा जारी किये गये शेयरों और बाण्डों को खरीदकर इन संस्थाओं के साधनों की अनुपूर्ति भी करता है।

(ङ) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मध्यम और लम्बी अवधि के ऋण दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते कि ऋणों के लिये मिले आवेदनों की पात्रता के बारे में उन्हें संतोष हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को फरवरी, 1969 में पहले ही सूचित

कर दिया है कि वह विभिन्न बैंकों द्वारा दिये जाने वाले मध्यम और लम्बी अवधि के ऋणों को उनके पास जमा रकमों के किसी विशेष प्रतिशत तक सीमित नहीं करना चाहता और इस मामले में बैंकों को अपनी कुल स्थिति का स्वयं ध्यान रखना चाहिए।

कमला नदी के तट-बन्धों का विस्तार

*1227. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नदी के दोनों किनारों पर जयनगर से नेपाली राज्य क्षेत्र में हिमालय की तलहटी तक तट-बांधों के विस्तार के सम्बन्ध में प्रतिवेदन और प्राक्कलन इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) क्या उन पर नेपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने और उसको क्रियान्वित करने के लिये नेपाल सरकार से सम्पर्क किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत में तांबे के निक्षेप

*1228. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि देश के कई भागों में तांबे के बड़े निक्षेप विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर तांबा उपलब्ध होने के संकेत मिले हैं ; और

(ग) जितने निक्षेपों का अब तक पता लगा है उनमें कुल कितना तांबा होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). हाल ही में किये गये सर्वेक्षणों से बिहार में सिंधभूम तांबा पट्टी में राखा, रोम सिद्धेश्वर, तामा पहाड़, तुरामदीह, रामचन्द्र पहाड़, राजस्थान में कोलिहान, मघान-कुघान, अकवाली, सतकुई, भेगोनी, खो-दरिबा, आंध्र प्रदेश में अग्निगुन्डला में घुकोडा, नल्लाकोन्डा, बन्डलामोट्टू तथा मैलरम और तामिल नाडु में दक्षिण आरकट जिले में ममन्दुर में तांबा अयस्क निक्षेपों/प्राप्ति-स्थलों का पता लगा है।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा लगभग 2400 लाख मैट्रिक टन तांबा अयस्क के अनुमान लगाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक कारखानों को चुंगी कर और सीमा कर से छूट

*1229. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी औद्योगिक कारखानों को अपनी मशीनों और भवन-निर्माण-सामग्री पर चुंगी कर और सीमाकर से छूट दे रखी है ;

(ख) क्या यह छूट स्थाई या अस्थायी रहेगी ; और

(ग) क्या देश में औद्योगिक प्रगति के लिये सभी राज्यों में ऐसी छूट दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1969 में ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार नये औद्योगिक कारखानों की स्थापना और वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये आवश्यक मशीनों और भवन-निर्माण सम्बन्धी सामग्री को राज्य के नगर-निकायों द्वारा लगायी गयी चुंगी और सीमाकर की अदायगी से मुक्त कर दिया गया है । ये आदेश 31 मार्च, 1972 तक लागू रहेंगे ।

(ग) संविधान के अनुसार, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर चुंगी और सीमा-कर लगाने का काम राज्य सरकार का है । इस मामले में भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Provision of Fans in Quarters of Class IV Government Employees

*1230. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Kameshwar Singh** :
Shri Indrajit Gupta : **Shri Chandra Shekhar Singh** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether fans have been provided in Government quarters for Class IV employees in Delhi ;

(b) if not, the reasons therefor and the names of the colonies where fans in quarters for class IV employees have not been installed so far and the total number of such quarters ;

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons for not providing fans in servant quarters allotted to Members of Parliament ;

(d) whether Government propose to provide fans in these quarters also ; and

(e) if so, when this would be done ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Although initially fans were not provided in Government quarters meant for Class IV employees in Delhi, a decision was taken in April, 1965 to provide fans in these quarters in a phased manner according to the availability of funds. In pursuance of this decision, ceiling fans have so far been pro-

vided in about 13,000 quarters. Fans still remain to be provided in 1181 quarters as per details given below :—

1.	Netaji Nagar work-charged staff quarters	..	72
2.	Timarpur and Minto Road.	..	566
3.	Quarters behind 21-A, Janpath.	..	29
4.	Quarters behind 22-A, Janpath.	..	25
5.	Quarters behind 4, Windsor Plane.	..	5
6.	Quarters at Sikandra Road Mess.	..	41
7.	Quarters in D.I.Z. area.	..	42
8.	Quarters in Block 85, Panchkuin Road	..	401
			1181

(c) Servants quarters attached to the residence of Members of Parliament are not being treated on the same footing as quarters meant for Class IV Government employees.

(d) Government have decided that in servant quarters attached to M. Ps' residences, fan points and fan clamps only will be provided.

(e) Does not arise.

पन्ना की खानें

6942. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ही पन्ना की खानों में पाये जाने वाले हीरों के तराशने और पालिश करने की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से सलाह की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अभी तक कोई निश्चित योजनाएं नहीं बनाई गई हैं ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि पन्ना की हीरा खानों का परिचालन करता है, पन्ना में हीरों के तराशने तथा पालिश करने के उद्योग के विकास की सम्भावनाओं की जांच कर रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत के पश्चात, बम्बई, पन्ना आदि में हीरों के तराशने तथा पालिश करने के व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये उद्योगों के अतिरिक्त निदेशक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश खनन निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के हीरा मूल्यांकन अधिकारी के साथ एक समिति गठित की गई है । रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

चम्बल सिंचाई परियोजना

6943. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल सिंचाई परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा अब तक केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि की सहायता दी है ;

(ख) इस परियोजना के किस तारीख तक बन जाने की आशा है तथा इससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 के नियतन में भारी कटौती की गई है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश में चम्बल परियोजना की अनुमानित लागत 62.99 करोड़ रुपये होने का अनुमान है (जिसमें सिंचाई पक्ष पर 47.71 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है) मध्य प्रदेश को चम्बल परियोजना के लिये अब तक 59.96 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई है ।

(ख) गांधी सागर बांध 1960 में पूरा हो गया था । नहर प्रणाली सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के जून, 1970 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । चम्बल नहरों का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि जब वे पूर्ण होएंगी उनसे मध्य प्रदेश में 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

(ग) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश की तवा और हासदी सिंचाई परियोजना

6944. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की तवा और हासदी सिंचाई परियोजनाओं के लिये वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1968-69 के दौरान तवा और हसद्यो परियोजनाओं के लिये कोई पृथक् रक्षित केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी । किन्तु इन दोनों परियोजनाओं पर, अन्य परियोजनाओं के साथ, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये फुटकर विकास ऋण के जरिये धन लगाया गया था ।

गुजरात के धुवारण बिजलीघर में भारी तेल की कमी

6945. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में स्थित धुवारण बिजलीघर में भारी तेल की अत्यन्त कमी है ;

(ख) धुवारण बिजलीघर की भारी तेल सम्बन्धी वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा गुजरात स्थित तेल शोधक कारखाने ने कितनी मात्रा में तेल की सप्लाई करना स्वीकार किया है ;

(ग) क्या गुजरात द्वारा इस समय तेल शोधक कारखाने को दिये जाने वाले मूल्य से अधिक मूल्य अर्जित करने के लिये महाराष्ट्र राज्य को तेल की सप्लाई की जाती है ;

(घ) क्या तेल शोधक कारखाने द्वारा कम मात्रा में भारी तेल सप्लाई किये जाने के कारण धुवारण बिजलीघर को तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करना पड़ता है ; और

(ङ) क्या गुजरात स्थित तेल शोधक कारखाने का विचार धुवारण बिजलीघर को तेल की और सप्लाई करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण): (क) जी नहीं ।

(ख) धुवारण बिजलीघर के संचालनों के प्रथम चरण के दौरान आवश्यकताएं प्रतिदिन 880 मीटरी टन या प्रति वर्ष 3,21,000 मीटरी टन तक की दर से हैं और दूसरे चरण में इसके विस्तार कार्य के पूरे होने के बाद आवश्यकताएं प्रतिदिन 1,630 मीटरी टन या प्रतिवर्ष 595,000 मीटरी टन की दर से हैं। भारतीय तेल निगम प्रथम चरण की आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी कर रहा है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) धुवारण बिजलीघर में कोयले के इस्तेमाल का भी रूपांकन किया गया है। कोयला की खपत, यदि कोई है, के बारे में सूचना तुरत उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) जी हां, बशर्ते कि मूल्यों का उचित समझौता हो ।

गुजरात में भारतीय तेल के वितरण के लिये एजेंसियां

6946. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल तथा तेल उत्पादकों का वितरण करने वाले सहकारी संगठनों, गैर-सरकारी व्यक्तियों और एजेंसियों के क्या नाम हैं ; और

(ख) वर्ष 1968 में गुजरात में नयी एजेंसियां प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मंत्रालयों में आयातित कारें

6947. **श्री अदिचन :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में कितनी आयातित कारें अब भी प्रयोग में लायी जा रही हैं तथा मंत्रियों और उप मंत्रियों द्वारा कितनी आयातित कारें प्रयोग में लाई जा रही हैं ;

(ख) इन कारों के नाम तथा निर्यात कम्पनियां कौन हैं तथा वे कैसे प्राप्त की गई थी ;

(ग) उनके स्थान पर भारत में बनी कारें तुरन्त प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि मंत्री तथा भारत सरकार के अधिकारी भारत में बनी कारों को पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि वह घटिया किस्म की होती हैं ;और

(ङ) यदि हां, तो उसकी किस्म को सुधार कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है, जो उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस आशय की हिदायतें पहले ही मौजूद हैं कि भविष्य में जो भी स्टाफ कार खरीदी जायें वे भारत में ही बनी हों, केवल मुख्यतः विदेशी अतिथियों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उपयोग के लिये आवश्यक गाड़ियों की खरीदी इसका अपवाद है । फिर भी प्रत्येक मंत्रालय/प्रत्येक स्वतंत्र विभाग को अनुमति दी गई है कि वह 1960 के बाद माडल की अधिक से अधिक एक विदेशी कार रख सकता है/प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसी कारें दूर स्थानों पर अपेक्षाकृत शीघ्र आने-जाने और समारोह/स्वागत कार्यों के प्रयोजनों के लिये उपयोगी पायी गयी हैं । 1960 के बाद के माडल की विदेशी कारें अनुमत संख्या से अधिक होने पर उन्हें निपटान के लिये राज्य व्यापार निगम को सौंप देना होता है ।

(घ) ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है ।

(ङ) सरकार को भारत में निर्मित कारों के स्तर में खराबी बाबत शिकायतें मिलती रही थीं । तदनुसार सरकार ने कारों के स्तर में गिरावट के कारणों की पूरी-पूरी जांच-पड़ताल

और गिरावट के उन कारणों को दूर करने के उपाय सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ-समिति गठित की थी । समिति की सिफारिशों की ओर निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उसमें से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों के सम्बन्ध में उन्हें सांविधिक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ताकि उनका पालन किया जा सके । इस विषय पर तीन कार निर्माताओं के प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा भी की जा चुकी है और उन्होंने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वे समिति की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगे । तथापि यह सिफारिशें ही ऐसी हैं कि उनके कार्यान्वयन में समय लगेगा और इस सम्बन्ध में इस समय यह कह सकना श्रेयस्कर न होगा कि देश में निर्मित कारों के स्तर में सुधार हुआ है ।

इसी बीच, समिति की सिफारशों में से एक के अनुपालन में तीन कार निर्माताओं के प्रतिष्ठानों का मुआइना करने के लिये विशेषज्ञों की एक टीम प्रतिनियुक्त की गई है, जो उक्त प्रतिष्ठानों को उनके आन्तरिक निरीक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सहायता और सलाह देगी । यह टीम सरकार को उस वाह्य निरीक्षण संगठन के स्वरूप के बारे में भी सुझाव देगी जो आन्तरिक व्यवस्था के पूरक के रूप में बनाया जायेगा और यह कि वह प्रभावकारी ढंग से किस प्रकार कार्य कर सकेगा ।

उकाई बांध की पानी रोक सकने की क्षमता को बढ़ाना

6948. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप्ती नदी पर उकाई बांध के पूरे उकाई जलाशय की सतह ऊंची करने के बारे में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं को स्वीकृति देना

6949. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और योजना आयोग द्वारा इस समय क्या पद्धति अपनाई जा रही है ; और

(ख) 5 लाख और एक करोड़ रुपये के बीच की परियोजनाओं को, जो राज्य द्वारा निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा के अन्तर्गत आती हैं, स्वीकृति देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारें 15 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं के आधारभूत आंकड़ों और परियोजना के विविध पक्षों से सम्बन्धित जानकारी योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मों में, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को जांच के लिये भेजती हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा की जाने वाली जांच इन परियोजनाओं के मौलिक आयोजन, अन्तर्राज्यीय पहलुओं, जल विज्ञान और आर्थिक सम्भाव्यता तक ही सीमित है।

राज्य सरकारों द्वारा 3 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजनी होती है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, मंत्रालय के अधिकारियों और भारतीय कृषि अनुसंधानशाला से विचार-विमर्श करके इन परियोजनाओं के आयोजन, जल उपलब्धता, बांधों और नहरों के अभिकल्प, शस्य पद्धति, जल आवश्यकताएं, अन्तर्राज्यीय पहलू, लागत व दर विश्लेषण, लाभ लागत अनुपात तथा वित्तीय लाभ आदि विविध तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं की जांच करता है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की जांच के पश्चात्, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों सहित सभी परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति के सम्मुख रखा जाता है। योजना आयोग इस समिति द्वारा स्वीकार्य परियोजनाओं की, योजना में शामिल करने के लिए, जांच करता है। और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर विचार करने के पश्चात् आवश्यक स्वीकृत पत्र प्रेषित किये जाते हैं।

(ख) यदि 15 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाएं तकनीकी तथा आर्थिक रूप से स्वीकार्य हों, और उनके सम्बन्ध में ऐसा कोई अन्तर्राज्यीय विवाद न हो जिसका समाधान न हुआ हो और राज्य की योजनाओं में धन शीघ्र मिलने की सम्भावना हो, तो इनको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

Smuggling of Meat to Pakistan

6950. **Shri Ramesh Chander Vyas** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that meat is sold at the rate of Rs. 2.50 per kilo in Barmer district on the Pakistan border whereas it is sold at the rate of Rs. 11 per kilo in Pakistan area adjoining Barmer district ;

(b) whether it is also a fact that large quantity of meat is smuggled from this district into Pakistan every day ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check this smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) It is a fact that meat is sold at the rate of Rs. 2.50 per kilo in the areas adjoining Pakistan in Barmer. According to available information the sale price of meat in the bordering areas of Pakistan is in the region of Rs. 3.50 per kilo.

(b) As far as the Government are aware there is no such smuggling.

(c) Does not arise in view of reply to (b) above.

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में महिला डाक्टर

6951. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ ऐवेन्यु, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी आदि में स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में महिला डाक्टरों को, जो प्रातः तथा सांयं काम पर आती हैं, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिनों में 7.00 से 19.00 बजे तक आपातकालीन ड्यूटी देनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बदले में उन्हें एवजी छुट्टी दी जाती है या समयोपरि भत्ता दिया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि डाक्टरों के साथ आपातकालीन ड्यूटी पर आने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को एक पखवाड़े के अन्दर एवजी छुट्टी दी जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) साउथ ऐवेन्यु डिस्पेन्सरी में रविवार तथा छुट्टियों के दिन बारी-बारी से एक महिला डाक्टर गर्मी के मौसम में प्रातः 7.00 बजे से सांय 7.30 बजे तक तथा सर्दी के मौसम में प्रातः 8.00 बजे से सांय 7.30 बजे तक ड्यूटी पर रहती है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राजपत्रित अधिकारी प्रति पूरक छुट्टी अथवा अतिरिक्त समय भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं ।

(घ) जी हां ।

विभिन्न मूल्य के सिक्कों में चांदी और मिश्रित धातु का प्रतिशत

6952. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न मूल्य के सिक्कों में चांदी तथा मिश्रित धातु का प्रतिशत ब्रिटिश शासन काल में कितना था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितना है ; और

(ख) उस अवधि में किन-किन सिक्कों में चांदी और मिश्रित धातु का प्रतिशत रहता था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ब्रिटिश शासन-काल में प्रचलित केवल चार प्रकार के सिक्के चांदी और मिश्रित चांदी के थे। ये रुपया अठन्नी, चवन्नी और दुअन्नी थे। ये सिक्के मानक चांदी के थे जिनमें 91.66 प्रतिशत चांदी और

8.34 प्रतिशत तांबा होता था। मिश्रित चांदी की दुअन्नी की ढलाई 1917 में बन्द कर दी गयी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, रुपया, अठन्नी और चवन्नी के सिक्के चतुर्थक मिश्र धातु के ढाले गये थे जिनमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत जस्ता और 5 प्रतिशत टीन होना था। चतुर्थक मिश्र धातु के सिक्कों की ढलाई भी 1946-47 में बन्द कर दी गयी पर वे मार्च, 1968 तक वैध मुद्रा बने रहे। स्वतंत्रता के बाद मिश्रित चांदी का कोई सिक्का नहीं ढाला गया।

कार्टिजोन एसीटेट का निर्माण

6953. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्टिजोन एसीटेट का जो एडीशन रोग के उपचार की महत्वपूर्ण औषधि है, गोलियों के रूप में देश में निर्माण नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रोगियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये इस औषधि का निर्माण करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कार्टिजोन एसीटेट औषधि की कुल खरीद नगण्य होने के कारण निर्माता ने इन गोलियों का निर्माण बन्द कर दिया है। इस रोग के उपचार के लिए अन्य औषधियां उपलब्ध हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ के निदेशक के पद पर नियुक्ति का न किया जाना

6954. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत डेढ़ वर्ष या इससे अधिक समय से राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ के निदेशक के पद पर एक नियमित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पद 27 दिसम्बर, 1967 से खाली है।

(ख) आवश्यक कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है तथा पद के शीघ्र भरे जाने की सम्भावना है।

संगीत निदेशकों तथा पार्श्व गायकों द्वारा देय आयकर की बकाया राशि

6956. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म उद्योग में उन संगीत निदेशकों तथा पार्श्वगायकों के नाम क्या हैं जिन पर आय कर की 50 हजार रुपये अथवा उससे अधिक बकाया राशि है ;

(ख) उनसे अब तक आय कर की यह बकाया राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा क्योंकि फिल्म उद्योग भारत में अनेक राज्यों में फैला हुआ है। यदि माननीय सदस्य किसी/किन्हीं संगीत निदेशक/निदेशकों तथा पार्श्व-गायक/गायकों विशेष के बारे में सूचना चाहते हों तो वह उन्हें यथारीति सुलभ कर दी जायेगी।

Facilities in Government Hospitals in New Delhi

6957. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had appointed an Expert Enquiry Committee of seven prominent doctors to enquire into the death of late Dr. Ram Manohar Lohia and the conditions prevailing in Government Hospitals in New Delhi as reported in the Times of India of the 24th January, 1968 and whether the said committee has submitted its report ;

(b) whether it is also a fact that the said committee has invited the attention of Government to this fact that the facilities of sterilisation, maintenance of operation theatre and the precautions taken by the Hospital authorities before operating upon Dr. Lohia in Willingdon Hospital were inadequate ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health,and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The Hospital Review Committee set up by Government was required to examine the working of Government hospitals in New Delhi with a view to improving the existing facilities for medical, surgical and specialist care and to make recommendations for their improvement. The Committee submitted its report on the 25th April, 1968.

(b) No. This was not within the terms of reference of the Committee.

(c) The Committee has made over 200 recommendations for effecting improvement in the existing facilities available in various hospitals of Delhi. The recommendations have been examined and Government's decision on them will be announced shortly.

टोलीन और बेनजीन का उत्पादन

6958. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में इस वर्ष टोलीन के 14,000 टन और बेनजीन के 33,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले कारखाने चालू हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) बेनजीन और टोलीन के उत्पादन के लिये गुजरात शोधनशाला का यूडैक्स यूनिट 17 दिसम्बर, 1968 को चालू किया था । परीक्षण चालनों तथा गारंटी परख के बाद यूनिट 3 फरवरी, 1969 को बन्द कर किया था । भावी उपभोक्ताओं से उत्पादन की स्वीकार्यता रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर उत्पादन फिर से शुरू किया जायेगा ।

गुजरात में एरोमेटिक उद्योग समूह

6959. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सरकारी क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला एक एरोमेटिक उद्योग समूह स्थापित करने की योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां । उद्योग-समूह पर परिव्यय 18 करोड़ रुपये होगा ।

(ख) पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स फ्राइड क्रुप्प केमीनलगेनवो के साथ, जो परियोजना में सहयोगी हैं, ठेके पहले किये जा चुके हैं । गुजरात राज्य में परियोजना की कार्यान्विति के लिये, कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत एक उपक्रम (अण्डरटेकिंग) इण्डियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० के नाम से, संगठित की गई है ; उस पर भारत सरकार का पूर्णतया स्वामित्व है । यह आशा है कि 1971-72 तक यह परियोजना पूरी हो जायेगी ।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद

6960. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद, जिन पर करोड़ों रुपये का तस्कर व्यापार करने तथा अन्य आरोप लगाये गये थे, के मामले में की जा रही जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर विशिष्ट रूप से क्या आरोप लगाये गये हैं, जांच कब आरम्भ की गई थी, कितनी धन-राशि का मामला है और जांच पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उचित घोषणा के बिना कच्चे मैंगनीज के आरोपित निर्यात और निर्यात किये गये माल का मूल्य कम दिखाने के कारण सीमा-शुल्क विभाग द्वारा इस कम्पनी के विरुद्ध सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी । ये आरोप सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अगस्त, 1963 में शुरू की गई जांच के आधार पर लगाये गये थे । इस मामले में जारी किये गये 115 कारण बताओ नोटिसों में यह आरोप लगाया गया था कि बताये गये कम मूल्य की मात्रा 352 लाख रुपये थी । बाद में की गई जांच पड़ताल से कम मूल्य बताये जाने की 32 लाख रुपये की रकम और सामने आई । पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि पार्टी ने सीमा-शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता के सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में आपत्ति उठाई थी ।

इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल पूरी करने में समय लगा क्योंकि विभिन्न स्थानों पर पकड़े गये बहुत सारे कागजातों की छानबीन की जानी थी । यही नहीं, न्यायालयों में कई बार याचिकाएं दायर की गईं और पार्टी की प्रार्थना पर कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दे दिये गए । भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही यह निर्णय ले लिया गया है कि इस मामले में जारी किये गये विभिन्न कारण बताओ नोटिसों में लगाये गये आरोपों के आधार पर कार्यवाही करना, सीमा-शुल्क विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है । अतः सीमा-शुल्क विभाग द्वारा आगे और जांच का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

दस अधिकतम आयकर दाता

6961. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री काशीनाथ पाण्डेय :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दस अधिकतम आय-करदाताओं तथा उनके द्वारा देय बकाया राशि

सम्बन्धी जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं तथा वह कब तक इकट्ठी कर ली जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा चुकी है और दिये गये आश्वासन की पूर्ति में एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जा रहा है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 830/69]**

(ख) ब्योरे अनुबन्ध में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल ०टी० 830/69]**

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सेंट जान मेडिकल कालेज, बंगलौर को सहायता

6962. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री ने बंगलौर स्थित सेंट जान मेडिकल कालेज को सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कालेज को पोप की भारत यात्रा की याद में बनाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये केथोलिक्स के लिये 80 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है तथा यह संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के प्रतिकूल भी है, इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी करने का सरकार का विचार है ताकि कालेज में दाखिल केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राज्यमंत्री ने जो 29 सितम्बर, 1968 को आयोजित मेडिकल कालेज के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे इस संस्थान को कोई विशेष सरकारी सहायता देने का वचन नहीं दिया । वैसे चिकित्सा कालेजों की आयात विस्तार योजना के अधीन इसकी प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के लिये दस सीटों के हेतु 1967-68 में इस संस्थान को केन्द्रीय सहायता दी गई थी । इन सीटों में एक सीट सरकारी मनोनीत व्यक्ति द्वारा भरी गई और शेष सीटों को योग्यता के आधार पर भरा गया ।

(ख) यह कालेज जिसका संरक्षक सेंट ऑव पोप जोन-23 के नाम पर नामकरण किया गया है 1963 में खोला गया था । 38वीं इण्टरनेशनल एनचेरिस्टिक कांग्रेस के सिलसिले में पोप

पॉल-VI 1964 में भारत आये थे और दिसम्बर, 1964 को उन्होंने कालेज परियोजना का शिला-न्यास किया ।

(ग) जी नहीं । सेंट जोन्स मेडिकल कालेज एक प्राइवेट संस्था है और उसे सम्बद्ध विश्व-विद्यालय से परामर्श करके अपने दाखिलों का विनियमन करने का अधिकार है । ऐसे दाखिलों से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को चाहे वे किसी धर्म अथवा भाषा के हों, अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने तथा व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है ।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

6963. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की, अपनी स्थापना के समय, तथा 31 मार्च, 1968 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी ने कितना ऋण ले रखा था तथा यह ऋण केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों से कितना-कितना लिया गया था;

(ग) निगम ने गत तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितना धन दिया है;

(घ) गत तीन वर्षों में उसके कार्य के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) हानि होने के मुख्य कारण क्या थे तथा 1968-69 में अनुमानतः कितनी हानि अथवा लाभ होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कम्पनी 10 जनवरी, 1966 को 10 करोड़ रुपये की अधिकृति पूंजी के साथ नियमित की गई थी । तब से इसकी अधिकृत पूंजी में कोई बदल नहीं हुई है । कम्पनी की प्रदत्त पूंजी समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है । 31 मार्च, 1968 को यह पूंजी 604.50 लाख रुपये थी ।

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी ने जो ऋण ले रखे थे उनकी राशियां निम्न प्रकार से थीं :—

(1) केन्द्रीय सरकार	...	505 लाख रुपये
(2) राजस्थान सरकार	...	1.50 लाख रुपये
(3) स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर (नकद ऋण)	...	9.18 लाख रुपये
(4) संयंत्रों तथा उपकरणों के विदेशी सप्लायर्स (आस्थगित अदायगियां)	...	108.38 लाख रुपये

(ग) 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज की राशियां निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपयों में)

	1966-67 (22 अक्तूबर, 1965 से 31 मार्च, 1967 तक)	1967-68	1968-69
(1) केन्द्रीय सरकार को	11.90	33.00	38.00
(2) बैंकों तथा अन्य को	23.06	2.00	7.00
(3) संयंत्रों तथा उपकरणों के विदेशी सप्लायर्स को	23.73	12.00	5.00

(घ) मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को उनके उपक्रम के अधिग्रहण किये जाने के उपलक्ष में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का अन्तिम निर्धारण किये जाने तक लाभ/हानि का अनुमान निम्नलिखित रूप से लगाया जाता है :

	(लाख रुपये में)
1966-67	2.53 लाभ
1967-68	3.00 हानि
1968-69	2.4 लाभ

(इस वर्ष के कार्य परिणाम अभी तैयार नहीं है । अतः आंकड़े केवल अनुमान हैं) ।

(ङ) कम्पनी के मुख्य उत्पादक एकक, जस्ता प्रद्रावक ने केवल 1 जनवरी, 1968 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया । सुपरफास्फेट की बिक्रियों के संबंध में देश भर में आने वाली कठिनाइयों के कारण से जिनसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भी दुष्प्रभावित हुआ, प्रद्रावक में जुलाई 1968 से लगभग सात सप्ताहों के लिये उत्पादन अस्थायी रूप से निलम्बित किया गया था । उत्पादन सितम्बर, 1968 में पुनरारंभ किया गया था और सुपरफास्फेट की बिक्री की समस्याओं का हल ढूंढ़े जाने तक प्रद्रावक 70 प्रतिशत क्षमता पर चलाया जा रहा है । इन कारणों से निर्देशित वर्ष के कार्य परिणामों को दुष्प्रभावित किया ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ उद्योग समूहों में लगाई गई पूंजी

6964. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, औद्योगिक वित्त निगम आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा निम्न उद्योग समूहों में 1961-62 के अन्त में और 31 मार्च, 1968 को अथवा उस अवधि में जिसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं, ऋणों के रूप में तथा जनता द्वारा

न खरीदे जाने वाले अंशों और ऋणपत्रों को खरीदने का उत्तरदायित्व लेकर कितनी पूंजी लगाई है;

(एक) बिड़ला उद्योग समूह (दो) साहू-जैन (तीन) मफतलाल (चार) लारसेन टाउबरो (पांच) मार्टिन बर्न्स (छः) बर्ड एण्ड को० (सात) कमानी (आठ) जे० के० सिंघानिया, और (नौ) टाटा;

(ख) उपरोक्त अवधि में पूर्वोक्त उद्योग समूहों में पृथक-पृथक ऋणों आदि की धनराशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) 1961-62 के अन्त में और 31 मार्च, 1968 को इन उद्योग समूहों की अलग-अलग आस्तियां कितनी थीं और आस्तियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के संबंध में मांगी गई जो सूचना उपलब्ध है, वह संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 831/69]**

(ग) प्रश्न में निर्दिष्ट 'व्यापार समूहों' की, 31 मार्च, 1962 को और 31 मार्च, 1968 को, परिसम्पत्तियों के मूल्य के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, बिड़ला, टाटा और मफतलाल व्यापार-समूहों के संबंध में 31 मार्च, 1964 और 1966-67 की सूचना उपलब्ध है। साहू जैन मार्टिन बर्न्स, बर्ड एण्ड कम्पनी (बर्ड हेल्गर्स), कमानी और जे० के० सिंघानिया समूहों के संबंध में केवल 31 मार्च, 1964 की सूचना ही उपलब्ध है। लारसेन एण्ड टोब्रो के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। सारणीकृत सूचना नीचे दी गई है :—

सारणी

व्यापार समूह	*31 मार्च 1964 को परिसम्पत्तियों का मूल्य	1966-67 में परिसम्पत्तियों का मूल्य	करोड़ रुपयों में परिसम्पत्तियों में हुई प्रतिशत वृद्धि
	भाग क		
1. बिड़ला	292.70	480.00	64
2. टाटा	417.70	547.00	31
3. मफतलाल	45.90	106.00	131
	भाग ख		
4. साहू जैन	67.70	उपलब्ध नहीं	—
5. मार्टिन बर्न्स	149.60	तदैव	—
6. बर्ड एण्ड कंपनी (बर्ड हेल्गर्स)	60.10	तदैव	—
7. कमानी	12.10	तदैव	—
8. जे० के०सिंघानिया	59.20	तदैव	—
9. लार्सेन एण्ड टोब्रो	उपलब्ध नहीं	तदैव	—

टिप्पणी * एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट, 1965 के अनुसार।

नई दिल्ली में परफोरेटेड प्रकाश का लगाया जाना

6965. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त किये बिना "परफोरेटेड" प्रकाश की व्यवस्था पर 37,380 रुपये खर्च किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस परिपाटी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका के पार्कों तथा उद्यानों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये समिति ने अपनी 10 जनवरी, 1969 की बैठक में 37,380 रुपये के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी थी। समुचित मंजूरी के बिना कोई खर्च नहीं किया गया।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Payment of Excise Duty by Sugar Mills in Meerut Division

6966. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Molahu Prasad:
Shri Ram Charan:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to excercise vigilance on the sugar mills in the Meerut Division to ensure that they do not sell sugar in the market without paying excise duty;

(b) whether Government propose to look into the monthly expenses of the Excise Inspectors and other Excise Officers in this connection to find out whether their expenses are commensurate with their incomes ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Adequate preventive surveillance on units producing excisable products including sugar is a regular feature of the Central Excise set up. Where specific information is received about the sale of sugar in the market by any mill without paying excise duty, adequate powers exist for proper investigation and deterrent penal action by the Central Excise authorities concerned.

(b) and (c). No, Sir. The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, which lay down the code of conduct for Government servants do not contain any provision requiring Govt. servant to furnish income and expenditure statements. In the absence of such a provision, it will not be possible to call upon Inspectors of Central Excise alone to furnish information regarding their income and expenditure leaving out officials of equivalent status and grades in other departments of Government.

Heads of Departments and supervisory officers in the field are required to keep a watch over the activities of all subordinate officials. If any official is found to be living beyond his means it is open to the supervisory authority to take suitable action against him under the Conduct Rules. Such action can also be taken when signed complaints giving specific information are received from members of the staff or the public in general.

Out of Turn Allotment in 1968-69

6967. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the percentage of quarters allotted out-of-turn in comparison to those allotted in the normal way during 1968-69 ;

(b) whether it is a fact that a long list of the persons to be allotted out-of-turn accommodation is pending at present ; and

(c) if so, the number of persons included in the said list and the date by which they are likely to be allotted quarters ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) During the year 1968-69 the overall percentage of quarters allotted on out-of-turn basis in Delhi/New Delhi, in all types, comes to about 12.

(b) and (c). In 568 cases sanctions for allotment on out-of-turn basis have already been issued and the persons concerned are waiting for actual allotments. Allotment to these persons depends upon the availability of residences in various types and the matter is being reviewed.

Reports on Floods in North Bengal

6968. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 885 on the 24th February, 1969 and state :

(a) whether Government propose to initiate measures on the lines of the recommendations made in the report of Technical Committee appointed to examine the measures for controlling floods in North Bengal and in other States also ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The DeputyMinister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The recommendations made in the report of the Technical Committee, constituted to go into the flood problems of North Bengal, are specifically for the areas in North Bengal. As such, the question of initiating measures on the lines of the recommendationsmade in the report, in other States, does not arise.

Prices of Antibiotics, Opium and Sulpha

6969. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Molahu Prasad :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of imported antibiotics ; opium and sulpha are less than those manufactured indigenously ;

(b) if so, whether the high prices of these medicinal items are due to certain firms having monopoly of production and refusal of licences to new firms on the basis of "No scope for establishment of further capacity" ;

(c) whether it is also a fact that the establishment of new firms will lead to reduction of prices of these medicinal items by engendering healthy competition among old and new firms ;

(d) if so, whether Government propose to issue licences to any firm in this field ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes. Comparison in the case of opium is not possible as this item is not imported.

(b) No. Generally speaking, the high prices of indigenous product are due to a number of factors subject to which the drugs and pharmaceutical industry is operating such as high cost of equipment and raw mrterials, lower rates of production, higher depreciation charges, uneconomic size of units etc.

(c) Not necessarily. On the contrary expansion of the existing units can be achieved at less cost and will make them economically viable. While licensing additional capacity, every effort is made to see that as far as possible conditions of healthy competition do prevail in the industry.

(d) and (e). Do not arise.

Theft of Electric Motors for Tubewells in U. P.

6970. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of electric motors of Government tubewells stolen in U. P. from the 1st January to 31st December, 1968 ;

(b) the number of electric motors out of them recovered so far ;

(c) whether Government propose to hold an enquiry to ascertain whether tubewells operator and other employees are not involved in the theft of electric motors of tube-wells ;

(d) whether it is a fact that Madras State is given preference over U. P. in the matter of tube-wells and the number of Government tube-wells in Madras is several times larger than that in U. P. while the area of Madras is much less than that of U. P.;

(e) if so, whether it is proposed to provide additional grant to U. P. under this head so that U. P. could also become self-sufficient in irrigation; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Government of U. P. have informed that 21 electric motors were stolen from the Government tubewells during the period from Ist January to 31st December, 1968.

(b) None of the motors has been recovered so far.

(c) All the cases are reported to be under investigation.

(d) to (f). There are more State tube-wells in U. P. than in Tamil Nadu. Following are the number of State tube-wells in the States of U. P. and Tamil Nadu, as at the end of 1968-69:

Uttar Pradesh	9502
Tamil Nadu	33

However, in U. P. there were 67,152 irrigation pump sets/tube-wells working with electric power as against 3,84,661 in Tamil Nadu as on 31-12-68.

The construction and energisation of tube-wells forms part of the State plans but earmarked Central assistance was given for energisation of pump sets/tube-wells up to the year 1968-69. During the year 1968-69, an amount of Rs. 6 crores was sanctioned as Central assistance to the Government of Tamil Nadu against an amount of Rs. 8 crores sanctioned to the Government of U. P. The pattern of assistance for the Fourth Five Year Plan is under consideration.

Use of Hindi in Life Insurance Corporation

6971. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4583 on the 16th December, 1968 and state :

(a) the number of L.I.C. officers stationed in Hindi-speaking areas and the number of Hindi-knowing officers and employees of each category working in those offices ;

(b) the number of such officers and employees as do not know Hindi and the steps taken to teach Hindi to them ;

(c) whether the attention of the Life Insurance Corporation has been drawn to the Home Ministry's circular of the 6th July, 1968 which contains necessary instructions in regard to the use of Hindi ;

(d) if so, the extent to which the restriction on writing notes in Hindi is justified ; and

(e) whether immediate action is proposed to be taken for woking in Hindi in L. I. C. offices ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) to (e). Yes, Sir. But since the L.I.C. is an all-India organisation and transfers in the Corporation's various offices are also done on All-India basis, it will present considerable diffi-

culty if the writing of notes in Hindi in place of English is started without first imparting training in Hindi to the Corporation's non-Hindi knowing staff whose number is very large. Moreover, since Insurance is a specialised industry requiring use of highly technical terminology which is not common to any other industry or trade, the training in Hindi will be somewhat difficult process for which the schemes will have to be carefully drawn up. This matter is under consideration of the Corporation.

Use of Hindi in L. I. C.

6972. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of technical terms and words in the Life Insurance Corporation of which Hindi equivalents have not been coined so far;

(b) whether his Ministry has made any efforts so far to find out the Hindi equivalents of such technical terms and words with the cooperation of the Central Hindi Directorate of the Ministry of Education ;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether that office would consider over taking immediate action in finding Hindi equivalents of the terms and teaching Hindi to such employees as do not know Hindi ; and

(e) if so, when ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (e). A glossary in Hindi of technical terms used in the Insurance business has been prepared by the Corporation and this also has been approved by the Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of Education. The technical terms from this glossary are now used in the printed forms in Hindi. At present there is no specific scheme in operation for teaching of Hindi to the employees. The Corporation, however, is aware of the importance of the matter, and will take necessary action as soon as it is administratively possible.

Study Group's Recommendations on Jhuggi-Jhonpri Problem in Delhi

6973. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4574 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether the first recommendation of the Study Group-on Jhuggi-Jhonpri problem in Delhi has since been considered ;

(b) if so, the nature of decision taken ; and

(c) if not, the reasons for delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). The Question of amending the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1959, making first squatting on Government and Public lands a cognizable offence was considered in detail. It was, however, felt that the situation could be remedied within the existing frame work of the summary civil remedy of eviction as well as provisions of the Indian Penal Code, and it was not necessary to legislate on this specific issue.

Gas used in Safdarjang Hospital for Treating Mental Patients

6974. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mental patients used to be given some kind of gas in the Safdarjang Hospital, New Delhi which is not given now ;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the measures proposed to be adopted by Government to remove the suffering of mental patients who are mostly sentimental ;

(d) whether that gas is so costly that even the lives and the well-being at the patients are not being cared for ; and

(e) the date from which the above facility to patients is likely to be restored ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) to (e). The treatment by gas is not a specific treatment for mental diseases. It was only being given as one of the many methods of suggestive therapy.

Gas treatment has been given up now in favour of more sophisticated and rational methods of treatment like psychotherapy, use of tranquilizers and antidepressants.

Shortage of Medicines in Ayurvedic Dispensaries in Delhi

6975. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is often a shortage of medicines in the two Ayurvedic Dispensaries run by them for their employees in New Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to remove this shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) There has been no shortage of medicines in the C.G.H.S. Ayurvedic dispensaries in the recent past.

(b) and (c). Do not arise.

बृहद् बम्बई में कर्मचारियों को मकानों का आवंटन

6976. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहद् बम्बई में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थानों में, जिनमें रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम सम्मिलित हैं, कुल कितने कर्मचारी हैं और प्रत्येक यूनिट में कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इन कर्मचारियों को कितना 'मकान किराया भत्ता' दिया जाता है;

(ग) विभिन्न नियोजक संस्थाओं, विभागों अथवा एककों द्वारा कितने कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं;

(घ) क्या आगामी पांच वर्षों में सभी कर्मचारियों को मकान उपलब्ध करने के लिये सरकार कोई कार्यक्रम अपने हाथ में लेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). सम्पदा निदेशालय, विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूलवास का नियंत्रण करता है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों द्वारा अपने अधीन विभागीय तौर पर बनाये गये वास सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में नहीं है। विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/स्थापना और भिन्न-भिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में बृहत् बम्बई में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े, सम्पदा निदेशालय द्वारा नहीं रखे जाते।

पात्र कार्यालयों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बम्बई में सामान्य पूल वास, उनकी प्राथमिकता की तारीख के अनुसार किया जाता है। क्योंकि टाइप विशेष के लिये, विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की प्राथमिकता की तारीखों के अनुसार आवंटन किये जाते हैं, अतएव कार्यालय-अनुसार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। बम्बई में, सामान्य पूल वास के लिये टाईप I से टाईप VII तक की सम्भावित मांग 23,835 है, जिसमें से 2,350 कर्मचारियों को विभिन्न टाईप के वास आवंटित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अपात्र कार्यालयों/निगम में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के दखल में 97 एकक हैं।

मकान का किराया भत्ता, उन सरकारी कर्मचारियों को देय है जिन्हें सरकारी वास आवंटित नहीं किया गया है और यह उन्हें उनके प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा दिया जाता है और

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जा रहे मकान के किराया के भत्ते के बारे में सम्पदा निदेशालय द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

वित्तीय स्रोतों और भूमि की उपलब्धि आदि जैसे अन्य तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये, सरकार सामान्य पूल में यथासम्भव अधिकतम रिहायशी एककों की व्यवस्था के लिये हर संभव उपाय कर रही है । बम्बई में 962 रिहायशी एककों के निर्माण के लिये स्वीकृति दे दी गई है । निधियों की उपलब्धि होने पर, चौथी पंचवर्षीय योजना में, बम्बई में 1500 विभिन्न टाईप के क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

गुजरात में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के लिये धन का नियतन

6977. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य के लिये राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना, निम्न आय वर्ग गृह निर्माण योजना, मध्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना तथा ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ख) इनमें प्रत्येक योजना के अन्तर्गत वास्तव में अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य में कितने मकान बनाये जाने का कार्यक्रम था तथा वास्तव में कितने मकान बनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 832/69**]

आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति

6978. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग में गलत प्रमाण-पत्र देने पर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों की सूची में दर्ज किये गये गैर-अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये निर्धारित आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के बम्बई सर्किल में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध इस बारे में कोई शिकायतें तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

गुजरात राज्य में तेल की खोज

6979. **श्री रा० की० अमीन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और गैस की खोज करते समय यह पता चला है कि सौराष्ट्र के कुछ मध्य भाग को छोड़कर समस्त गुजरात राज्य में तेल के निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन संसाधनों की खोज करने के लिए सरकार द्वारा यथासम्भव क्या शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) गुजरात राज्य में निम्नलिखित 17 क्षेत्रों में तेल और/या प्राकृतिक गैस की विद्यमानता के चिह्न मिले हैं :

1. खम्भात
2. अंकलेश्वर
3. कलोल
4. नवागांव
5. कथना
6. घोलका
7. सानन्द
8. दक्षिण काडी
9. उत्तर काडी
10. बकरोल
11. अहमदाबाद
12. मेहसाना
13. सोमासन
14. वावेल
15. कोसम्बा
16. आल्पद और 17. वासो

(ख) इस क्षेत्र का विदोहन कार्य कुछ वर्ष पहले शुरू किया था और दो क्षेत्रों में व्यापारिक उत्पादन शुरू कर दिया गया है । अन्य दो क्षेत्रों में पहले ही परीक्षण उत्पादन हो रहा है । 10 अन्य क्षेत्रों, जहां तेल/गैस की विद्यमानता के चिह्न मिले हैं, में व्यधन तथा परीक्षण परिचालन कार्य पहले ही प्रगति पर हैं और यह कार्य तब तक होते रहेंगे जब तक व्यापारिक उत्पादन की अवस्था नहीं आ जाती । भूकम्पीय सर्वेक्षणों से 13 अन्य क्षेत्रों में अनुकूल संरचनाओं की विद्यमानता का भी पता लगा है । आने वाले वर्षों में ड्रिलिंग से इन संरचनाओं का परीक्षण किया जायेगा ।

गुजरात में पैट्रो-कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट

6980. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगपतियों ने सुझाव दिया है कि हमें अपनी टैक्नालाजी का विकास करने के लिए गुजरात में पैट्रो-कैमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित करने चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). बरौदा स्थित गुजरात मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज की फैडरेशन ने इस मंत्रालय को लिखा था कि मद्रास स्थित सैण्ट्रल इंस्ट्टीयूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरी एण्ड टूल्स की तरह गुजरात में एक उपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र होना चाहिए क्योंकि गुजरात में शीघ्र ही कई पैट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना होनी है । फैडरेशन को दिए गए उत्तर में बताया गया है कि पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये तकनीशनों की आवश्यकताओं को देहरादून के इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम द्वारा, जहां सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण कोर्सों तथा स्नातक इंजीनियरों के अभिस्थापन की व्यवस्था है, और कई कैमिकल इण्डस्ट्रीयल यूनिटों में शुरू किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा तथा कुछ मौजूदा कारखानों के विदेशी सहयोग करारों में भारतीय व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये की गई व्यवस्था से पूरा किया जायेगा ।

Family Planning Programmes

6981. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the specific measures being taken by Government to popularise the family planning programmes in the villages ;

(b) whether it is a fact that a very substantial part of funds meant for these programmes is being misappropriated ;

(c) whether Government have set up any high level inquiry to find out the facts ; and

(d) if so, the result of the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The specific measures taken by Government to popularise the Family Planning Programme in the villages include provision of a mobile audio-visual van, a portable exhibition set and other audio-visual equipment to every district Family Planning Bureau. The Press, Films and radio, outdoor publicity media like hoardings, bus-boards, wall paintings and metallic tablets are also being utilised in the ruralareas for propagating the norm of the small family. In addition, traditional

and cultural media like local song and drama troups, puppet parties, etc., are being mobilised for propagating the programme in the rural areas.

(b) No.

(c) and (d), Do not arise.

Tax on Persons going on Foreign Tours

6982. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to levy a tax on persons going on foreign tours ;

(b) the annual income estimated therefrom ; and

(c) whether such a scheme is being formulated with a view to minimise foreign tours or with a view to increase income ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. A Passenger Service Fee of Rs. 15.00 per head on every passenger, other than certain exempted categories, embarking at the four inrernational airports of India for a destination abroad has, however, been levied with effect from 1st April, 1969 under the Aircraft Rules framed under the Aircrafts Act, 1934 (22 of 1934).

(b) and (c). Do not arise.

दिम्बार हाइडल परियोजना तथा बारगी परियोजना

6983. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि 90 करोड़ की लागत की दिम्बार हाइडल परियोजना तथा बारगी परियोजना को चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया जाये ताकि उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने केवल उक्त कार्य के लिये धन नियत नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

गोलियां (पिल्स) का प्रभाव

6984. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पिल्स बूमरैंग आन हमबैंड्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) पतियों की इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिक्रिया है तो उस पर विभाग द्वारा चलाई जा रही मार्गदर्शी परियोजनाओं में निश्चय ही विचार किया जायेगा, क्योंकि ये परियोजनाएं मुख्यत: गोलियों की उपादेयता और स्वीकार्यता से सम्बन्धित हैं ।

रिवाल्विग निधि का निर्माण

6985. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद के 'रिवाल्विग निधि' निर्माण करने सम्बन्धी सुझाव पर इस बीच विचार करके निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). भूमि के अधिग्रहण तथा विकास और शहरी विस्तार के लिए रिवाल्विग निधि निर्माण करने के निमित्त राज्य सरकारों को ऋण के रूप में सहायता देने के लिए स्वास्थ्य तथा नगर विकास के मुख्य कार्य दल ने चौथी पंचवर्षीय योचना में 50 करोड़ रुपए का परिव्यय सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था । योजना आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ ।

Making of Gold from Mercury

6986. **Shri Ranjit Singh :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article by Shri P. D. Girdhar of Bhiwani published in the Tribune of the 12th August, 1968 in which it has been said that the

experiment of making gold from mercury had already been demonstrated successfully ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes Sir.

(b) No information is available with the Government indicating the possibility of converting mercury into gold.

Satellite Towns Around Delhi

6987. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of satellite towns which were to be built around Delhi under the Master Plan and the number so far built ;

(b) whether it is a fact that the Government of the States around Delhi have not extended their full cooperation in this connection ; and

(c) if so, the action to be taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Master Plan for Delhi recommends **inter alia**, the development of the ring towns of Narela in the Union territory of Delhi, Loni and Ghaziabad in Uttar Pradesh, and Faridabad, Ballabgarh, Bahadurgarh and Gurgaon in Hariyana. Considerable development has already taken place in Faridabad, Loni and Ghaziabad areas.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Recovery of Metal near the Samadhi of Late Jawahar Lal Nehru

6988. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the labourers who were digging a nallah near the Samadhi of late Jawaharlal Nehru had found a mass of metal weighing 25 pounds as reported in the Hindustan Times of the 24th December, 1968 ;

(b) whether Government have got examined its antiquity by the experts ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir. While engaged in excavation work near the Samadhi of late Shri Jawaharlal Nehru the labourers came across a cylinder like article of iron on 23rd December, 1968.

(b) and (c). No, Sir. The matter was immediately reported to the Station House Officer Darya Ganj Police Station, who suspected it to be a live bomb and informed the military authorities who arrived the same day for examination of the object. They removed the object to an isolated area near the Mughal Bund and blasted it.

राज्यों की अधिक धनराशि के लिए मांग

6989. **श्री अदिचन :**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों की अधिक धनराशि की मांग के बारे में क्या निर्णय किया गया है जिससे वे अपने आर्थिक दायित्वों को पूरा कर सकें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत सरकार अपने उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को उनकी आयोजना-गत योजनाओं के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक सहायता पहले ही दे रही है । चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विभिन्न राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता की रकमों का निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जायगा ।

Expenditure on Maintenance of Residences of Ministers other than the Prime Minister

6990. **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the amount of expenditure incurred during the years 1967-68 and 1968-69 on the maitenance and furnishing of the residences of Ministers other than the Prime Minister ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

	1967-68	1968-69
Maintenance	.. Rs. 7,32,371	Rs. 6,98,904
Furnishing	.. Rs. 2,48,276	Rs. 4,15,117

Well drilling by O. N. G. C.

6991. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of wells drilled by the Oil and Natural Gas Commission in Uttar Pradesh, Bihar and Punjab during 1967-68 ;

(b) the total amount spent by Government on the drilling of wells during the current years ; and

(c) the number of wells still being drilled ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Nil.

(b) Nil during 1968-69.

(c) No wells are currently being drilled in U. P., Bihar and Punjab.

Statues of British Rulers as a Gift to Foreign Countries

6992. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of such statues of British rulers as were removed from Delhi and other cities in India and were sent to foreign countries as a gift ;

(b) the number of other statues for which a demand to send them to foreign countries in the form of gift is under the consideration of Government at present ; and

(c) the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthi): (a) One.

(b) One.

(c) The request is under examination.

पीने के पानी के कुएं

6993. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार पेय जल के लिये कितने नलकूप लगाये गये हैं तथा उन पर कितना धन-व्यय किया गया है ; और

(ख) कितने कच्चे तथा पक्के कुओं की व्यवस्था की गई है तथा उन पर कितना धन व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

देहाती क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था

6994. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहाती क्षेत्रों में सफाई के बारे में क्या व्यवस्था की गई है ; कितने देहातों में की गई है तथा इस सम्बन्ध में अब तक राज्यवार कितना-कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) पेय जल की सप्लाई तथा सफाई व्यवस्था कार्य दोनों पर हुए कुल व्यय में केन्द्र तथा राज्यों के अंशदान का कितने-कितने प्रतिशत हिस्सा था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ग्राम क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी

मुख्यतः राज्य सरकारों की है। इस योजना के अन्तर्गत लाये गये ग्रामों की संख्या तथा व्यय की गई धन राशि के सम्बन्ध में सूचना (राज्यवार) उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जा रही है।

31 मार्च 1967 तक

1. नगर जल पूर्ति एवं मल निष्कासन योजनाओं के लिए	100 प्रतिशत ऋण के रूप में
2. ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए	50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में

1 अप्रैल, 1967 से आगे

1. नगर जल पूर्ति योजनाओं के लिये	100 प्रतिशत ऋण के रूप में
2. * ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिये	†50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में
3. (क) मल निष्कासन योजनाओं के लिये	75 प्रतिशत ऋण के रूप में 25 प्रतिशत सहायता के रूप में

(जहां मल का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, ऐसी मल निष्कासन योजनाओं के लिये दी जाने वाली सहायता को राज्य और केन्द्र दोनों को समान रूप से वहन करना होता है)

(ख) जहां मल का खेती के लिए उपयोग नहीं 100 प्रतिशत ऋण के रूप में किया जाता है।

बम्बई में मुद्रा को चोरबाजारी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाना

6995. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने 20 जनवरी, 1969 को बम्बई में

---

* (1961 में की गई जनगणना के अनुसार इसमें 20,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र तथा छोटे नगर भी सम्मिलित हैं)

†शेष खर्च का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा या तो पूर्णतः अनुदान के रूप में दिया जाता है अथवा राज्य सरकार और हितग्राहियों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

50 लाख रुपये की मुद्रा की चोरबाजारी करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं विदेशी तथा भारतीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय जांच कार्यालय, जाली आयात लाइसेंसों आदि के आधार पर विदेशों में भेजी गयी कथित विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में बम्बई में रजिस्टर कराये गये मामलों की जांच कर रहा है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा 14 मार्च, 1969 को दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3172 के उत्तर की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) इस सम्बन्ध में, अब तक चार भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जांच की जा रही है।

नेफा में तेल की खोज

6996. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सीताराम केसरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृज राज सिंह :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में तेल की खोज को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या व्यापारिक लाभ की दृष्टि से तेल की खोज करने के लिये उस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). दो कुओं का व्यधन किया जा चुका जा है तथा दो और कुओं के व्यधन कार्य की योजना को हाथ में लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). व्यधन-कार्य को करने से पूर्व भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य किये गये हैं।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

6997. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में थोक मूल्यों के सूचकांक में जनवरी, 1969 में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। एक फरवरी, 1969 को थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक (1952-53=100) 205.1 था जब कि 28 दिसम्बर, 1968 को वह अंक 206.3 था। इस प्रकार उस अवधि में सूचक अंक 0.6 प्रतिशत घट गया था।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

लौह अयस्क पर स्वामिस्व की दर में वृद्धि

6998. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलाडिला लौह अयस्क पर स्वामिस्व की दर 50 पैसे प्रति टन बढ़ा दी गई है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार को कितनी अतिरिक्त आय होगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में रहने वाले आदिम जातीय लोगों के कल्याण के लिए पृथक रूप से इस स्वामिस्व का कुछ प्रतिशत भाग नियत किये जाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ करार

7000. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) क्या अदायगी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1967 से 1969 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नांकित सहायता देने की सहमति दी है :

सहायता का स्वरूप	सहायता की राशि (अमरीकीय डालर में)		
	1967 (वास्तविक)	1968 (अनुमानित)	1969 (अनुमानित)
छः मलेरियाविदों/महामारी वैज्ञानिकों	91,974	89,005	1,18,898
सामग्री और उपस्करण	8,795	9,000	3,000
नेशनल-टीमें (नेशनल स्टाफ को वेतन का आंशिक भुगतान)	57,300	57,300	57,300
राष्ट्रीय सम्मेलन (यात्रा व्यय)	3,000	20,300	20,300
समेकन पूर्व मूल्यांकन			
अल्पकालीन परामर्शदाता/मलेरियाविदों के लिए यात्रा व्यय	3,472	5,800	5,400
व्यवसायिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण/ शिक्षावृत्ति	6,450	1,300	5,400
सामग्रियों और उपस्करण का विशेष लेखा	—	2,00,000	—
योग	1,70,991	3,82,705	2,10,298

(ग) सहायता, अनुदान के रूप में दी जा रही है और इसकी अदायगी का प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले पर रायल्टी के बकाया में छूट

7001. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला खान मालिकों ने यह मांग की है कि कोयले पर रायल्टी की बकाया राशि को माफ कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो रायल्टी की बकाया राशि कितनी है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों ने उसके बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या कोयला खान मालिकों ने यह वचन दिया था कि वे रायल्टी माफ करने के बदले में किसी राजनीतिक दल की चुनाव निधि में अपना अंशदान देंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). कोयले पर स्वामिस्व के बकाया की वसूली के अन्तर्गत विषयों, जिस में उसे प्रावस्थाओं में बाटने का प्रश्न सम्मिलित है, पर विचार करने के लिये बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 19 दिसम्बर, 1968 को एक प्रारम्भिक बैठक की गई थी । इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। बिहार में स्वामिस्व के बकाया की अनन्तिम राशि 20 से 25 करोड़ रुपये तक है और पश्चिम बंगाल में यह लगभग 10 करोड़ रुपये है ।

(ग) ऐसा कोई विषय इस विभाग के ध्यान में नहीं आया है ।

Minerals in Banda (U. P.)

7002. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various types of metals, cement and stones can found in District Banda of U. P. ;

(b) if so, whether Government have conducted any survey in that district in this regard during the last few years and if so, the outcome thereof ; and

(c) whether Government propose to set up any industry based on these metals in that district during the Fourth Five Year Plan period with a view to provide some employment to the unemployed people there and if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). Yes, Sir. As a result of investigations carried out by the Geological Survey of India in Banda district of Uttar Pradesh deposits and occurrences of aluminous laterite and bauxite, dolomite, clay, semi-precious stone (agate), glass sand, yellow and red ochres, felspar and quartz have been located in parts of Banda district.

(c) Under the Central Sector, there is no scheme at present to set up any metallurgical industry in Banda district of Uttar Pradesh.

Recovery of Rupees and Watches from an Afghan National

7003. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs Officers posted at Hussainiwala on Indo-Pak border recovered Indian currency worth rupees twenty five thousand and some watches from an Afghan national on or about the 15th February, 1969 ; and

(b) the number of watches recovered and the action taken by Government against the person arrested ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). On 15th February, 1969, Customs officers posted at Hussainiwala on Indo-Pak border seized Indian currency worth Rs. 20,000/-, besides 72 wrist watches valued at about Rs. 6,300 and five tins of saffron valued at about Rs. 1,000 from one Afghan National. The person concerned was arrested and released on bail. The accused did not appear in the court on due dates and appears to have jumped bail.

कोयले का उत्पादन

7004. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार कितना कोयला निकाला गया और भेजा गया ;

(ख) 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक वर्ग के उपभोक्ता की कोयले की खपत कितनी थी ;

(ग) प्रत्येक वर्ग के उपभोक्ता की कोयले की भावी अनुमानित मांग कितनी है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1965-66 से 1968-69 की अवधि में कोयले का (लिग्नाइट सहित) कुल उत्पादन तथा प्रेषण निम्न प्रकार से था :

(लाख मैट्रिक टनों में)

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 (अनुमानित)
उत्पादन	702.99	710.24	719.60	738.70
प्रेषण	631.77	619.71	647.73	666.80

(ख) और (ग). 1965-66 से 1968-69 तक की अवधि में कोयले की कुल खपत, उपभोक्ता अनुसार, तथा 1973-74 तक की अनुमानित मांग के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 (अनुमानित)	1973-74 अनुमानित अनन्तिम)
1—रेलवे विभाग	173.0	168.0	167.2	162.3	134.0
2—तापीय बिजलीघर	93.3	98.9	105.5	113.7	218.8
3—इस्पात संयंत्र	111.9	111.9	110.3	122.5	288.2
4—अन्य उपभोक्ता	236.1	242.3	262.9	267.6	294.0
जोड़	614.3	621.1	645.9	666.1	935.0

(घ) चौथी योजनावधि (1973-74) के अंत तक होने वाली कोयले की संभावित मांग की पूर्ति के लिये उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य 935 लाख मैट्रिक टन है ।

गर्भ निरोधक गोलियां

7005. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक की अवधि में प्रति वर्ष गर्भ निरोधक गोलियों की कितनी मांग रही तथा उनका कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) गर्भाशयान्तर गर्भनिरोध युक्ति कार्यक्रम सहायक कार्यक्रम के रूप में अब तक कितनी अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है, यदि हां, तो कितना विस्तार किया जा रहा है ;

(घ) इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विदेशी एजेंसी से नकद तथा वस्तुओं के रूप में कितनी सहायता मिली है;

(ङ) कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव रहा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) गर्भनिरोधक गोलियों की मांग का अभी निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि मार्गदर्शी परियोजनाएं गोलियों को स्वीकार्यता और उपादयता का अभी मूल्यांकन कर रही हैं । भारत में दो गैर-सरकारी कम्पनियों ने खाने वाली गोलियां तैयार करने के लिए कारखाने स्थापित किये हैं । इनके उत्पादन के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 222 परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ।

(ग) शुरू में 121 परियोजनाएं थीं । ऐसी परियोजनाओं की संख्या में अब 222 तक वृद्धि हो गई है जो बाद में 332 तक हो सकती है ।

(घ) खाने वाली गोलियों की 10 लाख पैकेट जिनकी कीमत 14.41 लाख रुपये है और इन परियोजनाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए दो लाख रुपये की सहायता अमरीकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी से प्राप्त हुई है ।

(ङ) गोलियों का सेवन करने वाली लगभग 9000 महिलाओं के सम्बन्ध में 15 महीने के एकत्र किये गये आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 60 प्रतिशत महिलायें इनका प्रयोग कर रही हैं । आगामी अध्ययन अभी किये जा रहे हैं ।

आमवातिक (रयूमेटिक) हृदय रोग के मामले

7006. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किये गये एक अध्ययन के अनुसार देश में अस्पतालों में प्रविष्ट होने वाले हृदय रोग के लगभग 35 प्रतिशत रोगी आमवातिक (रयूमेटिक) हृदय रोग से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के हृदय रोग के उन्मूलन के लिए सरकार ने यदि कोई निवारक और उपचारात्मक उपाय किये हैं तो उनका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, प्रतिशतता 35 और 50 के बीच में है ।

(ख) यह अध्ययन बहुत वर्षों के अखिल भारतीय अस्पतालों के रिकार्डों, शव-परीक्षा के आकड़ों, महामारी विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण, जीवन-बीमा सम्बन्धी आकड़ों और जन्म-मरण सांख्यिकी के एक विश्लेषण पर आधारित है ।

(ग) लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में सन्धिवातिक हृदय रोग की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं । शल्य चिकित्सा की सुविधाएं नई दिल्ली, वेल्लोर, बम्बई, कलकत्ता और कुछ अन्य स्थानों में उपलब्ध हैं ।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यवसाय

7007. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि का नया व्यवसाय किया गया ;

(ख) वर्ष 1967-68 में कुल कितनी राशि का विदेशी व्यवसाय किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में कुल कितना लाभ हुआ ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). निगम द्वारा 1967-68 में 844.5 करोड़ रुपये का जीवन बीमे का नया कारोबार किया गया था, जिसमें से 835.4 करोड़ रुपये का कारोबार भारत में था, तथा 9.1 करोड़ रुपये का कारोबार भारत के बाहर था ।

(ग) द्विवार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 1967 को, वितरण के लिए उपलब्ध लाभ की कुल रकम 74·05 करोड़ रुपये थी । अगला मूल्यांकन 31 मार्च, 1969 तक का किया जायगा ।

सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति

7008. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के शेष उपक्रमों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिभावान स्थानीय लोगों की अपेक्षा किये जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों को दूर करने के हेतु अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके को नियमित करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के सम्बन्ध में 25 फरवरी, 1969 को सूचना दी गई थी । सरकारी क्षेत्र के 25 और उपक्रमों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 833/69]

(ग) से (ङ). जिस राज्य में सरकारी उद्यम स्थापित किए गये हैं उन राज्य के लोगों के लिए वैसे तो नौकरियों में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखे जाते । फिर भी, जो हिदायतें जारी की गई हैं उनके अनुसार सरकारी उद्यमों को 500 रुपये से कम मासिक मूल्य वेतन वाले पदों की भर्ती राष्ट्रीय नियोजन सेवा के माध्यम से ही करनी होती है और भर्ती के अन्य स्रोतों का उपयोग नियोजन केन्द्र द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है । उच्च पदों के सम्बन्ध में, अपेक्षित प्रतिभा वाले लोगों को आकर्षित करने के लिये, सरकारी उद्यमों को अखिल भारतीय आधार पर भर्ती करनी होती है ।

Appointment of Hindi Officer in Ministry of Irrigation and Powers

7009. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Arjun Singh Bhadoria

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether appointment to the post of Hindi Officer in his Ministry has been made ;

(b) whether applications were invited therefor ;

(c) if so, the number of applications received and the number of candidates called for interview out of them ; and

(d) the educational qualifications of various applicants and the experience of each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad):(a) and (b). Yes, Sir.

(c) Applications were received from 40 candidates, of whom 17 were ineligible. The service records of the 23 eligible candidates were forwarded to the Union Public Service Commission for selection. The candidate recommended by the Union Public Service Commission, has been appointed as Hindi Officer in this Ministry.

(d) A statement giving the requisite information in respect of these applicants is attached. **[Placed in Library, See No. L.T.-834/69].**

Promotion to Hindi Officials of Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development

7010. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Officers, Hindi Translators and Hindi Assistants, separately, at present in his Ministry and the number thereof likely to be created during 1969-70.

(b) the number of years for which the Hindi Assistants and Translators have been working on their posts;

(c) the channel of promotion for them ;

(d) whether there are some such ex-cadre posts in his Ministry where no proportion of promotion has been fixed ; and

(e) if not, the reasons for discrimination towards Hindi personnel ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Income-Tax Appeals Decided by Madhya Pradesh High Court

7011. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of income-tax appeals decided by Madhya Pradesh High Court during the last three year ; and

(b) the number of appeals admitted, partially admitted and disallowed out of the above, separately ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The required information is given in the Annexure.

Statement

		1966-67	1967-68	1968-69
1. Total number of appeals decided	..	22	39	12
2. Out of (1) above				
(i) Number of appeals admitted :—				
(a) Departmental	..	—	7	—
(b) Assessees	..	13	9	3
(ii) Number of appeals partially admitted :—				
(c) Departmental	..	—	—	—
(d) Assessees	..	—	—	—
(iii) Number of appeals disallowed :—				
(e) Departmental	..	2	8	2
(f) Assessees	..	7	15	7

मध्य प्रदेश की हीराकुड परियोजना से बिजली की सप्लाई

7012. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में हीराकुड परियोजना से बिजली की सप्लाई के लिए 5 पैसे प्रति यूनिट की दर निर्धारित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हीराकुड के अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश का भी भाग है और इसलिए मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई के लिए व्यापारिक दर नहीं दी जा सकती है ;

(ग) यदि हां, तो यह दर हीराकुड में प्रजनन-लागत का और पारेषण लागत का योग होगी ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दर के बारे में समझौता न होने के कारण मध्य प्रदेश की हिराकुड से बिजली की सप्लाई अभी तक आरम्भ नहीं हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). उड़ीसा सरकार ने हीराकुड से मध्य प्रदेश को 5000 किलोवाट बिजली देना स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि चूंकि हीराकुड परियोजना के वाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश का भी भाग है, उन्हें हीराकुड परियोजना से उत्पादन तथा पोरषण की मूल लागत पर बिजली मिलनी चाहिए। दोनों सरकारें बिजली सप्लाई की दरों पर फैसला न कर सकीं।

मध्य प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना पर कि केन्द्रीय सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने उड़ीसा से इस मामले पर पत्र-व्यवहार किया और एक समिति नियुक्त की जिसमें राज्य सरकारों तथा केन्द्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने इस मामले की विस्तृत रूप से जांच की किन्तु दर के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। इसके पश्चात् इस मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है किन्तु अब तक कोई स्वीकृत दर का निर्णय नहीं हुआ है। इस बारे में और प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग सिस्टर

7013. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सिंग सिस्टर्स के कितने पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं ; और

(ख) उपयुक्त नर्सों की पदोन्नति करके इन रिक्त स्थानों को नहीं भरने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) छः

(ख) नर्सिंग सिस्टरों के खाली पदों पर नियुक्ति की पात्र वरिष्ठ नर्सों की उपयुक्तता के मूल्यांकन में विलम्ब इसलिए हुआ कि अन्य अस्पतालों/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गई कुछ नर्सों की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इन गोपनीय रिपोर्टों को जल्दी एकत्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं। गोपनीय रिपोर्टों के मिलते ही पात्र उम्मीदवारों में से इन पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

Khureji Khas Colonies Across Jamuna

7014. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the news published in the newspapers regarding the resentment prevailing among the people due to acquisition of land in Shakarpur Khureji Khas area across Jamuna river ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ;

(c) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation had regularised most of the Khureji Khas colonies in the year 1962 itself ;

(d) whether it is also a fact that the said approved colonies have been shown as residential area in the draft Zonal Plan of the Delhi Development Authority ;

(e) if so, the reasons for causing harrassment to the residents of the said areas ; and

(f) whether Government propose to take remedial steps in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The residential plots falling in the approved portion of the colonies regularised by the Delhi Municipal Corporation in the year 1962 would be excluded from the purview of land acquisition awards, subject to payment of development charges and fulfilment of the conditions prescribed in this regard by the Delhi Municipal Corporation. However, the areas/houses required for community facilities, such as roads, school sites, parks and the like, would be acquired.

(c) Khureji Khas is a big area consisting of many colonies. Of these, the colonies of Gopal Park, Gobindpura, New Gobindpura, Rashid Market, Ram Nagar, Gian Park, Lachman Park, Indra Park, Anarkali and Sri Ram Nagar falling in the above area were regularised by 1962.

(d) to (f). In view of the position explained in the answer to Part (b) above, the question of causing any harassment to the residents of the approved colonies does not arise.

निर्यात के लिये प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

7015. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उद्योगों को सरकार द्वारा निर्यात के प्रयोजनों के लिये प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषित किया गया है ;

(ख) प्राथमिकता किस आधार पर निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ और उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की श्रेणी में लाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और उन उद्योगों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) . निर्यात के प्रयोजनों के लिए, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की कोई सूची नहीं है। उन 59 उद्योगों की सूची के बाहर के उद्योग भी, जिन्हें कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और फालतू कल पुर्जे के लिए आयात लाइसेंस दिये जाने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों का नाम दिया गया है (आयात व्यापार नियंत्रण नीति, 1969-70, खण्ड 1 का परिशिष्ट I), आवश्यकता पर आधारित वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस-प्रदान व्यवस्था के अन्तर्गत आ जाते हैं जो इन 59 उद्योगों पर लागू होती है, बशर्ते कि उनके अन्तिम उत्पाद पंजीकृत निर्यातकों सम्बन्धी आयात नीति (आयात व्यापार नियंत्रण नीति, 1969-70, खण्ड II) के अन्तर्गत आयात पुनर्भरण के प्रयोजनों के लिए निर्यात-वस्तुओं में आ जाते हों और सम्बद्ध एककों ने ठीक पहले के वर्ष अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात किया हो। दूसरी ओर, उन 10 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख आयात व्यापार नियंत्रण नीति, 1969-70, खण्ड 1 के परिशिष्ट 10 में किया गया है, यह व्यवस्था की गयी है कि हालांकि ये उद्योग 59 उद्योगों की सूची में शामिल हैं, लेकिन आवश्यकता पर आधारित वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस-प्रदान व्यवस्था उन पर तभी लागू होगी जब सम्बद्ध एककों ने ठीक पहले के वर्ष में अपने उत्पादन के कम से कम 5 प्रतिशत का निर्यात किया हो। लेकिन यह शर्त इन उद्योगों के छोटे पैमाने के एककों पर और बड़े पैमाने के उन एककों पर लागू नहीं होती, जिनमें उत्पादन शुरू हुए 5 वर्ष पूरे न हुए हों। निर्यात की न्यूनतम मात्रा के लिए, इन उद्योगों को चुनने का आधार यह है कि ये उद्योग काफी अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं और उल्लिखित अंतिम उत्पादों के निर्यात की काफी संभावना है। इस सूची का अंतिम पुनरीक्षण और विस्तार हाल ही में 1 अप्रैल, 1969 को किया गया था और फिलहाल इसमें कोई और वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

सोडा ऐश और कास्टिक सोडे का उत्पादन और आयात

7016. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडा ऐश और कास्टिक सोडे का पृथक-पृथक वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) चौथी योजना में सोडा ऐश और कास्टिक सोडे के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या सोडा ऐश और कास्टिक सोडे का कोई आयात किया गया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश से प्रत्येक का कितनी मात्रा का आयात किया गया ; और

(घ) देश में इनके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) 1968 के दौरान सोडे ऐश का उत्पादन 396,000 मीटरी टन और कास्टिक सोडे का उत्पादन 306,000 मीटरी टन था ।

(ख) इन आर्गेनिक केमिकल्स की डिवेलपमेंट कौंसिल ने चौथी योजना के लिये 550,000 मीटरी टन सोडा ऐश और 500,000 मीटरी टन कास्टिक सोडे के उत्पादन लक्ष्यों की सिफारिश की है । तथापि, इन्हें अंतिम रूप देना है ।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 835/69]

(घ) 200,000 मीटरी टन सोडे और 124,000 मीटरी टन कास्टिक सोडे की अतिरिक्त क्षमता की योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है । और क्षमता स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

Rural Housing Scheme in Bihar

7017. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government provide financial assistance to the State Governments every year for the implementation of rural housing scheme ;

(b) if so, the amount paid to the Government of Bihar during 1967-68 and 1968-69 separately ;

(c) whether Government of Bihar have utilised the entire amount provided ;

(d) if so, the number of villages where residential houses were constructed in Bihar and the number of such houses ; and

(e) if not, the reasons therefor and the amount of unutilised funds ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Under the Village Housing Projects Scheme, introduced by the Central Government in 1957 financial assistance is provided to the State Governments, both in the shape of loans and grants, for implementation of the Scheme. Loans are admissible to the villagers for construction of new houses as well as for improvement of existing houses. Grants can be utilised by State Governments for providing free house-sites to landless agricultural workers and for providing streets and drains to improve environmental hygiene in the selected villages.

It is a State-plan scheme and the States are required to accommodate funds provided for the purpose, within their annual plan ceilings. Central assistance to the States under the Scheme is released provisionally every year on the basis of actual expenditure for the first three quarters and the anticipated expenditure for the fourth quarter as reported by the State Governments. The scheme-wise allocation of funds during 1967-68 and 1968-69 has not been reported by the Government of Bihar. But on the basis of expenditure reported, they have drawn Central assistance of Rs. 0.25 lakh during 1967-68 and Rs. 0.70 lakh during 1968-69.

(d) In Bihar, the Scheme is being implemented in 73 villages and so far, 80 houses have been completed against 404 sanctioned for construction.

(e) Does not arise in view of the reply to parts (a), (b) and (c) above.

Shifting of Amjhor Sulphur Factory from Dalmia City to Faridabad

7018. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to shift the Amjhore Sulpur factory situated near Dalmia city in Bihar to Faridabad near Delhi ;

(b) if so, whether it is also a fact that the people of Bihar, particularly those of Shahabad District and adjoining areas, are opposed to the above proposal ; and

(c) if so, whether Government have abandoned their earlier decision of shifting the Amjhore factory ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). There is no Sulphur factory at Amjhore but there is a mine of pyrites. The question presumably relates to the proposal to shift the Headquarters of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. from Dehri-on-Sone to a more centrally located place. If so, it is a fact that representations against the proposed shift have been received and the matter is under consideration.

ब्ल्यू फिल्मों की तस्करी

7019. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी फिल्मों को चोरी छिपे भारत में लाये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्ष 1968 में और मार्च, 1969 तक कितनी ब्ल्यू फिल्में पकड़ीं ; और

(ग) किन-किन पक्षों से ऐसी फिल्में बरामद हुईं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1968 के दौरान तथा मार्च 1969 तक निम्नलिखित व्यक्तियों से पांच अश्लील फिल्में पकड़ी गयीं थीं ।

(1) ल्यूशियानो रौडक्लिफ

(2) बाबूलाल जे० चोपड़ा

(3) अब्दुल अजीज सलीहल बसाली

(4) ननवानी टी० लछाराम

राजस्थान में देहात विद्युतीकरण योजना

7020. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार की सलाह से राज्य के लिये देहात विद्युतीकरण की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ग्राम विद्युतीकरण के लिये स्कीमें नहीं बनाती । ये स्कीमें राज्य बिजली बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार की सलाह से, बनाई जाती हैं । राजस्थान से 300.54 लाख रुपये की एक स्कीम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और उसको मई, 1968 में योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी थी । इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में 5844 सिंचाई पम्पों का ऊर्जन तथा 771 ग्रामों का विद्युतीकरण होना है ।

विदेशी विनियोजन में कमी

7021. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 तथा 1968-69 में पिछले वर्षों की अपेक्षा विदेशी विनियोजन कम हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने पूंजी विनियोजन में इस कमी के कारणों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) भारत में लगी विदेशी पूंजी के आंकड़े, विदेशी निवेशों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर किये जाने वाले सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किये जाते हैं । भारत में, कारबार में लगायी गयी विदेशी पूंजी की वास्तविक बकाया रकमों के सबसे हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे मार्च, 1965 के

अन्त के हैं। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, अपने मासिक बुलेटिन के जनवरी, 1967 के अंक में प्रकाशित "1963-64 और 1964-65 में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति" नामक लेख में दिये गये हैं। बाद के वर्षों की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, भारत सरकार ने इन वर्षों में, सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने के लिये जो स्वीकृतियां दी हैं वे इस प्रकार हैं :

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1965-66	35.4
1966-67	38.6
1967-68	22.1
1968-69	7.0

(अप्रैल से दिसम्बर तक)

भारत में विदेशी पूंजी लगाने के लिये 1967-68 में और अप्रैल 1968 से दिसम्बर 1968 तक जो रकमें मंजूर की गयी थीं वे 1965-66 और 1966-67 में मंजूर की गयी रकमों से कम हैं ।

(ख) और (ग). सम्भव है कि भारत में विदेशी पूंजी लगाने के लिये 1967-68 में और अप्रैल 1968 से दिसम्बर 1968 तक मंजूर की गयी रकमों में जो कमी हुई है वह अंशतः इन कारणों से हुई हो :

(i) 1967 में, आर्थिक कार्यकलाप घट जाने के कारण देश में मन्दी का आना,

(ii) देश में, पिछले कुछ वर्षों में सूखे जैसी स्थिति का बना रहना

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट-ब्रिटेन जैसी पूंजी का निर्यात करने वाले देशों द्वारा अपनी पूंजी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना ।

बिड़ला कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

7022. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व एक विशेष अधिकारी ने पता लगाया था कि बिड़ला सार्थ समूह ने लगभग बारह करोड़ रुपये के करों आदि का अपवंचन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्धारण के बाद मामले के बारे में छप्पन लाख रुपये में समझौता हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस समझौते के लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और क्या उनमें से कोई अधिकारी इस समय बिड़लाओं के यहां सेवा कर रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर जांच आयोग के प्राधिकृत अधिकारी ने बिड़ला समूह के मामलों में 1940-41 से 1947-48 तक की अवधि

के दौरान कुल 12.03 करोड़ रुपये छिपाये जाने का अनुमान लगाया था। उसने कोई वास्तविक निर्धारण नहीं किया था, बल्कि आयोग को केवल अपना अनुमान बताया था। बाद में, वास्तव में छिपाई गई रकम 6.13 करोड़ निश्चित की गयी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर बिहार में उद्योगों में उत्पादन और उससे प्राप्त लाभ

7023. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र उद्योगों में वार्षिक उत्पादन कुल कितनी कीमत का हुआ और उससे कितना लाभ हुआ ;

(ख) उन उद्योगों का कुल उत्पादन के मूल्य तथा लाभ की राशि का कुल कितना अनुपात बिहार में गैर-सरकारी नागरिकों और सरकारी संस्थाओं के पास रहता है ; और

(ग) उन औद्योगिक कम्पनियों द्वारा राज्य को देने वाली राशि और करों और शुल्कों आदि का कितना अनुपात बिहार सरकार और कितना अन्य राज्यों अथवा केन्द्रीय सरकार के पास रहता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बिहार में स्थित सरकारी उद्यमों / एककों को 1967 में हुए कुल लाभ का, जिसमें ब्याज और कर की रकमें शामिल हैं, और साथ ही उन्होंने अपने उत्पादन की जो कुल मात्रा बेची उसकी लागत का, जिसमें खपत भी शामिल है, विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

उद्यम/एकक	निर्मित माल की लागत (मूल्यह्रास शामिल है) (करोड़ रुपयों में)	कुल लाभ (+) / हानि (—) (ब्याज और करों की रकम चुकाने से पहले) (करोड़ रुपयों में)
1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	13.74	(—) 9.32
2. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड*	27.96	2.04
3. भारतीय तेल निगम लिमिटेड*	416.33	14.96
4. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	14.70	0.08
5. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड*	13.81	(—) 0.54
6. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड*	1.13	0.26
7. बोकारो स्टील लिमिटेड**	—	—
8. यूरोनियम निगम लिमिटेड**	—	—
9. पाईराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड**	—	—
10. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड**	—	—

*इसमें अन्य राज्यों में स्थित एककों का उत्पादन / लाभ भी शामिल है।

**1967-68 में कोई उत्पादन नहीं हुआ।

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन के मूल्य की सबसे हाल की उपलब्ध सूचना 1966 की है। केन्द्रीय अंकसंकलन संगठन द्वारा तैयार किये गये अन्तिम आंकड़ों के अनुसार, खानों से भिन्न सभी कारखानों, अर्थात् बिजली से चलने वाले कारखानों द्वारा, जहां 50 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, या बिजली का इस्तेमाल न करने वाले कारखानों द्वारा, जहां 100 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, किये गये कुल उत्पादन का, कारखाने से निकलते समय का कुल मूल्य उस वर्ष 492.81 करोड़ रुपया था।

औद्योगिक लाभ के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि राज्यों में स्थित उद्योगों द्वारा, जिनमें बिहार राज्य भी शामिल है, तैयार किये गये माल या उनके द्वारा कमाये गये मुनाफे का कितना भाग उन राज्यों से बाहर ले जाया गया।

(ग) बिहार या किसी भी दूसरे राज्य के सम्बन्ध में, वहां के औद्योगिक उत्पादन पर लगाये गये करों में केन्द्र / राज्य सरकार के हिस्से के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सब्जी मंडी दिल्ली के व्यापारियों से सरकारी बकाया राशि का वसूल न किया जाना

7024. **श्री जुगल मंडल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल को दिनांक 3 दिसम्बर, 1968 को कोई ज्ञापन या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि सब्जी मण्डी, दिल्ली के दुकानदारों की ओर सरकार की बकाया राशि या किराया जो 42 लाख रुपये है, वसूल न किये जाने के मामले पर विचार करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या कहा गया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में आलीशान इमारत

7025. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भूतपूर्व देशी रियासतों में अनेक आलीशान इमारतें खाली पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को इन स्थानों पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है और यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इन इमारतों को कैसे प्रयोग में लाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ऐसे किसी खाली भवन की हमें जानकारी नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के प्रभार के अन्तर्गत कोई भवन खाली नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की सीढ़ियों की सफेदी

7026. **श्री क० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में टाइप दो के क्वार्टरों में पहली मंजिल पर जाने की सीढ़ियों की दीवारों पर गत कई वर्षों से सफेदी और रंग आदि नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इन दीवारों पर एक अथवा दो वर्ष पूर्व रंग करना आरम्भ किया गया था परन्तु कुछ क्वार्टरों में रंग किये जाने के बाद यह कार्य बन्द कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसे बन्द करने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या सरकार का विचार उसे अब पूरा करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सीढ़ियों के रंगे हुए भाग के ऊपर की सफेदी समय-समय पर की जाती है। तथापि, 1962 से रंगे हुए भागों को पुनः नहीं रंगा गया है।

(ख) जी, हां, यह कार्य जनवरी, 1968 में आरम्भ किया गया था और मार्च, 1968 में 174 सीढ़ियों के पूरा हो जाने पर बन्द कर दिया गया।

(ग) कार्य इसलिये बन्द किया गया था क्योंकि कुछ शिकायतें थी, तथा रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन पुनः रंग के काम में लाल आक्साइड के फिनिश से नहीं कराना चाहती थी।

(घ) अब गड्ढों की मरम्मत करने के बाद, शेष क्वार्टरों की सीढ़ियों की दीवारों को आयल पेंट से रंगने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

New Sterilization Technique Demonstration by Bombay Surgeon

7027. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri B. K. Das Chowdhury :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Dr. Purandare, a Surgeon in Bombay, has invented a simple and easy device for the sterilization of women ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) and (c). Full details of the new technique are being collected. The question of adoption of the new technique for sterilization of women under the Family Planning Programme in India will be examined after the technical details have been received.

राजस्थान नहर

7028. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर की राजस्थान राज्य के लिये उपयोगिता को ध्यानमें रखते हुए चौथी योजना के लिए नियत की गई धनराशि से अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की अनुमति दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो योजना के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इस अवधि के बढ़ाये जाने से न केवल इसके परिणामों और लाभ में देरी होगी बल्कि इसकी निर्माण लागत में भी वृद्धि होगी ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही इसका पता चलेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यदि धन उपलब्ध होता रहा तो प्रथम चरण में निर्धारित कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होंगे ।

(घ) जी, हां ।

Promotions to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development

7029. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minster of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the department-wise, section-wise and category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them up to the 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions made in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Estt. (c) dated the 11th July, 1968; and

(b) the designations of such employees and the names of the Departments where they are working?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The information is being collected and will be laid down on the Table of the Lok Sabha.

Income Tax Concession to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

7030. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a provision to grant some concession in Income-tax to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether it is also a fact that the rate of economic development of these Castes/Tribes has been slower than other castes;

(c) the number of persons belonging to these categories on whom income-tax was assessed during 1967-68 and 1968-69;

(d) whether Government are inclined to exempt them from payment of Income tax in order to encourage their economic, educational and social development; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir, there is no such general provision in the Income-tax Act to grant some concession in Income-tax the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, the Income-tax Act, 1961 [Section 10 (26)] contains a provision whereby the members of Scheduled Tribes as defined in clause (25) of Article 366 of the Constitution, who are residing in certain specified hilly areas of Assam, and in the Union territories of Manipur and Tripura are entitled to exemption from the payment of Income-tax subject to the fulfilment of certain conditions laid down in the Act in this behalf.

(b) Specific studies on this point have not been made.

(c) It is not possible to furnish this information, because the Income tax Department does not maintain such statistics with reference to the caste/community of the Income-tax payers.

(d) and (e). The grant of any tax concession to members of Scheduled tribes beyond what is already provided in the law is not considered necessary by Government.

Inflation of Currency

7031. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a state of inflation of currency in India during the Plan periods ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of currency notes and coins that were in circulation upto March 1969 in India ;

(d) the value of currency at present in circulation ; and

(e) whether the price-index has been shooting up because of more currency thrown in circulation ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Total notes in circulation increased by 15 percent, 36.3 percent and 45.4 percent respectively during the first three five-year plan periods. Between end-March, 1966 and end-March 1969, the increase in the notes in circulation was of the order of 22.3 percent.

(b) The increase in the note circulation took place as a part of the increase in money supply. A major factor responsible for this increase in money supply was the need for meeting the increased monetary requirements resulting from the growth of national output and the expansion of the monetised sector of the economy.

(c) Information is being collected.

(d) The total value of currency with public (includes notes, rupee coins and small coins in circulation) as on 4th April, 1969—the latest date for which information is available —amounted to Rs. 3,759 crores.

(e) Price are the resultant of a complex of factors such as variations in money supply and changes in the levels of agricultural and industrial production. The behaviour of the price index cannot be interpreted in term of any single factor such as increase in currency.

बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा जुर्माना लौटाना

7032. **श्री मधुलिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य द्वारा की गई बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में केन्द्रीय राजस्व ब्यूरो (सी० बी० आर०) द्वारा जुर्माना लौटाने सम्बन्धी भविष्यवाणी ठीक वैसी ही सही सिद्ध हुई है जैसे अगस्त 1968 में बी० ओ० ए० सी० के विमान से सोना पकड़े जाने के बारे में उनकी भविष्यवाणी ठीक सिद्ध हुई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय राजस्व ब्यूरो के सम्बन्धित सदस्यों के विरुद्ध इस बीच जांच का आदेश दे दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड एक ऐसा निकाय है जिसका गठन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत किया गया था, तथा अन्य बातों के साथ-साथ इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के

अन्तर्गत अर्द्ध-न्यायिक अपीलीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। बोर्ड ने मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी कलकत्ता, से सम्बन्धित मामलों में न्याय-निर्णय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों में दिये गये अपने फैसले में लगाया गया दण्ड घटा दिया था। बी० ओ० ए० सी० के एक वायुमान से सोना पकड़े जाने के मामले से सम्बन्धित एक अन्य अपील में बोर्ड ने जिसका गठन उस बोर्ड से भिन्न था जिसने बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले की सुनवाई की थी—सोना तथा वायुयान छोड़ने और दण्डों तथा जुर्मानों यदि कोई अदा कर दिये गये हों, की वापसी का आदेश दिया था। विचाराधीन किसी भी प्रश्न पर किसी व्यक्ति द्वारा इस या उस पक्ष में पहले से ही अपना मत व्यक्त कर देने के बावजूद, बोर्ड को अपनी श्रेष्ठ न्याय बुद्धि के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करना ही होता है।

(ख) और (ग). सरकार ने अपील के इन आदेशों की जांच कर ली है तथा उसे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे यह ध्वनित होता हो कि अपीलीय फैसले बदनीयती अथवा बेईमानी से दिये गये थे अथवा अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए बोर्ड पर कोई बाहरी प्रभाव पड़ा था। अतएव, बोर्ड के आचरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जांच के आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता।

Agricultural Income-tax on Farmers Question

7033. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to levy agricultural income-tax on genuine farmers ;

(b) if so, whether Government have determined the definition of genuine and non-genuine farmers on the basis of actual state of affairs prevailing in each state ;

(c) the definition of genuine farmers in Bihar ; and

(d) if not, the percentage of farmers in Bihar likely to be affected by this tax.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Under the Constitution, the taxation of agricultural income is a State subject and Parliament has tnerefore no authority to impose any such tax. Hence, the question of imposition of agricultural income-tax on farmers by the Central Government does not arise.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

दुर्गापुर कारखाने की कोक भट्टी

7034. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में दुर्गापुर कारखाने की कोक भट्टी के कार्य-संचालन की स्थिति की एक उच्च स्तरीय जांच कराई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं ; और

(ग) उन निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग). दुर्गापुर कोक भट्टी प्रायोजना पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम है और इसलिये प्रश्न का विषय समुचित रूप से राज्य सरकार के प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र में आता है ।

तीसरी योजना में उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य

7035. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा: **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजना के लिये निर्धारित किये गये उर्वरक के उत्पादन के लक्ष्य को 1968-69 में भी प्राप्त नहीं किया जा सका है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक के उत्पादन में कितनी कमी है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). तीसरी योजना में नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य 800,000 मीटरी टन था । 1968-69 में उत्पादन 543,000 मीटरी टन नाइट्रोजन था । कमी का मुख्य कारण यह था कि तीसरी योजना अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंसकृत बहुत परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं । सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना में भी कुछ देरी हुई ।

(ग) चौथी योजना में उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिये, नये उर्वरक कारखानों की स्थापना तथा मौजूदा कुछ कारखानों के विस्तार से अतिरिक्त क्षमता के प्रतिष्ठापन हेतु कदम उठाये गये हैं ।

सरकारी खर्च और कराधान के ढांचे का अध्ययन करने के लिये जांच आयोग की नियुक्ति

7036. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री हेमराज :**
श्री रा० बरुआ : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीच्यूट परिषद ने केन्द्र में

सरकारी खर्च तथा कराधान के समूचे ढांचे का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से एक जांच आयोग स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के खर्च और करों के सारे ढांचे का अध्ययन करने के लिए जांच आयोग स्थापित करने का अभी कोई विचार नहीं है ।

सरकारी क्वार्टरों का दोषपूर्ण निर्माण

7037. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में टाइप 2 के दो-मंजिला क्वार्टरों में छत तथा बरामदे के भूमि पर गिरने वाले परनालों को एक पाइप द्वारा बरसाती नाले से न मिलाने के क्या कारण हैं जबकि एक क्वार्टर के निर्माण पर हजारों रुपये खर्च किए गए हैं ; और

(ख) बरसाती पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था करने के बारे में सरकार को अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) क्योंकि छत और बरामदे की नालियां केवल वर्षा के पानी को निकालने के लिए हैं इसलिए उन्हें पाईप के द्वारा बरसाती नालों के साथ मिलाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) उन मामलों में जिनमें भूमि की आकृति के कारण पानी के खुल कर न बहने की वास्तविक कठिनाई है, नालों की व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र लेने की सम्भावना है ।

बिहार में तस्करी का माल पकड़ा जाना

7038. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीने में बिहार के सीमावर्ती जिलों में मारे गये 698 छापों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 4.14 लाख रुपए के मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) बिहार राज्य में तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फरवरी और मार्च, 1969 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क अधिकारियों ने बिहार के सीमावर्ती जिलों में मारे गये 817 छापों में कोई 5.7 लाख रुपये मूल्य की चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं पकड़ीं।

(ख) पकड़ी गईं वस्तुएं अधिकांशत: उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो, हाथ-घड़ियां, कैमरे, यांत्रिक लाइटर चकमक-पत्थर, फाउंटेन पैन, लौंग एवं चीनी और चमकीला धागा।

(ग) नेपाल से बिहार में तीसरे देश में बने माल के तस्कर आयात को रोकने के उपायों को दृढ़तर किया गया है। अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है और सीमा पर अतिरिक्त गश्ती निरोधक दल बना दिए गए हैं। चोरी छिपे लाये गये माल का पता लगाने के लिये सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों को उपयोग में लाया जा रहा है और इस सीमा पर तस्कर आयात-निर्यात को खत्म करने के लिये आगे भी हर सम्भव उपाय किये जाते रहेंगे।

भारत में सस्ते मकानों का निर्माण

7039. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सस्ते मकानों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या आवास समस्या को राष्ट्रीय तथा अविलम्बनीय आधार पर हल करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 837 लाख एककों की (इनमें कच्चे तथा बदले जाने की आवश्यकता वाले टूटे फूटे मकान शामिल हैं) आवासीय कमी अनुमानित की गयी है। इस कमी को दूर करने के लिये, 33,000 करोड़ रुपयों से अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी। यह स्पष्ट है कि अधिक अग्रिमता वाले विकास कार्यक्रमों के प्रतियोगितात्मक दावों, जैसे कृषि, सिंचाई तथा बिजली, परिवार-नियोजन आदि, के विरुद्ध केवल सरकारी स्तर पर इतने विशाल साधनों को प्राप्त करना निकट भविष्य में असम्भव होगा। आवश्यकताओं का अधिकांश भाग गैर-सरकारी क्षेत्र के द्वारा पूरा करना होगा।

2. उपलब्ध सीमित साधनों से, सरकार ने अभी तक अपने प्रयत्न निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की आवास दशा को सुधारने में ही केन्द्रित रखे हैं तथा अल्प-लागत के मकानों के निर्माण

के लिये निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनायें आरम्भ की हैं जो कि उनके सामने उल्लिखित वर्ष से चल रही हैं :

(i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना (1952)

(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना (1954)

(iii) गंदी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना (1956)

(iv) उद्यान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना (1956)

(v) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम (1957) ; तथा

(vi) दिल्ली के लिये झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना (1960) ।

राज्य सरकारों को, इन योजनाओं के लिए अधिकांश निधियां भारत सरकार के द्वारा दी जाती हैं । यद्यपि ये योजनाएं केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं किन्तु वास्तव में ये राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के द्वारा क्रियान्वित करने में सक्षम हैं ।

3. योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियों को अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने के बाद अपने सम्पूर्ण वार्षिक योजना की सीमाओं में राज्य सरकार के द्वारा समायोजित करना होगा । राज्य सरकारें उनके द्वारा दी गई खर्चे की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत अभी तक राज्यों द्वारा लगभग 213 करोड़ रुपयों की राशि की केन्द्रीय सहायता ली गई है तथा 4.30 लाख रिहायशी एककों (विकसित प्लाटों सहित) की इन योजनाओं में व्यवस्था की जा चुकी है ।

Allotment of Government Accommodation

7040. **Shri Chandra Shekar Singh :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri N. R. Patil :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of years of service on which quarters are allotted to Government employees, category-wise ;

(b) whether it is a fact that officers of the high rank get quarters after entering into service within a very short period whereas the employees in the lower ranks do not get quarters even after their 15 to 20 years of service ;

(c) whether it is also a fact that officers of the higher ranks are allotted residential accommodation of types below the particular type to which they are entitled despite the fact that the number of Government quarters for the employees in the lower ranks is much less than the number of quarters required ;

(d) whether Government propose to stop allotting quarters in the lower types to the high ranking officers ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The allotment of general pool accommodation to eligible Government employees is made keeping in view their dates of priority for the respective type of accommodation. In case of types I to IV, the date of priority is reckoned from the date of appointment of an officer on a post under the Central/ State Government, whereas in case of officers entitled to types V and above, the date of priority is reckoned from the date they draw emoluments relevant to a particular type. The dates which have been covered, in each type, as on 31st March, 1969 and the percentage of satisfaction, in each type, are as under :—

Type	Date covered	Percentage of satisfaction
I	12.10.1955	49
II	3.6.1949	34
III	27.3.1944	31
IV	24.6.1941	49
V	1.5.1958	45
VI	30.4.1954	42
VII	9.12.1959	44
VIII	8.6.1965	27

(c) to (e). The officers entitled to types V and above are allotted accommodation in the next below type as they have not been given the benefit of counting the entire service under the Central/State Government towards the date of priority. The percentage of satisfaction of the demand for houses from those eligible for types III and II is comparatively very low and the adoption of next below rule would have made the situation very difficult to those entitled to these two types. Besides, the bulk of staff eligible for types IV and below is Delhi-based, unlike some other staff, which is on deputation from State Government and other cadres ; therefore, unless some special dispensation is available, the chances of the latter securing Government accommodation during the period of their tenure in Delhi would be meagre. Even the percentage of satisfaction in types V and above is not much better than that of in the lower types. Generally the new residences are being constructed in lower types to improve the position in these types.

उर्वरक बनाने के लिये कोयले का प्रयोग

7041. **श्री रामावतार शर्मा :**

श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक निर्माण में कोयले के प्रयोग के लिये प्रौद्योगिकी का विकास करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : उर्वरकों के लिये कोयले को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की तकनीकी कई सालों से भली-भांति प्रसिद्ध है और हमारी परिस्थितियों के अनुसार अपनाने के लिये एक प्रक्रिया (प्रौसैस) उपयुक्त पाई गई है।

अदीस बाबा में बालोरग क्लिनिक का नाम श्री जी० डी० बिड़ला के नाम पर रखना

7042. **श्री ही०ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में "ईथियोपियन हैरल्ड" में की गई इस घोषणा की ओर दिलाया गया है कि श्री जी० डी० बिड़ला 400,000 ईथोयोपियन डालरों की अनुमानित लागत पर 40 बिस्तरों वाले बालरोग क्लिनिक का, जिसका काम पूरा होने पर बिड़ला के नाम पर रखा जायेगा, निर्माण करने, उसे सुसज्जित करने तथा हेल सेलासी 1 फाउन्डेशन को देने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा में इस दान के स्रोत का पता लगाया है और उसकी पेचीदगियों पर विचार किया है ; और

(ग) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक को अब तक कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला है। फिर भी, इसके बारे में और जांच-पड़ताल की जा रही है।

मेसर्स बिड़ला ब्रादर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भेजा गया धन

7043. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अदीस अबाबा स्थित इंडोईथियोपियन टेक्सटाइल्स के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं, मेसर्स बिड़ला ब्रादर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ने कम्पनी के शुद्ध लाभ से उनको मिलने वाले 10 प्रतिशत कमीशन तथा 30,000 ईथियोपियन डालर के वार्षिक कार्यालय भत्ते में से भारत को प्रतिवर्ष कितनी राशि भेजी है ; और

(ख) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई व्यवस्था की गई है कि प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं द्वारा ली गई राशियों का ठीक-ठीक हिसाब दिया जाये और वे राशियां भारत भेजी जायें, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1957-58 से 1966-67 तक प्रबन्ध-अभिकरण कमीशन और प्रबन्ध-अभिकरण व्यय के रूप में अलग-अलग जो रकमें भारत भेजी गयी थीं, वे नीचे की सारणी में दी गयी हैं :—

	प्रबन्ध अभिकरण कमीशन	प्रबन्ध अभिकरण व्यय
		(इथियोपियाई डालर)
1957-58	—	17,982
1958-59	—	30,000
1959-60	99,016	30,000
1960-61	240,569	30,000
1961-62	305,335	30,000
1962-63	267,021	30,000
1963-64	103,417	30,000
1964-65	99,471	30,000
1965-66	79,686	15,000
1966-67	141,631	15,000
जोड़ :	13,36,146	257,982

(ख) भारतीय कम्पनियों को, विदेशों में संयुक्त उद्यम चलाने के लिये इस शर्त पर मंजूरी दी जाती है कि वे जो विदेशी मुद्रा अर्जित करें, उसे वे प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारत भेज दें। इस सम्बन्ध में, कम्पनियों को, रिजर्व बैंक को स्थिति की सूचना देनी पड़ती है और उसे सिद्ध करने के लिये उन्हें उपयुक्त कागजात भी पेश करने पड़ते हैं।

इथियोपिया जाने के लिये श्री जी० डी० बिड़ला और उनके दल को दी गई विदेशी मुद्रा

7044. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जी० डी० बिड़ला और उनके दल की ईथियोपिया की हाल की यात्रा के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी ; और

(ख) यदि कोई राशि मंजूर नहीं की गयी, तो इस यात्रा का खर्च किसने दिया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ईथियोपिया की यात्रा के लिये रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा ली गयी थी। इस सम्बन्ध में अधिक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

क्षय रोग उन्मूलन

7045. **श्री वि० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्षय रोग की रोकथाम के लिये बड़े पैमाने पर कार्यवाही की है ;

(ख) देश में क्षय रोग के रोगियों की संख्या का अनुमान क्या है और क्या सरकार क्षयरोग के बारे में एक राष्ट्रीय नीति और समेकित कार्यक्रम पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या क्षयरोग के रोगियों के लिये वर्तमान अस्पताल पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सारे देश भर में क्षयरोग के आतंक को दूर करने के लिये सरकार ने पहले से ही एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता प्रत्येक जिले में क्षयरोग कार्यक्रम को चलाने के लिये क्षयरोग क्लीनिकों की स्थापना करना है जिनके अन्तर्गत नगर के लोगों को ही नहीं वरन् ग्रामीण लोगों को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से नैदानिक और उपचारात्मक सुविधायें देना है और जिला क्षयरोग क्लीनिकों की देखरेख में सीधे बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत घर-घर जाकर टीके लगाये जाते हैं और बी० सी० जी० के दलों को धीरे-धीरे जिला क्षयरोग केन्द्रों के साथ मिलाया जा रहा है।

1955-58 में किये गये राष्ट्रीय क्षय रोग नमूना सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 1.5 प्रतिशत आबादी सक्रिय क्षयरोग से पीड़ित है जिनमें से एक चौथाई का रोग संक्रामक अथवा थूक पाजिटिव है। इस प्रकार क्षयरोग से पीड़ित रोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 75 लाख से 80 लाख तक है। जिनमें से 18 लाख से 20 लाख संक्रामक है।

(ग) और (घ). क्षय रोग निरोधी आधुनिक औषधियों की खोज कर लिये जाने पर यह बात वैज्ञानिक जांच द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि क्षय रोग से ग्रस्त अधिकांश रोगियों का इलाज उनके घरों पर भी उतने ही प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है जितना कि किसी अस्पताल में किया जाता है। अतः विभिन्न अस्पतालों में मौजूद क्षय रोगी पलंगों का उपयोग केवल ऐसे रोगियों के लिये ही किया जाता है जिनकी हालत गम्भीर हो अथवा जिन्हें शल्य चिकित्सा की जरूरत हो। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षय रोग-पलंगों की स्थापना करने के काम को न्यून-स्तर की प्राथमिकता दी गई है। फिर भी, चौथी पंच वर्षीय योजनावधि में 2,500 और अधिक पलंगों की व्यवस्था करने का विचार है।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अनधिकृत बस्तियों और इमारतों का अर्जन

7046. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार का विचार दिल्ली में हरी पट्टी में अनधिकृत बस्तियों तथा इमारतों को अर्जित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि तथा इमारतें अर्जित की गई हैं मकान बनाने के लिये अन्य भूमि देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि

7047. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के चौथी, तीसरी तथा दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को दिये गये वेतन-मानों में किस वर्ष में वार्षिक वृद्धियां निश्चित की गई थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि अब ये वेतन वृद्धियां जीवन निर्वाह व्यय बढ़ जाने के कारण कार्य-कुशलता के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जीवन निर्वाह व्यय बढ़ जाने के साथ-साथ वेतनवृद्धि की दरों में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1959

(ख) जी, नहीं । वार्षिक वेतन-वृद्धि की दर रहन-सहन के खर्चे के साथ नहीं जुड़ी है । रहन,सहन के खर्चे की प्रतिपूर्ति समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में समुचित समायोजन करके की जाती है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Asian Development Bank's Meeting held in Sydney

7048. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Second Annual Meeting of the Asian Development Bank was held in Sydney from the 10th to 12th April 1969 ;

(b) if so, the subjects discussed therein ; and

(c) the outcome thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Board of Governors discussed the items included in the Agenda (copy attached) and took the following important decisions :

(i) Approved the financial statements and Auditor's report for the year 1968.

(ii) Approved the administrative Budget for 1969.

(iii) Decided to allocate the whole of the net income of the Bank from its ordinary capital resources for the year 1968 viz. $ 3,482,791 to the Ordinary Reserve of the Bank.

(iv) Deci ded to set aside 10 per cent of the Bank's unimpaired paid-in capital amounting to $ 14.46 million for providing loans on soft terms i. e. at concessional rate of interest and for longer maturities.

(v) Approved resolution for increasing the strength of the Board of Directors from 10 to 12 with effect from 1971.

(vi) Elected the Board of Directors for two years

Statement

Asian Development Bank Board of Governors Second Annual Meeting

Sydney, Australia 10-12 April 1969

Agenda

1. Annual Report
2. Financial Statements and Auditors' Report
   (a) Ordinary Capital Resources
   (b) Special Funds
3. Administrative Budget 1969
4. Allocation of Net Income
5. Action to Set Aside Capital for Special Funds
6. Review of Rules and Regulations
   (a) Special Funds Rules and Regulations
   (b) Staff Retirement Plan
   (c) Bond Regulation
7. Board of Directors : Size and Composition
8. Procedures for the Election of Directors
9. Officers and Procedures Committee for 1969-70
10. Election of Directors
11. Officers, Place and Date of Third Annual Meeting—1973

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से बकाया धनराशि

7049. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिये भारत के भूतत्वीय विभाग और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किये गये कार्य के लिये 3.80 करोड़ रुपये की राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो राशि के वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1967 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड सहित) से 3.80 करोड़ रुपये की राशि ली जानी थी। इन बिलों की अदायगी में देरी का कारण इनके तैयार किये जाने के आधारों के सम्बन्ध में विवाद थे।

0.96 करोड़ रुपये की रकम अब वसूल की जा चुकी है। 0.66 करोड़ रुपये के मूल्य का एक दावा उस समय तक के लिये आस्थगित कर दिया गया है, जब यह प्रायोजना (दरिबा तांबा प्रायोजना), जिसके लिये भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कार्य किया था, वास्तविक रूप से विदोहन करने वाले अभिकरण को हस्तान्तरित न कर दी जाये और 3 लाख रुपये के एक दावे को आस्थगन करने का प्रश्न विचाराधीन है। 0.48 करोड़ रुपये की एक राशि की हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा शीघ्र अदायगी की जाने की सम्भावना है। कुछ अन्य दावों से सम्बन्धित विवाद विचाराधीन हैं।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा बिल बनाने के आधार पर विचार करने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

7050. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा बिल बनाने के विवादग्रस्त तरीके पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा गठित विभागीय समिति, जिसे अगस्त, 1968 में रिपोर्ट देनी थी, ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि इस बीच रिपोर्ट दे दी गयी है तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विभिन्न दलों के लिये अदायगियों के आधार पर किये गये कार्यों के उपलक्ष में लागतें वसूल करने के विचार से लिये जाने वाले प्रभारों की तालिका की जांच करने वाले अध्ययन दल की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अप्रैल 1967 में लागतों के निम्नलिखित अवयव नियत की जाने वाली एक रूप दरों के निर्धारण करने में सम्मिलित किये गये थे ।

(1) महंगाई भत्ता, नगर-निवास प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, क्षेत्र संस्थापना भत्ता, यात्रा भत्ता और आकस्मिक व्यय आदि सहित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते ।

(2) वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर छुट्टी तथा पेंशन अंशदान ।

(3) वेतन तथा भत्तों के 50 प्रतिशत की दर पर ऊपरी प्रभार ।

(4) उपकरणों, गौण उपकरणों तथा वाहनों के मूल्यों पर विभिन्न दरों से मूल्यह्रास ।

(5) उपभोक्ता पदार्थों और मरम्मतों तथा अनुरक्षण सहित मशीनरी तथा वाहनों के चालन की लागत ।

(6) मद संख्या 4 के उपकरणों पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज ।

(7) यह उल्लेख किया गया था कि बिलों की राशि पर एक प्रतिशत की दर से लेखा तथा लेखापरीक्षा प्रभार लगाये जायेंगे ।

अध्ययन दल ने "बिना लाभ-बिना हानि" के आधार पर लागत संरचना में से कुछ अवयवों, अर्थात् ऊपरी खर्चे, छुट्टी तथा पेंशन में अंशदान, लेखा-परीक्षा प्रभार, आदि को निकाल देने का सुझाव दिया है । दल ने उपकरणों तथा मशीनरी पर मूल्यह्रास की दर कम करने तथा भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों आदि के द्वारा कहने पर विशेष उद्देश्यों से किये जाने वाले अन्वेषणों के लिये प्रभारों की वसूली में कुछ सिद्धांतों को अपनाने का भी सुझाव दिया ।

P. L. 480 Fund for Development Works

7051. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount provided by U. S. Government to India from P. L. 480 Fund for development works during 1968-69?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The total amount received in 1968-69 is Rs. 181.90 crores—of which Rs. 171.40 crores has been received as loan and Rs. 10.50 crores as grant.

सर्कस कलाकारों के लिये बीमा सुविधायें

7053. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री के० रमानी : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3677 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सर्कस के सभी प्रकार के कलाकारों को बीमा सुविधा देने के बारे में इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). विभिन्न श्रेणियों की जोखिमों पर, जिनमें सर्कस के कलाकार भी शामिल हैं, अतिरिक्त बीमा-किश्त की दरें लागू करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करना जीवन बीमा निगम का काम है ।

जीवन बीमा निगम की यह पद्धति रही है कि देय किसी भी अतिरिक्त किस्म का निर्धारण, वह, मामले से सम्बन्धित सभी बातों का अध्ययन करने के बाद और अन्य स्थानों में प्रचलित बीमा पद्धतियों के प्रकाश में करता है । इस सम्बन्ध में निगम की वर्तमान पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में सहायक इंजीनियरों की छंटनी

7054. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर के लोक निर्माण विभाग से अनेक सहायक इंजीनियरों की छंटनी करने के संबंध में मनीपुर सरकार के हाल के प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने इंजीनियरों की छंटनी की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में जल सप्लाई

7055. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में पानी सप्लाई करने का काम अभी भी लोक निर्माण विभाग, मनीपुर द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के जल सप्लाई डिवीजन को समाप्त किये जाने के कारण गम्भीर जल संकट उत्पन्न हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसको समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संकट को दूर करने के लिये और मनीपुर राज्य में जल सप्लाई को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में पन-बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई दुर्घटनायें

7056. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त मृतक कार्य-भारित बिजली मिस्त्रियों के लिये मुआवजे देने के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और उन्हें मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है और जिनको यह राशि दी गई है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). स्वर्गवासी एम० बाबुयैमा सिंह की विधवा पत्नी को देने के लिये 7000 रुपये की राशि स्वीकार की गई है। यह राशि उन्हें शीघ्र ही दे दी जायेगी। स्वर्गवासी आर० के० इबोचौबी के लिये अभी तक कोई मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया है। मनीपुर का बिजली निरीक्षक उसके मामले की अभी जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

दामोदर घाटी निगम का ताप बिजलीघर

7057. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के ताप बिजलीघर में ताप बिजली

उत्पादन करने वाली यूनिटें तथा सहायक यूनिटें कभी-कभी बन्द हो जाती हैं जिसके कारण दामोदर घाटी निगम क्षेत्र गंभीर कठिनाइयां, तथा बिजली बन्द हो जाने के निम्न स्तर की सेवा आदि, पैदा हो जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कभी-कभी यूनिटें बन्द हो जाने के अतिरिक्त ताप बिजली उत्पादन यूनिटें किसी न किसी कारण से अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन करती हैं और यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई;

(ग) दामोदर घाटी निगम के ताप बिजलीघरों की वर्तमान स्थिति ; निगम की तकनीकी तथा प्रशासनिक स्तर पर समस्या के उचित ढंग से हल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिछले कुछ महीनों में दामोदर घाटी निगम के कुछ ताप उत्पादन यूनिटों और उनके सहायक यूनिटों में कभी-कभी विविध कारणों के परिणामस्वरूप बिजली फेल हुई थी और इस प्रकार की हालत जब भी हुई उसे यथासमय ठीक कर दिया गया। किन्तु मुख्यत: दामोदर घाटी निगम की बिजली प्रणाली के साथ-साथ चल रही अन्य प्रणालियों में खराबियों के आ जाने के कारण व्यस्ततम समयों में बिजली थोड़े-थोड़े समय के लिये कहीं-कहीं बन्द करनी पड़ी थी।

(ख) 1960 में चालू किये गये 75-75 मैगावाट के तीन यूनिट विभिन्न त्रुटियों के कारण आरंभ से ही ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिये उनसे होने वाली बिजली उत्पादन सीमित रखा गया है।

(ग) और (घ). प्रत्येक मामले में विफलता के कारणों की जांच की जा रही है। विफलताओं का कारण अनिवार्यतया अप्रत्याशित तथा अचानक मैकेनिकल नुक्सों का होना है।

साउथ इंडिया बाइकोस कम्पनी द्वारा विकास छूट का विनियोग

7058. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री के० रमानी :**
श्री नम्बियार : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इंडिया बाइकोस कम्पनी ने वर्ष 1964 से 1967 तक के वर्षों का विकास छूट का विनियोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी राशि का विनियोजन किया गया;

(ग) क्या कम्पनी ने उत्पादन शुरू करने के पश्चात् पहले चार वर्षों में विकास छूट नहीं ली और बाद की अवधि में उसने वह राशि ली;

(घ) क्या समवाय विधि प्रशासन ने इस मामले की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कम्पनी के लेखाओं में विकास छूट संरक्षित निधि में विनियोजन वर्ष 1965, 1966 और 1967 में तो किये गये थे परन्तु वर्ष 1964 में नहीं।

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक में कम्पनी ने जो रकमें विकास छूट संरक्षित निधि में जमा कीं, वे इस प्रकार हैं :—

1964	कुछ नहीं
1965	35,00,000 रु०
1966	70,00,000 रु०
1967	32,00,000 रु०

(ग) वर्ष 1961 से 1964 तक कम्पनी ने विकास छूट संरक्षित निधि के लेखे में कोई रकम लाभ-हानि खाते नामे डालकर विनियोजित नहीं की। आयकर कानून के अन्तर्गत **संबन्धित वर्ष में आयकर निर्धारण में जितनी विकास छूट वास्तव में दी जानी** है उसके 75 प्रतिशत तक इस प्रकार का विनियोजन प्रत्येक वर्ष करना आवश्यक है। किसी भी वर्ष आयकर निर्धारण में से विकास छूट की कटौती का प्रश्न केवल तभी-तभी उठता है **जब कि कोई लाभ हो और कटौती की सीमा ऐसे लाभ की राशि के अनुरूप ही होती है।** कम्पनी को वर्ष 1961 से 1964 तक कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिये विकास छूट सम्बन्धी कोई कटौती नहीं की जा सकी। फलतः इन वर्षों में विकास छूट संरक्षित निधि में विनियोजन के लिये कम्पनी बाध्य नहीं थी।

(घ) कम्पनी कानून प्रशासन को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आयकर प्रयोजनों के लिये कम्पनी ने विकास छूट संरक्षित निधि में जो विनियोजन किये वे ठीक-ठीक हैं कि नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के सिनेमा मालिकों द्वारा देय आयकर की बकाया धनराशि

7059. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन सिनेमा मालिकों के नाम क्या हैं जिनकी ओर इस समय 50 हजार रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि है; और

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है और पूरी बकाया धनराशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

फिल्म वितरकों और फिल्म वित्त कम्पनियों द्वारा देय आयकर की बकाया धनराशि

7060. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन फिल्म वितरकों तथा फिल्म वित्त कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी

ओर (एक) एक लाख रुपये और (दो) दस लाख रुपये से अधिक आयकर की राशि बकाया है; और

(ख) अब तक बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और पूरी की पूरी बकाया राशि कब तक वसूल की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु जहां तक फिल्म वितरकों का संबंध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

जहां तक फिल्म वित्त कम्पनियों का संबंध है, यह सुस्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं क्योंकि ऐसी बहुत-सी कम्पनियां हैं जो पूंजी लगाने का कारबार करती हैं और फिल्म में पूंजी लगाना उनके इस कारबार का केवल एक अंग है । जो कम्पनियां पूर्णरूप से या आंशिक रूप से फिल्मों में पूंजी लगाने का कार्य कर रही हैं उनके बारे में मांगी गई सूचना कर-निर्धारण संबंधी रिकार्ड की छानबीन करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है और यह रिकार्ड बहुत बड़ा है । इसमें काफी समय और श्रम लगेगा ।

मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता से आयकर की बकाया राशि की वसूली

7062. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता की ओर आयकर की 6.11 लाख रुपये की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की तरफ बकाया निकलने वाली 6.11 लाख रुपयों की रकम में से 4.28 लाख रुपये कर-निर्धारण वर्ष 1960-61 और 1963-64 के कर एवं दण्ड के हैं, जिनके बारे में विवाद उठाया गया है; अतः उन्हें अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष पहली अपील का निपटारा होने तक स्थगित रखा गया है । शेष 1.83 लाख रु० की रकम कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के कर की बकाया है जिसको अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ने अपील में कम कर दिया था । अपीलीय आदेश को लागू करने और कर-निर्धारिती द्वारा बाद में की गई अदायगियों का समायोजन करने के बाद बकाया रकम अब 1.06 लाख रुपये रह गई है । इस बकाया को खत्म करने के लिये फर्म एवं उसके भागीदार 10,000 रु० मासिक के हिसाब से अदायगी करते रहे हैं । इसी दौरान अपीलीय सहायक आयुक्त ने कर-निर्धारण वर्ष 1954-55 से 1959-60 तक की अवधि से संबंधित आयकर अधिकारी के धारा 154 के अन्तर्गत कतिपय आदेशों को फिर से आदेश जारी करने के हेतु रद्द कर दिया । नये आदेशों से रकम की वापसी की संभावना है, जिससे 1962-63 से संबंधित बकाया रकम काफी कम हो जायेगी ।

कर निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व करदाताओं का विदेशों में चले जाना

7063. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विवरणों में कर-निर्धारण में विलम्ब होने के कारण कुछ करदाताओं के विदेशों में चले जाने की संभावना रहती है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसे करदाता कर-निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व विदेशों में न जाने पायें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। विदेश चले जाने की संभावना का, कर-निर्धारण पूरा करने में होने वाले विलम्ब से कोई संबंध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Counterfeit Currency

7064. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of currency-notes estimated to be counterfeited in the country ;

(b) the details regarding the five-rupee, ten-rupee, hundred-rupee and thousand-rupee denomination currency notes estimated to be counterfeited, separately;

(c) whether any permanent measure has not so far been adopted to check the printing of the forged currency notes ; and

(d) the person to be held responsible for the loss likely to be sustained as a result of the forged currency notes having been thrown in circulation ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). It is not possible to estimate the number of counterfeit currency notes of various denominations in circulation, as they come to light only when they are detected.

(c) and (d). Counterfeiting of currency and Bank notes and putting them into circulation are offences under the Indian Penal Code, which already provides for deterrent punishment of persons responsible for such offences. The offences of counterfeiting and forgery are dealt with by the State Police authorities, who keep a watch in this behalf. The Central Bureau of Investigation under the Ministry of Home Affairs also keeps the problem of counterfeiting of Indian currency under continuous study by keeping records of different techniques adopted and by reviewing periodically the appearance of counterfeit Indian currency. They have also created a 'Cell' in their Economic Offences Wing to undertake investigations of serious offences of counterfeiting currency and to co-ordinate the investigations in the State.

Chachai Waterfall in Rewa

7065. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chachai Waterfall in Rewa (Madhya Pradesh) is big waterfall and the water there falls from a very high point ;

(b) if so, whether Government have conducted or propose to conduct survey of that waterfall with a view to setting up a power station there ; and

(c) if such a survey has been conducted, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir, the Bihar river drops through 113 Metres at Chachai falls about 3 kilometres above its confluence with the Tons River.

(b) and (c). At the request of the Government of Madhya Pradesh, the Central Water and Power Commission had investigated the above site, prepared a scheme report and forwarded the same to State Government in September, 1965.

वित्तीय विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिये अमरीकी सहायता

7066. **श्री न० कु० सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968-69 में वित्तीय विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अमरीका सरकार ने 173.43 करोड़ रुपये के दो चेक दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस धन को किन विकास परियोजनाओं पर व्यय किया जाएगा; और

(ग) इस धन का अधिकांश भाग किन केन्द्रीय तथा राज्य परियोजनाओं पर लगाया जाएगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । ये रकमें 26 मार्च, 1969 को पी० एल० 480 के अन्तर्गत ऋणों और अनुदानों के रूप में मिलीं ।

(ख) और (ग). जिन विकास-कार्यों के लिए ये रकमें मिली हैं उनका विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

मार्च, 1969 में पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि से भारत सरकार को मिले ऋण और अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

कृषि :	ऋण	अनुदान
कृषि-उत्पादन	19.04	
सिंचाई संबंधी छोटे कार्य	39.40	
वन-संरक्षण और भू-संरक्षण	4.76	
बाढ़-नियंत्रण	6.80	
गांवों में बिजली लगाना	30.00	
अन्न-संग्रह	—	2.03
	100.00	2.03

	ऋण	(करोड़ रुपयों में) अनुदान
परिवहन :		
बड़े बन्दरगाहों का विकास	12.79	
	12.79	
श्रम :		
गांवों में निर्माण-कार्यक्रम	3.17	
गांवों में उद्योगों का विकास	1.48	
शिल्पियों का प्रशिक्षण	4.67	
	9.32	
स्वास्थ्य और सफाई :		
चेचक उन्मूलन	.76	
जल-पूर्ति और जल-निकासी (नगरों में)	10.69	
स्थानीय विकास संबंधी निर्माण-कार्य (कुंओं का निर्माण)	1.87	
राष्ट्रीय जल-पूर्ति और जल-निकासी (गांवों में)	2.32	
मलेरिया उन्मूलन	2.32	
	17.96	
शिक्षा :		
भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थान (इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी), कानपुर	1.00	
उच्च तकनीकी शिक्षा	13.29	
प्रारम्भिक शिक्षा	7.04	
	21.33	
सामुदायिक विकास :		
सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार योजनाएं	8.00	
नगरों का पुनर्विकास और गन्दी बस्तियों को हटाना	2.00	
	10.00	
जोड़	171.40	2.03

हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड लिमिटेड द्वारा उत्पादन सुपरवाइजरों की नियुक्ति

7067. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा ग्यारह उत्पादन सुपरवाइजर नियुक्त किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कितने ऐसे मैट्रिकुलेटों को, जिनके पास विज्ञापन सम्बन्धी अर्हतायें नहीं हैं, पदोन्नति इन पदों पर करने का विचार है जबकि लगभग इतने ही समय के अनुभव वाले अन्य मैट्रिकुलेटों और विज्ञान स्नातकों को छोड़ दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). कम्पनी ने इन पदों के बारे में भर्ती और तरक्की नियमावली तैयार की है ; जिनमें से मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं :—

अर्हताएं और अनुभव

केमीकल इन्जीनियरिंग में डिग्री सहित रसायन उद्योग में 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव या केमीकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा सहित 5 साल का अनुभव ।

भर्ती की पद्धति

कम्पनी के केमीकल स्नातक शिक्षुओं को, जिन्होंने शिक्षुता कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पहले तरजीह दी जाती है । शेष रिक्त पदों पर अर्हता प्राप्त प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) से सीधी भर्ती या ग्रेड-1 आप्रेटरों से, जो कम्पनी के कार्यों में 10 साल का व्यवहारिक अनुभव रखते हैं तथा कम से कम मैट्रिकुलेट हैं, चयन करके तरक्की द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं ।

11 पदों में से दो पदों पर, केमिकल इन्जीनियरिंग डिग्री रखने वाले स्नातकों की नियुक्ति की गई है ; जिन्होंने शिक्षुता कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है ।

इन पदों पर भर्ती के उद्देश्य से गठित की गई विभागीय तरक्की समिति ने निम्न की नियुक्ति की सिफारिश की है :—

(1) कारखाने में तीन वर्तमान आप्रेटरों ग्रेड-1 की नियुक्ति जो बी० एस०-सी० हैं तथा जिन्हें कम्पनी में कार्य करने का दस साल का अनुभव है ; और

(2) तीन आप्रेटर ग्रेड-1 की नियुक्ति, जिन्हें कम्पनी में संचालन कार्य का 10 साल का अनुभव है तथा वे मैट्रिकुलेट हैं।

चयन समिति ने और सिफारिश की है कि शेष तीन पदों के लिए विज्ञापन दिया जाए तथा केमीकल इन्जीनियरिंग स्नातकों की नियुक्ति की जाए।

पंजाब में पोलिस्टर तथा नाईलोन कारखाना स्थापित किया जाना

7068. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पोलिस्टर तथा नाइलोन का कारखाना स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) नाइलोन तागा के लिए नवम्बर, 1967 में प्राप्त प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया था क्योंकि यह मद वर्तमान यूनिटों में पर्याप्त विस्तार के सिवाय प्रतिबन्धित सूची में शामिल था तथा नये यूनिटों के लिये और लाइसेंस देने की कोई गुजाइश नहीं थी। पोलिस्टर तागा के लिए नवम्बर, 1967 में प्राप्त प्रार्थना-पत्र, विभिन्न पार्टियों से प्राप्त हुये अन्य प्रार्थना-पत्रों के सहित सरकार के अभी विचाराधीन हैं।

नासिक के राष्ट्रीय प्रेस कामगार संघ की मांगें

7069. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नासिक के राष्ट्रीय प्रेस कामगार संघ से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं कि मकान किराया वसूल करने के लिए महंगाई वेतन को शामिल न किया जाये और नगर प्रतिकर भत्ता "ख-2" श्रेणी की दर से दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में क्या कहा गया ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) संघ द्वारा की गई दो मांगें ये हैं :—

(i) 'सी' श्रेणी के नगरों में सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों के 'महंगाई वेतन' से मकान किराए की वसूली न करना ;

(ii) मकान किराए की अधिक वसूली के कारण वेतन की हानि को पूरा करने के लिए 'सी' श्रेणी के नगरों में कर्मचारियों को 'बी-2' श्रेणी नगर की दर से नगर-निवास प्रतिपूर्ति भत्ता देना।

(ग) इन दोनों ही मांगों का अध्ययन कर लिया गया है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना शक्य नहीं पाया गया है।

आयकर की सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम की बकाया धनराशि

7070. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको क्वेरी रोड, मलाड, ईस्ट-बम्बई 64 पर टीपू कम्पनी के सामने ब्लाक 7, बालीभाई भवन के निवासी श्री एम० के० जाजू का दिनांक 21 मार्च, 1969 का एक पत्र प्राप्त हो गया है जिसमें उसने यह शिकायत की है कि उसको सूचना देने के रूप में जो इनाम मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आरोप में कोई सार है ; और

(ग) श्री जाजू द्वारा जिन मामलों की सूचना दी गई थी, उन पक्षों से कुल कितनी राशि आयकर की वसूल की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). सूचकों (इन्फार्मर्स) की सुरक्षा जांच-पड़ताल की गोपनीयता तथा सफलता की दृष्टि से यह प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा कि किसी सूचक विशेष ने विभाग को कोई सूचना दी थी या नहीं तथा उस सूचना पर क्या कार्यवाही की गई। सूचक को पुरस्कार देना, दी गई सूचना के स्वरूप, प्रत्यक्षतः ऐसी सूचना से हुए राजस्व लाभ तथा अन्य बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। पुरस्कार की अदायगी इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है और इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का निर्णय अन्तिम होता है।

राज्यों को कृषि ऋण

7071. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिये सिंचाई-ऋण मंजूर किये हैं और यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कितना ऋण दिया गया है तथा यह राशि किन-किन परियोजनाओं पर व्यय की जायगी ; और

(ग) यदि ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विशिष्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1968-69 तक ऋण स्वीकार हुए थे। चालू वित्तीय वर्ष से, राज्य की योजना में शामिल स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में होगी। यह पृथक-पृथक परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए नहीं हुआ करेगी। किसी वित्तीय वर्ष के लिये कुल केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा उस वर्ष में राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए स्वीकृत कुल व्यय के संदर्भ में तय की जायेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बंगला नम्बर 10, जनपथ, नई दिल्ली

7072. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला नंबर 10 जनपथ, नई दिल्ली, को जो पहले शास्त्री संग्रहालय के लिये रखा गया था, अब प्रेस परिषद को दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). बंगला नम्बर 10, जनपथ, नई दिल्ली का उपयोग शास्त्री संग्रहालय के रूप में निर्धारित नहीं था। बंगले के लिए मांगों में से एक आल इण्डिया हैण्डी-क्राफ्टस बोर्ड से थी, जो बंगले में अपने शिल्प-संग्रहालय (क्राफ्ट म्यूजियम) को रखना, और इसका नामकरण स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री के नाम पर करना चाहते थे। इस बंगले के आवंटन के लिये प्राप्त हुए विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया गया तथा प्रश्नाधीन बंगला प्रेस कौन्सिल आफ इण्डिया को इस के अध्यक्ष के निवास स्थान तथा कौंसिल के कार्यालय वास के रूप में उपयोग के लिए आवंटित कर दिया गया है।

चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लक्ष्य

7073. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को चौथी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए 11 प्रतिशत अंशदान देना चाहिए ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ; और

(ग) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार है क्योंकि पिछली योजना में सरकारी क्षेत्र का अंशदान 6 प्रतिशत से कम था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य (पुरानी) चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1966-71) की रूपरेखा के मसौदे में कही गई बात का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (बिजली-उपक्रमों से भिन्न) को होने वाले लाभ की दर लगी पूंजी के 11-12 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। विचाराधीन नई चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969-74) में सरकारी उद्यमों से इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) निश्चित आश्वासन देना तो कठिन है परन्तु आशा है कि उस दिशा में अग्रसर होने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जायंगे।

(ग) सरकारी उद्यमों को अधिक लाभकारी बनाने की दृष्टि से उनके द्वारा सम्पन्न कार्यों की लगातार समीक्षा की जाती है। इन उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार करने और इन्हें अधिक लाभकारी बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों और इस सम्बन्ध में किये गये अन्य उपायों की रूपरेखा 'सरकारी उद्यमों का ज्ञापन' में दी गई है जो माननीय सदस्यों में बजट-पत्रों के साथ बांटा गया था।

हल्दिया में तेलशोधक कारखाना, उर्वरक पैट्रो-रसायन उद्योग

7074. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया में तेलशोधन कारखाना उर्वरक अथवा पेट्रोरसायन उद्योग समूह की स्थापना का काम रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) हल्दिया में शोधनशाला का निर्माण-कार्य नहीं रुका है और एक उर्वरक सन्यन्त्र का प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन है। पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग

7075. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरु करने का निर्णय किया है ; क्योंकि त्रिपुरा जैसे कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक खुदाई के पश्चात तेल तथा गैस मिलने के चिन्ह मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तथा किन क्षेत्रों में शुरु किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पूर्वी क्षेत्र में आसाम में रुद्रसागर, लकवा, नागिनीजन, गालेकी और नाजिरा नामक स्थानों में ड्रिलिंग कार्य पहले से ही शुरु है। आयोग काचर तथा त्रिपुरा में ड्रिलिंग कार्य शुरु करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

आसाम, जम्मू-काश्मीर, उड़ीसा नागालैण्ड और राजस्थान के साथ विशेष व्यवहार

7076. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान, आसाम, उड़ीसा, जम्मू-काश्मीर और नागालैण्ड के साथ विशेष व्यवहार करने का सुझाव दिया है, ताकि चौथी योजना के संसाधनों के बारे में वे राज्य अपनी कठिनाइयों तथा कमियों पर काबू पा सकें ;

(ख) क्या सरकार ने योजना आयोग के इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा को सहायता देने के लिए क्या उपाय तय किये गये हैं ; और

(घ) उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). कुछ समय पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय पहले ही किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में राज्यों की आयोजनाओं के लिये उपलब्ध केन्द्रीय सहायता का वितरण करते समय असम, जम्मू और काश्मीर तथा नागालैण्ड की आवश्यकताएं पहले पूरी की जांय शेष सहायता समिति द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर अन्य राज्यों में बांट दी जायं। इन सिद्धान्तों में पहले ही यह व्यवस्था है कि उड़ीसा और राजस्थान सहित आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों की समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाय। केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों का समेकन करने की योजना पर भी सरकार विचार कर रही है जिससे राज्य सरकारों को सम्भवतः कुछ राहत मिल जायगी।

ट्राम्बे में भारतीय उर्वरक निगम का मैथेनोल संयंत्र

7077. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2636 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उर्वरक निगम के मैथेनोल संयंत्र को पूरी क्षमता पर चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : एक उपयुक्त केटेलिस्ट को अपनाने तथा परिचालन की कई स्थितियों के अवलोकन से, भारतीय उर्वरक, निगम, दैनिक निर्धारित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत प्राप्त कर सका है। कुछ अतिरिक्त उपकरण लगाने का भी प्रस्ताव किया गया जिसके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

मलेरिया उन्मूलन राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम की सहायता बन्द करना

7078. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास, और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया उन्मूलन राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम को दी जाने वाली सहायता अब बन्द कर दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि नगर के अनेक भागों में अब भी मच्छरों का उत्पात जारी है ; और

(ग) यदि हां, तो सहायता बन्द करने का क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ग). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल आक्रामक तथा समेकन चरणों के लिये ही सहायता दी जा सकती है। गत वर्ष तक दिल्ली नगर निगम को दिल्ली प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी जाती रही। 1969-70 के स्वतन्त्र मूल्यांकन दल के सुझाव के अनुसार दिल्ली की सभी एकर्कें रख-रखाव अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं, अब उन्हें राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती। फिर भी, चालू वर्ष में नदी के किनारे वाले तथा परियोजना वाले स्थलों में आक्रामक उपाय बरतने के लिए 1.8 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 'मच्छरों के उत्पात' को रोकने के लिये ही नहीं चलाया जाता है। फिर भी, नालियों तथा मच्छरों के प्रजनन वाले स्थानों में लार्वेसाइडल तेल द्वारा सफाई करना, जैसे लाव निरोधी उपाय बरतना, नगर निगम की सामान्य गतिविधियों के अन्तर्गत आते हैं।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल

7079. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संस्था ने रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के मजूरी ढांचे से सम्बन्धित मध्यस्थ के पंचाट का विस्तार करने के प्रस्तावों के विरोध में बैंक के व्यवस्थापकों को हड़ताल करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता कराने के लिये वार्ता आरम्भ कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अखिल भारतीय रिजव बैंक कर्मचारी संघ ने इस आशय का नोटिस दिया है कि 30 अप्रैल, 1969 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का उसका विचार है ।

(ख) और (ग). रिजर्व बैंक के वर्ग II और वर्ग III के कर्मकारों के वेतन-मानों और भत्तों तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री टी० एल० वेंकटराम अय्यर ने जो निर्णय किया था उसके प्रवर्तन की अवधि भारत सरकार ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 19 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार, 5 अप्रैल, 1969 से और एक वर्ष के लिये बढ़ा दी है । फिर भी, रिजर्व बैंक, उक्त निर्णय के दायरे के अन्दर विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिए संघ के किसी भी युक्ति-संगत और व्यावहारिक सुझाव पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार है ।

शेख अब्दुल्ला तथा अन्य काश्मीरी नेताओं द्वारा सम्पत्ति खरीदना

7080. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री 24 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग के अपने नाम में तथा उनकी पत्नियां, बेटों, बेटियों और जामाताओं आदि के नाम में सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्रोतों के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) जांच में कितनी प्रगति हुई है और उनकी सम्पत्ति का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) धन की विवरणियां पेश करने के लिए धन-कर अधिनियम के अधीन नोटिस जारी किए जा रहे हैं । धन के ब्योरों का तभी पता चल सकेगा जबकि विवरणियां प्राप्त हो जायंगी और जांच पूरी हो चुकेंगी ।

(ग) कार्यवाही का प्रश्न तभी उठेगा जबकि जांच पूरी हो चुकेगी तथा उनके खिलाफ प्रथम-दृष्टया मामला बन जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

7081. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से समयोपरि भत्ते ले रहे हैं ;

(ख) समयोपरि भत्ते पर प्रतिमास कितना व्यय होता है और पिछले वर्ष में कितने कर्मचारी समयोपरि भत्ता लेते रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के बावजूद समयोपरि भत्ता देने में नर्मी बरती जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से समयोपरि भत्ता न लिया जाता रहे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कार्यालय तथा समतुल्य कर्मचारियों को लागू होने वाली अतिरिक्त समय भत्ता योजना के अनुसार, अतिरिक्त समय भत्ते को एक नियमित स्वरूप नहीं लेने दिया जाना चाहिए ; क्योंकि :

(i) सभी कार्यालयों में कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उसे कार्यालय के काम के सामान्य समय में ही किया जा सके और अतिरिक्त समय में कार्य करने की आवश्यकता केवल विशेष परिस्थितियों में ही पैदा हो ;

(ii) जब किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में कार्य के लिए रखना आवश्यक हो जाय तो यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि वह कार्य ऐसा है जिसे तुरन्त करना आवश्यक है और जिसे अगले कार्य दिवस तक स्थगित रखना लोक हित में न होगा ।

(iii) जहां कार्य के लिये निर्धारित समय के बाद काम करना नियमित बात बन जाय वहां कार्यालय का कार्य-समय इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाय जिससे कर्मचारी वहां बारी-बारी से काम कर सकें ।

उपर्युक्त-निर्दिष्ट अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ी मात्रा में एक नियमित व्यवस्था के रूप में अतिरिक्त समय भत्ता ले रहे हैं ।

(ख) पिछले एक वर्ष में अतिरिक्त समय भत्ते के कारण प्रतिमाह होने वाले व्यय तथा उसे पाने वाले कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि मई 1968 को समाप्त हुई छः महीने की अवधि में सचिवालय खास में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा

अपने कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त समय भत्ते की रकम विषयक सूचना नीचे दिये अनुसार है :

		रुपये
दिसम्बर	1967	3,87,513
जनवरी	1968	3,82,569
फरवरी	1968	3,98,793
मार्च	1968	4,24,309
अप्रैल	1968	4,17,713
मई	1968	4,19,867

(1 दिसम्बर, 1967 से कर्मचारियों के दैनिक कार्य-समय में आधे घन्टे की कमी की गयी थी)

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में शिक्षा समिति के लिये भूमि का नियतन

7082. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में एक शिक्षा समिति को जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में ईरोज सिनेमा के सामने की भूमि पट्टे पर दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र की प्लान में यह भूमि वहां के निवासियों के प्रयोग के लिये एक डाक घर, बैंक और बाग के लिये आरक्षित रखी गई थी और डाकघर ने अपने प्लाट का मूल्य भी दे दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिक्षा समिति ने गत सात वर्षों की अवधि में स्कूल के भवन का निर्माण नहीं किया है और यहां तक कि भवन का नक्शा भी निगम को नहीं भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो पट्टे को समाप्त करने तथा उस क्षेत्र के लोगों के लिये एक पंचायती भवन तथा पार्क बनाने के लिये भूमि का उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) बस्ती के संशोधित ले आउट प्लान में यह स्थान प्राइमरी स्कूल के लिए दिखाया गया है । फिलहाल, इस स्थान का कोई भी भाग डाक खाने के लिए आवंटित नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्लाट पर भवन का निर्माण नहीं करने के लिये आवंटी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाई की जा रही है। तथापि इस भूमि का सामुदायिक कक्ष (कम्यूनिटी हाल) अथवा पार्क के उपयोग के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह स्कूल के लिए निर्धारित है।

उत्तर प्रदेश के थियेटर स्वामियों द्वारा दिया गया धन-कर

7083. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में उन थियेटर-स्वामियों के नाम क्या हैं जो एक लाख से पांच लाख रुपये के बीच की धनराशि पर धन-कर दे रहे हैं ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के राज्य में उन थियेटर-स्वामियों के नाम क्या हैं जो पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये की धनराशि पर धन-कर दे रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्ति

7084. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्तियों के नाम क्या हैं, उन पर पिछले तीन वर्षों में कितना कितना आयकर लगाया गया और प्रत्येक ने कितना आयकर दिया ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से कितना आयकर वसूल करना शेष था ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Resignation by Employees of Trombay Fertilizer Factory

7085. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the memorandum of Chemical Construction Corporation published in Hindustan Times of the 2nd April, 1969 wherein it has been stated that many employees who received training in the Trombay Fertilizer Factory have resigned from there to secure jobs elsewhere, as a result of which the production capacity of the said factory has gone down ;

(b) if so, the correct position in this regard and the figures of production during the last three years ; and

(c) the reasons leading to the resignations of the aforesaid employees ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, the Government's attention has been drawn to the publication in the Hindustan Times of the 2nd April, 1969.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shortage of Doctors in Family Planning Centres

7086. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that doctors have not so far been posted in 3,000 family planning centres in the country :

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures being adopted by Government to solve this problem ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandra Shekhar) : (a) No. A statement is enclosed showing the number of Blocks, Primary Health Centres, doctors in position etc. for the period ending 31-12-1968. **[Placed in Library. See No. LT-836/69.]** It will be seen that the number of Primary Health Centres without doctors is only 373, number of centres with one doctor is 3734 and that with two or more doctors is 744. Where there is only one doctor at the Primary Health Centre, he also looks after family planning work. Steps are being taken to post a second doctor at places where there is only one doctor and the volume of work justifies additional doctor.

(b) The reasons for 373 Primaty Health Centres being without doctors are :—

(i) shortage of doctors in general ;

(ii) reluctance on the part of doctors for posting in rural areas.

(c) Among the measures adopted by Government to meet the shortage of doctors are :—

(i) A Central Family Planning Corps consisting mostly of women doctors has been set up to feed the requirements of deficit States. The members of this corps who have to work in States other than those of their domicile are paid Rs. 250/- p.m. as extra allowance.

(ii) Schemes have been evolved to utilise the services of medical practitioners on part time basis at a static centre or a mobile unit on suitable remuneration.

(iii) Mobile units have been established at the District Family Planning Bureaux to provide services and supplies in the rural areas.

(iv) Approved medical practitioners can take up Family Planning work and are paid a lump sum amount of Rs. 11/30/40 per case of IUCD, vesectomy and tubectomy respectively, provided service and after-care are rendered free by them.

(v) Stipends at the monthly rate of Rs. 100/- each are being given to medical students, mostly women, who bond themselves to serve the Family Planning programme after being qualified for registration for a period equal to the period of enjoyment of stipend. Some stipendiaries have already become available to the programme.

(vi) At the present rate of over 11000 annual admissions to medical colleges in the country, it is expected that there may not be much difficulty of medical man-power for this programme even in the rural areas in not too distant future.

विदेशी बैंकों के चेक जब्त करना

7087. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :
श्री बि० कु० मोडक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर चाकघाट नामक स्थान पर 31 मार्च, 1969 को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने एक प्रमुख व्यापारी के पास से 14 करोड़ रुपये के मूल्य के विदेशी बैंकों के चेक जब्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और ये चेक किन देशों के थे ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। इस बात का पता लगा लिया गया है कि सी० आई० बी० (संभवत: माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय जांच ब्यूरों से है) अथवा स्थानीय पुलिस ने विदेशी बैंक चेकों विषयक कोई मामला नहीं पकड़ा।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

नेपथेलीन के मूल्य में वृद्धि

7088. **श्री ए० श्रीधरन .**
श्री अदिचन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 25 महीनों में कोयले पर आधारित नेपथेलीन नामक एक रासायनिक पदार्थ का मूल्य 500 रुपए प्रति टन से बढ़कर 1200 रुपये प्रति टन हो गया है ;

(ख) क्या इसके उत्पादन का एकाधिकार सरकारी क्षेत्र को प्राप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इसकी उत्पादन लागत बढ़ने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये पेट्रोलियम कोक केलकीनेशन संयंत्र

7089. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री अदिचन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिये पेट्रोलियम कोक केलकीनेशन संयंत्र हेतु ए० सी० सी० बकरल बेडकाक लिमिटेड, दुर्गापुर को टर्न-की जाब के लिये क्रयादेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य क्या है तथा उसमें यदि विदेशी मुद्रा का अंश है तो कितना और किन शर्तों पर इस कार्य को किया जायेगा ;

(ग) क्या इण्डियन आयल कार्पोरेशन (तेलशोधक कारखाना विभाग) अथवा इंजीनियर्स लिमिटेड ने ए० सी० सी० बिकरल बेडकाक लिमिटेड को यह कार्य सौंपने से पहले प्रतियोगी टेंडर मांगे थे और यदि हां, तो किन-किन फर्मों ने यह कार्य करने की पेशकश की थी ;

(घ) उपरोक्त पेट्रोलियम कोक केलकीनेशन संयंत्र के सम्बम्ध में तकनीकी जानकारी सप्लाई करने वालों के नाम क्या हैं और संयंत्र के कार्य, उत्पादन तथा किस्म के बारे में क्या प्रतिभूतियां (गारंटी) हैं ; और

(ङ) इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने उपरोक्त पेट्रोलियम कोक केलकीनेशन संयंत्र स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये कब आवेदन-पत्र भेजा था, और उसकी स्वीकृति कब दी गई थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने एस्सोशियेटिड विक्कर्स लिमिटेड को उपकरण सप्लाई करने तथा संयंत्र के निर्माण/चालू करने के लिये एक उप-ठेका दिया है ।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड संयंत्र के प्रक्रिया रूपांकन तथा विस्तृत इंजीनियरिंग में भाग लेता है और उन्हें प्राप्त तथा अनुमोदित करता है ; सभी उपकरण निर्माण में शीघ्र कार्यवाही/मुआइना करता है ; स्थल पर निर्माण-कार्य तथा कार्यान्विति की देखभाल करता है । इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड संयंत्र के लिये भारतीय तेल निगम को सीधा जिम्मेदार है ।

(ख) भारतीय तेल निगम (शोधनशाला विभाग) के लिये निर्माण लागत 55.7 लाख (निश्चित राशि) रुपये है जिसकी अदायगी पूर्णतया रुपयों में होनी है। किन्तु इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने 15,000 डालरों की फीस पर यू० एस० ए० के पैट्रोकार्व इंक की तकनीकी परामर्श सेवाएं प्राप्त की हैं। संयंत्र के मई, 1970 तक चालू किये जाने की गारंटी है और चूक हो जाने पर, निर्णीत हर्जाने की व्यवस्था सहित, विशेष प्रक्रिया तथा यान्त्रिक गारंटी है।

(ग) इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने 11 भारतीय फर्मों से पूछताछ की। केवल एस्सोसियेटिड विक्कर्स वाबकोक लि०, मकनल्लाय बिर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी और कापर्स इण्डिया लि० से कोटेशन्स (बोलियां) प्राप्त हुई थीं।

(घ) एस्सोसियेटिड विक्कर्स कावोकोक लि० ने अमरीका की फुल्लर कम्पनी से प्रक्रिया रूपांकन प्राप्त की है। संयंत्र प्रक्रिया रूपांकन में अमरीका के पैट्रो-कार्व ने इंजीनियर्स इण्डिया लि० की सहायता की थी। पैट्रो-कार्व इंक के पास पेट्रोलियम कोक कैलसाइनिंग के लिए एक अमरीकी पेटेण्ट है और इन्होंने अमरीका, पश्चिम जर्मनी और जापान में कोक कैलसिनेशन संयंत्रों का रूपांकन किया है और उन्हें चलाया है।

प्लांट प्रतिवर्ष 60,000 मीटरी टन कच्चे कोक थ्रुपुट के लिए और इसके लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन—जो दी गई विशिष्टियों के अनुरूप होगा—के लिए गारंटी कृत है। प्लांट के लिए उपयोगी खपत आंकड़ों की भी गारंटी है।

(ङ) 11.9.1968 को भारतीय तेल निगम लि० ने इस प्लांट के औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

Adarsh Netra Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi

7090. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh is running an eye hospital in II-F, Lajpat Nagar, New Delhi:

(b) the amount of grant obtained by the Sangh for the said Hospital from the Delhi Administration, Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee during the period from 1966 to 1968, year-wise; and

(c) if not, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Yes,

(b) and (c). The details of grants obtained from the New Delhi Municipal Committee are as follows:—

Year	Amount
1965-66	Nil
1966-67	Rs. 2,000/-
1967-68	Rs. 1,000/-
1968-69	Nil

Similar information in respect of Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Adarsha Netra Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi

7091. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of patients admitted daily in Adarsha Netra Hospital, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi from the 12th March, 1963 to 18th March, 1969 ;

(b) the names, qualifications, posts and grades of pay of doctors, compounders, nurses, wardboys and storekeepers working in the hospital ;

(c) whether the qualification of the above officers are in accordance with the 'Nursing Home' Rules ; and

(d) if not, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Supply of Locula in C. G. H. S. Dispensaries

7092. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C. G. H. S. dispensaries have stopped the supply of medicines packed in sealed bottles such as 'Locula' for the eyes and in place thereof the medicine prepared by the compounders in the dispensary itself is being given in the name of 'Locula' ;

(b) if so, the reasons therefor and the date since when it is being done ;

(c) whether it is a fact that the said medicine is supplied only when prescribed by the 'eye specialists' ;

(d) if so, the reasons for which the supply thereof has bean stopped ;

(e) whether this has not resulted in increasing the dissatisfaction among the patients ; and

(f) whether Government propose to restore the supply of 'Locula' in sealed bottles and if so, since when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (d). 'Locula' is a brand preparation containing 'Sodium Sulpha cetamide' which is supplied to C. G. H. S. dispensaries for fresh preparation locally with distilled water. This is being done since September, 1968.

(c) Yes.

(e) No complaints have been received in this regard.

(f) There is no proposal to restore the supply of 'Locula' in sealed bottles. The eye lotion which is prepared locally in C. G. H. S. dispensaries is chemically the same as 'Locula' and is more economical.

संसद् सदस्यों को केन्द्रीय पूल से बंगलों का आवंटन

7093. **श्री बि० प्र० मंडल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय पूल से बंगले दिये गये हैं तथा प्रत्येक सदस्य को किस आधार पर बंगला दिया गया है ;

(ख) क्या पिछले सत्र में संसद्-कार्य मंत्री ने संसद् सदस्यों को बंगले देने के बारे में कुछ आधार बताये थे ; और

(ग) क्या वही आधार अब भी अपनाया जा रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कुछ भूतपूर्व सदस्य अब भी केन्द्रीय पूल से मिले बंगलों में रहते हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा ये बंगले अभी तक उनके कब्जे में रहने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 72 संसद् सदस्यों को आवंटित किए गए, 'सामान्य पूल' से 71 बंगलों का विवरण पहले ही 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2659 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 837/69]

फिलहाल 74 संसद् सदस्यों के दखल में 73 बंगले हैं। संलग्न विवरण में तब्दीलियां दिखाई गई हैं।

आवंटन का आधार उसी प्रश्न के उत्तर में बताया गया है।

(ख) तथा (ग). संसदीय मामलों के मंत्री ने इसी आधार की चर्चा की है। सरकार ने अक्तूबर, 1968 में संसद् सदस्यों को 'सामान्य पूल' वास के आवंटन करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया और निर्णय किया, कि (i) केन्द्र के भूतपूर्व मंत्री या उप-मंत्री, जो संसद सदस्य बने रहते हैं, उन्हें सामान्य पूल से, उस द्वारा मंत्री/उप-मंत्री के रूप में दखल में ली गई टाईप से एक टाईप नीचे का मकान आवंटित किया जा सकता है, (ii) कोई नया संसद सदस्य, जो संसद में उनसे चुनाव के पहले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष तक राज्य का मुख्य मंत्री रह चुका है, उसे "सामान्य पूल" से वास आवंटित किया जा सकता है, जो टाईप VI के ऊपर नहीं हों, और इसके अपवाद मामलों में प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोषों पर विचार होगा।

(घ) निम्नांकित संसद सदस्य अभी भी सामान्य पूल के बंगलों का दखल लिए हैं और इन मामलों में की जा रही कार्यवाही प्रत्येक के आगे बता दी है :—

(i) **श्री वी० के० कृष्णामेनन**

वह बंगला नं० 19, त्रिमूर्ति मार्ग का अनधिकृत दखल लिए हुए हैं और बेदखली की कार्यवाही जारी है।

(ii) **श्री ए० एम० तारीक**

वह बंगला नम्बर 5, लोधी एस्टेट का अनधिकृत दखल लिये हुये हैं और उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

(iii) **श्री एस० एस० अटवाल**

वह बंगला नम्बर 70, लोधी एस्टेट, का अनधिकृत दखल लिये हुए हैं और उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

(iv) **श्री जे० के० पी० एन० सिंह**

नम्बर 12, एलेनबी रोड से उनकी बेदखली हो चुकी है, परन्तु उन्होंने न्यायालय से 'रोकादेश' प्राप्त कर लिया है।

(v) **स्वर्गीय डा० के० सी० बघेल**

उनकी लड़की ने नम्बर बी-10, वैलजली रोड को जून, 1969 तक रखने का अनुरोध किया है।

(vi) **श्री मनुभाई अमरसे**

नम्बर 2, सफदर जंग लेन से बेदखली की कार्यवाही पर प्रगति हो रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रगति

7094. **श्री बि० प्र० मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में विभिन्न युक्तियों के अन्तर्गत परिवार नियोजन के मामले में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में केन्द्र और राज्यों ने परिवार नियोजन पर कितना व्यय किया है ; और

(ग) वर्तमान वर्ष के लिये क्या लक्ष्य हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या० एल० टी० 838/69]**

(ख) खर्च की गई रकम के आंकड़े व्यय के जांचे हुए विवरणों के आधार पर संकलित किये जाते हैं जो वर्ष 1968-69 के लिए अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी यह बतलाया जा सकता है कि संशोधित अनुमानों में वर्ष 1968-69 के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 383.34 लाख रुपये, राज्यों और उन संघ क्षेत्रों, जिनमें विधान सभायें हैं, के लिए 2536.86 लाख रुपये और उन संघ क्षेत्रों के लिए जिनमें विधान सभा नहीं हैं, 29.35 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ग) इस वर्ष विभिन्न गर्भनिरोधकों और उपायों द्वारा लगभग 9 प्रति हजार आबादी को शामिल करने का प्रस्ताव है।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति करने की नीति

7095. **श्री प० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में (उनके मंत्रालय के अधीन) नियुक्तियां करने के बारे में सरकार की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड, केरल द्वारा इन उपबन्धों को क्रियान्वित किया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड में नियुक्तियों के बारे में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस कारखाने में उन उपबन्धों को क्रियान्वित करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). 'सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों' के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर, सरकार के निर्णय के अनुसार, वेतन का ध्यान न करते हुए, उच्च तकनीकी पदों को शामिल करते हुए सारे पदों पर नियुक्तियों की शक्तियां, अब सरकारी उद्यमों के निदेशकों के बोर्ड को सौंपी गई हैं ; परन्तु प्रबन्ध-निदेशक को शामिल करते हुए चेयर मैन, बोर्ड के सदस्यों तथा संघटक यूनिटों में महा प्रबन्धकों के पदों की नियुक्तियों के बारे में सरकार ही नियुक्ति-अधिकारी रहेगी। उच्चतर श्रेणियों के पदों (जिनका वेतनमान 2500 से 3000 रुपये तथा अधिक है) पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भी, जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी से हों, सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के महाप्रबन्धक द्वारा दौरे

7096. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर उर्वरक कारखाने का महाप्रबन्धक गत 12 महीनों में गोरखपुर से कितने दिन बाहर रहा ;

(ख) उसने किन-किन स्थानों के दौरे किये, दौरों का उद्देश्य क्या था और किस-किस तारीख को उन्होंने दौरे किये ;

(ग) उपरोक्त अवधि में महाप्रबन्धक को विमान किराये और रेलगाड़ी के किराये के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में उन्होंने दैनिक भत्ते और अन्य भत्तों के रूप में कितनी राशि प्राप्त की ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

भारतीय तेल निगम के निदेशक की नियुक्ति

7097. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम में किन-किन लोगों को निदेशक नियुक्त किया गया है और उनमें से प्रत्येक ने कितनी-कितनी अवधि तक वहां काम किया है ;

(ख) निदेशकों की नियुक्ति के लिये क्या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) क्या बिहार के प्रतिनिधि के पास निर्धारित योग्यताएं हैं और क्या वह अधिकारी बिहारी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक ने कितनी-कितनी अवधि तक काम किया है, निम्न प्रकार हैं :—

नाम	पद	काम करने की अवधियों की संख्या
(1) श्री एन० एन० कायशप	चेयरमैन	कोई अवधि निर्धारित नहीं है। चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की तारीख 31.7.66
(2) श्री कमलजीत सिंह	प्रबन्ध निदेशक (मार्किटिंग प्रभाग)	कोई अवधि निर्धारित नहीं है। प्रबन्ध निदेशक (मार्किटिंग) के रूप में नियुक्ति तारीख की 31.7.66

नाम	पद	काम करने की अवधियों की संख्या
(3) मेजर जनरल सारदा नन्द सिंह	प्रबन्ध निदेशक शोधन-शाला तथा पाइपा लाइन प्रभाग	नियुक्ति की तिथि 9.8.66 अवधि 30.6.70 तक
(4) श्री पी० के० राव	वित्त निदेशक	नियुक्ति की तारीख 4.9.68 कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।
(5) श्री आर० एस० गुप्ता	निदेशक (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि)	5
(6) श्री एम० वी० राजवडे	निदेशक (पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के प्रति-निधि) ।	3
(7) श्री धर्मनन्नद दास	निदेशक (आसाम सरकार के प्रतिनिधि)	3
(8) श्री एफ० एन० राना	निदेशक (गुजरात राज्य के प्रतिनिधि)	2
(9) श्री के० एल० एन० प्रसाद	निदेशक	2
(10) श्री इ० पी० डब्ल्यू डा० कोशटा	निदेशक	4
(11) श्री एम० सी० टी० पेथाची	निदेशक	2
(12) श्री एस० घोष	निदेशक	4
(13) श्री योगेन्द्र मिश्र	निदेशक	1

(ख) कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में विनियोजित अमरीकी पूंजी

7098. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने अमरीकियों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद पर ब्याज समीकरण कर कम कर दिया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत में अधिक अमरीकी पूंजी लगाई जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). चूंकि ब्याज समीकरण कर सम्बन्धी कानून भारत जैसे विकासशील देशों पर लागू नहीं किया गया था, इसलिए हाल में कर की दर घटाये जाने का, इन देशों के लिए, कोई विशेष महत्व नहीं है ।

बिजनौर सिंचाई परियोजना

7099. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजनौर परियोजना आरम्भ नहीं की जा रही है जब कि परियोजना स्थल पर कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपये से अधिक राशि व्यय की गई है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और यदि कोई कठिनाइयां हैं तो उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है ; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मैसूर सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर यह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कामनवेल्थ डेवेलपमेंट फाइनेंस कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनियों को ऋण

7100. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामनवेल्थ डेवेलपमेंट फाइनेस ऋण कम्पनी ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उसे भारतीय कम्पनियों को ऋण देने की अनुमति दे जिसका प्रयोग वे कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए तथा अपनी कार्यकारी पूंजी की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कामनवेल्थ डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी ने हाल में भारत सरकार को सूचित किया था कि वह छोटी भारतीय

कम्पनियों को कार्यकारी पूंजी तथा मशीनों के आयात के लिये सहायता देने के बारे में विचार करने के लिए तैयार है।

(ग) और (घ). सरकार ने कम्पनी को सूचित कर दिया है कि भारतीय फर्मों में पूंजी लगाने और उन्हें ऋण देने के कम्पनी के विभिन्न प्रस्तावों पर, सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

तमिलनाडू में मिट्टी के तेल की कमी

7101. **श्री किरुतिनन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि तमिलनाडू में गत एक महीने से मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है ;

(ख) तमिलनाडू में मिट्टी के तेल की कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तमिलनाडू में मिट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल भेजने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो और कितना मिट्टी का तेल भेजा जायेगा और यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जैसे निम्न आंकड़ों से पता चलेगा, तमिलनाडू को मिट्टी के तेल की सप्लाई में, उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है :—

तमिलनाडू को मिट्टी के तेल की सप्लाई

मार्च, 1967	18,308 मीटरी टन
मार्च, 1968	22,402 ,, ,,
मार्च, 1969	24,270 ,, ,,

Rules Re. Money Deposited by Individuals with Private Banks

7102. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rule regarding repayment of money deposited by the public with the private banks in the event of their going into liquidation ;

(b) whether Government have advised banks in regard to the insurance of the money deposited with them and the ornaments, etc. kept in lockers so as to ensure their security in the event of the bank going into liquidation ;

(c) the opinion of Government in regard to the uniform rate of interest on loans advanced by different banks ; and

(d) Government's policy and the rules regarding the rates of interest on loans to be advanced by banks to small industries and farmers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The provisions regarding suspension of business and winding up of banking companies are contained in Part III & IIIA of the Banking Regulation Act, 1949. In terms of Section 44 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 no banking company may be voluntarily wound up unless the Reserve Bank certifies in writing that the company is able to pay in full all its debts to its creditors as they accrue. The Deposit Insurance Corporation established as a statutory corporation in 1961, in terms of Deposit Corporation Act, 1961, insures all deposits in commercial banks, including the State Bank of India and its subsidiaries, to the extent of Rs. 5,000, other than the deposits belonging to a foreign Government, the Central Government, a State Government or a banking company. Section 16 (1) of the Deposit Insurance Corporation Act provides that where an order for the winding up or liquidation of an insured bank is made, the Corporation shall be liable to pay to every depositor of the bank in accordance with the provisions of Section 17, an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such an order is made or Rs. 5,000 whichever is less. In terms of sub-section (10) of Seetion 43A of the Banking Regulation Act, after preferential payments have been made or adequate provision has been made in respect thereof, the remaining assets of the bank available for payment to general creditor have to be utilised by the liquidator for payment on pro-rata basis of the debts of the general creditors and of the sums due to the depositors.

The contents of the locker do not form part of the bank's assets and in the event of the bank going into liquidation, the hirers of the lockers are at liberty to remove the contents.

(c) While fixing the rates of interest on advances, banks are generally guided by various factors such as the nature and the marketability or the realisability of the security, the type of the borrower and his financial strength, the size of the advances the cost of making the advance and servicing of the account etc. The rate also varies according to the quantum of advance and the status and dealings of the borrower. If the amount of the advance is large and the borrow's credit worthiness is high and his dealings with the bank are very satisfactory, a slightly lower rate of interest is generally stipulated. There will also be difference in rate as between banks of different sizes. A bank of smaller size may be generally expected to charge a higher rate of interest as the cost of acquiring funds is higher in its case. The maximum rate of interest discount which Indian scheduled banks with aggregate demand and time liabilities of Rs. 50 crores and above and all banks incorporated outside India can charge on their advances/overdrafts and usance bills discounted has been fixed at 9.5 percent per annum by a directive issued by the Reserve Bank. The banks, covered by the directive are free to charge a rate of interest not exceeding the ceiling of 9.5 percent per annum which they consider as reasonable having regard to one or more factors referred to above. In the case of smaller banks the cost of deposits is relatively higher, their net earnings are low and they have also other problems such as much lower credit deposit ratio, a higher proportion of small accounts, etc. A ceiling rate on their advances might, therefore, result in considerable reduction in their profits and possibly result in losses in a few cases. In view of these factors, a ceiling on their lending rate is not considered necessary.

(d) There are no rules regarding the rates of interest on loans to be advanced by banks to small-scale industries and farmers and banks are at liberty to quote rates of interest depending upon the factors mentioned above (within the prescribed ceiling of 9.5% per annum in the case of Indian scheduled banks with aggregate demand and time liabilities of Rs. 50 crores and above and all banks incorporated outside India).

Liquidation of Punjab and Kashmir Bank

7103. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the policy of Government in regard to the repayment of money to those depositors who had, before the partition of India, deposited their money in the Punjab and Kashmir Bank, which was closed after the partition of India and which has restarted functioning now;

(b) the period for which the cases of liquidation of such banks normally remain pending and whether Government have laid down any time limit in this regard; and

(c) if so, when a financial decision in regard to this Bank is likely to be taken?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (c). After the partition of India in August 1947, the Punjab and Kashmir Bank Ltd. entered into a scheme of arrangement with its creditors in India, which was sanctioned by the High Court at Simla in May 1948 under Section 153 of the Indian Companies Act, 1913. In terms of one of the provisions of Scheme, as modified from time to time, the depositors are to be paid 25% of their deposits within six month from the date of receipt of compensation from Government of India in respect of the bank's mortgagee right over immovable properties in Pakistan. The bank has not yet received the full amount of compensation from the Government of India. The bank commenced transacting fresh business in India in January, 1953. The bank sought the permission of the Delhi High Court to negotiate with the State Bank of Patiala or any scheduled bank for the transfer of its new fund business. The Delhi High Court granted the necessary permission on the 16th December, 1968 and directed the bank to negotiate and bring forward a proposition for the consideration of the Court on the next date of hearing. The case is to come up before the Court on the 28th April, 1969.

(b) Repayment of deposits with banks in liquidation or working under schemes of arrangement is authorised from time to time by the High Court depending on the realisation of the assets. The question of Government of India laying down any time limit in this regard does not arise.

Business Transacted by Life Insurance Corporation

7104. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of those who got themselves insured for life afresh during the last three years;

(b) the number of policies which lapsed during the same period;

(c) the resons for which the policies are allowed to lapse because of a few days'delay in payment of premia and inspite of policy-holders and Insurance agents' repeated requests, no leniency is shown;

(d) whether Government propose to take any steps in this regard; and

(e) the number of Insurance agents whose commission was not paid by the Life Insurance Corporation during the last three years?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The numbers of new policies issued during the years 1965-66 to 1967-68 on the lives of persons insuring for the first time, are as follows:

Year	Number of Policies
1965-66	10,94,770
1966-67	9,90,977
1967-68	9,85,155

(b) The figures of net lapses (i. e. number of policies lapsed less number of policies revived) during the years 1965-66 to 1967-68 are given below.

Year	Net number of policies lapsed
1965-66	4,96,867
1966-67	4,93,876
1967-68	4,62,508

Note: These figures cannot be related to those given under (a) above, as these include both the old and the new policies issued during a particular year, which had lapsed.

(c) and (d). Policies do not lapse because of a few days' delay in payment of premium. Corporation allows a period of grace for payment of premium after the due date. One month but not less than 30 days of grace are allowed for payment of yearly, half-yearly and quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. Besides the period of grace, the Corporation accepts the payment of premiums with interest up to a period of six months from the due date without production of any evidence of good health.

(e) Commissions which are legitimately due to the agents are not withheld by the L.I.C. There could, however, be some delay in payment of commissions, but the number of such cases is small.

विनियोजित पूंजी से विदेशी समवायों को हुई आय

7105. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 7 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 907 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तेल समवायों को विनियोजित पूंजी से हुई आय में से उनके द्वारा अब तक कितनी विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजी गई है ;

(ख) जो लाभ उन्हें प्राप्त होता है क्या वह उनके द्वारा विनियोजित पूंजी के अनुपात में ठीक है ; और

(ग) उनके द्वारा विदेशों को भेजी जाने वाली बड़ी भारी राशि को ध्यान में रखते हुए

क्या उनकी भारी आय पर कोई रोक लगाने हेतु कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का अस्वीकार किया जाना

7106. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966,1967 और 1968 में जीवन बीमा निगम द्वारा कितने दावे अस्वीकार किये गये ; और

(ख) उक्त कितने मामलों में जीवन बीमा निगम को अन्त में दावों की राशि का भुगतान करना पड़ा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

वर्ष	अस्वीकृत किये गये दावों की संख्या
1965-66	424
1966-67	369
1967-68	391

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

निर्माताओं द्वारा सुपर फास्फेट का लिये जाने वाला मूल्य

7107. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रत्येक राज्य में सुपर फास्फेट की सप्लाई रेल पर्यन्त निशुल्क किस मूल्य पर की जा रही है ; और

(ख) हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर, उदयपुर में सुपर फास्फेट का उप-उत्पाद है किन्तु, फिर भी उसका मूल्य अन्य उत्पादकों के उसी प्रकार के सुपर फास्फेट की तुलना में अधिक क्यों है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30 जून, 1969 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये भारतीय उर्वरक संस्था

द्वारा फैक्टरी के बाहर सुपरफास्फेट (16 प्रतिशत पी. 205) का नियत किया गया अधिकतम मूल्य निम्न प्रकार से है :—

1 **कलकत्ता से भिन्न अन्य बन्दरगाहों द्वारा सेवित फैक्टरियां**

	प्रत्येक मैट्रिक टन का रुपयों में मूल्य (100 किलोग्राम के पैकिंग)
(क) बन्दरगाहों पर स्थित फैक्टरियां	299.78 रुपये
(ख) भीतरी प्रदेशों में स्थित फैक्टरियां	302.42 रुपये से 340.04 रुपये तक

2 **कलकत्ता बन्दरगाह द्वारा सेवित फैक्टरियां**

(क) बन्दरगाह पर स्थित फैक्टरियां	320.11 रुपये
(ख) भीतरी प्रदेशों में स्थित फैक्टरियां	336.20 रुपये से 354.87 रुपये तक

एल्केथीन लगे पटसन के थैलों में 50 किलो ग्राम पैकिंग करने के लिये उत्पादकों को 12 रुपये प्रति मैट्रिक टन का अतिरिक्त मूल्य लेने की मंजूरी दी जाती है। ऊपर दिये गये मूल्यों में 1 मार्च, 1969 से लिया जाने वाला उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के जस्ता प्रद्रावक में सुपरफास्फेट एक उपोत्पाद नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड एक उपोत्पाद है, जिसका उपयोग रॉक फास्फेट मिलाकर सिंगल सुपर-फास्फेट का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अपना उत्पाद 100 किलोग्राम के पैकिंग में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में देबारी में (रेल तक निःशुल्क) 280 रुपये प्रति मैट्रिक टन की औसत दर पर बेच रहा है, जो मूल्य भारतीय उर्वरक संस्था द्वारा नियत मूल्य से कम है।

बम्बई के उच्च क्षेत्र में अशोधित तेल

7108. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूगर्भीय सर्वेक्षण के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि बम्बई के तथाकथित उच्च क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ मीटरी टन अशोधित तेल है ;

(ख) क्या सरकार ने अशोधित तेल के इस बड़े भंडार को निकालने के बारे में विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) किसी क्षेत्र में कच्चे तेल के भण्डारों का निर्धारण केवल भूगर्भीय सर्वेक्षणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह ड्रिलिंग करने तथा तेल की विद्यमानता सिद्ध करने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) और (ग). "बाम्बे हाई" संरचना में ड्रिलिंग करने के विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में प्राप्त हुये सहयोग प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

आसाम में अशोधित तेल की शोधन क्षमता के बारे में एक समिति की नियुक्ति

7109. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में अशोधित तेल की शोधन क्षमता को और बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

(1) श्री बी० एस० नेगी, सदस्य (अन्वेषण) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संयोजक)

(2) डा० हरि नारायण, डायरेक्टर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट

(3) डा० एम० जी० कृष्णा, डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम

(4) डा० ए० के० घोष, इकोनोमिक एडवाइजर, रेलवे बोर्ड

(5) श्री एस० डी० भांवरी, जनरल मैनेजर, इंडियन आयल कारपोरेशन (मार्किटिंग डिवीजन)

समिति निम्नलिखित तथ्यों पर अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :—

(1) मौजूदा शोधनशालाओं की कच्चे तेल की आवश्यकताओं और राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का स्वरूप तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए आसाम के अशोधित तेल के संसाधनों का अध्ययन ;

(2) तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता के बारे में एक नई शोधनशाला की स्थापना करने या मौजूदा शोधनशालाओं में विस्तार करने और तुलनात्मक आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन ; तथा

(3) अन्य सम्बद्ध तथ्य।

समिति ने तीन महीनों की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

दीर्घकालिक आधार पर विदेशी सहायता

7110. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक लेखा समिति द्वारा समय-समय पर दिये गये इस आशय के विभिन्न सुझावों पर विचार किया है कि विदेशों से दीर्घकालिक आधार पर सहायता प्राप्त की जाय ; और

(ख) अधिक गैर-परियोजना सहायता लेने और दीर्घकालिक आधार पर सहायता प्राप्त करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत में इस बात पर जोर देती रही है कि उसके लिए गैर-प्रायोजना सहायता और लम्बी अवधि के लिए मिलने वाली सहायता आवश्यक है । इस सम्बन्ध में, हाल के वर्षों में जो स्थिति थी उसका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

भाग (ख) : दूसरी और तीसरी आयोजनाओं की अवधि में और 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में जिन ऋणों के लिए वचन दिये गये थे उनकी कुल रकम के प्रतिशत भागों के रूप में (i) गैर-प्रायोजना ऋणों, (ii) 3 प्रतिशत और इससे कम ब्याज वाले ऋणों और (iii) 20 वर्षों या उससे अधिक अवधियों में चुकाये जाने वाले ऋणों का विवरण ।

अवधि	जिन ऋणों के लिए वचन दिये गये थे उनकी कुल रकम के प्रतिशत भाग के रूप में गैर-प्रायोजना ऋण	कुल ऋणों की रकम के प्रतिशत भाग के रूप में 3 प्रतिशत या उससे कम ब्याज वाले ऋण	कुल ऋणों की रकम के प्रतिशत भाग के रूप में 20 वर्षों या उससे अधिक अवधियों में चुकाये जाने वाले ऋणों का प्रतिशत
1	2	3	4
दूसरी आयोजना	22 प्रतिशत	26 प्रतिशत	28 प्रतिशत
तीसरी आयोजना	41 ,,	60 ,,	66 ,,
वार्षिक आयोजना 1966-67 से 1968-69 तक	67 ,,	81 ,,	73 ,,

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया गया लाभांश

7111. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड उतना न्यूनतम लाभांश दे रही है, जिसकी गारंटी उसने दे रखी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में मंत्रालय और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) आयल इंडिया लि०, जो इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, लाभांश घोषित करती है अतः इस मंत्रालय या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इस बारे में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण का दिया जाना

7112. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई बैंक के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य दिया है कि बैंक अपनी विशेष धनराशि से एशिया के देशों के विकास के लिए शीघ्र ऋण जारी करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी एशियाई विकास बैंक से ऋण मांगा है ;

(ग) यदि हां, तो भारत ने कुल कितने ऋण की मांग की है और बैंक ने कितना ऋण देना स्वीकार किया है ; और

(घ) इस ऋण का कैसे प्रयोग किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

नगरीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्मित मकानों का खाली रहना

7113. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नगरों में बनाये गये मकानों में से, 31 मार्च, 1969 तक कितने मकान खाली पड़े थे ;

(ख) इसके क्या कारण हैं और वे कब से खाली पड़े हैं ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से बनाये गये कितने मकान 31 मार्च, 1969 तक खाली पड़े थे ; और

(घ) इसके क्या कारण थे और वे कब से खाली पड़े थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). वांछित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित तथा संकलित करने में जितना प्रयत्न तथा व्यय शामिल है उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होंगे।

मकानों सम्बन्धी आवश्यकता

7114. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने मकानों की आवश्यकता है तथा मकानों की कितनी कमी है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितने मकानों की आवश्यकता होगी, इस योजना-काल में कितने मकान बनाये जायेंगे तथा योजना के अन्त में कितने मकानों की कमी रह जाने की संभावना है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में मकान निर्माण के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है ; और

(घ) मकानों संबंधी आवश्यकता तथा मकानों की कमी के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश में फिलहाल कुल मकानों की आवश्यकता अनुमानतः 102 मिलीयन (10 करोड़ 20 लाख) रिहायशी एकक हैं, इसमें लगभग 84 मिलीयन (8 करोड़ 40 लाख) एककों की कमी है, जिसमें कच्चे और टूटे-फूटे मकान शामिल हैं, और जिनमें भारी सुधार अथवा बदलना वांछित है।

(ख) चौथी योजना के अन्त तक की कुल आवश्यकता अथवा संभावित कमी का निर्धारण नहीं किया गया है। इस बारे में विश्वसनीय आंकड़े 1971 की जनगणना के बाद उपलब्ध होंगे। क्योंकि चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतएव योजना की अवधि में जो मकान बनाये जा सकते हैं, उनकी संख्या बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ). जैसा कि ऊपर कहा गया है, चौथी योजना को अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है। परिणामतः यह बताना संभव नहीं है कि योजना अवधि में आवास के लिए कुल कितना व्यय होगा। तथापि, वर्तमान संकेतों के आधार पर विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं, स्थानीय स्वायत्त शासन, एवं नगर आयोजना कार्यक्रम के लिए 99 करोड़ रुपये के आस-पास व्यय होगा। ऐसी स्थिति में, सामाजिक आवास योजनाओं के लिये वास्तविक व्यय, तीसरी योजना में की गई व्यवस्था के आधे भाग से भी कम होगा, जो कि लगभग 180 करोड़ रुपये है (जिसमें जीवन बीमा निगम के 60 करोड़ रुपये भी शामिल हैं)। इसके अतिरिक्त, चौथी योजना में राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं, जिसमें सामाजिक आवास योजनाएं शामिल हैं, के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों को 'ब्लाक ऋण' और 'ब्लाक अनुदान' के रूप में दी जायेगी। आवास के लिये अन्ततः उपलब्ध या खर्च की जाने वाली राशि (जैसे कि अन्य अधिकतर विकास शीर्षों के लिये होगा), पूर्णतः प्रत्येक राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर होगी, जो कि समय-समय पर राज्य में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार होगी।

यदि 84 मिलीयन (8 करोड़ 40 लाख) एककों की वर्तमान कमी को समाप्त करना है, तो इसके लिए 33,000 करोड़ रुपये की पूंजी की दरकार है, जिसमें आयोजना, सड़कों और गलियों के बनाने, सीवरेज तथा अनेक अन्य सुख-सुविधाओं की लागत शामिल नहीं की गई। स्पष्ट रूप से, यह केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के लिये संभव नहीं होगा कि निकट भविष्य में इतने विशाल स्रोतों को जुटा सकें। इस समस्या का हल केवल यह है कि आवास के लिए प्रगामी रूप से निजी क्षेत्र को क्रियाशील और निजी स्रोतों को गतिशील बनाया जाये। अतएव चौथी योजना में इस दिशा में आयोजित उपाय करने पड़ सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का स्थानान्तरण

7115. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह नीति निर्धारित की गई है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य, सेवा में काम करने वाले जिन डाक्टरों की आयु 45 वर्ष से अधिक है, उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित न किया जाये;

(ख) यदि हां, तो 25 अप्रैल, 1968 से अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के कितने डाक्टरों को स्थानान्तरित किया गया है या स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभा में 25 नवम्बर, 1968 और 29 अप्रैल, 1968 को यह कहा गया था कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले डाक्टरों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो ये स्थानान्तरित क्यों किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ग). 29 अप्रैल, 1968 को लोक सभा में जो इस आशय का वक्तव्य दिया गया था कि 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, उसमें 25 नवम्बर, 1968 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के द्वारा यह संशोधन किया गया था कि जिन डाक्टरों की आयु 45 वर्ष और इससे अधिक है, जहां तक संभव होगा, उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में काम कर रहे 45 वर्ष से कुछ अधिक आयु वाले एक डाक्टर को स्थानान्तरित किया गया।

(घ) डाक्टरों के तबादले जनहित में प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किये जाते हैं।

Construction of Ghagara Rapti Narayani Project

7116. **Shri Jharkhande Rai**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration the proposal to construct the Ghagara Rapti-Narayani Project in the Eastern Uttar Pradesh so as to save this area from the devastation of floods by taming these rivers and valleys ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, the broad details thereof and the estimated cost thereof?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). No such proposal has been received from the State Government.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश की पेय-जल प्रदाय योजनायें

7117. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से पेय-जल प्रदाय सम्बन्धी कितनी योजनायें मिली हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) कितनी और किन-किन योजनाओं को अनुमोदित तथा स्वीकृत किया गया है तथा कितनी तथा किन-किन योजनाओं को अनुमोदित तथा स्वीकृति के लिये विचाराधीन रखा गया है ;

(ग) वे कब तक स्वीकृत की जायेंगी; और

(घ) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना संलग्न परिशिष्ट I और II में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 839/69]

(घ) इन योजनाओं पर मार्च, 1969 तक निम्नांकित धनराशि खर्च की गई —

नगर योजनायें	76.23 लाख रुपये
ग्राम योजनायें	537.31 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश को परियोजना के आप्रेशनों और उपायों के लिये सहायता

7118. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के आप्रेशनों और उपायों के लिये केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को गत चार वर्षों में कितनी राशि और कितने उपकरण दिये हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश को 1969-70 के लिये कितनी राशि और कितने उपकरण देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 840/69]

(ख) 1969-70 में उत्तर प्रदेश को दिये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों और धनराशि के आवंटन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

7119. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस समय कितने डाक्टरों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उन अस्पतालों में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति). (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Shifting of Residents Living in Neighbourhood of Majestic Cinema, Delhi

7120. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority propose to shift the residents living in the neighbourhood of Majestic Cinema, Delhi and other business concerns around that Cinema House with a view to setting up a telephone exchange there ;

(b) if so, whether Government propose to advise the Delhi Development Authority to shift the Majestic Cinema itself from its present premises to some other place instead of displacing thousands of residents around the Cinema House ;

(c) whether Government also propose to suggest to the Delhi Development Authority to utilise the Town Hall building for setting up telephone exchange there instead of displacing the people living around Majestic Cinema, because the Town Hall building would be vacated after the completion of the new building of the Delhi Municipal Corporation, which is at present under construction near Ramlila Grounds ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

तमिलनाडु में फिल्मी उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों द्वारा आयकर नियमों का उल्लंघन

7121. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

श्री जुगल मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में फिल्म उद्योग में कार्य करने वाले उन लोगों के नाम क्या हैं जिन पर गत तीन वर्षों में आयकर नियमों का उल्लंघन करने के कारण मुकदमे चलाये गये हैं अथवा जिन्हें दंडित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उन पर मुकदमा चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री टी० एस० बलियाह ।

(ख) उन्होंने अपनी आय-विवरणियों में विभिन्न वर्षों की निम्नलिखित व्यावसायिक प्राप्तियां नहीं दिखायी थीं :

वर्ष	रुपये
1958-59	33,699
1959-60	23,001
1960-61	42,300
1961-62	17,000

उन पर आयकर की झूठी विवरणियां पेश करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें दोषी ठहराया गया। उपर्युक्त चार वर्षों के लिये उन पर कुल मिलाकर 3,250 रुपये जुर्माना किये गये। फैसला 9-4-1969 को ही सुनाया गया था।

T. B. Hospital in Khargon West Nimad District

7122. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that T. B. Hospital in Khargon, district West Nimad, had faced closure many times due to paucity of funds :

(b) if so, whether Government propose to give some special assistance for the maintenance of this hospital;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government are also aware that this Hospital is very useful particularly for Adivasis and Harijans of that area; and

(e) whether Government will consider any new scheme for this Hospital which is sent to them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Payment to Film Star

7123. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the film stars charge money as follows for working in one film :

	Name of film Star	Rupees in Lakhs.
(i)	Shri Dalip Kumar	18.00
(ii)	Shri Dev Anand	10.00
(iii)	Shri Rajendra Kumar	15.00
(iv)	Shri Raj Kapoor	15.00
(v)	Shrimati Mala Sinha	8.00
(vi)	Kumari Wahida Rehman	9.00
(vii)	Kumari Asha Parekh	8.00
(viii)	Shrimati Vaijayanti Mala	9.00
(ix)	Shri Shammi Kapoor	11.00
(x)	Shri Mahmood	4.00
(xi)	Shri Sunil Dutt	8.00
(xii)	Shri Dharmendra	8.00
(xiii)	Shri Manoj Kumar	9.00
(xiv)	Shrimati Sadhana	8.50
(xv)	Shrimati Saira Banu.	9.00

(b) whether it is also a fact that all these film stars work in three or four films each year but they pay very little amount towards Income-tax ;

(c) whether some arrears of Income tax are still outstanding against them ;

(d) if so, the amount outstanding against each film star and the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Such an allegation about some of the film stars was made by the Film Distributors of Delhi in their open letter dated 17-4-1968 circulated to the Members of Parliament. Government has no definite information to establish that payment at these rates are made to these film stars for working in one film.

(b) Some of the leading film stars are often engaged in more than one picture at a time. Some of these film stars pay a fairly large amount of Income-tax on their yearly income.

(c) There are tax arrears due from all these persons except S/Shri Rajendra Kumar, Dharmendra and Manoj Kumar and S/Shrimati Mala Sinha and Saira Banu.

(d) The amount of tax outstanding against the above persons is given below :

	Rs.
Shri Dalip Kumar	6,00,555
Shri Dev Anand	99,194
Shri Raj Kapoor	4,36,805
Kumari Waheeda Rehman	3,47,540
Shrimati Vijayantimala	21,900
Kumari Asha Parekh	16,030
Shri Shammi Kapoor	2,46,867
Shri Mehmood	2,83,000
Shri Sunil Dutt	1,08,605
Shrimati Sadhana	52,861

In some cases, instalments have been allowed for the payment of the tax dues. In other cases, necessary action for recovery, including penal action, has been taken.

Income-tax Evasion by Film People

7124. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints about evasion of income-tax by Shri and Shrimati Dilip Kumar, Asha Parekh, Waheeda Rehman, Raj Kapoor, Dharmendra, Naushad, Nasir Hussain, Sadhana Shivdasani and B. K. Adrash, film artists ;

(b) if so, the action being taken by Government against them and the nature of steps taken so far ; and

(c) whether their houses have ever been raided during the last five years and if so, the amount of unaccounted money recovered as a result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) During the last two years only a general complaint of income-tax evasion by Shri Dilip Kumar was received. There was no such allegations of tax evasion against others mentioned in the question during the period.

(b) Even before the receipt of the above complaint against Shri Dilip Kumar incriminating evidence about him had come into the possession of the Department as a result of a search in another case. A prosecution has been launched against Shri Dilip Kumar for making a false return of income. Penalty proceedings have also been initiated. The prosecution and penalty proceedings are pending.

(c) A search for unearthing unaccounted money was conducted by the Income-tax Department in 1966 in the case of Miss Waheeda Rehman but no unaccounted money was recovered or seized. There was also a search in the case of Shri Raj Kapoor for violation of Foreign Exchange Regulation and a sum of Rs. 6.65 lakhs was seized in this search.

Dr. Bhagwandas Memorial Trust Lajpatnagar, New Delhi

7125. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. Bhagwandas Memorial Trust, II-F Lajpatnagar, New Delhi received grants worth Rs. 12,000 and 1,000 in 1965-66 and 1966-67 respectively from his Ministry ;

(b) whether it is also a fact that Government have withheld the grant to the Trust due to corruption rampant therein and investigating in the matter have been entrusted to the Delhi Police.

(c) whether any bond was got signed from the Trust while giving such grants wherein it was provided that grants would have to be refunded in case the same were misused ; and

(d) if so, the action being taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The grants worth Rs. 12,000 and Rs. 1,000 were sanctioned to Dr. Bhagwandas Memorial Trust, II-F Lajpatnagar, New Delhi, during 1963-64 and 1964-65 respectively by the Ministry of Health.

(b) It has been decided not to give any further grants to the Trust till complaints of corruption are disproved.

(c) The Trust did not execute a bond, as the condition requiring furnishing of a bond was imposed in September, 1964. They however, gave an undertaking to the effect that the Trust accepted the terms and conditions mentioned in the letters of sanction. One of the conditions was that in case the grant is not utilised for the purpose for which it was sanctioned within the specified period, the Trust would refund the unspent balance forthwith.

(d) All the conditions mentioned in the letters of sanction were fulfilled and utilisation certificates in respect of these grants were issued to the audit.

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को समाप्त किया जाना

7126. **श्री स० कुण्डू :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम-स्वरूप बेरोजगार हुए व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है। तथापि वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार अथवा संशोधन करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : मैं इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

"दुर्गापुर इस्पात संयत्र में गम्भीर दुर्घटना के परिणामस्वरूप धमन भट्ठी बन्द हो गई और श्रमिकों में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा बढ़ जाने का समाचार है जिससे इस्पात संयत्र बन्द किये जाने की सम्भावना है।"

विवरण

12-4-1969 को दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्ठी नं० 11 में जिसमें भारी मरम्मत के पश्चात् दो महीने पहले ही काम करना आरम्भ किया था खराबी आ गई। गर्म वायु के एक मार्ग से पिघला हुआ धातुमल बाहर निकलने लगा। तत्काल धमन भट्ठी का तापमान कम कर दिया गया और गर्म धातु को बाहर निकाल लिया गया। जहां से धातुमल निकल रहा था वहां उष्मसह क्षतिग्रस्त पाई गई। इसी प्रकार की खराबियां कुछ अन्य प्रवेश मार्गों में भी पाई गईं। दूसरे इस्पात कारखानों से बुलाये गये विशेषज्ञों की राय में यह भारी क्षति थी और पूर्ण पुनश्चय की आवश्यकता थी जिसके लिये दो महीने चाहिये थे। क्षतिग्रस्त स्थानों को ईंटे लगाकर मरम्मत करने से प्रवेश द्वारों को बन्द किया जा सकता था। बाहर की सतह पर पानी डालकर ठंढा करने जिससे ईंटे उखड़ने न पायें और मरम्मत पक्की हो जाये तथा प्रचालन में सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। प्रबन्धक वर्ग ने उपरोक्त सुझाव स्वीकार किया और तत्काल मरम्मत का काम शुरू कर दिया। 16-4-1969 को भट्ठी को गर्म किया गया। भट्ठी का ध्यान रखा जा रहा है और सभी सावधानी बरती जा रही है। 10-15 दिन के पश्चात् यह पता चल सकेगा कि क्या भट्ठी सामान्य काम करने योग्य है। इस मामले की जांच करने के

लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई है जिसमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और दूसरे इस्पात कारखाने के प्रतिनिधि हैं।

गत दो महीनों में मजदूरों ने अनुशासनहीनता के कई काम किए हैं और अधिकारियों को गाली गलौज किया है और धमकियां दी हैं। 22 मार्च, 1969 को जब स्केल्प मिल में दुर्घटना हुई थी उस समय कई घन्टों तक अधिकारियों का घेराव किया गया था और उन पर पत्थर फेकें गये थे। सम्पत्ति को भी कुछ नुकसान पहुंचाया गया था। 24 मार्च 1969 को कुछ उदण्ड सुरक्षा कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया था।

बाद में इनके साथ कुछ और कर्मचारी भी मिल गये थे। कई अधिकारियों पर हमले किये गये और सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सुरक्षा सिपाहियों को आत्म-रक्षा के लिए गोली भी चलानी पड़ी। 10 अप्रैल, 1969 को उदण्ड मजदूरों ने काम से लौट रहे अधिकारियों को मारा पीटा। अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। कुछ सुरक्षा कर्मचारी अब भी मुक्त सुरक्षा अधिकारी की आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं। वह इस्पात कारखाने के द्वारों पर इकट्ठे हो जाते हैं। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपनी पुलिस को अनुदेश दिये हैं कि वह इस्पात कारखाने के द्वारों पर से कुछ उदण्ड सुरक्षा कर्मचारियों को हटाने में प्रबन्धक वर्ग की सहायता करें। परन्तु अभी तक राज्य पुलिस किसी प्रकार की प्रभावी सहायता देने में असमर्थ रही है। इस्पात कारखाने के कुछ अन्य अनुभागों विशेषतया रोल शाप में मजदूर अधिकारियों के अनुदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और स्वयं काम बांट लेते हैं।

जबकि सरकार मजदूरों की उचित शिकायतों पर सहानुभूति से विचार करने के लिये तैयार है, वह प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकारों की पुनः स्थापना के लिए दृढसंकल्प हैं, जिसके बिना कारखाने में काम नहीं चल सकता। मैंने इस बारे में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री और उप-मुख्य मंत्री से, जो आजकल दिल्ली में हैं, विचार-विमर्श किया है। उन्होंने कारखाने की स्थिति को सामान्य लाने में पूरी सहायता करने का वचन दिया है। मैं इस सहायता का स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जायेगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह दुर्भाग्य की बात है कि धमन भट्ठी की मरम्मत पर करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उसे फिर बन्द कर दिया गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मरम्मत की उचित व्यवस्था नहीं है और इस समस्या का समाधान करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा प्रशासन का भार लेने के बाद पश्चिम बंगाल में अनुशासनहीनता के बारे में नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे वहां साम्यवादियों से समर्थित यूनियन को मान्यता दिलवाना चाहते हैं और दूसरे वे यह भी चाहते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस को प्रभावहीन किया जाये।

22 मार्च, 1969 के पश्चात् पश्चिम बंगाल में बहुत सी अनुशासनहीनता की कार्यवाहियां सामने आयीं हैं। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस वहां प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में असफल रही है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि 22 और 23 मार्च की हड़ताल के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने इसका भी उल्लेख नहीं किया कि इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। ऐसा करना सरकार के लिये कहां तक न्यायोचित था। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 मार्च की हड़ताल में भाग लेने वालों के विरुद्ध जारी किये गये सब निलम्बन आदेश वापिस करने की मांग की थी।

धमन भट्ठी का खराब होना श्रमिकों के असंतोष से कहां तक सम्बद्ध है और इसके मरम्मत पर कुल कितना खर्च आयेगा ? सरकार का भविष्य में इस प्रकार की खराबी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है। वर्ष 1968-69 में होने वाली हानि में से कितनी हानि केवल श्रमिक असंतोष के कारण हुई ? सुरक्षा अधिकारी को गिरफ्तार करने और जनरल मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की। निलम्बन आदेशों को वापिस लेने की पश्चिम बंगाल सरकार की मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या इन सब विषयों पर संयुक्त मोर्चा सरकार के नेताओं से दिल्ली में बातचीत की गई थी और इस बारे में पश्चिम बंगाल के नेताओं ने क्या आश्वासन दिये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जहां तक धमन भट्ठी के खराब होने का प्रश्न है यह तकनीकी मामला है और इस बारे में मैं तकनीकी विचार व्यक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के मुख्य इस्पात कारखाने में मुख्य सेक्शनों की पूरी देखभाल आवश्यक है और कारखाने में अचानक खराबी आ जाने से भारी धक्का लगता है। मामले की जांच की जा रही है और तकनीकी व्यक्ति स्थिति स्पष्ट करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

दुर्गापुर कारखाने को लगातार हानि हो रही है। वर्ष 1966-67 में इसे 13 करोड़ और 1967-68 में 18 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस वर्ष 21 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना है।

सुरक्षा अधिकारी की गिरफ्तारी के बारे में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

निलम्बित करने के मामलों पर पश्चिम बंगाल के मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने इन मामलों पर शीघ्र निर्णय करने की मांग की है। उन मामलों पर निर्णय ले लिये गये हैं और उसकी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग को भेज दी गई है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं । धमन भट्ठी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि "यह प्रश्न तकनीकी समिति के विचाराधीन है और इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते ।"

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वर्ष 1968-69 में श्रमिक असंतोष के कारण दुर्गापुर कारखाने को होने वाली हानि के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है । मंत्री महोदय ने यह कहा कि इसका अलग से अनुमान लगाना सम्भव नहीं । यह ठीक नहीं है । विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत खाते रखे जाते हैं अतः ऐसा बताना सम्भव है ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं "अनियंत्रित तत्वों" के प्रयोग का तीव्र विरोध करता हूं । एक व्यक्ति जिसे मुअत्तिल किया गया है उसे दोषी नहीं कहा जा सकता ।

देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दें

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के पास आंकड़े हैं तो और वे उनको देने के लिये तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । लेकिन यदि वह ठीक आंकड़े देने में असमर्थ हैं तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । यदि दो महीने तक कारखाना बन्द रहे तो 50 लाख रुपये की हानि होती है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्भलपुर) : समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 10 अप्रैल, 1969 को बंगाल बन्द के कारण इस्पात कारखानों को 50 लाख रुपये की हानि हुई थी । यह समाचार कहां तक सच है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 23 मार्च और 10 अप्रैल, 1969 को कार्यालयों में श्रमिकों और अधिकारियों की कितनी संख्या थी ? क्या लोगों के उपस्थित न होने के कारण धमन भट्ठी उचित प्रकार से काम नहीं कर सकी अतः कारखाने को बन्द करना पड़ा था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक बन्द वाले दिन हुई हानि का प्रश्न है, उसके ठीक-ठीक आंकड़े मैं नहीं दे सकता लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 27 लाख रुपये का उत्पादन होता है । इस्पात कारखाने को चलाने के लिये 500 से 600 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है लेकिन उस दिन केवल 200 व्यक्ति काम पर आये और अधिकारी और परिवीक्षक कर्मचारियों की सेवाएं लेनी पड़ी थीं । इस प्रकार का दबाव अक्सर उन पर नहीं डाला जा सकता ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : I want to know whether State Government has given any assurance to give assistance to those officers to whom excesses were done ?

श्री चे० मु० पुनाचा : क्योंकि यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है राज्य सरकार इसको सहायता देने के पक्ष में नहीं है ।

Shri Satya Narain Singh : Tatas and Birla's agent are sabotaging there.

अध्यक्ष महोदय : टाटा और बिड़ला का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सरकारी उपक्रम है। आपको इस प्रकार से सभा में अशान्ति पैदा नहीं करनी चाहिये।

श्री सु० कु० तापड़िया : माननीय मंत्री ने दो बातों का उल्लेख किया है। एक तो यह कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने का सुरक्षा दल विद्रोही हो गया और दूसरे यह कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोई प्रभावशाली सहायता नहीं दी है।

कारखाने पर विद्रोही सुरक्षा दल का अधिकार है और प्रबन्धकों अथवा सरकार को मालूम नहीं है कि क्या चीज लाई जा रही है और क्या चीज कारखाने से बाहर ले जाई जा रही है। वे कारखाने में तोड़-फोड़ करने का प्रयास भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उनकी अनुमति के बिना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग कहीं न करने के लिये कहा है। इस बार जब प्रबन्धकों ने राज्य पुलिस की सहायता मांगी तो वे विद्रोही सुरक्षा दल द्वारा उनकी हंसी उड़ाई जाने पर वापस चले गये। इससे सिद्ध होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखना नहीं चाहती है और न ही इसमें कारखाने के प्रबन्धकों की सहायता करना चाहती है।

सम्पत्ति की रक्षा और कारखाने को चलाने के हेतु कारखाने का नियंत्रण विद्रोही सुरक्षा दल से अपने हाथ में लेने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ? चूंकि विभिन्न राज्यों में श्रमिक कानून विरोधी हैं और केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों को कुशलता से और पूरे समय चलाना है, अतः क्या सरकार इन उपक्रमों में सभी विवादों को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त प्राधिकार घोषित करेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : द्वारों पर रक्षक तैनात करने के बारे में राज्य सरकार से कहा है और राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वे हमें सहायता देने के लिये पश्चिम बंगाल पुलिस से कहेंगे और जिस सहायता की हम आशा कर रहे थे, वह हमें प्राप्त नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि द्वारों पर सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से कर्मचारी तैनात किये जायेंगे और इसमें पश्चिम बंगाल पुलिस से सहायता प्राप्त होगी। यहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल कानून और व्यवस्था के लिये अपेक्षित सहायता देगा।

श्रम विवादों और अन्य बातों के लिये केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त प्राधिकार घोषित करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग विचार कर रहा है और शीघ्र ही उनकी सलाह प्राप्त हो जायेगी।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Speaker, Sir, whenever any such incident takes place in a plant, particularly in a Public Sector Plant, the entire blame is put on the labourers, indiscipline and the labour movement and if it happens to be a State governed by a non-Congress Ministry, the State Government is blamed for the trouble. It has become the

profession of certain people. I will like to draw the attention of the Hon. Minister to an article by the industrial correspondent of statesman dated 16th April, 1969, owned by J. R. V. Tata and Shri Arvind Mafatlal etc., which will prove that the questions put here are absolutely incorrect. I will like to recall the statement made by the Hon. Minister a few days back at Bangalore that labour is not responsible for the loss of Rs. 40 crores suffered by the Hindustan Steel Ltd. I will like to read out a few quotations from the above article which will throw light on the actual state of affairs:

"The Durgapur Steel Plant carries many legacies of the past. One of them is a complete lack of mutual trust and respect between the management and major unions, a position that fortunately seems to have changed very little inspite of the induction of new administrative heads, who admit the union leadership at least, if not the rank and file generally, behave in quite a responsible manner. Worse still is an element or bitterness which has characterized recent employer-employee dealings. There are very few channels open for mutual discussion. The elected works committee has been kept defunct for the last two years ; now it cannot function unless fresh elections are held.

"Similarly, the elected canteen committee was never activised properly. There is no proper grievance procedure in force. One difficulty for the management, of course, is the known unrepresentative character of the recognised union and the pendency of the issue of fresh recognition before the State Government since 1966.

"The present management, of course, is trying hard to enforce greater discipline on the shop floor. But there are authoritative indications that highhandedness in this regard may not have been just exceptions. It is such instances that have tended to initiate otherwise salutary measures being taken by the management. While the Durgapur Steel Plant's security staff are agitated over their future status and employment, the management, it is officially stated, is recruiting 150 more men from North-Western parts of Uttar Pradesh.

"Noticing the detection of Rs. 1½ lakhs from the canteen fund the Central Bureau of Investigation pinpointed blame on a clerk and 2 officers in the Accounts Department and recommended their suspension. Action has been taken since against the clerk but similar orders in respect of the 2 officers are said to have got stuck up in the files. The union leaders know the full details of these developments."

This is the report in a newspaper owned by industrialists and not by any trade union. May I know the steps proposed to be taken by you to set right the state of affairs after enquiring into the various points raised in the said report and statement—which I just now read out—such as grievance procedure, recognition of a minority and unrepresentative union, report of canteen committee?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे माननीय मित्र श्री फरनेन्डीज को इस रिपोर्ट के बारे में जो चाहें निष्कर्ष निकालने का अधिकार है। श्रमिकों की वास्तविक प्रतिनिधि यूनियन को मान्यता देने के बारे में हमने राज्य सरकार से उनके इस दावे की जांच करने के लिये 1967 में कहा था लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से यह जांच-पड़ताल अभी तक नहीं की गई है हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और दुर्गापुर के प्रभारी निदेशक मंत्री महोदय से मिले थे

और सरकार से जांच-पड़ताल में शीघ्रता करने और यह बताने के लिये अनुरोध किया था कि किस यूनियन को श्रमिकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इसके प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा की एक सदस्या डा० सुशीला नैयर ने अनशन कर रखा है। हम उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी दस दिन पहले इस सभा के दो माननीय सदस्य बाहर अनशन कर रहे थे। तब कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को यहां पर उठाना चाहा था परन्तु मैंने अनुमति नहीं दी थी। इस मामले में भी मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं भेदभाव नहीं कर सकता। और भी सदस्य हैं। सभी सदस्यों को कुछ बातें यहां पर उठाने का अधिकार है परन्तु सब बातों को यहां पर नहीं उठाया जा सकता है।

श्री मनुभाई पटेल : हम मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये नहीं कह रहे हैं। आप हमें केवल जानकारी दिला दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कि श्री पटेल को जानकारी दे दें।

पहले ध्यानाकर्षण के एक विषय के बारे में श्री बकुला जी ने सुझाव दिया था कि कुछ सदस्य उस दूरस्थ स्थान पर स्थिति का अध्ययन करने के लिये जायें। मैंने कहा था कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। अब मुझे मुख्य मंत्री के किसी कथित वक्तव्य के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री हेम बरुआ ने इस बारे में मुझे लिखा है। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के बारे में पहले चर्चा हुई थी, मैं उस समय वियना में था। उस समय निर्णय किया गया था कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। ये वक्तव्य तो पहले की अपेक्षा बहुत हल्का है। इसलिये विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार चाहे तो मुख्य मंत्री से बातचीत कर सकती है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : श्रीमन्, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। आपने इस सभा में यह वक्तव्य दिया था कि सरकार को स्थिति का अध्ययन करने के लिये लद्दाख में एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भेजना चाहिये। इसके बाद जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री ने आपके सुझाव के विरोध में एक वक्तव्य जारी किया। यह राष्ट्र के सर्वोच्च मंच संसद् के अधिकारों का अतिलंघन है। आप आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति देते हैं, और जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते हैं, तो लोग कुछ और सोच सकते हैं।

श्री नाथपाई (राजापुर) : जब लद्दाख की घटनाओं के बारे में यह प्रश्न उठाया गया था, तो आपने कहा था कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाना चाहिये और सरकार को सहायता

करनी होगी । ये मुख्य मंत्री आप जो कुछ भी कहते हैं, उसका अवमान करने लगे हैं, इसलिये हमने यह प्रस्ताव रखा है । हमें उन्हें अनुशासन में रहने के लिये कहना होगा ताकि वे इस प्रकार संसद् के अधिकार की उपेक्षा न करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि मैं इसे प्रधान मंत्री को भेज दूंगा । जब इसे लिया गया मैं यहां नहीं था उस पर सभा ने निर्णय किया कि विशेषाधिकार का मामला नहीं है । यह मामला तो और भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । भारत सरकार चाहे, तो कुछ लोगों को भेज सकती है । मैंने यही कहा था ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

Shri George Fernandes (Bambay-South). Item No. 3 in today's order paper reads: Shrimati Indira Gandhi to lay on the Table a copy ofthe 'Fourth Five Year Plan 1969-74-Draft'. We have read in today's newspapers that the Chief Ministers of three States have given minutes of dissent. The minutes of dissent should also be placed before the House together with the draft Plan.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : परस्पर विरोधी समाचारों को देखते हुए हम जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रारूप को सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से स्वीकार किया है । साथ ही हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्यवाही का वृत्तान्त भी हमें दिया जाये ताकि हमें व्यक्त की गई राय मालूम हो सके ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब तक प्रारूप के साथ विमति टिप्पण सभा-पटल पर नहीं रखे जाते हैं, हमारे सामने पूरी तस्वीर नहीं होगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, Sir, the major portion of the draft Fourth Plan to be laid by the Prime Minister has already appeared in the press. It should have first been placed before the Parliament. I will like this point to be clarified.

अध्यक्ष महोदय : पहले चौथी योजना के प्रारूप को सभा-पटल पर रखने दीजिये । तब ही आप कह सकते हैं कि उसमें विमति टिप्पण हैं अथवा नहीं । पहले ही आप कैसे कह सकते हैं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : मैंने आज पूरी योजना आज प्रातः रेलगाड़ी में आते समय हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ी है । अब वे सभा-पटल पर क्या रखने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय विकास परिषद् में अनेक मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रिगण होते हैं। यह कहना कि यह समाचार-पत्रों में न छपे असंभव है । यह थोड़ी-थोड़ी तो पहले ही समाचार-पत्रों में छप चुकी हैं ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं "चौथी पंच-वर्षीय योजना 1969-74—प्रारूप" की एक प्रति और संलग्न संक्षिप्त टिप्पण सभा-पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-823/69]**

मई 1968 में जनेवा में हुई 21वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से मई, 1968 में जनेवा में हुई 21वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-824/69]** ।

कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 938 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-825/69]**

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The report is being submitted here after a lapse of one year. Is there no provision in the constitution of W. H. O. that the delegation of all the participating countries should report back immediately to their respective Parliaments after conclusion of the conference?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : मुझे ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है । मुझे विलम्ब होने के कारण ज्ञात नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में हमें जानकारी देने के लिये माननीय मंत्री से कहूंगा ।

1967-68 के लिये दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव : मैं डा० कु० ल० राव की ओर से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन वर्ष 1967-68 के लिये दामोदर घाटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं । **पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-826/69]**

आयकर अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अधीन अधिसूचना संख्या एस०-ओ० 1229 की एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 14 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 624 का शुद्धि-पत्र दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-827/69]**

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 920 से 922 तक की एक-एक प्रति जो दिनांक 3 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-828/69**]।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० 160 जो दिनांक 25 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 923 जो दिनांक 3 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) ऊपर (3) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-829/69**]।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : श्रीमन् मुझे बड़े दुख के साथ इस विषय को सभा में उठाना पड़ रहा है। नीति तथा नीति में संशोधनों के मामले में पहले सभा की उपेक्षा और अवमान करने के इस प्रकार के प्रयास किये गये हैं और अध्यक्ष ने सभी अवसरों पर निर्णय दिया कि यदि संसद् की बैठक हो रही हो, तो नीति निर्णयों और उसमें संशोधनों की घोषणा पहले सभा में की जानी चाहिये, मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय कहेंगे कि यह औद्योगिक लाइसेंस नीति में नियम परिवर्तन मात्र है। यदि आप सर्वश्री कौल और शक्कधर द्वारा लिखित पुस्तक "दि प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट" को पढ़ें, तो देखेंगे कि सामाजिक महत्व और सार्वजनिक महत्व के विषय भी इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे विषयों के बारे में संसद् में घोषणा करने की परम्परा रही है। स्पष्ट है कि वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसे सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया। अभी सीमेंट के विनियंत्रण सम्बन्धी निर्णय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दस दिन बाद सभा-पटल पर रखा गया। एक के बाद एक ऐसे अनेक मामले हुये हैं।

समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि "भारत सरकार ने विभिन्न इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी उद्योगों में गत एक वर्ष में हुई प्रगति पर विचार करने के बाद आगामी एक वर्ष के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नई नीति की आज घोषणा की है।

यह एक बड़े महत्व की बात है। देश के औद्योगिक विकास में इनका विशेष स्थान है। सभा को इन पर पहले ध्यान देना चाहिए। मेरी सर्वप्रथम यह आपत्ति है कि यह घोषणा

इस समय क्यों की गई है ? इसे कुछ सप्ताह पहले घोषित किया जाना चाहिए था ; ताकि हम औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें कि सरकार भविष्य में ऐसा न करें।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय विकास परिषद में इस पर पहले चर्चा होती है। यह चौथी योजना है। इसके साथ औद्योगिक लाइसेंस नीति को मत जोड़िये। इस बारे में मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। चर्चा के लिये प्राथमिकता देने की बात चर्चा के समय उठायी जा सकती है।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं केवल उन्हीं विषयों के सम्बध में चर्चा करूंगा जिनका मेरे मंत्रालय से सम्बन्ध है। वैसे माननीय सदस्यों ने अनेक विषय उठाये हैं। हम नीति सम्बन्धी कोई बात संसद से छुपा कर नही करना चाहते। अब तो केवल एक सूची प्रकाशित हुई है। इसमें नीति की कोई बात नहीं है। वास्तव में इस घोषणा में तो लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों को ब्योरेवार बताया गया है, ताकि आवेदन देने वालों को सुविधा रहे। वास्तव में यह केवल एक प्रकार का स्पष्टीकरण है। 1966 से पूर्व सूचियां समय-समय पर प्रकाशित की जाती थीं। ऐसा 1967 और 1968 में भी इन्हें प्रकाशित किया गया था।

इनके प्रकाशन का एक प्रयोजन यह भी है कि जिन वस्तुओं के निर्माण में हम आत्म-निर्भर हो गये उनके आयात को रोक दिया जाए और इस प्रकार इसकी सूचना प्रकाशित कर दी जाए। इसी कारण इसे सभापटल पर नहीं रखा गया था। सीमेंट के प्रश्न को भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के तत्काल पश्चात् नीति सम्बन्धी वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भोजन के लिए स्थगित होती है। सभा दो बजे पुनः समवेत होगी। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री अपने मंत्रालय की मागों पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर 9 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Six Minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय—जारी

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I want to bring to the notice of Government the strike of teachers and professors of Bihar. More than two hundred professors have courted arrest. I know education is a state subject but higher education is under Central Government and is dealt with by the University Grants Commission. The State Government is not implementing the recommendations of U.G.C. The Education Minister should visit Bihar and settle the dispute. The study of about 40 thousand students is being disrupted due to the strike. The Hon. Minister should make a statement in this regard.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah): Sir, it is a fact that we all are very much disturbed over this. The problem should be solved immediately. The State Chief Minister has issued a statement and has appealed to them to withdraw their agitation. I feel that if it is necessary the centre should intervene and solve the tangle. **(Interruption)**.....

कुछ माननीय सदस्य : **
**
**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं और किसी सदस्य को इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा । संसद कार्य मंत्री सम्बंधित मंत्री को अवगत करा देंगे । **(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लिया है । मैं आलोचना का भी स्वागत करता हूं । इससे हमें अपनी त्रुटियों का पता चलता है ।

इस मंत्रालय का उद्देश्य ठीक-ठीक सूचना देना और रचनात्मक चर्चा और मनोरंजन की व्यवस्था करना है । देश में विभिन्नता को एकता की लड़ी में पिरोना उसका ध्येय है । हमें अपने देश की प्राचीन मान्यताओं और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए नये युग में पदार्पण करना है और आगे बढ़ना है । मैं चाहता हूं कि मंत्रालय के प्रचार साधनों से देश की एकता को बढ़ावा मिले और देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की भावना बढ़े । अपने इन प्रयासों में हम राज्य सरकारों का सहयोग भी ले रहे हैं । मंत्रालय में शीघ्र ही एक नीति निर्धारण कक्ष स्थापित किया जायेगा ।

श्री मल्होत्रा ने कहा है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हुई है । इस बारे में मैं बताना चाहता हूं 1 मार्च 1960 को सूचना सेवा के अधिकारियों और बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता पर विवाद था ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

**Not recorded.

उसे गृह-कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय को भेजा गया था। अब उस विवाद का हल निकल आया है और शीघ्र ही उक्त समिति की बैठक होगी। पंजाब उच्च-न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक समिति फिल्मों के सेंसर और उनमें सुधार सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर रही है। उस समिति के 16 सदस्यों में 7 संसद् सदस्य है। उनकी रिपोर्ट 30 जून, 1969 तक मिलने की आशा है। उसके बाद अश्लील फिल्मों आदि के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि पी० टी० आई० और अंग्रेजी की एक अन्य समाचार एजेंसी को अधिक ऋण दिया गया है और हिन्दी का समाचार एजेन्सियों को कम धन दिया गया है। यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में समाचार भारती को बिना ब्याज के अधिक ऋण की राशि दी गई है। हिन्दुस्तान समाचार को बिना ब्याज के ऋण दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। यह बात सही नहीं कि बाल चलचित्र समिति कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है। 1963 से इसके कार्यकरण में बहुत सुधार हुआ है। अब इस पर व्यय कम हो रहा है और इसने अधिक संख्या में फिल्में तैयार की हैं।

प्रसारण के तकनीकी और इसके अन्य पहलुओं में सुधार किया जा रहा है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ था तब भारत में 6 प्रसारण केन्द्र थे। अब उनकी संख्या 66 है। हम समूचे देश में मीडियम वेव के कार्यक्रमों के सुने जाने की व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि निर्धन लोग भी प्रसारणों से लाभ उठा सकें। हम जम्मू स्टेशन को और अधिक शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। यह वर्ष के अन्त तक कर दिया जायेगा। चौथी योजना के दौरान श्रीनगर में एक अधिक शक्तिशाली ट्रांस-मीटर स्थापित किया जायेगा और लेह में एक स्टेशन लगाया जायेगा। इधर भुज स्टेशन को भी शक्तिशाली बनाया जा रहा है। आसाम में डिब्रूगढ़ में हाल में एक स्टेशन चालू किया गया है। हाल में पांच अन्य स्थानों पर भी नये शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाये गये हैं और 16 अन्य ट्रांसमिटरों पर कार्य हो रहा है। दरभंगा उनमें एक है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। हम वेतनमानों में सुधार करने पर भी विचार कर रहे हैं। मध्यम तरंग के दो शक्तिशाली स्टेशन-कलकत्ता और राजकोट स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रसारण की वैदेशिक सेवाओं का उद्देश्य भारत की नीतियों को सर्वविदित करना है। इस कार्य में हम वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सहयोग से चलते हैं। हमारी भषाएं अंग्रेजी उर्दू और बंगाली हैं। यह ठीक है कि चीनी भाषा में हमारे प्रसारण पर्याप्त नहीं हैं। इसमें सुधार करने के साथ जापान आदि देशों के लिए भी अपने प्रसारणों को और बढ़ाना है। इस बारे में हम कार्यवाही कर रहे हैं और शीघ्र ही त्रुटियां दूर हो जायेंगी। श्री रणधीर सिंह ने कहा है कि हमें अन्य देशों द्वारा भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन करके उसी प्रकार की भाषा प्रयोग करनी चाहिये। यह ठीक है कि हमें झूठे प्रचार का उत्तर देना चाहिये परन्तु शिष्ट रह कर ऐसा करेंगे।

मैं टेलीवीजन के विस्तार करने के सुझावों का स्वागत करता हूं। मई के महीने से हम दिल्ली टेलीवीजन केन्द्र के कार्यक्रमों के समय में वृद्धि करने जा रहे हैं। श्रीनगर में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है। यह 1971 में चालू हो जायेगा। यह स्टेशन पूरी काश्मीर घाटी के लिये पर्याप्त होगा। चौथी योजना में हम बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर, लखनऊ में भी टेलीवीजन केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं।

आकाशवाणी की तकनीकी कार्यकुशलता के सुधार करने की समस्या को हल करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रमों का स्तर अच्छा करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। आकाशवाणी ने परिवार नियोजन, कृषि विकास, युवक कार्यक्रमों, साक्षरता अभियानों आदि कार्यों में विशेष प्रयास किया है। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किये जाते हैं। यह बहुत सफल सिद्ध हुये हैं। लोगों ने इनमें बहुत रुचि दिखाई है। छोटे उद्योगों के बारे में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव है। 22 स्टेशनों पर परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये यूनिट बनाये गये हैं। अनेक स्टेशनों से युवकों के हित के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इनमें और सुधार करने पर विचार किया जा रहा है।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के अनेक वर्ग हैं। इनमें कुछ नियमित सरकारी कर्मचारी और कुछ को ठेके पर नियुक्त किया जाता है। उनकी अपनी-अपनी समस्याएं हैं। उनके सेवा की शर्तों पर विचार करने के लिये एक विभागीय अध्ययन दल ने विचार किया है। उसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। उस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा। स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया है। उनके हित में अनेक कदम उठाये गये हैं। सेवा की सुरक्षा के मामले में वे अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान हैं। वे पूरे समय के सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनके सभी पदों के ग्रेडों में वृद्धि कर दी गई है।

माननीय सदस्यों ने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाली वार्ताओं की बात कही है। पहले यह नीति थी कि विवादास्पद विषयों को न लिया जाये। अब नीति में परिवर्तन करके सभी प्रकार के विषयों पर वार्ताओं को आयोजित किया जाता है। हम चाहते हैं कि जनता के समक्ष सभी पहलू और विचार आयें। जैसे बंगाल बन्द के विषय पर बातचीत को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसमें किसी से पक्षपात अथवा मतभेद नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में दिये सुझावों पर विचार किया जायेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी समाचार को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करना ठीक नहीं समझते और न ही आकाशवाणी का दलगत राजनीति के लिये प्रयोग किया जायेगा। संसद् और राज्य विधान सभाओं के चुनाव परिणामों को प्रसारित किया जाता है।

आकाशवाणी के कुछ एक स्टेशनों से वाणिज्यिक प्रसारण आरम्भ किये गये हैं। इससे पर्याप्त आय होने की आशा है। हमारे देश में लगभग 90 लाख रेडियो सेट हैं। इनके लाइसेंसों से 13 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।

चन्दा समिति की सिफारिशों के बारे में भी कहा गया है। उस समिति ने कुल 219 सिफारिशें की थीं। इनमें से 198 सिफारिशों पर सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है। 21 सिफारिशें दो स्वायत निगम बनाने के बारे में हैं। यह ठीक है कि इन पर निर्णय करने में विलम्ब हुआ है। परन्तु यह मानना होगा कि यह एक बड़े महत्व का विषय है। अत: विलम्ब होना स्वाभाविक ही है।

हिन्दी भाषा के विकास में आकाशवाणी अपना योगदान दे रहा है। इसकी एक सूचना और प्रसारण हिन्दी सलाहकार समिति है। इसके सदस्य बड़े-बड़े हिन्दी विशेषज्ञ हैं। यह समिति हमारा मार्गदर्शन करती है और सरकार की भाषा नीति की कार्यान्विति में सहायता करती है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्टेशनों से मुख्यत: हिन्दी भाषा में ही कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। अंग्रेजी में तो केवल समाचार ही होते हैं। गैर-हिन्दी क्षेत्रों से भी हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। वहां हिन्दी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी प्रसारित होता है। हम जहां हिन्दी भाषा का विकास चाहते हैं वहां अन्य भारतीय भाषाओं की भी उन्नति चाहते हैं।

श्री समर गुह ने कहा है कि नेता जी के भाषणों के रिकार्ड नष्ट किये जा रहे हैं। यह सत्य नहीं है। हम तो ऐसे रिकार्डों को सम्भाल कर रख रहे हैं।

यह मांग की गई है कि वेद मन्त्रों का उच्चारण किया जाये। इस बारे में हमारा जो वन्दना कार्यक्रम है उसमें सभी धर्मों के धार्मिक गीतों को शामिल किया जाता है। हम सदैव नये सुझावों का स्वागत करते हैं और उन पर विचार करके निर्णय करते हैं। हम श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखते हैं।

श्री रणधीर सिंह और श्री बर्मा ने छोटे समाचार-पत्रों पर डाक की दरों पर कमी की मांग की है। इस बारे में उप-प्रधान मंत्री ने वित्त विधेयक पर चर्चा के समय घोषणा करने का आश्वासन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1969-70 की निम्नलिखित मांगें रखी गईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3,97,000
63	प्रसारण	1,98,76,000
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,07,96,000
122	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	86,34,000

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 83 : विपक्ष में 43

Ayes 83 ; Noes 43 ;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रतिरक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मांग संख्या 1 से 5 और 103, जोकि प्रतिरक्षा मंत्रालय की है पर विचार करेगी और उन पर मतदान होगा। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

वर्ष 1969-70 के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रक्षा मंत्रालय	1,47,58,000
2	रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	6,45,45,54,000
3	रक्षा सेवाएं, सक्रिय नौ-सेना	39,09,79,000
4	रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु सेना	1,64,76,33,000
5	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	27,33,33,000
103	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,09,18,33,000

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। इस मंत्रालय के कार्यकरण को गुप्त रखा जाता है। यह ठीक है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें अपनी जानकारी गुप्त रखनी चाहिए परन्तु सरकार अपनी गलतियों को छुपाती है। यह ठीक नहीं है। सरकार साधारण बातों से भी हमें अवगत नहीं कराती। कई साधारण विषयों के बारे में गत तीन वर्षों से जानकारी नहीं दी जा रही है। कई बार कह दिया जाता है कि अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है। यह वर्षों तक चलता है। इससे सरकार की कार्यकुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की कार्यान्विति पर अनेक वर्ष लग जाते हैं। मिग विमानों की उत्पादन लागत के बारे में मैंने प्रश्न किया था। उसका उत्तर मुझे इस कारण नहीं दिया गया क्योंकि यह एक गोपनीय विषय है।

यह बात ठीक नहीं है कि लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति जैसी वित्तीय समितियों को इस मंत्रालय तथा उसके अधीन कारखानों की कार्य प्रणाली देखने नहीं दी जाती।

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

लोक लेखा समिति कहती है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के उत्तर से पता चलता है कि वहां काम करने वाले जर्मन इंजीनियरों ने आधुनिक विमान एच० एफ० 24 तैयार करने

में होने वाली जो कठिनाइयों पर उचित रूप से गौर नहीं किया है इससे पता चलता है कि वे लोग क्या छिपाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि उस कारखाने में और विकास करने की क्षमता है परन्तु उन्होंने गलती यह की है कि वे कई किस्में तैयार करते रहे तथा उन्हें बदलते रहे। उस कारखाने में मशीनें तो हैं तथा यदि वे लोग आगामी दस वर्षों में दो-तीन किस्म के विमान तैयार करने आरम्भ कर दें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है तथा देश की सुरक्षा में सहायता मिल सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया विमानों सम्बन्धी प्रतिवेदन का क्या हुआ है ? हम उसे इसलिए देखना चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न होने दी जायें।

मैं इन मांगों का भी विरोध करता हूं क्योंकि सरकार अभी तक अपने संसाधनों से अपने देश की रक्षा करने में असफल रही है। यह सरकार फजूलखर्ची को रोकने में भी असमर्थ रही है। अतः मेरा अनुरोध है कि उसे प्रतिरक्षा व्यय में मितव्ययता करनी चाहिए। मितव्ययता का मेरा अर्थ खर्चे में कटौती से नहीं है। मितव्ययता फजूलखर्ची में की जानी चाहिए। फजूल खर्चों के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। दिसम्बर 1965 में ग्लाईड्रो का निर्धारित लक्ष्य 300 से कम करके 105 किया जाना था परन्तु तत्समय के कानपुर के प्रबन्धकों ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार से शक्तिमान ट्रकों का निर्धारित लक्ष्य कभी पूरा नहीं किया जाता। निर्धारित लक्ष्य कम करने पर भी वे लोग उसे पूरा नहीं कर पाते।

फजूलखर्ची इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से माल खरीदने में देरी हो जाती है। वह निदेशालय नियमों तथा लालफीताशाही से बंधा हुआ है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें सीधी खरीद से, ताकि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से, पूरी नहीं कर सकते ? यह व्यवस्था इंग्लैंड में भी थी जहां विमानों को छोड़कर सभी वस्तुयें सम्बन्धित मंत्रालय सीधे खरीद सकता था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी वस्तुयें सीधे खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिज्ञों के हाथ में खेलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि मिग विमान कारखाने को क्यों बांटा गया तथा कोरापुट का चयन कैसे किया गया। क्या यह सच नहीं है कि उस स्थान का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा वह उड़ीसा में कांग्रेस मंत्रिमंडल के दबाव के कारण चुना गया था ? मेरा इस बारे में कहना है कि इस कारखाने के दो एकक बनाने से फजूलखर्ची बहुत बढ़ गई है।

जहां तक प्रतिरक्षा की योजना का सम्बन्ध है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम अपनी रक्षा आप करने योग्य हो गये हैं ? मैं इस बात से तो सहमत हूं कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथा हम अपने कारखानों में शस्त्रास्त्र बनाने लग गये हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे आयुध कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं ?

जहां तक हमारे शत्रु देशों का सम्बन्ध है पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति बहुत बढ़ा ली है तथा चीन का प्रतिरक्षा व्यय भी भारत से $5\frac{1}{2}$ गुना है। इसके अलावा चीन एक परमाणु शक्ति भी है। इन परिस्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं ?

प्रतिरक्षा व्यय का 40 प्रतिशत व्यय सैनिकों के वेतन आदि पर खर्च हो जाता है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कठिनाई तो यह है कि सैनिक साज सामग्री के बिना नहीं लड़ सकते। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन में काफी वृद्धि की जानी चाहिए। हमारी मांग और पूर्ति में इतना अन्तर है कि वर्तमान उत्पादन दर से वह पूरा नहीं हो सकता। देश के साधनों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार को दो चीजें अवश्य करनी चाहिए—एक तो उसे फजूलखर्ची में बहुत कमी करनी चाहिए तथा पूर्ववर्तित क्रम ठीक ढंग से निश्चित करना चाहिए। उत्पादन के प्रश्न पर बातचीत करते हुए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम आधुनिक युद्ध पुराने शस्त्रास्त्रों से नहीं लड़ सकते। आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास आधुनिक ढंग के हथियार होने चाहिए।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि युद्ध पर कितना धन व्यय हो जाता है तो मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध काल के आंकड़े बता देना चाहूंगा। उस युद्ध में जोरशोर युद्ध के दिनों में यूनाइटेड किंगडम में 6500 करोड़ रुपए तथा अमरीका के 45,500 करोड़ रुपए व्यय हुआ करते थे। उन आंकड़ों को देखते हुए तो हम एक सप्ताह भी युद्ध नहीं कर सकते। इसके साथ मेरा यह भी विचार है कि यदि हम असैनिक कारखानों में भी आपात के समय शस्त्रास्त्र बनाने लग जायें तो भी उससे कुछ काम नहीं चल सकता क्योंकि उनकी क्षमता बहुत अधिक नहीं है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने तैयारी नहीं की हुई है। सुधार अवश्य ही हुआ है। हमारे शस्त्रास्त्रों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु हमने इतना सुधार नहीं किया है जिससे हमारा देश काफी मजबूत बन गया हो।

जहां तक हथियारों की मात्रा का सम्बन्ध है वह भी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए। 8 लाख सैनिक यदि पच्चास गोलियां भी रोज चलाए तो उन्हें 4 करोड़ गोलियां चाहिए। अतः इतनी गोलियां बनाने के लिए हमारी क्षमता कहां है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय का वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से भी बहुत सम्बन्ध है। पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था कि इन दोनों मंत्रालयों के सम्बन्धों के बारे में हमें एक साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में मैं उनसे केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् अमरीका ने अकस्मात् शस्त्रास्त्र सहायता देनी बन्द कर दी थी ? अब हम अधिकतर रूस पर निर्भर कर रहे हैं। अतः क्या इस मामले में भी वही स्थिति नहीं होगी। दूसरे, हम पूर्ण प्रयत्न करने के बावजूद भी रूस द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता बन्द कराने में सफल नहीं हो सके।

मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि वह हमें बताएं कि वह विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे ? वह हमें यह भी बताएं कि आपातकाल आने पर कोई देश हमें धोखा न दे जाए इसके लिए वह क्या कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि वह आयुध कारखानों के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए भरसक प्रयास करें। हमने देखा है कि अमरीका में विशेषज्ञों को प्रतिरक्षा सचिव बना देने से काफी मितव्ययता हुई है। भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दल अमरीका भेजा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दल ने क्या सिफारिशें की हैं तथा उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है।

अनुसंधान पर हम बहुत कम व्यय कर रहे हैं तथा उसमें बहुत वृद्धि की जानी चाहिए अन्यथा हम कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाएंगे।

हम प्रतिरक्षा व्यय का 40 प्रतिशत भाग सैनिकों के वेतन पर खर्च कर रहे हैं। हम आधुनिक हथियार उपलब्ध करके सेना की संख्या कम कर सकते हैं।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि आप सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हथियार ही केवल क्यों नहीं बनाते तथा ट्रैक्टर, ट्रक आदि के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों को क्रयादेश क्यों नहीं दे देते। यदि आप यह समझते हैं कि गैर-सरकारी कम्पनियां ठीक काम नहीं करेंगी और वे दुरुपयोग करने लग जाएंगी तो यह आपकी आशंका ठीक नहीं है। हम शिक्षा को इस आधार पर नहीं बन्द कर सकते कि विद्यार्थी बाद में उसका दुरुपयोग करने लग जाएंगे। इस बात को देखते हुए भी कि हथियार बहुत जल्दी नहीं बन सकते हमें गैर-सरकारी कम्पनियों को उनके लिए क्रयादेश दे देने चाहिए।

प्रतिरक्षा मंत्री का मंत्रिमंडल में दर्जा भी ऊंचा होना चाहिए ना कि चौथा और पांचवां जैसा कि अब है क्योंकि उनका उत्तरदायित्व देश की रक्षा करने का है जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	2	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सेवानिवृत होने वाले प्रतिरक्षा सेनाओं के तीन अध्यक्षों के स्थान पर अगले कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के विषय में निर्णय लेने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	3	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	रेलवे बोर्ड के नमूने का प्रतिरक्षा बोर्ड स्थापित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	4	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	चीफ कमान्डर और फील्ड मार्शल के पद का निर्माण करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	5	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	क्षेत्रीय सेना तथा नियमित सेना में भेदभाव बरतना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	कमीशन का दर्जा देने के लिए चुनाव करते वक्त सेना-दल के सैनिक छात्रों को तरजीह देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सेनाछात्र दल को हवाई उड़ान का प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था न करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	8	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	आयोग प्रतिरक्षा गुप्त-सूचना सेवा।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	9	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	प्रतिरक्षा गुप्त सूचना सेवा को आधुनिकतम उपकरणों से लैस करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	10	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	प्रतिरक्षा विभागों तथा डाकखानों में पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियों को रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	11	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	प्रतिरक्षा विभागों तथा कारखानों में चीनी जासूसों की गतिविधियों को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	12	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विद्रोही नागाओं को पूर्वी सीमा पार करने से रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	13	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	परमाणु अस्त्र बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	14	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	हाइड्रोजन बम तथा इसका प्रतिरोधी बम बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	15	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शत्रुओं के प्रति ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	16	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शस्त्रास्त्रों के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर रहना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	17	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में अधिक आयुध कारखाना स्थापित करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
1	18	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	ल्हासा काठमण्डू सैनिक सड़क का निर्माण करने के लिए चीन के विरुद्ध समुचित तथा सम्यक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	19	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की प्रतिरिक्षा मुख्यालय से मिलाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
1	20	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सैनिक अस्पतालों की दयनीय दशा।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	21	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश के सभी जिला मुख्यालयों में आधुनिकतम यंत्रों तथा एक्स-रे संयंत्रों से पूर्णतः लैस सैनिक अस्पताल स्थापित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	22	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सैनिक डाक्टरों की सेना के अन्य पदों के समान पदोन्नति करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	23	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनकी बराबरी के पद पर देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	24	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	25	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	स्थल-सेना, नौ-सेना तथा वायु-सेना के प्रत्येक रंगरूट को प्रशिक्षण देने के लिए उचित व्यवस्था करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	26	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सभी सैनिक कर्मचारियों को अनिवार्य पैराशूट प्रशिक्षण देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	27	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	क्षेत्रीय सेना तथा नियमित सेना के मध्य वेतन और भत्तों तथा अन्य रियायतों में असमानता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	28	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश के सैनिक महाविद्यालयों की ठीक से देख-भाल न करना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	29	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा शुल्क में छूट देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	30	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	राष्ट्रीय सुरक्षा निधि का दुरुपयोग ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	31	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सैनिक, नौसैनिक तथा वायु-सैनिक बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	32	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अधिकारियों के मेसों के व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	33	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में सैनिक फार्मों की उचित देख-भाल न करना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	34	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सैनिक फार्मों में कुप्रबन्ध ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	35	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में अधिक पोत-प्रांगण स्थापित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	36	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में अधिक युद्ध पोत बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	37	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में पनडुब्बियों तथा तारपीडों का निर्माण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	38	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भारतीय नौसेना में बेड़ों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	39	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	जहाजों और युद्धपोतों की खरीद के लिए विदेशों पर निर्भरता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	40	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	ब्रिटेन में किया जाने वाला अत्याधिक व्यय ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	41	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड,कानपुर के विस्तार की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	42	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलूर के विस्तार की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	43	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	वायु-सेना के लिए सभी आवश्यक विमान देश में ही बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	44	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में मिग विमानों का निर्माण ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	45	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में अधिक रक्षा प्रदर्शनियां आयोजित करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	46	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में अधिक शक्तिशाली रेडार तैयार करना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	47	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अग्रिम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को बेहतर साजसामान और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	48	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	चीन की चुनौती का सामना करने के लिए पर्वतीय सेना का गठन करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	49	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	गुरिल्ला सेना गठन करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	50	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शत्रुओं के मोर्चों आदि का पता लगाने के लिए सेना द्वारा कुत्तों का प्रयोग करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	51	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	आयुध कारखानों में पाकिस्तानी गुप्तचरों के गिरोह की गतिविधियां रोकने और उसे निकाल बाहर करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	52	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में आयुध कारखानों में चीनी गुप्तचरों के गिरोह की गतिविधियां रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	53	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	"नैट" लड़ाकू विमानों के निर्माण में सुधार लाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	54	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में 'जैट' और पराध्वानिक सूपरसानिक इंजनों का निर्माण ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	55	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विजयन्त टैंकों में अधिक सुधार लाने और इन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	56	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में हेलीकाप्टरों का निर्माण	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	57	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सेना के लिये शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले सभी सात सरकारी उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	58	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	टैंकों का कम उत्पादन ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	59	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	वायु-सेना के सभी हवाई अड्डों का भूमिगत निर्माण करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	60	श्री महन्त विग्विजय नाथ	गणतंत्र दिवस की परेड में सैन्य शक्ति का कमजोर प्रदर्शन ।	राशि घटाक 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	61	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	उच्च पदों पर पदोन्नति करने में किया जाने वाला पक्षपात ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	62	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सुरक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में समान पदों के लिये समान वेतन दिया जाना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	63	श्री गणेश घोष	प्रतिरक्षा विभाग द्वारा दिये गये क्रयादेशों से भारत में बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थानों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	64	श्री गणेश घोष	देश की प्रतिरक्षा के मामले में लोकतंत्र विरोधी और जनता-विरोधी नीति अपनाना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	65	श्री गणेश घोष	कुछ सैनिक अधिकारियों द्वारा विदेशी एजेंसियों को सैनिक राज बता देने के विरुद्ध सावधानी बरतना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	66	श्री गणेष घोष	लोकतंत्रीय आन्दोलनों के विरुद्ध प्रादेशिक सेना का उपयोग ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	67	श्री गणेष घोष	राष्ट्रीय सेना - छात्र दल में व्याप्त भाई-भतीजावाद ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	68	श्री गणेष घोष	आपातकालीन कमीशन के प्रशिक्षित कर्मचारियों को बिना वैकल्पित रोजगार दिये सेवामुक्त करना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	69	श्री गणेश घोष	स्थल-सेना, नौसेना और वायु-सेना में अनेक प्रगति-वादी पत्रिकाओं और प्रकाशनों के परिचालन पर लगा प्रतिबन्ध ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	70	श्री गणेश घोष	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	71	श्री गणेश घोष	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में ठेका-प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	72	श्री गणेश घोष	जवानों और सैनिक अधि-कारियों को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों में अन्तर कम करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	73	श्री गणेष घोष	अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के साथ रक्षाधिकारियों के सम्पर्क के विरुद्ध कार्यवाही न करना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	74	श्री गणेश घोष	19 सितम्बर, 1968 को हुई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के लिये रक्षा कर्मचारियों का उत्पीड़न ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	75	श्री गणेश घोष	रक्षा-व्यय में कमी करने में असफलता जिसके कारण देश के आर्थिक विकास पर कुप्रभाव पड़ रहा है ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	76	श्री गणेश घोष	जनता की बारम्बार की जाने वाली मांग के बावजूद नेफा की हार के बारे में हैंडरसन समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित न करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	77	श्री गणेश घोष	रक्षा विभाग में विभिन्न राज्यों के लोगों को रोजगार देने में विभाग द्वारा किया जाने वाला भेदभाव।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	92	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सैनिक अस्पतालों में उचित व्यवस्था का अभाव।	100 रुपये
1	93	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सैनिक अस्पतालों में मरीजों को खराब भोजन दिया जाना।	100 रुपये
1	94	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	दार्जिलिंग की पर्वतारोहण संस्था में असन्तोषजनक तथा अपर्याप्त कार्यपालन तथा प्रशिक्षण।	100 रुपये
1	95	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	उत्तरकाशी की पर्वतारोहण संस्था में असन्तोषजनक कार्य तथा प्रशिक्षण।	100 रुपये
1	96	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	गोरखपुर में एक पर्वतारोहण संस्था स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	97	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अग्रिम क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर तथा पूर्वोत्तर प्रदेशों में बारी-बारी से सैनिकों को तैनात करना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	98	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	मित्र देशों की सहायता से और अधिक नौसेना के अभ्यास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	99	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	वायु सेना के और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	100	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सेना के लिये और अधिक सैनिक अभ्यास करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	101	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सुरक्षा सेनाओं में भर्ती करते समय मार्शल होड़ों को प्राथमिकता देने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
1	102	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	जवानों का मनोबल ऊंचा बनाये रखने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	103	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में पारम्परिक हथियार बनाना ।	100 रुपये
1	104	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	पृथ्वी से आकाश में मार करने वाले शक्तिशाली प्रक्षेपणास्त्र बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	105	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	आकाश में ही मार करने वाले शक्तिशाली प्रक्षेपणास्त्र बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	106	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	आकाश से पृथ्वी पर मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	107	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भूमिगत प्रक्षेपणास्त्र बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	108	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	किसी भी विदेशी हवाई हमले से बचाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
1	109	श्री गणेश घोष	सेना के सेवानिवृत्त जवानों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	110	श्री गणेश घोष	जवानों के लिये यात्रा भत्ते में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	111	श्री गणेश घोष	सुरक्षा सेनाओं के जवानों और निम्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिये, सेना, नौसेना और वायुसेना के परिवारों के लिये क्वार्टरों की अपर्याप्तता ।	100 रुपये
1	112	श्री गणेश घोष	सेना के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	113	श्री गणेश घोष	कुछ प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दलों के साथ सेना के अधिकारियों द्वारा बनाये गये गुप्त सम्बन्ध ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	114	श्री गणेश घोष	सुरक्षा विभागों में जवानों तथा निम्न संवर्ग के लोगों के लिये ऊंचे वेतन निश्चित करने के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	115	श्री गणेश घोष	सुरक्षा विभाग में विद्यमान नौकरशाही और लालफीता शाही ।	100 रुपये
1	116	श्री गणेश घोष	सुरक्षा उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	100 रुपये
2	125	श्री लोबो प्रभु	आयुध कारखाने में 1955 से लेकर मोनो रेल पर 0.84 लाख रुपये का व्यय जो कि अभी तक भी प्रयोग में नहीं लाई गई है ।	100 रुपये
2	126	श्री लोबो प्रभु	4800 'रेल यूनिटों' की क्षमता के लिये 'रेल यूनिटों' का निर्माण करने के लिये आयुध कारखाने के विस्तार पर व्यय, इनका उत्पादन 1964-65 में 240 और 1966-67 में 967 था ।	100 रुपये
2	127	श्री लोबो प्रभु	दो अलग-अलग कारखानों में एक ही जैसे सामान का निर्माण, जिनमें से एक में 1965-66 में 6.6 लाख रुपये की अधिक लागत आई ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	128	श्री लोबो प्रभु	आयुध कारखानों में कुछ वस्तुओं का निर्माण जो कि लेखा परीक्षकों के अनुसार बाजार में 8.78 लाख रुपये कम पर उपलब्ध थी।	100 रुपये
2	129	श्री लोबो प्रभु	पांच आयुध कारखानों में कुल मिलाकर 42.45 लाख रुपये के माल का रद्दी घोषित किया जाना जो कि टाला जा सकता था	100 रुपये
2	130	श्री लोबो प्रभु	उत्पादन की व्यवहार्यता की जांच के न होने के कारण अधूरे आर्डरों का शेष रहना, जो कि 1965-66 में 25.4 करोड़ रुपये के थे, जिसमें 1.50 करोड़ रुपये के रद्द किये गये शामिल थे।	100 रुपये
2	131	श्री लोबो प्रभु	मूरिंग गियर पर 6.5 लाख रुपये का व्यय, जो कि 1964 से बेकार पड़ा है क्योंकि मूरिंग बर्थ को काम में लाना छोड़ दिया गया था।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	132	श्री लोबो प्रभु	विमान की किस्म को बदलने पर 1.52 लाख रुपये का व्यय, जो कि अनावश्यक पाया गया और जिसके कारण मुआवजा देकर ठेका रद्द करना पड़ा ।	100 रुपये
2	133	श्री लोबो प्रभु	नौसेना और वायु सेना द्वारा हिट इन्डीकेटरों को अनुपयुक्त पाने पर भी स्थल सेना द्वारा उन पर 0.59 लाख रुपये का व्यय ।	100 रुपये
2	134	श्री लोबो प्रभु	37.25 लाख रुपये का सामान जहाज से कम उतरा जिसके सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किया गया ।	100 रुपये
2	135	श्री लोबो प्रभु	ठीक ढंग से स्टोर में न रखने के कारण 1.08 लाख रुपये की लागत का हेलीकोप्टर और 2.19 लाख रुपये की लागत के दो विमान इंजनों का बेकार हो जाना ।	
2	136	श्री लोबो प्रभु	1966 में 63.26 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान पुराने ढंग का कह कर रद्द किया गया जिसमें से केवल 4.68 करोड़ रुपये का सामान बेचा गया है ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	137	श्री लोबो प्रभु	नई मोटर गाड़ियों की अधिक संख्या में खरीद जब कि 617 एक टन वाले ट्रक, 4066 जीपें और 1651 मोटर साइकलें बिना अधिकार के खरीदी घोषित की गई थीं।	100 रुपये
2	138	श्री लोबो प्रभु	8 ओवर हैड रिजर्व वियरों पर 11.19 लाख रुपये का व्यय, जिनका कोई उपयोग हो नहीं रहा है।	100 रुपये
2	139	श्री लोबो प्रभु	1963 से 101 लाख रुपये एक सहायक गोला बारूद पर व्यय करना जो कि अभी तक तैयार नहीं हुआ है और गोला बारूद तम्बुओं में पड़ा है।	100 रुपये
2	140	श्री लोबो प्रभु	फालतू ड्राइवरों को 11 लाख रुपये की अदायगी जब कि उन्हें सौंपी गई मोटर गाड़ियों की खराबी के कारण 19.05 रुपये गैर-सरकारी परिवहन पर खर्च किये गये थे।	100 रुपये
1	153	श्री भोगेन्द्र झा	सैनिक एवं अधिकारियों के लिए एक साथ खाने-पीने इत्यादि की व्यवस्था न करना	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	154	श्री भोगेन्द्र झा	कोर्ट मार्शलों में सैनिकों के प्रतिनिधियों को रखने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	155	श्री भोगेन्द्र झा	शस्त्रास्त्रों के मामले में देश को पूरी तरह स्वावलम्बी बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	156	श्री भोगेन्द्र झा	जवानों की अफसरों के रूप में पदोन्नति के अनुपात को कम से कम 50 प्रतिशत करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	157	श्री भोगेन्द्र झा	सेवा-निवृत्त सैनिकों के लिये पेन्शन की रकम की समुचित वृद्धि करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	158	श्री भोगेन्द्र झा	जवानों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिये समुचित सुविधा देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	159	श्री भोगेन्द्र झा	सैनिकों तथा अफसरों के बीच जनतंत्र, समाजवाद तथा निरपेक्षता की शिक्षा-व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	160	श्री भोगेन्द्र झा	अफसरों की सीधी नियुक्ति में जनतंत्र, समाजवाद तथा निरपेक्षता में आस्था रखने वालों को प्राथमिकता देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	161	श्री भोगेन्द्र झा	जवानों के वेतन तथा भत्ते में आवश्यक वृद्धि करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	162	श्री भोगेन्द्र झा	जवानों और अधिकारियों द्वारा किये गये एक जैसे अपराधों के बारे में अनुशासन तथा दण्ड सम्बन्धी भेदभावपूर्ण नियमों में संशोधन करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	163	श्री शिंकरे	सैनिकों की भर्ती करने में बढ़ते हुए पक्षपात तथा प्रान्तीयता को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	164	श्री शिंकरे	सुरक्षा सेनाओं के तीनों अंगों के प्रशिक्षण के लिये देश में प्राकृतिक साधनों और भौगोलिक परिस्थितियों का उचित लाभ उठाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
1	165	श्री शिंकरे	गोआ की जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रख कर वहां एक सैनिक अकादमी खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	166	श्री शिंकरे	थल-सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रशिक्षण के लिये गोआ को केन्द्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	167	श्री शिंकरे	नौसेना के लिये जहाजों का निर्माण करने के लिये नौसेना का गोदी बाड़ा बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	168	श्री शिंकरे	मारमागोआ की बन्दरगाह का विस्तार करने तथा वहां पर सभी आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	169	श्री शिंकरे	नौसैनिक अड्डे को बम्बई से गोआ स्थानान्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	170	श्री शिंकरे	हवाई अड्डे को सान्ताक्रुज, बम्बई से गोआ स्थानान्तरित करने की आवश्यकता, क्योंकि सान्ताक्रुज हवाई अड्डे को पाकिस्तान से खतरा है।	100 रुपये
1	171	श्री शिंकरे	गोवा में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	172	श्री शिंकरे	'भारतीय नौसैनिक पोत हंस' नौसैनिक स्टेशन का विस्तार करने और इसे पश्चिमी बेड़े के नौसैनिक अड्डे में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	173	श्री स० मो० बनर्जी	रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का प्रश्न ।	100 रुपये
1	174	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों में उत्पादन वृद्धि ।	100 रुपये
1	175	श्री स० मो० बनर्जी	कुछ कार्य निजी क्षेत्र को सौंप देना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	176	श्री स० मो० बनर्जी	बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड का कार्यचालन ।	100 रुपये
1	177	श्री स० मो० बनर्जी	गार्डन रीच वर्कशाप तथा मझगांव डाक का कार्य-चालन ।	100 रुपये
1	178	श्री स० मो० बनर्जी	कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों पर वेतन में महंगाई भत्ते के विलय सम्बन्धी सरकारी आदेशों का प्रतिकूल प्रभाव, उन कर्मचारियों पर जो इच्छापुर (पश्चिमी बंगाल) में रक्षा संस्थान में काम करते हैं ।	100 रुपये
1	179	श्री स० मो० बनर्जी	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था अथवा निलम्बित कर दिया गया था उन्हें पुन: नियुक्त करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
1	180	श्री स० मो० बनर्जी	राष्ट्रपति के आदेशों पर निकाले गये कर्मचारियों को बहाल करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
1	181	श्री स० मो० बनर्जी	कार्मिक संघ गतिविधियों में भाग लेने के कारण	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			निकाले गये कर्मचारियों को बहाल करने में सरकार की असफलता ।	
1	182	श्री स० मो० बनर्जी	निकाले गये आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को समान रोजगार दिलाने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
1	183	श्री स० मो० बनर्जी	वस्त्र कारखानों में कार्य-भार की कमी ।	100 रुपये
1	184	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों में छोटे-मोटे काम के लिये रखे जाने वाले श्रमिकों की मजूरी में कमी ।	100 रुपये
1	185	श्री स० मो० बनर्जी	रक्षा प्रतिष्ठानों में अन्य श्रेणियों के तथा असैनिक कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में क्वार्टर बनाने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
1	186	श्री स० मो० बनर्जी	रक्षा श्रमिकों के लिये अधि-लाभांश अधिनियम लागू करना ।	100 रुपये
1	187	श्री स० मो० बनर्जी	डी० जी० ओ० एफ० के अधीन इक्विपमेंट यूनिट को कलकत्ता से हटाकर कानपुर ले जाना ।	100 रुपये
1	188	श्री स० मो० बनर्जी	रक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	189	श्री स० मो० बनर्जी	जलपानगृहों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मानने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
1	190	श्री स० मो० बनर्जी	कासीपुर की गन एण्ड शेल फैक्टरी में डी० एम० सी० के सिपाहियों द्वारा पाशविक रूप से गोली चलाया जाना ।	100 रुपये
1	197	श्री ओम प्रकाश त्यागी	चीन और पाकिस्तान द्वारा हथियाये गये भारतीय भू-भाग को वापस लेने में असफलता ।	100 रुपये
1	198	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पाकिस्तानी घुसपैठियों का काश्मीर में प्रवेश रोकने में असफलता ।	100 रुपये
1	199	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सभी भारतीय द्वीपों पर सैनिक चौकियां स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
1	200	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सम्भावित विदेशी खतरे को ध्यान में रख कर नौसेना को शक्तिशाली बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	201	श्री ओम प्रकाश त्यागी	चीन से आणविक आक्रमण के खतरे को ध्यान में रख कर अणु-बम बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	202	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सिंगापुर से ब्रिटिश सैनिकों के हट जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	203	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पाकिस्तान और चीन की शत्रुतापूर्ण मनोवृत्तियों, उन के गठबन्धन और शैन्य-शक्ति को ध्यान में रख कर देश के नवयुवकों और नव-युवतियों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने में असफलता।	100 रुपये
1	204	श्री ओम प्रकाश त्यागी	चीन से प्रशिक्षण प्राप्त तथा सशस्त्र विद्रोही नागाओं के नागालैंड में प्रवेश को रोकने में असफलता।	100 रुपये
1	205	श्री ओम प्रकाश त्यागी	शस्त्रास्त्रों के बारे में विदेशी ज्ञान पर निर्भरता को समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये
1	206	श्री ओम प्रकाश त्यागी	देश को अस्त्र-शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता।	100 रुपये
2	207	श्री ओम प्रकाश त्यागी	जवानों को उचित वेतन और भोजन देने में असफलता।	100 रुपये
2	208	श्री ओम प्रकाश त्यागी	शाकाहारी जवानों तथा अधिकारियों को अधिक पौष्टिक भोजन देने में असफलता।	100 रुपये
2	209	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सीमाओं पर नियुक्त सैनिक कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं न देना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	210	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भण्डारों का भ्रष्टाचार और चोरी न रोकना ।	100 रुपये
2	211	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सशस्त्र सेनाओं में गुप्तचर विभाग को प्रभावी न बनाना ।	100 रुपये
3	212	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अन्डमान तथा निकोबार में शक्तिशाली नौसैनिक अड्डे का न होना ।	100 रुपये
4	213	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विमानों के इन्जनों के निर्माण में ढिलाई ।	100 रुपये
4	214	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विमानों के निर्माण में आत्म-निर्भर न बंनना ।	100 रुपये
1	231	श्री स० मो० बनर्जी	कुछ काम गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाना ।	100 रुपये

डा० द० स० राजू (राजमंड्रि) : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । प्रतिरक्षा पर विचार करने के लिये विदेशी नीति पर विचार करना आवश्यक है । यदि हमारी विदेशी नीति सफल हो तो प्रतिरक्षा के लिए राशि निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी । हमने चीन तथा पाकिस्तान के साथ समझौते किये परन्तु हमारा अनुभव निराशाजनक रहा है । चीन के साथ किये गये पंचशील समझौते से हममें सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो गई थी और हम 1962 के चीनी आक्रमण के लिये तैयार नहीं थे । हमें 1962 की पराजय से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये थी और हमने उससे शिक्षा ली । 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण में हमारी इतनी विजय न होती यदि 1962 से हमने शिक्षा न ग्रहण की होती । श्री चह्वाण ने प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में कई त्रुटियां दूर की हैं तथा सेना के संगठन तथा साज सामान में सुधार किया । श्री स्वर्ण सिंह ने सेना की प्रतिरक्षा शक्ति में अग्रेतर सुधार किया है ।

कुल राष्ट्रीय आय का 3·46 प्रतिशत प्रतिरक्षा के लिये रखा गया है । मैं समझता हूं कि यह राशि अपर्याप्त है । कई हजार मील का हमारा समुद्र तट है तथा पाकिस्तान और चीन ने अपना आक्रामिक रवैया नहीं छोड़ा है । पाकिस्तान विश्व के लगभग सभी देशों से सामान खरीदने का प्रयत्न कर रहा है और उसकी सैनिक शक्ति बढ़ी है । चीन की कुछ अपनी समस्यायें हैं । उन समस्याओं के हल होते ही उसका रुख भारत की ओर मुड़ सकता है ।

हमारी सैनिक शक्ति अपर्याप्त है। उनके पास पर्याप्त आधुनिक उपकरण नहीं हैं। सेना के लिए सुधरी हुई परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्हें विमान द्वारा इधर-उधर लाना लेजाना आवश्यक है। 1947 में विमान द्वारा एक बटालियन श्रीनगर भेजने से सारी स्थिति संभल गई थी। हेलीकाप्टर भी परिवहन के लिये आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हैं। युद्ध के क्षेत्र में हताहतों को अस्पताल पहुंचाने के लिये वे बहुत उपयोगी हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Speaker in the Chair]

वियतनाम युद्ध में हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया गया था और वहां मरने वालों की संख्या केवल 1 प्रतिशत हो गई है। हमारी वायु सेना के लिये उनकी बहुत आवश्यकता है।

हमारे युद्ध पोत तथा विध्वंसक पुराने किस्म के हैं। हम मिजट पनडुब्बियों तथा तारपीडों किश्तियों से अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। युद्ध पोतों तथा विध्वंसक पोतों के निर्माण में कई वर्ष तथा करोड़ों रुपये लगते हैं। अतः मिजट पनडुब्बियां तथा तारीपीडो किश्तियां बनाई जानी चाहिये।

अमरीका अथवा इंग्लण्ड जैसे देशों में प्रतिरक्षा के लिये अनुसन्धान पर बहुत राशि व्यय की जाती है, परन्तु हम इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। भारत के पास श्री नलिकार तथा श्री खुराग जैसे प्रमुख वैज्ञानिक हैं तथा मुझे विश्वास है कि यदि पर्याप्त प्रोत्साहन तथा संसाधन उपलब्ध हों तो हम विदेशों से अधिक अच्छी स्थिति में होंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने बंगलौर में कहा है कि हमारी नीति देश को प्रतिरक्षा के मामले में आत्म-निर्भर बनाने की है। दूसरों से सामान लेकर कोई बड़ा युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है? यदि कोई एक पुर्जा न मिले तो कुल मशीनरी बेकार हो जाती है।

शस्त्र इतिहास का रुख ही बदल देते हैं। पिछले युद्ध में परमाणु बमों ने युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। श्री चर्चिल ने संसद् को बताया था कि यदि हिटलर ने बी 1 तथा बी 2 राकेट पर्याप्त संख्या में युद्ध शुरू करने से पहले बनाये होते तो वह छः सप्ताह में युद्ध जीत जाता। यदि नैपोलियन ने राबर्ट फुलटन द्वारा बनाये गये स्टीमशिप के बारे में लापरवाही न की होती तो शायद वह ब्रिटिश नौ सेना को नष्ट कर देता। इनसे आधुनिक शस्त्रों का महत्व पता लगता है।

समूचे संसद् को परमाणु बम के निर्माण के बारे में स्थिति पर विचार करना चाहिये। परमाणु बम बनाने वाले एक व्यक्ति थियोडोर टेलर ने कहा है कि परमाणु बम के बारे में सभी को वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी है और दस हजार डालर से उसे बनाया जा सकता है। हमारे नेताओं को इस पर विचार करना चाहिये।

नागरिक सुरक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें देश की रक्षा के लिये नागरिक सुरक्षा के बारे में उपलब्ध जानकारी का पूर्ण लाभ उठाना चाहिये। कई मंजिलों वाले भवन में एक भूमिगत कक्ष होना चाहिये ताकि बमों से बचा जा सके।

एक और राजधानी बनाई जानी चाहिये। दिल्ली सीमा के बहुत निकट है। यहां से सीमा केवल 250 मील दूर है। सरकार को इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और मध्य भारत, मध्य प्रदेश अथवा अन्य किसी स्थान पर एक दूसरी राजधानी स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

चीन परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन आवश्यकता पड़ने पर सैनिक साज-सामान छिपाने के लिए पहाड़ों और घाटियों में बिल बना रहा है। वह अपना आवश्यक सामान और दस्तावेज आदि भूमि के नीचे छिपा कर रखने का प्रयत्न कर रहा है ताकि परमाणु युद्ध के समय वे सुरक्षित रह सकें।

ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने सामने रख दी हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मंत्रालय के इस वर्ष के प्रतिवेदन में पहले के वर्षों की तुलना में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। किन्तु यह खेद की बात है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी बुनियादी पुनर्गठन की आवश्यकताओं की जानकारी से सभा को अनभिज्ञ रखा जाता है। पाकिस्तान और अमरीका को हमारे सैन्य बल, हमारे हथियारों के बारे में पूरी जानकारी है। मैं इस सम्बन्ध में एक तथ्य सभा के सामने रखता हूं। एक वरिष्ठ जनरल ने मुझे एक बार बताया था कि उन्हें अमरीका के सैनिक-सहचारी से बात करने का अवसर मिला था। अमरीकी सैनिक-सहचारी ने जनरल महोदय को बताया था कि भारत के पास कितनी सेना है, वह किन-किन क्षेत्रों में तैनात है, वह किन-किन हथियारों का प्रयोग करती है तथा भारत क्या-क्या हथियार बना रहा है। उन्हें अमरीका से इतनी जानकारी मिलने पर आश्चर्य हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के नागरिक तथा विधायक प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार जनता को प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के बारे में अनभिज्ञ क्यों रखती है। द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय रक्षा परिषद को, जिसका मैं सदस्य था, वर्तमान राष्ट्रीय रक्षा परिषद से, जिसका मैं सदस्य हूं, अधिक जानकारी दी जाती थी। यह खेद की बात है कि वर्तमान राष्ट्रीय रक्षा परिषद में कोई उपयोगी विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। हम लोग देश की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी हैं किन्तु ऐसा लगता है कि हम लोग इस ओर दिन प्रति दिन कम ध्यान देते जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय यहां सभा में उपस्थिति बहुत कम है। यह ठीक है कि हमारे जवान योग्य हैं और वे अपना दायित्व पूरी तरह निभा रहे हैं। किन्तु हमें भी देश की सुरक्षा के मामले में अपना दायित्व समझना चाहिए।

हमारे जवानों ने 1962 में तथा भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय अपने शौर्य का परिचय दिया था किन्तु हमारी सैनिक आसूचना व्यवस्था असफल रही है। मैं समझता हूं कि सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में इस सभा के सदस्यों को रुचि लेनी चाहिए और देश की रक्षा के लिये कार्य करना चाहिए। यदि पुनर्गठन के लिये उच्च स्तर पर कुछ किया जा रहा है तो हम उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि हम किस किस्म के हथियार बना रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी मांग का समर्थन करें। प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए कम से कम इस सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। प्रतिरक्षा के मामले में हमें आत्मतुष्टि का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। एकबार अमरीकी समाचारपत्रों का उल्लेख करते हुए मैंने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि चीन तिब्बत में युद्ध की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने मुझ पर पागलपन का आरोप लगाया था किन्तु बाद में जो कुछ हुआ था उससे यह स्पष्ट हो गया था कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। चीन द्वारा आक्रमण किये जाने पर पूना और गोआ से सेनाएं 303 नम्बर की राइफलें लेकर चीन का सामना करने के लिये भेजी गई थीं। हमारी आसूचना व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है तथापि कुछ मामलों में हमने प्रगति की है इसीलिए हम भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय सफल रहे हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय आज भी हैंडरसन ब्रुक्स का प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसमें मंत्रालय की आलोचना की गई है।

आज मैं समझता हूं कि हम प्रतिरक्षा मंत्री महोदय से कहें कि इस प्रकार का रवैया उचित नहीं है। हमें अपनी त्रुटियों को खुले रूप में जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें आत्म-विश्वास के अभाव में अप्रौढ़ राष्ट्र की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रतिरक्षा व्यवस्था की आलोचना करता है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि इससे देश के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे हम अपनी त्रुटियों में सुधार नहीं कर पायेंगे।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में मुझे ऐसी जानकारी मिली थी जो कि शायद अन्य माननीय सदस्यों को न मिली हो। इसमें से कुछ अच्छी थी और कुछ बुरी। मैं चाहता हूं कि सभा भी यह जानकारी प्राप्त कर ले। हमने उसमें बहुत सराहनीय कार्य किया था और कुछ त्रुटियां भी की थीं। रसेल ब्राइन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अयूब खां ने 11 जनरलों और 39 कर्नलों को सेवानिवृत कर दिया था क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे थे। भारत सरकार ने 3 मेजर-जनरल, लगभग 10 ब्रिगेडियर और लगभग 25 लेफ्टिनेन्ट कर्नल सेवानिवृत किये। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि उन्हें सेवानिवृत क्यों किया गया। सेवानिवृत किये गये ब्रिगेडियरों का रिकार्ड बहुत अच्छा था। हो सकता है कि युद्ध के समय उनके कार्य में कुछ कमियां पाई गई हों। किन्तु अच्छी से अच्छी तरह संचालित सेना के अच्छे रिकार्ड वाले अधिकारियों में भी कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं।

हमारे अधिकतर ब्रिगेडियरों में कमियां क्यों पाई गई थीं और उन्हें सेना से क्यों निकाला गया ? ब्रिगेडियरों को नियुक्ति बहुत कठिन परीक्षण के बाद को जाती है। मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में उन्हें सेवानिवृत करना ठीक था किन्तु कुछ मामलों में उच्च कमांडरों की अयोग्यता के कारण उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है।

मैं समझता हूं कि सब मामलों में ब्रिगेडियरों में ही कमी नहीं थी। कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हो गई थीं जिनके कारण उन्हें भागना पड़ा था। उन लोगों के पास नये रंगरूट थे। उन्हें एक साथ प्रशिक्षण नहीं मिला था। उन्हें न तो 20 ब्राउनिंग का प्रयोग करने का प्रशिक्षण मिला था और न ही उन्होंने स्वयं अपने टैंक देखे थे। जब 1800 गज वाली स्टेनगनों के साथ पैटन टैंक उनके सामने आये तो उनमें भगदड़ मच गई। मैं चाहता हूं कि इस सारे मामले की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जाये। मैं समझता हूं कि हमारे अनेक जनरल अयोग्य थे। उन्होंने स्थानीय कमांडरों के काम में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय कमांडर अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सके और उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया।

यह विडन्बना की बात है कि युद्ध में जिन लोगों ने अपना शौर्य दिखाया है और जिन लोगों के कारण देश का नाम ऊंचा रहा है उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया और डिवीजन कमांडर जो वास्तविक युद्ध-स्थल से 25 मील दूर रहे और जिन्हें युद्ध क्षेत्र में भी सभी प्रकार सुविधाएं उपलब्ध थीं उन्हें महावीर चक्र आदि उपाधि देकर सम्मानित किया गया। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि हमारे कुछ जनरल बहुत योग्य हैं किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो अयोग्य हैं। भारत-चीन संघर्ष में हम देख चुके हैं कि कुछ जनरलों की अयोग्यता के कारण हमें नेफा में असफलता का मुंह देखना पड़ा था। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न उठाकर सेना के मनोबल को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती थी। किन्तु आज इस संघर्ष के बाद एक लम्बी अवधि बीत चुकी है। आज हम इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं कि दोषी कौन है और कौन नहीं। मैं समझता हूं कि कुछ वरिष्ठ कमांडरों के कारण ही हमारी कुछ रेजीमेंटों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह समूचे मामले की जांच कराएं, सेना में उच्च कमांडरों के निहित स्वार्थ हैं इसलिए वे अपनी अयोग्यता छिपाने के लिये दूसरों को बलि का बकरा बनाते हैं। संसद् सदस्यों की एक समिति द्वारा सभी तथ्यों की जांच करायी जानी चाहिए। यह ठीक है हमारे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की एक समिति है। किन्तु यह समिति इतने बड़े कार्य की ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर सकती है। सेनाध्यक्षों के अधीनस्थ अधिकारी समिति में अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी गोपनीय पंजी सेनाध्यक्षों द्वारा लिखी जाती है। कुछ मामलों में यह भी होता है कि अधीनस्थ अधिकारी किसी बड़े अधिकारी आदि से सम्बन्धित हैं इसलिए उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

मैं किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता किन्तु यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि सेना में भाई-भतीजावाद, पक्षपात आदि की संभावना रहती है। यदि सेनाध्यक्ष कमजोर हुआ तो वह प्रतिरक्षा मंत्री का पिट्ठू भी हो सकता है, जैसा कि भूतपूर्व प्रतिरक्षा श्री कृष्ण मेनन के मंत्रित्व काल में हुआ था। श्री मेनन लेफ्टिनेन्ट कर्नल तक के कार्य में हस्तक्षेप कर दिया करते थे। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये यहां पर केवल यह कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने बताया था कि सेना में इस बात के लिये असंतोष है कि सेना में पदोन्नतियों के मामले में पक्षपात किया जाता है। अनेक पदोन्नतियां साम्प्रदायिकता के आधार पर की जाती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस पहलू की ओर विशेष ध्यान दें।

श्री खेरा ने अपनी पुस्तक में कहा है कि सेना के विभिन्न विभागों में समन्वय न होने के कारण व्यय बढ़ता ही जा रहा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति में महत्व दिखाने की प्रवृत्ति है। यही स्थिति सेना में भी है। ई० एम० ई० तथा आयुध कारखाने अपने को अलग ही समझते हैं। वे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं ताकि इन संस्थानों में अधिक से अधिक उच्च अधिकारियों को खपाया जा सके।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में लड़ने वाले कुछ जनरलों ने मुझे बताया था कि सेना के प्रत्येक ब्रिगेड के साथ ई० एम० ई० की एक यूनिट रहती है। यदि इसके बजाय ई० एम० ई० का एक केन्द्र होता और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता तो व्यय में काफी बचत हो सकती है और उसमें हमारी सेना की युद्ध शक्ति बढ़ सकती है।

अब मैं सेना की आसूचना व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि यह ठीक है कि सेना के तीनों अंगों की अपनी-अपनी आसूचना व्यवस्था है किन्तु उनमें परस्पर समन्वय नहीं है। चीन के साथ युद्ध के समय नेफा का उदाहरण हमारे सामने है। सड़कों-मार्गों के जो मानचित्र सेना को दिये गये थे वास्तव में वे थे ही नहीं। यही स्थिति भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय इच्छोगिल नहर के बारे में थी। हमारी सेनाओं को इस बात का पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिये इतनी बड़ी नहर का निर्माण कर लिया है। हमारी आसूचना व्यवस्था के कमजोर होने के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक अफसर और जवान मारे गये थे। क्या आज कोई इस बात को मानने के लिये तैयार है ?

मैं यह मानता हूं कि पाकिस्तान का यह प्रचार करना बिल्कुल गलत है कि भारत लाहौर पर अधिकार करना चाहता था किन्तु वह सफल नहीं हो पाया। किन्तु यह भी ठीक है कि जो कुछ हमारे लक्ष्य थे हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाये, इन सबका मुख्य कारण हमारी आसूचना व्यवस्या का कमजोर होना है।

मैं फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर विचार करके उचित कार्यवाही की जाये और संसद् सदस्यों की तथा योग्य तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी

जानकारी रखने वाले नागरिकों की एक समिति बनाई जाये। आज राष्ट्रीय रक्षा परिषद् तथा सलाहकार समिति आदि निष्क्रय हो चुकी हैं। देश की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रतिरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इससे व्यय में 10 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है।

श्री रणजीत सिंह : (खलीलाबाद) : मैं श्री फ्रैंक एन्थनी के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और रूस की नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह और अधिक खराब हो गई है। आज हमें पाकिस्तान आदि देशों से खतरे के संदर्भ में हमें अपनी रक्षा नीति पर फिर से विचार करना होगा। वर्ष 1965 में हमारी सैनिक शक्ति पाकिस्तान की तुलना में अधिक थी। अब पाकिस्तान ने अपनी स्थल सेना और वायु सेना दुगनी कर दी है और अपनी सेना के डिवीजन बढ़ा दिये हैं। उसके पास टैंक भी अब हमारे बराबर ही हैं।

मैं प्रतिरक्षा सामान के उत्पादन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लोक लेखा समिति ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा है। विजयन्त टैंकों के निर्माण-कार्यक्रम को ही लीजिये। उनका निर्माण निर्धारित लक्ष्य से 35 प्रतिशत कम हो रहा है। हथियारों के मामले में हम रूस पर निर्भर करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि युद्ध के समय हमें गोला-बारूद नहीं मिलेगा। कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे पास काफी मात्रा में सैनिक सामान जमा होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि युद्ध की स्थिति में बहुत अधिक सामान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये जितना सामान हम दो वर्ष में बनाते हैं उससे केवल दो महीने तक युद्ध लड़ा जा सकता है। इसलिये हमें हथियारों के मामले में किसी भी देश पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। रूस आज इस स्थिति में है कि यदि हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाये तो हार-जीत का निर्णय करना रूस के हाथ में होगा।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान की लगभग आधी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई थी। हमारे सैनिक विशेषज्ञों की राय थी कि पाकिस्तान को भारत से युद्ध करने की स्थिति प्राप्त करने के लिये तीन-चार वर्ष का समय लगेगा। इस प्रकार हमारे पास आत्मनिर्भर बनने के लिये तीन-चार वर्ष का समय था। किन्तु हमने इस समय का सदुपयोग नहीं किया। हमारा विजयन्त टैंक रूस से आयात किये जाने वाले टैंकों की तुलना में बहुत अच्छा है किन्तु हम विजयन्त टैंक के निर्माण में अपने प्रयत्न लगाने के बजाय राजनीतिक कारणों से रूस से टैंकों का आयात कर रहे हैं। सरकार ने इस मामले में सैनिक विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली थी।

देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी में पीछे रहने का बुनयादी कारण यह है कि हमारे नेताओं में प्रतिरक्षा सम्बन्धी जानकारी की कमी है और वे इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। माननीय सदस्य फ्रैंक एन्थनी का यह कथन ठीक है कि देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केवल

सेनाध्यक्षों पर ही छोड़ना खतरनाक है। प्रतिरक्षा का मामला बड़ा ही जटिल है इसलिये उसे प्रतिरक्षा सम्बन्धी जानकारी न रखने वाले मंत्रियों तथा राजनीतिज्ञों पर भी छोड़ना कठिन है। अतः मैं समझता हूं कि संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों की देखभाल करने के लिये एक आयोग बनाया जाना चाहिए। प्रायः देखा जाता है चुनावों की अवधि में प्रतिरक्षा मंत्री अपने मंत्रालय की देख-भाल नहीं कर सकते हैं। इस समय भी वह पंजाब, हरियाणा आदि की राजनीति के पीछे दौड़ते रहते हैं जिससे वह मंत्रालय का काम ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं। इसमें मंत्री महोदय को दोषी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हमारे देश का राजनीतिक ढांचा ही ऐसा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह देश के हित में तथा देश की सुरक्षा के हित में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आयोग बनाने के सुझाव को मान लें।

हमारी सेना में एक बटालियन के पास 6 आर० सी० एल०, जिनसे पैटन टैंक तोड़े थे, होने चाहिए। उन्नत देश भी इन हथियारों का प्रयोग करते हैं। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी प्रत्येक बटालियन के पास इन हथियारों की औसत प्रति बटालियन ढाई है। क्या यह हमारे लिये चिन्ता की बात नहीं है? हमारे पास हथियारों तथा अन्य सैनिक सामान की कमी इसलिये नहीं है कि देश उन्हें बना नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे मंत्रालय में नितान्त अव्यवस्था है। जो विमान नये खरीदे गये हैं उन्हें छोड़कर हमारी वायुसेना के पास जो विमान हैं उनकी उपयोगिता 40 प्रतिशत रह गई है। क्या हम आशा कर सकते हैं कि इन विमानों से युद्ध लड़ा जा सकता है। हमारे विमानों को ईंधन आदि लेकर फिर उड़ान करने के लिये लगभग डेढ़ घंटे का समय लगता है जबकि उन्नत देशों में विमानों को इस कार्य के लिये केवल दस मिनट का समय लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी वायु सेना के पास ट्रैक्टरों की कमी है। सामान्य रूप से प्रत्येक स्क्वाडर्न के पास 15 ट्रैक्टर होने चाहिए जबकि हमारे यहां की औसत $2\frac{1}{2}$ ट्रैक्टर प्रति स्क्वाडर्न है। हम देश में ट्रैक्टरों का निर्माण करते हैं फिर भी स्थिति इस प्रकार की है।

हाल ही में हमारी नौसेना ने अभ्यास का आयोजन किया था। अनेक देशों से सैनिक सलाहकारों को उसमें आमंत्रित किया गया था। तोप दागने का आदेश दे दिया गया था किन्तु पांच मिनट तक कोई फायर ही नहीं की गई जब कि यह कार्य पांच सेकिंड के अन्दर हो जाना चाहिए था। सभी लोग आश्चर्य में थे। पांच मिनट बाद गोला चलने की आवाज हुई। बाद में लोगों को पता लगा कि तोप में कुछ खराबी थी। क्या हम इस प्रकार की व्यवस्था से अपने देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है जो कि दूर की जानी चाहिए।

सेना में अब यह नया नियम लागू किया गया है कि कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक के अधिकारियों की उम्र उनके वर्तमान पदों पर चार वर्ष तक नौकरी करने के बाद यदि 48 वर्ष की हो जाये तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इससे देश को सबसे बड़ी हानि यह

हुई है कि हम योग्य तथा अनुभवी अधिकारियों से वंचित होते जा रहे हैं। इस वर्ष लगभग 100 अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हमारे पास वे सैनिक अधिकारी नहीं रह पायेंगे जिनके पास द्वितीय विश्व-युद्ध का अनुभव है। जिन अधिकारियों ने काश्मीर आदि क्षेत्रों में युद्ध लड़ा था वे भी हमारे पास नहीं रह जायेंगे। मैं समझता हूं कि 48 वर्ष में सैनिक अधिकारी पूर्णतः सक्षम रहता है। यह सब कुछ इसलिये किया गया है क्योंकि सेना में भी कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं। अभी प्रतिरक्षा उत्पादन सचिव का पद खाली हुआ था तो उस पद पर स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई। अब उन्हें नये सिरे से प्रतिरक्षा सम्बन्धी सब मामलों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। क्या ऐसी स्थिति में देश अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारी पर भरोसा कर सकता है ?

प्रतिरक्षा संबंधी उत्पादन में कुछ निहित स्वार्थ बाधा पहुंचा रहे हैं। वर्ष 1962 में नेट विमान भारत में बनाने का निर्णय किया गया था और इसका कुछ सामान बनाने के लिये कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों को एल्यूमीनियम के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे और उन्हें विदेशी मुद्रा भी दी गई। किन्तु ये कम्पनियां नेट विमानों के लिये सामान की सप्लाई न करके सामान को चोरबाजारी में बेच रहे हैं। यह है प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी की स्थिति।

आजकल वायु सेना में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कमांडरों का चयन ठीक ढंग से नहीं होता है इससे योग्य कमांडरों का चयन नहीं हो पाता है। हमारे कमांडर चाहते हैं कि उनके अधीनस्थ अधिकारी उन्हें खुश रखें और अधीनस्थ अधिकारी उन्हें खुश करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार हमारी वायुसेना का स्तर उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है।

विदेश-नीति के लिये भी सैनिक शक्ति का मजबूत होना आवश्यक है। मैं फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन सब बातों पर विचार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह सराहनीय बात है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में देश की समस्या के प्रति जागरूकता दिखाई गई है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना को आधुनिक बनाने तथा अच्छे हथियारों से लैस करने की अति आवश्यकता है। पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष तथा भारत चीन संघर्ष के अनुभव आधार पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज का युद्ध अधिक समय तक नहीं रह सकता है इसलिए उसी के अनुसार युद्ध की तैयारी की जानी चाहिये। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारी सेना के पास अच्छे हथियार हों और हमारी सेना आधुनिक हो। आज विश्व में नये से नये हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। अतः हमें भी नये से नये किस्म के हथियारों की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि आज पुराने किस्म के हथियारों से काम चलाने वाला नहीं है। यह ठीक है कि हम परमाणु बम न बनाएं क्योंकि इसके लिये चलाने की व्यवस्था

कठिन होती है और उस पर व्यय भी बहुत होता है किन्तु हमें शत्रुओं से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सीमित मात्रा में परमाणु हथियारों की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पहलू पर अवश्य विचार करेंगे।

आज से तीन चार वर्ष पहले प्रतिरक्षा मंत्रालय सैनिक मुख्यालयों की हथियारों सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता था किन्तु आज स्थिति बिल्कुल दूसरी ही है। आज सैनिक मुख्यालय मंत्रालय द्वारा सप्लाई किये जाने वाले साज-समान को खपा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सैनिक मुख्यालयों में कुछ कमी है जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

कुछ समय पहले आधे घंटे की चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को अधिक से अधिक हथियार देने का निर्णय किया है। ऐसी स्थिति में 1960 के बाद प्रचलित हथियारों की व्यवस्था करना उपयुक्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिकतम हथियारों की व्यवस्था की जाये। यह चिन्ता की बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी सेनाओं के लिए रूस से ही हथियार लें। हमें इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि आज हमें चीन और पाकिस्तान दो देशों से खतरे का सामना करना है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद हम हथियारों का निर्माण कई गुना बढ़ा सकते थे जिससे हथियारों के मामले में हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता किन्तु हम इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। हमने सोचा की पाकिस्तान की पराजय हो गई है और हम सुस्त से पड़ गये। हमें वियतनाम में हो रहे युद्ध से यह सबक लेना चाहिये कि एक छोटा सा देश इतनी लम्बी अवधि से इतने बड़े शक्तिशाली देश का सामना कैसे कर रहा है। वियतनाम अब तक 3,000 अमरीकी विमानों को गिरा चुका है। आशा है इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा।

नौसेना में भी सुधार की आवश्यकता है। हमारे अनेक जंगी जहाज पुराने हो गए हैं। नौसेना के पास दूर तक मार करने वाले हथियारों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आक्रमणकारी को दूर से ही नष्ट किया जा सके। समय के साथ-साथ समुद्रों की सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ रही है।

हमें नये वैज्ञानिक आविष्कारों के अनुसार ही अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए साज-सामान बनाना चाहिए हमारी सेनाओं के पास आधुनिकतम हथियार होने चाहिये। हमें ये हथियार जहां कहीं से मिले अवश्य प्राप्त करने चाहिए।

मैं कुछ प्रतिरक्षा संस्थानों में गया था मुझे वहां पर यह देख कर दुख हुआ कि अधिकारियों और जवानों के बीच एक खाई है। अधिकारी लोग अपने आप को अभिजात वर्ग का समझते हैं।

इससे जवानों में असंतोष है। इस समय जब कि हम चीन और पाकिस्तान दो शत्रुओं का सामना कर रहे हैं हमारी सेनाओं में इस प्रकार की ऊंच-नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना भेद भाव के कन्धे से कन्धा मिलाकर देश की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।

हमारी सेना में शत्रु को मार भगाने की शक्ति होनी चाहिए। इस कार्य के लिए वायु सेना का एक अलग डिवीजन होना चाहिए क्योंकि केवल ट्रकों आदि स्थल में प्रयोग किए जाने वाले साधनों से ही काम नहीं चल सकता है। सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने के लिए नाथूला आदि क्षेत्रों में अधिक हेलीकोप्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। असैनिक उद्योगों को इस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे बहुत कम समय में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान बना सकें क्योंकि हम हथियारों, गोला बारूद आदि को अधिक समय तक जमा करके नहीं रखते हैं। भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान के 50 प्रतिशत गोले अधिक समय तक अप्रयुक्त रहने के कारण बेकार साबित हुए थे।

रूस में असैनिक विमान इस प्रकार बनाये जाते हैं कि शान्ति के समय उनका प्रयोग यात्री परिवहन के लिये किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्र ही युद्ध सेवा के योग्य बनाया जा सकता है। विमानों की व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। 1965 की तुलना में हमने अपनी स्थिति में सुधार किया है और हमारी सेनाओं का मनोबल भी बढ़ा है। हमारे कारखानों में सैनिक साज सामान बन रहा है किन्तु इस दिशा में और अधिक प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। हमने 9000 शक्तिमान ट्रक निर्माण करने का लक्ष्य बनाया था। हमने 1967-68 में 7,000 ट्रक बनाए और आयुध कारखानों में 921 बनाए गये थे। हमारे कारखानों में क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं हो रहा है।

हमारी सेना को आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक हमारे जवान इन हथियारों का प्रयोग ही नहीं जानेंगे तब तक इनका कोई महत्व नहीं है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार तो थे किन्तु पाकिस्तानी सेना उनका प्रयोग नहीं जानती थी इसलिए वे हथियार अनुपयुक्त साबित हुए।

अन्त में मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनकी दशा दयनीय है, मंत्री महोदय को उनकी समस्या पर विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय के प्रति मैं फिर आभार प्रकट करता हूं कि चिलका में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मांग मान ली गई है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री जय सिंह (होशियारपुर) : महोदय, मुझे जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसे बहुत पहले पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया था। परन्तु गत 22 वर्षों में वहां के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहां इस समय भी बहुत से ऐसे गांव में जिनमें लोगों तथा पशुओं को पीने के पानी के लिये गंदे जोहड़ों पर निर्भर रहना पड़ा है जिसके कारण वहां के लोगों का स्वास्थ्य प्राय: खराब रहता है। वहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है तथा खेती करना और नौकरी करना उनका मुख्य व्यवसाय है। वहां के अधिकांश होनहार युवक बड़े चाव से सशस्त्र सेना में भर्ती हुआ करते थे, क्योंकि सेना में भर्ती होना उनके लिये एक परम्परा सी बन गई थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। धीरे-धीरे यह परम्परा समाप्त होती जा रही है और इसका कारण यह है कि सेना में रहते समय उनकी सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है और भूतपूर्व सैनिकों के रूप में भी उनके पुनर्वास आदि की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा जवानों की पेंशन वृद्धि में भेदभाव बरता गया है, और जो लोग कई वर्ष पहले सेवा निवृत्त हुए थे उनका गुजारा होना कठिन हो रहा है। सरकार ने जैसा कि सभा को वचन दिया था, आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों को वेतन तथा भत्ते देना आरम्भ नहीं किया है। उस क्षेत्र में जो कुछ स्थिति है उससे प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री और पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्री पूर्णतया परिचित हैं। मैं समझता हूं कि वे इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि इन लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सैनिक ही सबसे बड़ा हथियार है। होनहार नवजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए तब तक आकृष्ट नहीं किया जा सकता है जब तक सेवा में रहते समय उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था तथा सेवा निवृत्ति के बाद उनके पुनर्वास का प्रबन्ध न किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सेना को अच्छे व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे।

प्रतिवर्ष लगभग 50,000 सैनिक सेवा से निवृत्त होकर पुनर्वास निदेशालय के सामने आते हैं, परन्तु अपने वर्तमान रूप में पुनर्वास निदेशालय उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रश्न को यह तर्क पेश करके नहीं टाला जाना चाहिये कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उस समस्या का समुचित मूल्यांकन करने के लिये समय-समय पर प्रतिरक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्य सरकारों की बैठक होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये समुचित प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा करने के लिए पुनर्वास निदेशालय का कार्यभार प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक उप मंत्री को सौंपा जाना चाहिये।

राज्य सरकारों को भी भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें तथा सहायता देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। आप पंजाब का उदाहरण लीजिये। वहां के बहुत से व्यक्ति सशस्त्र सेना में भर्ती होते हैं। यद्यपि राज्य ने इस बारे में गम्भीर प्रयत्न किया है परन्तु उसके साधन

बहुत सीमित हैं। पंजाब के उद्योग मंत्री के अनुसार अब तक सरकारी क्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है परन्तु पंजाब को इसका 5 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त नहीं हुआ है। यदि पंजाब में उचित मात्रा में भारी उद्योग स्थापित किये जाते हैं, तो इससे वह भूतपूर्व सैनिकों को अधिक अवसर प्रदान कर सकता है।

जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है मैं सिफारिश करता हूं कि सशस्त्र सेवाओं में लड़ाकू स्तर के अधिकारियों के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी जानी चाहिये और इन पदों के उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए। इससे सैनिक सेवा से अलग होने के बाद अधिकारियों को असैनिक जीवन में अपने लिए समुचित व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी।

अब मैं स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख दायित्व देश की क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर असैनिक अधिकारियों की सहायता करना है।

भारत की भू सीमा 15,168 किलोमीटर है। मुझे ज्ञात है कि सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यद्यपि स्थल सेना का काफी विस्तार किया गया है, तथापि स्थल सेनाध्यक्ष के कर्तव्य वही हैं जो पहले थे। अतः सेना का विस्तार होने के कारण सेनाध्यक्ष का कार्यभार बहुत बढ़ गया है। इस बोझ को ब्रिटेन जैसी सेना परिषद प्रणाली लागू करके कम किया जाना चाहिए। इससे सेनाध्यक्ष सेना की संचालन सम्बन्धी दक्षता की ओर अधिक ध्यान दे सकेगा और प्रतिरक्षा मंत्री को भी महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में परिषद के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस प्रणाली से सब स्तरों पर भाई भतीजावाद खत्म होगा और यह अधिक जनहित में होगा।

मुझे इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की सेना में बख्तरबन्द और तोपखान यूनिटों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है। अतः हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और हमें बख्तरबन्द और तोपखाना यूनिटों के मामले में कम से कम पाकिस्तान के बराबर शक्तिशाली जरूर होना चाहिए।

जहां तक हथियारों तथा सैनिक साजसामान का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि आयातित हथियारों और सैनिक सामान के संतोषजनक रखरखाव के लिये यह जरूरी है कि हमारे यहां फालतू पुर्जे, विशेष लुब्रीकेट आदि का हर समय पर्याप्त स्काट रहे। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जब तक आयात की जाने वाली वस्तुएं हमारे देश में नहीं बनतीं हमें विदेशों पर निर्भर रहना होगा। विदेशों को इन वचनों पर कि जरूरत पड़ने पर हथियार तथा फालतू पुर्जों इत्यादि तुरन्त विमानों द्वारा भेज दिये जायेंगे अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए।

आज संसार में केवल हमारे देश की ही ऐसी बड़ी स्थल सेना है, जिसके पास वायुसेना का पूर्ण साज सामान नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान भी हम से आगे है। यद्यपि वर्ष 1965 में हमारी वायु सेना ने काफी अच्छा काम किया था तथापि लोगों की यह धारणा थी कि हमारी वायु सेना स्थल सेना को सहायता देने के कार्य में पाकिस्तान की वायुसेना से अधिक सफल नहीं रही है। जब हम हमने बागाह सीमा पार की थी, उस समय हमें पूरे दिन के लिये वायु सेना की सहायता नहीं मिल सकी थी और इसके परिणामस्वरूप कुछ लोग हताहत हुए, जिन्हें बचाया जा सकता था। इसका दोष मैं वायुसेना को नहीं देता हूं, उसने तो बहुत सराहनीय काम किया था, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि स्थल सेना में ऐसे वायु संघटक की बहुत पहले से जरूरत महसूस की जा रही है जो स्थल सेना को तुरन्त सहायता दे सके और जिसका संचालन स्थल सेना के अपने ही कर्मचारियों द्वारा किया जाये। इस वायु संघटक के सामान्य दायित्व गोलाबारी में सहायता देना, तोपखाने का पता लगाना, बीमारों और घायलों को हटाना और संचार आदि की व्यवस्था करना होने चाहिए। इस कार्य के लिये हल्के, कम गति वाले तथा मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान होने चाहियें। इस संघटक के रख रखाव तथा इसके विमानों के चालकों के प्रशिक्षण आदि पर वायु सेना के आधुनिक तथा तीव्र गति वाले विमानों की अपेक्षा बहुत कम खर्च आयेगा।

अब मैं भारतीय नौसेना के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारी जल सीमा 5,689 किलोमीटर है। हमारी नौसेना का कार्य हमारे समुद्र तट और अण्डमान, निकोबार तथा लक्कदीव द्वीप की रक्षा करना तथा हिन्द महासागर से होकर स्वतन्त्र और निर्बाध व्यापार की व्यवस्था करना है। इस समय हमारी नौसेना समुद्रतट तथा उल्लिखित द्वीपों की रक्षा करने की स्थिति में है। परन्तु यह सन्देह स्पष्ट है कि भविष्य में हमारी नौसेना हमारे व्यापारिक बेड़े का स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित कर सकेगी। इस कार्य के लिये शक्तिशाली मित्र देशों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

हाल ही में रूस की नौसेना के उपाध्यक्ष ने कहा है कि हिन्द महासागर में शान्ति बनाये रखने के लिये पाकिस्तान की नौसेना का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। रूस की नौसेना के उपाध्यक्ष के इस वक्तव्य पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह बहुत सम्भव है कि पाकिस्तान को रूस से कुछ समुद्री जहाज और पनडुब्बियां प्राप्त हो जायें और वह इसके बदले में रूसी नौसेना को हिन्द महासागर के क्षेत्र में कुछ सुविधायें दे दे।

अमरीका के प्रतिरक्षा विभाग का अनुमान है कि वर्ष 1975 तक चीन के पास 12 से 15 तक आण्विक पनडुब्बियां हो जायेंगी।

यह हमारे राष्ट्रीय हित की बात है कि हिन्द महासागर को तनाव से दूर रखें, परन्तु वास्तविकता यह है कि इसे सुनिश्चित करने के लिये हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। अमरीका तथा रूस की नौसेनायें एक दूसरी से होड़ कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी तथा

दक्षिण पूर्वी एशिया में अमरीका की नौसेना को पहले ही कुछ सुविधायें प्राप्त हैं। वर्ष 1971 में दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटेन के हट जाने के बाद हमारी नौसेना की जिम्मेदारी और बढ़ जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

अब मैं वायुसेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वायुसेना के दो मुख्य काम हैं—एक शत्रु के ठिकानों पर बमबारी करने, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, विशेष टोह लेना तथा दूसरे स्थल सेना और नौसेना को सहायता देना। इस समय हमारी वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार का साजसामान है और इससे प्रशिक्षण-रख-रखाव तथा स्टोर आदि के मामले में बड़ी कठिनाई होती है। प्रतिवेदन में वायुसेना के विमानों की विविधता कम करने के बारे में आवश्यक कदम उठाने का संकेत दिया गया है। यह एक बहुत अच्छी बात है।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्थल सेना के पास अपना वायु संघटक होना चाहिए। मैं पुनः इस बात की सिफारिश करता हूं।

अब मैं प्रतिरक्षा नीति पर आता हूं। देश की प्रतिरक्षा नीति को विदेश नीति से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी देश की आजादी को खतरा पैदा होता है, तो मित्र देशों की सहायता लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मित्र देशों की सहायता के बिना युद्ध छिड़ने पर सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम वर्ष 1962 से पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाये हुए हैं वह विफल सिद्ध हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी पवित्र भूमि के एक बड़े भाग पर हमारे विरोधी देशों ने गैर-कानूनी कब्जा कर लिया है और हमें लज्जा उठानी पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हम पाश्चात्य लोकतन्त्र से इतनी दूर हट कर रूस पर इतना अधिक निर्भर क्यों करते हैं। इससे एक ऐसी धारणा उत्पन्न हो गई कि हम पश्चिम के विरुद्ध हैं। पाश्चात्य देशों ने वर्ष 1962 में हमें काफी सहायता दी थी और उन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चालू है। रूस अब पाकिस्तान को खुले तौर पर प्रोत्साहन दे रहा है और उसको आवश्यकता से कहीं ज्यादा हथियार दे रहा है। रूस हमारे आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रूस के पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र होने के परिणामों पर अभी तक गम्भीरता से विचार क्यों नहीं किया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि हमने जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों की ओर दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ाया है ?

अमरीका के प्रतिरक्षा सचिव ने पुनः इस बात को दोहराया है कि 18 महीने के अन्दर अन्दर चीन अन्तरद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र का परीक्षण कर लेगा और उसके पास वर्ष 1975 तक 20 से 30 तक प्रक्षेपणास्त्रों का भंडार जमा हो जायेगा। अतः चीन एक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। इस आशय के पर्याप्त संकेत प्राप्त हुए हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु अस्त्रों के निर्माण के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली है। इन परिस्थितियों में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे पास भी प्रतिरोधक रूप में परमाणु अस्त्र हों। यह हथियारों की दौड़ का प्रश्न नहीं है, अपितु यह वास्तविकता को समझने का प्रश्न है। परमाणु अस्त्रों के बनाने के कम खर्चीले

तरीके का पता लग गया है और हमारे वैज्ञानिकों को इन तरीकों का इस्तेमाल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो स्वतन्त्रता की रक्षा का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहना तथा आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी एवं भावात्मक होना हमारी प्रतिरक्षा में अधिक सहायक नहीं होगा। हमें रूस पर जरूरत से अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी विदेश नीति में जरूरत के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। हमें पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों के साथ मित्रतापूर्वक सम्बन्ध कायम करने चाहिए और यह धारणा दूर कर देनी चाहिए कि हम पश्चिम विरोधी हैं। हमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिए। हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के समस्त साज-सामान और स्टोर आदि के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहियें। जब तक हम इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं बन जाते तब तक हमें आयातित साजसामान और स्टोर का पर्याप्त स्टाक जमा रखना चाहिए। हमें परमाणु हथियार बनाने का काम तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिए और इस सम्बन्ध में डिलिवरी सिस्टम की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है हमें कठिन स्थितियों का सामना करना पड़े। प्रतिरक्षा मंत्रालय को उसके लिये तैयार रहना चाहिए। यदि प्रतिरक्षा मंत्री यह वचन देते हैं कि देश के हौसले को ऊंचा रखा जायेगा, सशस्त्र सेनाओं में आणविक क्षमता पैदा की जायेगी, सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकों और असैनिक कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधायें दी जायेंगी तथा उनकी स्थिति को सुधारा जायेगा और सार्वजनिक धन पर अधिक कड़ा नियन्त्रण रखा जायेगा, तो मैं सिफारिश करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की सब मागों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सर्व प्रथम मैं अपने जवानों को बधाई देना चाहता हूं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रतिरक्षा कार्य के अतिरिक्त उन्होंने बाढ़ों तथा सूखे आदि की स्थिति में असैनिक व्यक्तियों की सहायता भी की है।

मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर मितव्ययिता नहीं करनी चाहिये। अतः इस बात को देखते हुए मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। परन्तु साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिये। लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मैंने विभिन्न लेखा-परीक्षा पैरों को पढ़ा है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में काफी फजूल खर्ची होती है। मेरा विश्वास है कि यदि लोक लेखा समिति और लेखा-परीक्षा विभाग के बहुत से प्रतिवेदनों पर गम्भीरता और निष्पक्षता से विचार किया जाये तो यह मंत्रालय अपने कर्मचारियों की छंटनी किये बिना ही लग-

भग 100 करोड़ रुपया बचा सकता है। मंत्री महोदय को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये और फजूलखर्ची को समाप्त किया जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखानों के महानिदेशालय के संगठन को दो भागों में विभक्त करने और साज-सामान एकक को कलकत्ता से कानपुर में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है, वह गलत है। यद्यपि इससे कानपुर में रोजगार प्राप्ति के अवसर बढ़ेगें, तथापि मैं इसका विरोध करता हूं। उक्त संगठन को दो भागों में बांटने से न तो बचत होगी और न ही कार्यकुशलता बढ़ेगी। मैं सच्चे दिल से यह सुझाव देना चाहता हूं कि साज-सामान एकक को स्थानान्तरित न किया जाये। चूंकि आयुध कारखानों के महानिदेशालय संगठन के सब अधिकारियों तथा विभागों के लिये 6 एस्पलेनेट स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित भवन में पर्याप्त स्थान नहीं था, इसलिये उन्होंने हाल में पार्क स्ट्रीट में स्थित एक पांच-मंजिला विशाल भवन 45,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया है। साज-सामान एकक का कार्यालय उस किराये के भवनों में स्थित है। अब फिर कानपुर में नई इमारत बनाने पर 30 से 40 लाख रुपये खर्च होंगे। क्या इसे मितव्ययिता कहा जा सकता है? मैं वित्त मंत्री से, जोकि मजूरी पर प्रतिबन्ध लगाने की बात करते हैं? पूछना चाहता हूं कि क्या यह मितव्ययिता है? उक्त एकक को स्थानान्तरित किया जाना अनावश्यक है और मंत्री महोदय को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिये।

पाकिस्तान तथा चीन जैसे हमारे पड़ोसी देशों से खतरे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा महत्व देते रहे हैं। मुझे कई माननीय सदस्यों की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ है। उनकी बातों से ऐसा पता चलता है कि हमारा देश संसार में सबसे कमजोर है। क्या हमने पाकिस्तान को वर्ष, 1965 में नहीं हराया था? अब पाकिस्तान संकट से गुजर रहा है। पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान में आपसी मतभेद हैं। हमें युद्ध की मनोवृत्ति को नहीं उकसाना चाहिये और पाकिस्तान के साथ अपने विवादों को बातचीत द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक चीन का सम्बन्ध है उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह क्या करेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आयुध कारखाने विकास की एक विशेष स्थिति में पहुंच गये हैं। परम्परागत हथियारों के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गये हैं। इसके लिये मैं आयुध कारखाने के कर्मचारियों को बधाई देता हूं। परन्तु यही पर्याप्त नहीं है।

मेरे मित्र श्री तापड़िया ने सुझाव दिया है कि कुछ वस्तुएं गैर-सरकारी क्षेत्र में भी बनाई जा सकती हैं। परन्तु वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के समय और बाद में वर्ष, 1965 में पाकिस्तान के हमले के समय हमें इस बारे में क्या अनुभव प्राप्त हुये हैं? हमें इस सम्बन्ध में बड़ा कटु अनुभव प्राप्त हुआ है और वह यह कि ठेकेदारों ने हमें अच्छी सामग्री नहीं दी है। हमारे जवानों को जो रजाइयां दी गयी थी उनमें भी रुई के स्थान पर कोई अन्य वस्तु भरी हुई

थी । उन्होंने हमारे जवानों के जीवन के साथ और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है । उन्होंने घटिया माल दिया है ।

मैंने अपने माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी का भाषण सुना है । उन्होंने भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन की कटु आलोचना की है । उनकी श्री कृष्णा मेनन के बारे में कोई शिकायतें हो सकती हैं, परन्तु यह देश श्री कृष्णा मेनन को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वह श्री कृष्णा मेनन ही थे, जिन्होंने प्रतिरक्षा उत्पादन की नींव डाली है । इस समय देश में हजारों की संख्या में शक्तिमान ट्रक बनाये जा रहे हैं । यह श्री कृष्णा मेनन की ही देन है ।

यह सच है कि अब आयुध कारखानों में हर वस्तु बनाई जा सकती है तथा आयुध कारखानों का उत्पादन बढ़ कर 170 करोड़ रुपये के मूल्य का हो गया है, परन्तु यह काफी नहीं है । हमें इन कारखानों का उत्पादन और बढ़ाना चाहिये । हम गैर-सरकारी क्षेत्र में 10032 वस्तुएं दे रहे हैं, जब कि इन्हें आयुध कारखानों में बनाया जा सकता है । रेलवे द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ काम दिया जा रहा है । यह काम आयुध कारखानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है । कुछ कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयुध कारखानों को हानि पहुंचा कर गैर-सरकारी क्षेत्र को काम न दिया जाये ।

जहां तक आयुध कारखानों के कार्य का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि चान्दा भण्डारा और अम्बभारी के आयुध कारखानों का काम संतोषजनक नहीं है । इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और स्थिति को सुधारने के लिये समुचित कदम उठाये जाने चाहिये । मुझे खुशी है कि अवदी टैंक कारखाने में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और इसके लिये मैं प्रतिरक्षा मंत्री को बधाई देता हूं ।

डी० जी० ओ० एफ०, डी० एम० ई० तथा डी० ओ० एस० के बीच समुचित समन्वय होना चाहिये । सेना की मरम्मत करने वाली आधार वर्कशापों को भी उत्पादन करने वाले एककों में बदला जाना चाहिये । उनका काम केवल मरम्मत करना ही नहीं है, अपितु उनमें उत्पादन भी होना चाहिये । उपरोक्त संगठनों के बीच समुचित तालमेल होनी चाहिये, ताकि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके ।

मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने 1000 विमान बनाये हैं । इसके बंगलौर कारखाने में बहुत अच्छा काम हो रहा है, परन्तु इसके कानपुर कारखाने का काम संतोषजनक नहीं है । मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि एयवरो 748 विमानों का निर्माण एक षडयंत्र सिद्ध हुआ है । इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिये ।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक सम्बन्ध सामान्यतया संतोषजनक रहे हैं । परन्तु कोसीपुर में गोली चलाने की जो घटना हुई है, वह वास्तव में बहुत चिन्ता जनक है । हमारे प्रतिरक्षा अधिकारियों को इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिये । ऐसे

मामलों में औद्योगिक परिषद् में विचार-विमर्श किया जा सकता है। हर एक मामले में आदेश प्राप्त करने के लिये हम संयुक्त सचिव, सचिव और यहां तक कि प्रतिरक्षा मंत्री अथवा प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री के पास जाते हैं, परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि कोसीपुर में कारखाने के कुछ अधिकारियों के निदेश पर डी० एस० सी० द्वारा अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई गई हैं। यह बिल्कुल अनुचित है।

अब जांच का आदेश दे दिया गया है और वास्तविकता का पता चल जायेगा। उन लोगों के पक्ष में जिस नियम का उल्लेख किया गया है, वह सही नहीं है। आपातकालीन स्थिति समाप्त किये जाने के बाद वह नियम लागू नहीं है। उक्त घटना से सम्बन्धित तीनों सिपाहियों को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये, ताकि उनके साथ विधि न्यायालय में ही न्याय किया जा सके। मैं पश्चिम बंगाल सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि यदि प्रथम श्रेणी का अधिकारी भी दूसरे कर्मचारियों पर गोली चलाता है तो उसको भी अन्य अपराधियों की तरह से हथकड़ियां लगाई जानी चाहिये। उक्त कारखाने के श्रमिक संघ के महासचिव को राष्ट्रपति की शक्तियों के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया है। यह एक असामान्य कार्यवाही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उसे पुनः काम पर वापस लिया जाना चाहिये। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के कारखानों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन किया गया है अथवा नहीं। अभी तक अखानकाडू में स्थित कोरडाइट कारखाने, कानपुर स्थित छोटे हथियार कारखाने, कानपुर स्थित एच एण्ड एस कारखाने, इशापुर राइफल कारखाने तथा देहरादून और कोसीपुर के कारखानों तथा दिल्ली में एम० इ० एस० और सी० ओ० डी० के बहुत से कर्मचारियों को फिर से काम पर नहीं लिया गया है। इन सब कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया जाना चाहिये। यह बड़े दुख की बात है गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा दो बार इस सभा में आश्वासन दिये जाने के बाद भी उन व्यक्तियों को पुनः काम पर नहीं लिया गया है।

मुझे खुशी है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कार्मिक संघों की मान्यता रद्द नहीं की है। उन्हें "कारण बताओ" नोटिस दिये गये हैं। जब हमारे समक्ष कोई संयुक्त तंत्र अथवा स्थायी तंत्र न हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या मंत्री महोदय चाहते हैं कि हम भी विद्रोही नागाओं जैसा व्यवहार करें?

शिक्षार्थियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हजारों प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया गया है। वे गलियों में घूम रहे हैं। औद्योगिक और तकनीकी संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

फिर जहां तक महंगाई भत्ते के वेतन में विलय का सम्बन्ध है, इसका बहुत से प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ा है। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठायें।

आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वे पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े हैं। उनके हृदय में महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर दिया गया है, परन्तु इस समय उन सबकी स्थिति दयनीय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन सबको पुनः रख लिया जाना चाहिये।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को जो आश्वासन दिये गये थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। मेरे पास आजाद हिन्द फौज संघ, दिल्ली के महासचिव कैप्टन एल० सी० तलवार का पत्र आया है जिसमें लिखा है कि सरकार ने उन आश्वासनों को भी पूरा नहीं किया है जो उसने वर्ष 1967 में दिये थे। यह बड़े शरम की बात है। आजाद हिन्द फौज के बारे में सरकार ने जो आश्वासन दिये थे उन्हें पूरा किया जाना चाहिये।

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Misra) : Some hon. Member have alleged that Hindi is being ignored by the Ministry of Defence. In order to set aside their blame I would like to speak in Hindi.

Though the main points would be replied by the Defence Minister. I would make an attempt to reply the points relating to Ordnance Factories, Defence Production, Public Sector Undertakings, Defence Supplies and Industrial relations.

So far as the question of defence production is concerned, I am happy to state the over all production of this year has been more than that of last year. We have also started manufacturing new articles in our ordnance factories. Formerly our ordnance factories produced no article for our Navy and Air Force. But now some articles are also being produced in our ordnance factories for Navy and Air Force. Many new items have been developed in our ordnance Factories.

The production capacity of ordnance Factories has been increased. Some new factories have been set up and the others have been modernised. The work load of the D. G. O. F. has increased to a great extent and it has now become impossible for one person to supervise over nearly 30 factories. That is why we are contemplating to reorganise this organisation. We have not so far finally decided whether this reorganisation should be on regional or functional basis. So I am not in a position at the present to say anything definite regarding this reorganisation.

My Hon. Friend Shri Banerjee has said that the General Store should not be shifted from Calcutta to Kanpur. The work load in Calcutta has increased very much and that is why we have decided to shift some work to Kanpur. The main purpose of this decentralisation is to achieve efficiency. It is hoped that the reorganisation of D. G. O. F. will be completed in two or three months and it will be helpful in achieving greater efficiency in ordnance factories.

Now I would to come to public undertakings. My hon. friend Shri Tapuriah has criticised the working of H. A. L. I can very well say that the working of H. A. L. during this year has been quite up to the mark. The H. A. L. Bangalore has nearly achieved all its targets. There has been an improvement in this organisation on the whole. There has been marked improvement in this organisation so far as the spare parts and equipments are concerned. I would like to congratulate the workers of this organisation for achieving the targets.

Now comes the Bharat Electronics. This organisation has progressed well during this year. This factory is manfacturing new types of radars and Trans-receiving sets. They are intending to manufacture various types of radars so that we may be self sufficient in radars.

The hon. Member belonging to Swtantra Party has said that our Public Sector Undertaking are running in loss. I would request him to look into the report. There are seven public sector undertakings under our Ministry and out of them in three Undertakings we are earning profits. The profit which is being earned by these Undertakings is more than what is being earned by the private sector Undertakings. I agree that the work of Prague Tools has not been to our entire satisfaction. But it is another's baby passed on to us. I will take sometime to eradicate the old ills and achieve the required progress.

But if you see the working of the Mezagon Dock Ltd., which is a public Undertaking you will agree that our public Undertakings are doing good work. We have manufactured a frigate in this Undertaking with indigenous parts of the value of Rs. 1.25 crores. We are manufacturing three more frigates in which the indigenous parts would be of the value of Rs. 5 crores. Apart from this Mezagon Dock Ltd. has received an order for manufacturing a passenger and Cargo Ships for serving in Andamans. One ship has already been commissioned and an order for another has been received.

If we review the working of the Garden Reach Workshop we come to the conclusion that there has been no loss in this workshop. The Garden Reach Workshop is working under great competition from the private sector and even then its achievements are quite satisfactory.

So far as Goa shipyard is concerned its condition is not quite satisfactory, because we have taken it over only 1½ years ago. We hope to bring this shipyard also on the footing of other undertaking after one or two years.

The Hon. Members have given various suggestions for spending more money on Research and Development. The Government is well aware about the importance of Research and Development Organisation. Sufficient funds have been given to this organisation during the last 10 years and this organisation has done very useful work. The officers and scientists of this organisation are young, intelligent and hard working and they have done appreciable work. Many new items—say 18 to 20 have been developed by this organisation. The new items developed by them are—Mountain gun and its ammunition, semi-automatic rifle, anti-tank grenade, anti-tank mine, air burst, anti-personnel mine, mine clearing device, a rocket for us by aircraft with high explosive warhead, various types of escape aid and power jettisoning cartridge for the Airforce, signal cartridges and drill mines for Navy, various types of propellants and explosives and a large number of instruments which are used in conjunction with weapons.

Our Research and Development Organisation has also developed propellant charges to meet the requirements of the Equitorial Rocket Launching Station at Thumba. In the field of electronics, the important examples are the field artillery radar and its stimulator, a local warning radar system, an improved version of trans-receiver for field communication, a repeater field telephone, a channel doubling telephone and so on.

The House will be glad to know that for setting up a missle factory in public sector we are having negotiations with a foreign firm.

My Hon. Friend Shri Banerjee has said that the work of defence supplies should not be entrusted to private sector. I agree with him that this should be done in public sector—whether

in Defence or in Civil. But I want to go one step forward. So far as the items which are being imported, only those items will be given to private sector which can not be manufactured in Ordnance factories. Now time is such that all items can not be manufactured in Ordnance factories and if the industrialists come forward for manufacturing them, they are welcomed. It is better to manufacture the items within the country itself than to import them.

My Hon. friend Shri Banerjee has also raised the question of workers. I have full sympathy with the workers. I know they are in difficulty. We want to improve their condition. But I would appeal to my friend Shri Banerjee to see that we are paying more wages to the workers than those recommended in the Wage Report.

I request Shri Banerjee to lend his help to me in maintaining peace in H.A.L., Mazgaon Dock and in Ordnance factories. In these factories we are paying to labour much more and in certain cases even 50 per cent more than what the Wage Board has recommended. Incidents, such as occurred in Cossipore should be avoided. I want the Hon. Members to realise that we want to make payment on the output basis as is done in almost all the advanced countries. We want to introduce the workers' participation in the management. The next two or three years will be over period of stabilisation. We want to make full use of our capacity. We have become self sufficient in traditional weapons and now we are embarking upon the manufacture of sophisticated weapons.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : What has been done in regard to submarines ?

Shri L. N. Mishra : It will be stated tomorrow.

Shri George Fernandes (Bombay-South): Has the Government any phased programme for the introduction of labour participation in management ?

Shri L. N. Mishra : Now we are on the threshold of introducing it.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : हमारे पास घातक हथियारों की कमी है । माननीय मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करें कि सभी संसाधनों के उपलब्ध होने पर भी इन हथियारों की कमी क्यों है ।

प्रतिरक्षा मंत्री मेरे इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दें कि पाकिस्तान ने कब और कहां ताशकन्द करार का पालन नहीं किया । और यदि पाकिस्तान का रवैया यही रहा तो भविष्य में ताशकन्द करार के सम्बन्ध में हमारी नीति क्या रहेगी ?

मेरी राय में हमने ताशकंद करार के मामले में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया । ताशकंद करार सम्पन्न कराने के पश्चात रूस के लिये पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना सर्वथा अनुचित था । आज पाकिस्तान ने 1965 के मुकाबले अपनी सैनिक शक्ति काफी बढ़ा ली है । सियालकोट क्षेत्र में पाकिस्तान ने इच्छोगिल नहर के नमूने को नहर बना ली है ।

मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले 20 वर्षों में हमारी विदेशी नीति तथा प्रतिरक्षा नीति जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध नहीं हुई है । क्या सरकार ने अब तक हमारी सीमाओं को निश्चित रूप से बताया है । क्या अकसाई चीन हमारी सीमाओं के भीतर नहीं है ? क्या जम्मू और काश्मीर का वह भाग जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का भाग नहीं है ? यदि आप चीन और पाकिस्तान के साथ

वर्तमान युद्ध विरामरेखा को हमारी सीमा स्वीकार करते हैं तो स्पष्ट रूप से ऐसा कहिये और चीन और पाकिस्तान के साथ समझौता वार्ता करिये । यदि आप यह स्वीकार नहीं करते हैं तो साफ-साफ बतायें कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा क्षेत्र है, उसे आप कब तक मुक्त करा लेंगे ?

मैं सेना के जवानों और अधिकारियों को अपना सम्मान प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने लद्दाख से लेकर नागालैंड तक बड़ी कठिन हालतों में भी हमारे देश की रक्षा की है। जम्मू तथा काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और हमारे जवानों में आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं । हमारे जवान सदैव वहां पर रहने वाले लोगों की सहायता करने के लिये तत्पर रहते हैं ।

1965 के लड़ाई में छम्ब और जोरियां क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था । उन लोगों की कुछ समस्याएं हैं । पाकिस्तान अब भी उनके मवेशी उठा ले जाते हैं । इससे उनका हौसला कमजोर पड़ता है । अतः वहां पर सुरक्षा प्रबन्धों में कड़ाई की जानी चाहिये । राजोरी पूंच क्षेत्र में मुआवजा देने सम्बन्धी मामले पिछले 10 वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं । ये मामले शीघ्र निपटाये जाने चाहिये ।

पूछताछ केन्द्रों के सम्बन्ध में भी एक समस्या है । दोनों देशों के लोग सीमा पार करके एक दूसरे के प्रदेश में आते जाते रहते हैं । पाकिस्तान की ओर से आने वाले लोगों की उचित जांच होनी चाहिये । यदि कोई अवांछनीय या अनधिकृत व्यक्ति है, तो उसे वापस भेज दिया जाना चाहिये । किन्तु ये केन्द्र अब बदला लेने के केन्द्र बन गये हैं । यदि स्थानीय लोगों में आपस में कोई झगड़ा होता है तो वे इन केन्द्रों पर नियुक्त अधिकारियों के पास जाते हैं और सीमा पार करने वाले व्यक्ति को अकारण ही तंग किया जाता है । वहां पर वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे जवानों के वेतन में वृद्धि करें और जब वे दिल्ली में आयें तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के अर्दली के रूप में न लगाया जाये ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : हमारे प्रतिरक्षा मंत्री बार-बार इस बात को दोहराते हैं कि हम किसी भी समय किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं । हमारे 240 द्वीपों में इस समय साधारण सड़कें तक नहीं है । वहां परिवहन और संचार के कोई साधन नहीं हैं । हमारा निकोबार द्वीप सुमात्रा से 85—100 मील की दूरी पर है जब कि मद्रास या कलकत्ता से इसकी दूरी 800 मील है । यदि उस पर हमला हो जाये तो उसकी सुरक्षा के लिये हमने क्या उपाय किये हैं ?

हमें यह देखना है कि हमारी नौसैनिक शक्ति पर्याप्त है अथवा नहीं । नन्तोरी द्वीप समूहों में काफी हद तक नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है । हमारा एक सीमावर्ती सड़क

संगठन है जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जब अक्तूबर में तीस्ता में बाढ़ आई तो बेली पुल जनवरी तक नहीं बनाया जा सका। फिर इस संगठन में काम करने वाले लड़कों को ऊनी कपड़े नहीं दिये जाते हैं। उनको मुख्यतः शाकाहारी भोजन मिलता है और वेतन भी बहुत कम मिलता है। उन्हें 14,000 फुट की ऊंचाई पर कड़ी सर्दी में काम करना पड़ता है। इस संगठन की बहुत सारी मशीनें बेकार पड़ी हैं और इसके अतिरिक्त मरम्मत के केवल दो ही स्थान हैं तेजपुर और पठानकोट, इस संगठन के पास मशीनों का कोई रजिस्टर नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब आधे घन्टे की चर्चा को लिया जायेगा।

पेंशन नियमों का पुनरीक्षण*
REVISION OF PENSION RULES**

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : इस आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य सरकार से यह अनुरोध करना है कि वह पेंशन पद्धति को आधुनिक बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये राजी हो। पेंशन के विषय पर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों की दशा बहुत दयनीय है।

सरकार को अपने कार्यक्रम में पेंशन को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। पेंशन के समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। वर्तमान अधिनियम एक शताब्दी पुराना है। सरकार को याचिका सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये। सरकार को पेंशन कर्मों में समय-समय पर पुनरीक्षण करने के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिये। इस मामले में पेंशनरों की सलाह लेने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। वित्त मंत्री का यह तर्क कि उनके पास संसाधनों की कमी है सही नहीं है। क्या इस तर्क में कोई सचाई है जबकि बेशुमार अलाभप्रद योजनाओं में करोड़ों रुपया राजनीतिक कारणों से लगाया गया है? हमारे देश के राजनीतिक कुप्रबन्ध के कारण लोगों ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को नष्ट किया है। गणतन्त्र दिवस पर रात्रि की रोशनी पर कितना ही पैसा बरबाद किया गया है।

सरकार दबाव के आगे झुकती है। क्या इन वृद्ध पेंशनरों से बड़ी संख्या में यहां आकर प्रदर्शन करने की आशा की जा सकती है?

पेंशन कोई दान नहीं है, अपितु स्थगित वेतन है। दूसरे, आधुनिक देश में पेंशन का सेवा की शर्तों पर असर पड़ता है। तीसरे सरकार को इन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहिये। उनके लिये एक संविहित आयोग होना चाहिये। याचिका सम्बन्धी समिति ने 10 प्रतिशत

*आधे घंटे की चर्चा

**Helf-an-hour discussion.

तदर्थ राहत देने और पेंशन को अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत करने के जो सुझाव दिये हैं वे बिल्कुल उचित हैं और उन्हें तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिये। आजकल की महंगाई में 15 रु० की पेंशन से कुछ भी नहीं बन सकता। सरकार को अन्य उन्नत देशों की तरह पेंशन पद्धति में सुधार करना चाहिये। 20,000 पेंशनरों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन-पत्र प्रधान मंत्री को दिया गया था और शायद रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। वे श्री मोरारजी देसाई से मिलने गये किन्तु उनका अपमान किया गया।

यदि सरकार विज्ञान और टेक्नोलोजी का पूरा प्रयोग करे और राजनीतिक कार्य को सुचारु ढंग से चलाये तो काफी बचत की जा सकती है और इन वृद्ध पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। आज पेंशनर न्याय चाहते हैं और सरकार को उनके प्रति न्याय करना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जहां तक पेंशन अधिनियम के पुराने होने का सम्बन्ध है, इस देश में अनेकों पुराने अधिनियम हैं। केवल अधिनियमों में ही संशोधन नहीं किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सरकार ने समय-समय पर सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों में भी संशोधन किया है। उसके अनुसार पेंशनरों की दशा में समय-समय पर सुधार होता रहा है। 1950 में पहली बार उपदान योजना लागू की गई। 1950 में परिवार पेंशन योजना चालू की गई। इस योजना में 1957 में संशोधन किया गया और पेंशन की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई। अब 1964 के संशोधन के अनुसार यह पेंशन विधवा को आजीवन तक दी जाती है। उपदान पद्धति में संशोधन किया गया।

पहले पेंशन केवल स्थायी सेवा के आधार पर ही दी जाती थी और अस्थायी सेवा को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। 1960 में आमूल परिवर्तत किया गया और अस्थायी सेवा को भी उसमें शामिल किया जाता था।

प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कुछ निर्णय किये थे। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सरकार ने पेंशन नियमों में एक अधिनियम द्वारा परिवर्तन किया जिसके परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते के शामिल किये जाने से पेंशनरों को लाभ पहुंचा है। अतः 1964 के बाद अब कोई पेंशनर 25 रु० से कम प्राप्त नहीं कर रहा है। 1969-70 के बजट में पेंशन के लिये कुल मिलाकर 44.63 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है। प्रति पेंशनर 5 रु० की वृद्धि का अर्थ है कुल में 4 करोड़ रु० की वृद्धि। राज्य सभा और लोक सभा की समितियों की सिफारिशें हमारे विचाराधीन हैं। एक सिफारिश यह है कि पेंशनरों को महंगाई भत्ता उसी दर से दिया जाना चाहिये जिस दर से सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। इन सिफारिशों पर गृह-मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। मैं इस समय उप-प्रधान मंत्री के उन शब्दों को ही दोहरा सकता हूं जो

उन्होंने 7 जून, 1967 को राज्य सभा में कहे थे चूंकि आज भी स्थिति वही है जो उस समय थी। उन्होंने कहा था कि पेंशनरों की कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता सरकार के पास नहीं है क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The aim of a welfare state, to which we stand committed, is to provide old age pension to all and sundry irrespective of the fact that one is a Government employee or not. May I know the number of petitions received from the non-Government employees in this regard and reaction of the Government thereto ? Secondly, do Government propose to raise the minimum limit of Rs. 25 in the context of spiraling prices ? Thirdly, have the Government worked out the total expenditure involved in providing old age pension to all and finally what will be Government's policy regarding pension in the fifth plan ?

Shri George Fernandes (Bombay-South) : In this matter we should emulate the example of Britain where after every five years the emoluments of the pensioners are increased suitably. A country which fails to look after its old generation can never build its character. It does not redound to the credit of the Government to take shelter under the alibi of non-availability of resources. Rs. 30 lakhs are being spent on the construction of the Prime Ministers house. Rs. 9.5 lakhs were spent on bringing out a booklet in Connection with the Prime Ministers visit to latin American countries. These and innumerable other examples can be cite of Governments extravagant and wasteful expenditure. I do not know what prevents the Government from accepting the recommendations of the Lok Sabha Petitions Committee which were given after two years of cogitation and deliberation. If the Government does not accept the recommendations of this committee, would that not amount to a contempt of the House ? May I know how long it will take for the Government to consider that report ?

In answer to a question the Hon. Minister asserted that there is no pensioner with a pension of Rs. 25. Now, if we submit a list of those with a pension of less than Rs. 25, are Government prepared to make it 25 forthwith ?

Shri Rabi Ray (Puri) : It is lamentable that all the cogent arguments given by my friend Shri Sondhi have fallen flat on Shri Sethi. Shri Sethi has just now mis-stated the facts. He said that no one is now getting a pension of less than Rs. 25 where as the Petitions Committee in its report has said that the low-paid pensioners getting only Rs. 10 to 20 as monthly pension should be paid a minimum pension of not less than Rs. 40 or 50 per month in view of the extraordinary rise in the cost of living over the last 20 years, can the Hon. Minister give an assurance that the minimum pension will be raised to Rs. 50 now?

Shri P. C. Sethi : The discussion raised by Shri Sondhi relates only to the Government pensioners only and not to private employees. It is not true that certain developed countries have effected an increase in the pension amount depending on their financial resources. It is not that we do not have any sympathy with the pensioners. The matter is not static. The report is still under consideration. Shri Fernandes talked of wasteful expenditure. In this connection I am to say that there are certain exigent things which we have to do regardless of the expenditure involved.

As regards the minimum amount of pension, it has been raised to Rs. 25.00 in all es of retirement occurring on or after 1-1-64. It is not correct to say that somebody is ting Rs. 10. Rs. 10 was the temporary increament given to those getting less than Rs. 50 pension. As regards the resources position, that is a policy matter which cannot be debated such a short time. As regards the appointing of a separate commission, we have been con-ering the reports of several commissions from time to time.

श्री म० ला० सोंधी : वेतन कमीशन पेंशन कमीशन नहीं है ।

श्री प्र० चं० सेठी : वेतन भी पेशन का भाग है । वेतन के आधार पर ही पेंशन की श निश्चित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 अप्रैल, 1969/2 वैशाख 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 22nd April, 1969/Vaisakha 2, 1891 (Saka).

Kumar Press, Lucknow. 16-8-69—600.